# C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol. XXXV, Fourteenth Session, 2013/1935 (Saka)**
**No. 21, Friday, September 6, 2013/Bhadrapada 15, 1935 (Saka)**


| S U B J E C T | P A G E S |
|---|---|
| **OBITUARY REFERENCES** | 2 |
| **PAPERS LAID ON THE TABLE** | 3-7, 61 |
| **COMMITTEE ON ESTIMATES** | |
| 25th and 26th Reports | 8 |
| **COMMITTEE OF PRIVILEGES** | |
| 4th Report | 8 |
| **RAILWAY CONVENTION COMMITTEE** | 8-9 |
| (i) 8th Report | |
| (ii) Statement | |
| **COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN** | 9 |
| 21st Report | |
| **STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT** | 9 |
| 257th Report | |
| **SUBMISSIONS BY MEMBERS** | |
| (i)Re: Reported occupation of Indian territory by China | 11-14 |
| (ii)Re : Inclusion of Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution of India. | 22-25 |
| (iii)Re: Reported instances of discouraging Indian languages as done by UPSC by amending formats of preliminary and main examinations causing hardships to the aspirants of civil services. | 26-30 |

(iv)Re: Report by Shri Shyam Saran, Chairman, National Security Advisory Board 332-362

**MATTERS UNDER RULE 377** 36-44

(i) Need to expedite setting up of the proposed hi-tech Central Warehousing Godown at Puthencruz, Ernakulam district, Kerala

Shri K.P. Dhanapalan 36-37

(ii) Need to take all necessary measures to assist flood affected people in Uttar Pradesh

Shri Jagdambika Pal 37

(iii) Need to sanction funds for construction of link roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Bhiwani and Mahendragarh districts of Haryana

Shrimati Shruti Choudhry 38

(iv) Need to take stringent action against pharma companies selling medicines at rates higher than the ceiling fixed by the National Pharmaceutical Pricing Authority

Shri M.I. Shanavas 39

(v) Need to streamline the implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Shrawasti district of Uttar Pradesh

Dr. Vinay Kumar Pandey 40

(vi) Need to sanction funds for embankment fortification work of Cauvery and Kabini rivers in Chamarajanagar parliamentary constituency, Karnataka

Shri R. Dhruvanarayana 41

(vii) Need to address the problem of annual flood and drought situation in Bihar

Shrimati Rama Devi 42

(viii) Need to permit cutting of dry bamboos in forests of Bharuch and Narmada districts of Gujarat

Shri Mansukhbhai D. Vasava 43

(ix) Need to expedite presidential assent to Madhya Pradesh University (Amendment) Bill 2011 for setting up Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University at Chhatarpur in Madhya Pradesh

Shri Jitendra Singh Bundela 44

**STATEMENT BY MINISTER**
Report on border infrastructure in Ladakh submitted by Shri Shyam Saran, Chairman National Security Advisory Board
**Shri A.K.Antony** 62-63

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA**
**AND**
**BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA** 69, 246, 331

**STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL, 2012** 45-60, 64-190

Shri Anant Gangaram Geete 45-48

Shri Syed Shahnawaz Hussain 48-60-J

Shrimati Meena Singh 64-66, 71-72

Shri N. Peethambara Kurup 73-76

Shri Ramashankar Rajbhar 77-78

Shrimati Poonam Veljibhai Jat 79

| | |
|---|---|
| Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi | 80-82 |
| Shri J.M. Aaron Rashid | 83-85 |
| Dr. Kirti Premjibhai Solanki | 86 |
| Shrimati Jayshreeben Patel | 87-88 |
| Dr. M. Thambidurai | 89 |
| Shri C. Rajendran | 91-93 |
| Shri Dara Singh Chauhan | 94-96 |
| Shrimati Darshana Jardosh | 97 |
| Shri Ashok Argal | 98 |
| Shri Arjun Ram Meghwal | 99 |
| Shri Mahendrasinh P. Chauhan | 100 |
| Dr. Ratna De | 101-103 |
| Shri Virender Kashyap | 104 |
| Shri Adhi Sankar | 105-107 |
| Shri Mahendra Kumar Roy | 108-109 |
| Dr. Sanjeev Ganesh Naik | 110-112 |
| Shri Jayant Chaudhary | 113-114 |
| Shri Bhartruhari Mahtab | 115-118 |
| Shri Nikhil Kumar Choudhary | 119 |
| Shri Prabodh Panda | 120-122 |
| Shrimati Rama Devi | 123 |
| Shri Nama Nageswara Rao | 124-125 |
| Shri M. Krishnasswamy | 126-128 |
| Shri Satpal Maharaj | 129-130 |
| Shri Jagdanand Singh | 131-133 |
| Shri Ganesh Singh | 134-136 |
| Shri Jagdambika Pal | 137-138 |
| Shri Sanjay Nirupam | 139-142 |
| Shri P.L. Punia | 143 |

Shri Nripendra Nath Roy 144-145

Shri S. Gandhiselvan 146-147

Shri Asaduddin Owaisi 148-149

Shri Tarun Mandal 150-151

Shrimati Putul Kumari 152-153

Shri Gorakh Nath Pandey 154-155

Shri R. Thamaraiselvan 156-158

Dr. Girja Vyas 159-165

Shrimati Sushma Swaraj 165

Clauses 2 to 40 and 1 166-189

Motion to Pass 189

**RAJIV GANDHI NATIONAL AVIATION UNIVERSITY BILL, 2013** 191-245

Motion to consider 191

Shri Ajit Singh 191-192, 239-243

Shri Ananth Kumar 194-199

Shri Shailendra Kumar 200

Shri Satpal Maharaj 211-213

Shri R. Thamaraiselvan 214-216

Shri Gorakhnath Pandey 217

Prof. Saugata Roy 218-219

Dr. Kirit Premjibhai Solanki 220

Shri Sushil Kumar Singh 221-222

Shri T.R. Baalu 223

Shri Arjun Ram Meghwal 224

Sk. Saidul Haque 225-226

Shrimati Darshana Jardosh 227

| | |
|---|---|
| Shri Mahendrasinh P. Chauhan | 228 |
| Shrimati Jayshreeben Patel | 229 |
| Shri S. Semmalai | 230 |
| Shri Nama Nageswara Rao | 231 |
| Shri Ashok Argal | 232 |
| Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary | 233-234 |
| Shri Jagdambika Pal | 237 |
| Dr. Vinay Kumar Pandey | 238 |
| Clauses 2 to 48 and 1 | 245 |
| Motion to Pass | 245 |
| **PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION BILL, 2012** | 247-312 |
| Motion to Consider | 247 |
| Kumari Selja | 247-248, 295-298 |
| Shri Arjun Ram Meghwal | 250-251 |
| Shri Satpal Maharaj | 252 |
| Shri Bhartruhari Mahtab | 253-256 |
| Shri Rajaiah Siricilla | 257-258 |
| Shrimati Darshana Jardosh | 259 |
| Shrimati Jayshreeben Patel | 260 |
| Shri Shailendra Kumar | 261-262 |
| Shri Bhakta Charan Das | 263 |
| Shri Virender Kashyap | 264-266 |
| Dr. Baliram | 267 |
| Shri Mahendrasinh P. Chauhan | 268 |

| | |
|---|---|
| Prof. Ramshankar | 269 |
| Shri Maheswar Hazari | 270 |
| Dr. Ratna De | 271-272 |
| Shri Adhi Sankar | 273-275 |
| Shrimati Susmita Bauri | 276-277 |
| Shri Jagdambika Pal | 278-279 |
| Shri Mohan Jena | 280-281 |
| Dr. Sanjeev Ganesh Naik | 282 |
| Shri M. Anandan | 283-284 |
| Dr. Kirit Premjibhai Solanki | 285 |
| Shri Nama Nageswara Rao | 286 |
| Shri P.L. Punia | 287-290 |
| Shri Prabodh Panda | 291-292 |
| Shri Jagdanand Singh | 293-294 |
| Clauses 2 to 36 and 1 | 299-312 |
| Motion to Pass | 312 |
| **PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 2013** | 315 |
| Motion to Consider | 315 |
| Shri Kapil Sibal | 315 |
| Clause 2 | 315 |
| Motion to Pass | 315 |
| **REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL,2013** | 316-330 |
| Motion to Consider | 316 |
| Shri Kapil Sibal | 316-317, 329-330 |

| | |
|---|---|
| Shri Bhartruhari Mahtab | 318-319 |
| Shri Kirti Azad | 320-322 |
| Shri P. Karunakaran | 323 |
| Shri Kalyan Banerjee | 324 |
| Shri T.K.S. Elangovan | 325 |
| Shri Shailendra Kumar | 326 |
| Shri Dinesh Trivedi | 327 |
| Shri Dara Singh Chauhan | 328 |
| Clauses 2 to 4 and 1 | 316-330 |
| Motion to Pass | |
| **HALF-AN-HOUR DISCUSSION** | 363-373 |
| Compensation to farmers for crop loss | |
| Shri Shailendra Kumar | 363-365 |
| Shri Tariq Anwar | 368-373 |
| **NATIONAL SONG** | 373 |

# OFFICERS OF LOK SABHA

## THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

## THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

## PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Satpal Maharaj

Shri Jagdambika Pal

## SECRETARY GENERAL

Shri S. Bal Shekar

# LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

----------

Friday, September 6, 2013/Bhadrapada 15, 1935 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

## OBITUARY REFERENCES

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House about the sad demise of two of our former Members, Sarvashri Bhagwan Dutta Shastri and Hari Kishore Singh.

**Shri Bhagwan Dutta Shastri** was a Member of First Lok Sabha from 1952 to 1956 representing the then Shahdol-Sidhi Parliamentary Constituency of Vidhya Pradesh.

Shri Bhagwan Dutta Shastri passed away on 24th July, 2013 in Rewa, Madhya Pradesh at the age of 93.

**Shri Hari Kishore Singh** was a Member of Fifth, Ninth and Tenth Lok Sabhas representing Pupri and Sheohar Parliamentary Constituencies of Bihar.

Shri Singh served as Union Minister of State for External Affairs during 1990-1991. He also served as Chairman, Railway Convention Committee.

A widely travelled person, Shri Singh represented India at the Commonwealth Foreign Ministers' Committee on South Africa in Abuja, Nigeria in 1991. He was also a part of Indian delegation to United Nations Conference on Trade and Development in 1976.

Shri Hari Kishore Singh passed away on 28th August, 2013 in New Delhi at the age of 79.

We deeply mourn the loss of our former Members and I am sure, the House would join me in conveying our condolences to the bereaved families.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

**11.02 hrs**

*The members then stood in silence for a short while.*

---

**11.03 hrs**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid. Shrimati Santosh Chowdhary.

…(व्यवधान)

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर):** दार्जिलिंग के बारे में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बंद करो। …(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** मैडम, चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। …(व्यवधान)

**11.03 ½ hrs.**

*At this stage Shri Kalyan Banerjee, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Member came and stood on the floor near the Table.*

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SANTOSH CHOWDHARY): On behalf of Shri Ghulam Nabi Azad, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

(1) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. 5/15015/30/2012 in Gazette of India dated 12th July, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 9719/15/13)

(2) The Food Safety and Standards Authority of India (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2013

published in Notification No. F. No. A-21021/01/2010-Admn. FSSAI in Gazette of India dated 30th July, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 9720/15/13)

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri V. Narayanasamy – Not here.

Shrimati Preneet Kaur.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI PRENEET KAUR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Clause 31(2) of the South Asian University Act, 2008:-

(i) The South Asian University First Regulations, 2013 published in Notification No. F. No. BI-321/60/11 in Gazette of India dated 7th August, 2013.

(ii) The South Asian University First Rules, 2013 published in Notification No. F. No. BI-321/60/11 in Gazette of India dated 7th August, 2013.

(iii) The South Asian University (Removal of Difficulties) Order, 2012 published in Notification No. S.O.136(E) in Gazette of India dated 20th January, 2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iii) of (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 9722/15/13)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949:-

(1) The Central Reserve Police Force, Group 'B' (Combatised Para-Medical Posts) Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 308 in Gazette of India dated 12th November, 2011.

(2) The Central Reserve Police Force, Group "C" (Combatised Para-Medical Posts) Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 220 in Gazette of India dated 30th July, 2011.

(3) The Central Reserve Police Force, Inspector (Senior Library and Information Assistant), Sub Inspector (Library and Information Assistant), Head Constable (Library Clerk) and Constable (Library Attendant) Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 608(E) in Gazette of India dated 9th August, 2011.

(4) The Central Reserve Police Force, Group 'C' (Combatised Para-Medical Posts) Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 219 in Gazette of India dated 30th July, 2011.

(5) The Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Ministerial), Group "A" Post, Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 652(E) in Gazette of India dated 30th August, 2011.

(6) The Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Private Secretary), Group "A" Post, Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 653(E) in Gazette of India dated 30th August, 2011.

(7) The Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment (Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 209 in Gazette of India dated 18th August, 2012.

(8) The Central Reserve Police Group "A" (General Duty) Officers Recruitment (Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 22(E) in Gazette of India dated 14th January, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 9723/15/13)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI DEEPA DASMUNSI): I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R. 511(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th July, 2013 rescinding Notification No. G.S.R.408(E) dated 30th May, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, issued under sub-section (1) of Section 4 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978.

(Placed in Library, See No. LT 9724/15/13)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JESUDASU SEELAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 19 of 2013)-Compliance Audit Observations for the year ended March, 2012.

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 21 of 2013) Compliance Audit Compensatory Afforestation in India, Ministry of Environment and Forests, for the year ended March, 2012.

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 22 of 2013) Compliance Audit- Scientific and Environmental Ministries/Departments for the year ended March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 9725/15/13)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 74 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002:-

(i) G.S.R.578(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2013 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. G.S.R.440(E) dated 1st July, 2005.

(ii) G.S.R.579(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2013 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. G.S.R.441(E) dated 1st July, 2005.

(iii) The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R.576(E) in Gazette of India dated 27th August, 2013, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 9726/15/13)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.335(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2013 together with an explanatory memorandum providing the facility of removal of all excisable goods from the factory of production, intended for storage in a godown or retail outlet of a Duty Free Shop in the Departure Hall or the Arrival Hall of International Airport, appointed or licensed as "warehouse" under Section 57 or 58 of the Customs Act, 1962 and for sale therefrom, against foreign exchange to passengers going out of India or to the passengers or members of crew arriving from abroad.

(ii) G.S.R.336(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2013 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 38/2001-C.E.(NT) dated 26th June, 2001, together with two corrigenda

published in Notification Nos. G.S.R.545(E) dated 14th August, 2013 and G.S.R.553(E) (in Hindi version only) dated 14th August, 2013.

(iii) G.S.R.337(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2013 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-C.E.(NT) dated 26th June, 2001, together with two corrigenda published in Notification Nos. G.S.R.546(E) dated 14th August, 2013 and G.S.R.554(E) (in Hindi version only) dated 14th August, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 9727/15/13)

---

**11.05 hrs.**

## COMMITTEE ON ESTIMATES

## 25th and 26th Reports

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): I beg to present the following Reports (Hindi and English Versions) of Committee on Estimates:-

(1) 25th Report on the subject 'Higher Education in India' pertaining to the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education).

(2) 26th Report on the subject 'Malnutrition in Infants and Mothers' pertaining to the Ministry of Women and Child Development and Ministry of Health and Family Welfare.

---

… (*Interruptions*)

**11.05 ½ hrs.**

## COMMITTEE OF PRIVILEGES

## 4th Report

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): I beg to lay on the Table the 4th Report (Hindi and English versions) of the Committee of Privileges (15th Lok Sabha).

---

… (*Interruptions*)

**11.06 hrs.**

## RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

## (i) 8th Report

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): I beg to present the 8th Report (15th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the 5th Report of Railway Convention Committee (2009) on 'Railway's participation in the development of backward regions'.

… (*Interruptions*)

(ii) **Statement**

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : I beg to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) showing the Final Action Taken by the Government on the Recommendations contained in Chapter – I of the 7th Report of the Railway Convention Committee (2009) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 4th Report of the Committee on "Pending on-going projects of the Ministry of Railways - Commissioning of the Autokast Factory at Cherthala, Kerala -A case study".

… (*Interruptions*)

**11.06 ½ hrs.**

**COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN**

**21st Report**

RAJKUMARI RATNA SINGH (PRATAPGARH): I beg to present the 21st Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2012-13) on the Subject 'Working Conditions of Women in Police Force'.

… (*Interruptions*)

**11.07 hrs.**

**STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**

**257th Report**

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): I beg to lay on the Table the 257th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on the Central Universities (Amendment) Bill, 2012.

… (*Interruptions*)

**श्री नीरज शेखर (बलिया):** रक्षा मंत्री जवाब दें।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** वे आ रहे हैं और जवाब देंगे, वे आयेंगे।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He is coming.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Defence Minister is coming to the House to make a Statement.

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** थोड़ा सदन को चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He is coming.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.20 a.m.

**11.08 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till*
*Twenty Minutes past Eleven of the Clock.*

**11.20 hrs.**

*The Lok Sabha reassembled at Twenty Minutes past Eleven of the Clock*

(**Madam Speaker** *in the Chair)*

## SUBMISSIONS BY MEMBERS

### (i)Re: Reported occupation of Indian territory by China

…(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना के मामले पर नोटिस दिया है। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री यशवंत सिन्हा। आप बोलिये, आपका नाम बुलाया है।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? आप बैठिये।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** इनके बाद आपको बुलाएँगे मुलायम सिंह जी।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …*[*]

**श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):** अध्यक्ष महोदया, मैंने कल शाम को इसी सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा उठाया था। मैंने सरकार से यह मांग रखी थी कि इस पर रक्षा मंत्री का एक बयान आए क्योंकि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है और बहुत सारी भूमि पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कब बयान देगी, कितने बजे बयान देगी, यह सरकार हम लोगों को स्पष्ट करे। …(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** अध्यक्ष महोदया, मैं 14 सालों से लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर बोल रहा हूँ कि चीन हिन्दुस्तान पर हमला करेगा और उसकी कुदृष्टि इधर लगी हुई है। मैंने कई

---

[*] Not recorded.

उदाहरण भी दिये। उसने नेहरू जी को धोखा दिया। चीन द्वारा हमला करने और हमारी धरती पर कब्ज़ा करने की वजह से सदमे के कारण ही नेहरू जी का निधन हुआ। यह बात लोहिया जी ने उसी वक्त कही थी, लेकिन किसी ने उसका खंडन नहीं किया। आज चीन ने हमारी धरती पर कब्ज़ा किया है और धीरे-धीरे कब्ज़ा करता चला आ रहा है। देश की सीमाएँ सुरक्षित नहीं हैं तो आप देश को कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? छोड़िये, हमारा आर्थिक संकट और महंगाई वगैरह की बात, आप केवल देश की सीमा की सुरक्षा कर दो। अगर देश की सीमा की सुरक्षा कर दोगे तो भी हम शांत हो जाएँगे, लेकिन देश के सवाल पर हम कभी भी चुप नहीं बैठ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप स्पष्ट कीजिए, रक्षा मंत्री को बुलाइए। मैंने उनको एक शब्द कह दिया तो आप मुझसे नाराज़ हो गए कि मैंने रक्षा मंत्री का अपमान किया है। व्यक्ति बड़ा है या देश बड़ा है? वे हमारी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरी जानकारी है, मैं 14 सालों से बोल रहा हूँ और जब से हाउस में आया हूँ तब से बोल रहा हूँ लेकिन आप बताएँ कि सरकार ने क्या किया? यह कब्ज़ा क्यों हुआ? सच बात यह है कि अगर आप देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो जनता खड़ी होगी। आपको एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, यदि आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। हम महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। हम सब बर्दाश्त करने को तैयार हैं लेकिन इस देश की सीमा की रक्षा होनी चाहिए। आपने इसके लिए क्या उपाय किया है? उन्होंने पहले आकर झंडे गाड़े, फिर निशान लगाए। हम भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। हमारे समय में उन्होंने एक किलोमीटर भीतर निशान लगाए थे तो हमने उनके चार किलोमीटर भीतर निशान लगा दिये। आप रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाइए और पता लगाइए कि हमने उस समय यह किया था या नहीं, या उस समय के जनरल को बुलाइए। इस तरह से हमने देश की सीमा की रक्षा की थी और आपने हर तरह से चौपट कर दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाला, वगैरह जो कुछ हुआ, सब कुछ भूलकर अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर देते तो भी हमें संतोष होता। यह सरकार बाकायदा ...* है, और हमारी सेना बहादुर है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please remove this from the records.

**श्री मुलायम सिंह यादव :** यह मेरी अपील है कि सरकार यहाँ गारंटी दे कि चीनियों को कब हटाने वाले हैं। हमारी सेना तैयार है। ...(व्यवधान) हमारी बात हुई है। ...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमको किसी भी तरह से निर्देश दे तो हम चीनियों को खदेड़ देंगे।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

फिर आपने क्यों निर्देश नहीं दिए?...(व्यवधान) जब आर्मी चीफ ने कहा कि हमें निर्देश दीजिए हम चीनीयों को खदेड़ देंगे, लेकिन आपने निर्देश नहीं दिए। इतनी... *सरकार रहकर के आप देश में क्या बदलाव करेंगे? आप ... * हैं, हम कह रहे हैं। आप ... * हैं और हमारी सेना बहादुर है। आप ... * दिखा रहे हैं और सेना बहादुरी दिखा रही है। यह देश की रक्षा का सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस संबंध में क्या किया है?

**श्री शेर सिंह घुबाया (फ़िरोज़पुर):** मैडम, पंजाब में किसानों की हालत खराब है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइए। बात कुछ और चल रही है। हम हरसिमरत कौर बादल जी को बाद में बोलने के लिए बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह देश की सीमाओं का मामला है। यह मामला सदन में कई बार आया है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए, मंत्री जी को बोलने दीजिए।

**शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** मैडम, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो मामला उठाया है और यशवंत सिन्हा जी ने इस सदन में भी जिक्र किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि यह गंभीर मामला है और मैं माननीय मुलायम सिंह जी को बड़े स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि न तो यह सरकार कमज़ोर है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग मंत्री जी को सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री कमल नाथ :** यह सरकार कमज़ोर नहीं है और न ... * है।...(व्यवधान) बहुत सारी अफ़वाहें उड़ती हैं और सरकार का कोई चीज दबाने या छिपाने का लक्ष्य नहीं है।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

**श्री मुलायम सिंह यादव :** यह घपला नहीं है, यह देश की सीमा का मामला है। आप सीमा के सवाल पर बोलिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री कमल नाथ :** मैं उसी पर बोल रहा हूं। रक्षा मंत्री जी आज एक बजे सदन में बयान देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके बयान के बाद पूरे सदन को तसल्ली होगी।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री सुदीप बंदोपाध्याय।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप उन्हें बोलने दीजिए, अब बोलने का उनका समय है।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइए। हमने बोलने के लिए उनका नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

---

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, deliberate and motivated attempts are being made to divide West Bengal. We apprehend that the Central Government is also playing a role behind it. On the very 3rd of September, this month, when Kumari Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, was visiting Darjeeling District to pacify the situation, unfortunately the Home Minister of India was meeting the Gorkha Janamukti Morcha leaders, who were raising slogans for division of West Bengal, in the name of Gorkhaland. They were meeting here in Delhi.

I want to draw your attention to a letter that the Prime Minister wrote on 1st of August to the hon. Chief Minister, which I want to place on record. He wrote:

"Dear Mamata ji, I have had the matter looked into."

That is the previous letter. Before that also the different Central Ministers and leaders were meeting the Gorkhaland leaders from West Bengal. Prime Minister is writing:

> "I have had the matter looked into. I understand that while there have been some informal working level contacts with GJMM leaders in Delhi, there was no intent or attempt to encourage them to go behind the back of the State Government or to affect the GTA working arrangements in any way. I have instructed the Central Government personnel – Prime Minister is categorically writing on 1st of August – that any meeting with the GJMM leadership should be done in consultation with the State Government and that they should keep you informed of the developments."

But on 3rd of September, the Home Minister has himself met them, because of which the hon. Chief Minister wrote a letter to the Prime Minister on 5th of September, where she wrote:

> "Kindly refer to your letter dated 1st August, 2013, which I acknowledged, I am constrained to point out that in spite of your categorical instructions that no meeting will be held by the Central Government with the GJMM leadership except in consultation with the State Government, the Union Home Minister met the GJMM delegation on 3rd September, 2013, without intimation to us.
>
> It is most disturbing to note that the Central Government agreed to meet the GJM representatives on the date of 1st September, 2013 when I was present in Darjeeling to attend a public meeting in Kalimpong along with all my senior Government officials, Chief Secretary, Home Secretary, Director-General of Police, etc. I am constrained to state that the timing of the meeting fixed by the Central Government was unfortunate. This act deliberately provokes the divide and rule policy encouraging political turbulence in my State."

Lastly, she is writing:

> "You will kindly appreciate that continuous political interference from the Central Government in the internal affairs of the State is not only encouraging political turmoil in the State but also destroying the federal structure enshrined in the Constitution. I thought it appropriate to bring this real situation for your kind information."

Madam, I want to say that West Bengal consists of 294 Assembly segments. Darjeeling has only three Assembly segments – one, Darjeeling, two Kurseong and three Kalimpong. How can three MLAs of a district area claim for a separate State? Even one Parliamentary constituency is not there. Where Shri Jaswant Singh represents, he has three from the Hills and four from the plains. So, this is an absurd idea. We want the Central Government should try to follow the assurance given by the hon. Prime Minister. We know the position of the hon. Prime Minister. Sometimes, he feels so in one way. His Government does not respond to his way. It will be a glaring example if they try to do so. Our submission is that in future, in case of a separate State, the Central Government should not give any encouragement to the demand which is being made by the

GJM leader for a Gorkhaland State. They should stand by the State Government totally, fully and they should allow the State to take the decision according to their own will.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Madam, with your permission, I would like to associate myself with the concern expressed by Shri Sudip Bandyopadhyay regarding Darjeeling.

**अध्यक्ष महोदया :** श्री जय प्रकाश अग्रवाल, बोलिए।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और कंस्टीट्यूशन के नाम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी इस हाउस की है, जिसकी कस्टोडियन आप हैं, उस प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति किसी पर्टीक्युलर प्राईवेट क्लब के नाम से कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि कंस्टीट्यूशन क्लब के नाम से जो जगह पार्लियामेंट हाउस की थी, वह किसी प्राईवेट क्लब के पास कैसे चली गयी? उसके अंदर कैसे पूरी अन-ऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गयी? वह सारी कंस्ट्रक्शन पी.डब्ल्यू.डी. ने की। वहां मैरेज हॉल खोल दिया गया। क्या कंस्टीट्यूशन क्लब के नाम से मैरेज हॉल खोला जा सकता है?…(व्यवधान) क्या कंस्टीट्यूशन क्लब के नाम से रात में शादी-ब्याह किए जा सकते हैं?…(व्यवधान) वहां पर टैक्स वालों के साथ लेना-देना होता है।…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है।

…(व्यवधान)

**श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):** आपका एजेंडा सही नहीं है।…(व्यवधान)

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदया, वह प्रॉपर्टी इस हाउस की प्रॉपर्टी है।…(व्यवधान) लोक सभा के कितने मेम्बर उस क्लब के मेम्बर हैं?…(व्यवधान) लोक सभा के 5% लोग भी उसके मेम्बर नहीं हैं।…(व्यवधान) जहां 25 रुपये मेम्बरशिप होती थी, वहां दो-दो लाख रुपये की मेम्बरशिप है।…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** यहां बैठ कर हम गरीब आदमी की बात करते हैं और वहां रईसज़ादे उस क्लब को चला रहे हैं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है।

...(व्यवधान)

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रॉपर्टी कैसे चली गयी?...(व्यवधान) ल्युटियन ज़ोन में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई?...(व्यवधान) वहां किसने इज़ाजत दी?...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय से कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद और श्री पन्ना लाल पुनिया स्वयं को संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** क्यों आप लोग हर वक्त गुस्सा दिखाते हैं?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** वीरेन्द्र कुमार जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान) दुनिया भर में पैदा होने वाले एक-चौथाई बच्चों की लंबाई कुपोषण के कारण न्यूनतम पैमाने से भी कम रह जाती है।...(व्यवधान) इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे ठिगनेपन का शिकार होने वाले बच्चे, दुनिया के 38 प्रतिशत बच्चे अपने ही देश के हैं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र कुमार:** संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह पाया है।...(व्यवधान) रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण की वज़ह से ठिगने रह गए पांच वर्ष तक के 80 प्रतिशत बच्चे चौदह देशों में हैं।...(व्यवधान) इनमें से भारत सबसे ऊपर है लेकिन बाकी के सभी देश मिलकर 42% होते हैं। हमारे यहां पांच साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा लगभग 48 प्रतिशत इस समस्या का शिकार है।

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हैं?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र कुमार :** भारत में गंभीर या सामान्य रूप से इसके शिकार हुए बच्चों की संख्या 6.17 करोड़ है। इसी तरह कुपोषण के कारण लम्बाई के मुकाबले वजन कम रह जाने के लिहाज से भारत पहले नम्बर पर है। यहां ढाई करोड़ बच्चे इसका शिकार हैं, जब कि दुनिया भर में 5.2 करोड़ बच्चे ऐसे पाए गए हैं। भारत में पैदा होने वाले बच्चों को देखें तो इनमें से 20 प्रतिशत से ज्यादा कम वजन के होते हैं। इसी तरह कुपोषण के कारण बच्चों में बीमारियां और अपंगता से लेकर मृत्यु तक प्रमुख कारण बनते हैं। कम उम्र में विकास ठीक नहीं होने से भविष्य में उसकी शिक्षा, आय और उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में अनुरोध करना चाहता हूं कि कुपोषण से होने वाली मृत्यु दर कम करने एवं बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से चलने वाली केन्द्र सरकार की योजनाएं आंगन वाड़ी बाल चिकित्सा आदि की समीक्षा करके, ठीक ढंग से करवाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के कदम उठाने की पहल केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदया:** श्रीमती रमा देवी, श्री रावसाहेब दादाराव दान्वे, श्री अशोक अर्गल, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, श्री लालूभाई बी. पटेल, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री मोहन जेना, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री जीतेन्द्र सिंह बुन्देला श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया:** श्री पोन्नम प्रभाकर - अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया:** आप बैठ जाइए, थोड़ी शांति रखिए, सब को बारी-बारी बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

**श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार):** मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये सरकार किसान की बातें करती है, लेकिन केन्द्र सरकार सोई हुई है। देश में 60 परसैंट से ऊपर किसान हैं। इस समय सारा वेस्ट बंगाल, बिहार के कुछ इलाके, असम, ओडिशा और कई अन्य राज्यों में किसानों की अत्यधिक लाभजनक फसल जूट है। केन्द्र सरकार ने इस बार जो एमएसपी लगाया, उसका

रेट इस बार 2300 रुपए क्विंटल है, जब कि पिछले साल उसका रेट 2200 रुपए था। क्या केन्द्र सरकार किसानों को भीख दे रही है? जूट उत्पादन का खर्च बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ गया है और लेबर का दाम भी बढ़ गया है। किसान उसे बाजार में बेचने लगे।

अध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार किसानों के लिए जो संस्था है, जिसका नाम जेसीआई है, वह किसानों के हितों के लिए गांव-गांव जाकर किसानों से जूट खरीदे। जो एमएसपी लगाया है, वह बहुत कम है, उसे 2300 रुपए से बढ़ा कर पांच हजार रुपए क्विंटल करे।

**अध्यक्ष महोदया:** श्री महेन्द्र कुमार राय, डॉ. अनूप कुमार साह, श्री शक्ति मोहन मलिक, डॉ. तरुण मंडल श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

**श्री नीरज शेखर (बलिया):** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बाढ़ की वजह से जो संकट पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आया है, पिछले करीब 40 दिनों से मेरे लोक सभा क्षेत्र में, पूर्वांचल में लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। एक-एक घर एक-एक टापू बन गया है। राज्य सरकार बहुत सारे काम कर रही है, खाद्यान्न वहां बांट रही है। वहां पर तिरपाल और दवाइयां देने का काम राज्य सरकार कर रही है। लेकिन बाढ़ के बाद पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है, जो कटान की समस्या है, कटान से लाखों एकड़ जमीन गंगा नदी में विलीन हो रही है। लोगों के घर गिर रहे हैं।, हजारों हैक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। उसके मुआवजे के लिए जो राज्य सरकार कार्य कर रही है, मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार का सहयोग राज्य सरकार को मिले। वहां पर जो मुआवजा देने की बात है, जिनके घर गिर गए हैं, आप जानते हैं, उस पीड़ा को आप समझ सकती हैं। किसान और गरीब व्यक्ति को अपना घर अपने हाथों से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि अगले दिन उसका घर गंगा के कटान से गिर जाएगा, तो वह घर अपने हाथों से तोड़ रहा है। केन्द्र सरकार को उनकी पीड़ा को समझने की जरूरत है। हमेशा कहते हैं कि राज्य सरकार से आना चाहिए, क्यों, क्या केन्द्र सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता कि वहां पर जाकर सर्वे कराए। उनकी टीम वहां जाकर देखे। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हर जगह बाढ़ आई हुई है। केन्द्र सरकार कह रही हैं, जब तक राज्य सरकार नहीं भेजेगी, राज्य सरकार भेज रही है। केन्द्र सरकार का दायित्व बनता है, क्या हम लोग भारत के वासी नहीं हैं? क्या केन्द्र सरकार कभी वहां जाकर देखने का कष्ट नहीं कर सकती कि वहां कैसी स्थिति है? केन्द्र सरकार की टीम आज तक वहां पर नहीं गई। केन्द्र सरकार वहां टीम भेजे और पता करे, वहां पर क्या चाहिए। केन्द्र सरकार क्या सहयोग दे सकती है? वहां हजारों हेक्टेअर फसल बर्बाद हो गयी है, मेरे बलिया लोकसभा क्षेत्र

में किसानों की एक लाख हेक्टेअर फसल बर्बाद हो गयी है। जब किसान कुछ उत्पाद ही नहीं कर पायेगा, तो वहां वह अगली बार कैसे फसल उत्पादित करेगा? राज्य सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक सहयोग केन्द्र सरकार करे। बलिया के करीब जो सारे ब्लॉक्स हैं, बलिया, गाजीपुर, रेवतीपुर, मोहमदाबाद, सोहाव, बैरिया ब्लॉक सभी पानी में डूबे हुए हैं।

महोदया, मैं चाहूंगा कि कटान पीड़ितों के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना बने। वहां पर आदरणीय लालू जी का क्षेत्र आता है, वहां पर कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान) कटान से हजारों घर विलीन हो रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार वहां टीम भेजे और सर्वे कराये तथा राज्य सरकार को भारी से भारी सहयोग करे,।

**अध्यक्ष महोदया :** श्री देवजी एम. पटेल, श्री दानवे रावसाहेब पाटील, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री जगदम्बिका पाल, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्रीमती मीना सिंह, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री कमल किशोर 'कमांडो' और श्रीमती पुतुल कुमारी अपने आपको श्री नीरज शेखर जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** महोदया, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान, सरकार का ध्यान और खासकर के जितने पिछड़े वर्ग के सदस्य इस सदन में हैं, उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग है, उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। जो अन्य दूसरे आयोग हैं, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग है या महिला आयोग है या अल्पसंख्यक आयोग है या अन्य दूसरे आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे अधिकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और उस आयोग के सदस्यों को प्राप्त नहीं हैं। इसके कारण पिछड़े वर्गों की जो सूची आती है या पिछड़े वर्गों को जो 27 प्रतिशत का आरक्षण विभिन्न सरकारी उपक्रमों में, विश्वविद्यालयों में मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। मैं उस समिति का सदस्य हूं और हमारे जो पिछड़ा वर्ग की समिति के अध्यक्ष हैं, हांडिक साहब, उनकी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये और पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में कहीं भी अगर रोक हो रही है तो आयोग उसकी निगरानी करे। अन्य पिछड़े वर्गों में जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो करीब-करीब अनुसूचित जाति और जनजाति के बराबर हैं, उन पर भी देश के अन्दर जहां सामाजिक अन्याय होता है, उनके लिए आयोग कोई नोटिस नहीं ले पाता है। इसलिए इस आयोग को इतना शक्तिशाली और

बलवान बनाया जाये, इसे संवैधानिक अधिकार दिया जाये कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए देश भर में वह काम कर सके और 27 परसेंट आरक्षण को वह पूरे तौर पर लागू करवा सके। जो संस्था इसे लागू न करे, उस पर वह आयोग कार्रवाई कर सके। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री गणेश सिंह, श्री ए.सम्पत, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री रामसिंह राठवा, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री अशोक अर्गल, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री सोहन पोटाई और श्रीमती कमला देवी पटले अपने आपको श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**11.43 hrs.**

## SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd…..

### (ii)Re : Inclusion of Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution of India.

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज):** अध्यक्ष महोदया, पहले भी कई बार भोजपुरी का सवाल हमने सदन में उठाया और एक बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हमने सवाल उठाया था तो भूतपूर्व गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल साहब ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही भोजपुरी भाषा और राजस्थानी भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया जायेगा। इतना ही नहीं फिर दोबारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन इस आश्वासन के बावजूद आज तक भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बोलिए।

…(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया, 22 करोड़ लोग इस दुनिया में भोजपुरी भाषा बोलने वाले हैं। 40 से 50 लाख लोगों द्वारा ...(व्यवधान) बोली जाने वाली भाषा को अष्टम सूची में शामिल कर दिया है। ...(व्यवधान) भोजपुरी भाषा मात्र देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, ब्रिटिश गुयाना, ट्रिनीडाड एंड टोबैगो, हॉलैण्ड, नेपाल, वेस्टइंडीज एवं दक्षिण अमेरिका के कई आईलैण्ड आदि देशों में 40 से 50 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …*[*]

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** कई देशों में तो भोजपुरी भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।...(व्यवधान) भोजपुरी भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ के अलावा देश के सभी औद्योगिक नगर जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, लुधियाना, दुर्गापुर, चेन्नई आदि में 30 से 40 प्रतिशत जनसंख्या भोजपुरी भाषा बोलने वालों की है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** यह क्या कर रहे हैं? उनको बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** भोजपुरी भाषी लोग प्रमुख औद्योगिक नगरों एवं देश के औद्योगिक विकास में अपनी श्रम शक्ति से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी भोजपुरी भाषा उपेक्षा का शिकार है। ...(व्यवधान) भोजपुरी भाषा की पढ़ाई बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड आदि राज्यों में इंटरमीडिएट से एम. ए. तक होती है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** सुन तो लीजिए कि वह क्या कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Why are you standing?

... (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए, उनको बोल लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** सुन तो लीजिए कि वह क्या कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** भोजपुरी भाषा में समृद्ध साहित्य, पत्र-पत्रिका, अखबार आदि नियमित रूप से प्रकाशित होता है जिसके करोड़ों पाठक हैं। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Why are you standing?

... (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए, उनको बोल लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य के दूरदर्शन केन्द्र एवं आकाशवाणी केंद्र से प्रतिदिन भोजपुरी भाषा में गीत-संगीत एवं धारावाहिक प्रसारित होता है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** सुन लीजिए, वह क्या कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** भोजपुरी भाषा के गीत और सिनेमा ...(व्यवधान) व्यवसाय बन चुका है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** रघुवंश बाबू, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** सुन लीजिए, वह क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** वर्तमान समय में दो सौ से ज्यादा भोजपुरी सिनेमा का निर्माण हो रहा है, ...(व्यवधान) जिसके निर्माण में भारत के अग्रणी निर्माता, निर्देशक एवं कलाकारों की मुख्य भूमिका है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गयी है कि इसकी शूटिंग देश-विदेश में हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** भोजपुरी गीतों की सीडी का भी विदेशों में काम हो रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, हम आपका संरक्षण चाहेंगे। ...(व्यवधान) हम आपसे संरक्षण चाहेंगे। जब पूर्वांचल एकता मंच की मीटिंग होती है तो आप जाती हैं। लोग वहां अपनी बात कहते हैं, आप भी भरोसा देती हैं। यहां सरकार मौजूद है। सरकार को भरोसा देना चाहिए कि भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करने का बिल इस सदन में कब तक लाया जाएगा? यह आज सरकार को स्पष्ट तौर पर बता देना चाहिए। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब हो गया, समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब हो गया, आपने बोल लिया।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया, हम आपका संरक्षण चाहेंगे। ...(व्यवधान) सरकार के दो-दो बार, तीन-तीन बार के आश्वासन के बावजूद अभी तक सदन में भोजपुरी बिल नहीं आ सका। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप क्यों बोलेंगे? इसमें आपका नाम नहीं है, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** यहां सरकार मौजूद है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री रतन सिंह, श्री सी.शिवासामी, श्री बद्रीराम जाखड़, श्री गोपाल सिंह शेखावत, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री गणेश सिंह, श्री कमल किशोर 'कमांडो' अपने आपको श्री प्रभुनाथ सिंह जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

---

शरद यादव जी, अब आप बोलिए।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** रघुवंश बाबू, बैठिए।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** जगदम्बिका पाल जी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Why are you standing? I have not called your name. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …*[*]

**श्री शरद यादव (मधेपुरा):** अध्यक्ष जी, मैंने आज एडजर्नमेंट मोशन दिया था। …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right. Just take your seat.

… (*Interruptions*)

**श्री शरद यादव :** मुलायम सिंह जी और प्रभुनाथ जी ने जिस सवाल को उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूं। …(व्यवधान) मैं एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। हालत यह है कि इस देश के …(व्यवधान)

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। …(व्यवधान)

**श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व):** जीरो ऑवर में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** जो मुझे बोलना चाहिए, आप क्यों बोले जा रहे हैं? बैठिए।

…(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

**11.50 hrs.**

## SUBMISSIONS BY MEMBERS …Contd.

### (iii)Re: Reported instances of discouraging Indian languages as done by UPSC by amending formats of preliminary and main examinations causing hardships to the aspirants of civil services.

**श्री शरद यादव :** अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यदि शांति से सुनेंगे तो सबकी बात सुन ली जाएगी। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हं कि पिछली बार भी भाषा के सवाल पर यहां पूरा सदन खड़ा हुआ था। यूपीएससी में मैं एक ही बानगी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी भारतीय भाषा हो, चाहे तेलगू हो, तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो …(व्यवधान) संपूर्ण भारतीय भाषाओं और भोजपूरी को इसमें इंक्ल्यूड करें। …(व्यवधान) सुन तो लीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हालत है कि जो भारतीय भाषाओं के बच्चे थे, उनकी संख्या वर्ष 2008 में 5083 थी, वर्ष 2009 में 4839 हो गयी, वर्ष 2010 में 4156 हो गयी। यह वर्ष 2011 में 1,682, यानी बच्चों की संख्या पांच गुना घट गई है, संपूर्ण भारत की जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनकी संख्या पांच गुना घट गई है। भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूलों में भारतीय भाषाओं मे पढ़ते हैं, वे बच्चे किस तरह से …(व्यवधान) यह अग्रवाल जो यू.पी.एस.सी. का अध्यक्ष है…(व्यवधान) सदन तो कानून बनाता है …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on records.

*(Interruptions)* … *

**श्री शरद यादव :** अध्यक्ष महोदया जी, यू.पी.एस.सी. के मामले में …(व्यवधान) हां, मैं कह रहा हूं कि पांच हजार में से सौ बच्चे पास हुए, मैं अकेले हिन्दी की बात नहीं कर रहा हूं। सारी भारतीय भाषाओं के बच्चों की संख्या पांच से दस गुना घट गई है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरा-सी मांग है, भोजपुरी इस देश की बहुत बड़ी भाषा है,…(व्यवधान) राजस्थानी भी देश की भाषा है। …(व्यवधान) मैं सभी भारतीय भाषाओं के बारे में बोल रहा हूं। …(व्यवधान) यह अभी थोड़े ही इंक्लूड हो रही हैं। …(व्यवधान)

---

* Not recorded.

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से रिजर्वेशन पर दो मंत्रियों का भाषण होता है। एक मंत्री कहता है, कांस्टीट्यूशन बेंच का जो फैसला है, हम उसे नहीं मानेंगे, जैसा पहले रिजर्वेशन था, वैसा रहेगा। अभी एम्स में, हेल्थ मिनिस्टर ने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाला है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** शरद जी आप बात को डायवर्ट मत कीजिए। अभी भोजपुरी का सवाल है, आप इस पर सवाल उठाइए। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** यह पूरी भारतीय भाषाओं का सवाल है।...(व्यवधान)

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** सारे देश की देसी भाषा का सवाल है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप ऐसा नहीं करिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप किसलिए इतना आक्रोश में आ रहे हैं?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपने बोल दिया, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...*[*]

**श्री शरद यादव :** रिजर्वेशन का मुद्दा मैंने उठा दिया। ...(व्यवधान) सारी भारतीय भाषाएं हमारी है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री पी.एल.पुनिया, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती रमादेवी, श्री अशोक अर्गल, श्रीमती कमला देवी पटले, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री हंसराज गं. अहीर, श्री सोहन पोटाई, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री रामसिंह राठवा, श्री देवजी एम. पटेल शून्य प्रहर में श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, see, in this House, because hon. Members give so much respect to all the Indian languages, we have 22 languages. It is the only House in the world which functions in 22 languages. If we need to have more, I think, we should;

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** नहीं, हिन्दी और अंग्रेजी सभी भाषाएं हैं।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप कहिएगा कि तेलुगु भाषा में बोलिए। यह तो कोई मांग नहीं हुई। हम जिस भाषा में बोल रहे हैं, वे सब भारत की भाषाएं हैं और हमें इस बात का बहुत गर्व है। यह एक खुली बात है कि और भी भाषाओं को इस पर लाना है, सदन इसमें विचार कर रहा है।

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा):** आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका इस बात के लिए शुकराना करना चाहती हूं कि आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एडजर्नमैंट मोशन दिया था कि हमारे काफी राज्यों में जो बाढ़ आई हुई है, उससे पीड़ित किसानों के कम्पैनसेशन की बात की जाए। ...(व्यवधान)

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** महोदया, शरद जी को अपनी बात कनक्लूड करने दीजिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** उन्होंने कनक्लूड कर लिया है। वे और कितना लम्बा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप उन्हें कनक्लूड करने दीजिए। आपकी बात पूरी हो गई है।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** हम बाध्य नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप मुझे फोर्स मत कीजिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप क्यों खड़े हैं? क्या उन्हें हर समय आपके समर्थन की जरूरत पड़ती है? आप बैठ जाइए। शरद जी, प्लीज़ आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** अंत में मेरा निवेदन है कि आपने भारतीय भाषाओं के गौरव के बारे में कहा जबकि इसे रोज गिराया जा रहा है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** भारत मां की बोली रोज धकेली जा रही है। ...(व्यवधान) पहले आईएएस, आईपीएस में बहुत लोग आते थे, आज उनकी संख्या पांच हजार से सौ हो गई है। इसलिए मैं सरकार से इस बारे में कहना चाहता हूं। यहां कोई नहीं बैठे हैं। आप बताइए कि इसका क्या इलाज हो।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने महिला सांसद को बोलने के लिए खड़ा किया है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** रिजर्वेशन के मामले में...(व्यवधान) दोनों मंत्रियों ने जवाब दिया था।...(व्यवधान)

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा):** शरद जी, मुझे किसानों के बारे में बहुत जरूरी बात कहने दीजिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है। हरसिमरत जी खड़ी हैं।

...(व्यवधान)

**श्री शरद यादव :** आज एम्स में असिस्टैंट प्रोफैसर्स की जगह निकालकर हैल्थ मिनिस्टर...(व्यवधान)

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** शरद जी, किसानों की बात बहुत जरूरी है, मुझे कहने कीजिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** मैडम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब क्या हो गया? फिर सब खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप सब बैठ जाइए। मंत्री जी बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

**ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश):** स्पीकर महोदया, भोजपुरी और राजस्थानी भाषा के बारे में काफी लम्बे समय से चर्चा चल रही है। सरकार की ओर से कई बार गृह मंत्री जी द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। आज जो भावनाएं प्रकट की गईं हैं, मैं उनसे गृह मंत्री जी को जरूर अवगत करवाऊंगा।

मुलायम सिंह जी ने उर्दू के बारे में जो बात उठाई है, मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि उर्दू आठवें शैडयूल में शामिल हो चुकी है।

---

**अध्यक्ष महोदया :** हरसिमरत कौर जी, अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मैं उन्हें बोलने के लिए खड़ा कर रही हूं। आप सब क्यों खड़े हो रहे हैं। सदन में एक महिला सदस्य खड़ी हो रही है। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** शरद जी, किसानों की बात करने दीजिए।...(व्यवधान) मैडम, मैं आपका शुकराना करती हूं कि आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया है। आज देशभर में बाढ़ से पीड़ित किसानों के जो हालात हैं, उनके कम्पैनसेशन के बारे में इस हाउस में चर्चा हो, मैं समझती हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि कल भी जब नियम 193 के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा लगी, सरकार ने अपने बिल पास करवाने के लिए किसानों की पीड़ा को पीछे कर दिया। सदन के आखिरी दिनों में जो सबसे जरूरी बात थी, उसके बारे में इस सदन में कोई चर्चा नहीं हुई है। एक तरफ सरकार किसानों के हालात पर खाद्य सुरक्षा आदि कई चीजों के ढोंग करती है, बिल पास कराती है। ...(व्यवधान) लेकिन कई राज्यों में हजारों, लाखों किसानों का जो नुकसान हुआ है, उनके कम्पैनसेशन के बारे में जो चर्चा करनी चाहिए, उसके लिए यहां न ही कोई मंत्री सुनने के लिए मौजूद है और न ही जवाब देने के लिए मौजूद है। मुझे इस बात का बहुत दुख है।

मैडम, आज कई राज्यों में जहां किसानों की लाखों, करोड़ एकड़ की फसल बर्बाद हो गई, वहीं जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके मकान भी बर्बाद हो गए, उनके पशु भी बर्बाद हो गए और उन्हें जान बचाकर कहां-कहां भागना पड़ रहा है। आप समझ सकती हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। आज वे

भुखमरी, बेबसी के साथ ही नहीं जी रहे बल्कि आगे की जिंदगी का भी सामना कर रहे हैं। उन्हें अपना भविष्य अच्छा नजर नहीं आ रहा है।

**12.00 hrs.**

मैडम, ऐसी हालत में देखा जाये कि सरकार की तरफ से इन पीड़ितों को कैसे कम्पैनसेशन दिया जाता है, तो मैं समझती हूं कि यह जले पर नमक छिड़कने की बात है। एक इंसान को मात्र 20 रुपया दिन का और खाने-पीने के लिए 15 रुपया दिन का कम्पैनसेशन केन्द्र सरकार से मिलता है। यदि किसी का मकान नष्ट हो जाता है, तो उसे केवल 3200 रुपये ...(व्यवधान) बिट्टू जी, जब आप अपने किसानों की पीड़ा अपनी सरकार को नहीं पहुंचा सकते, तो कम से कम जो पहुंचा रहे हैं, उन पर बाधा न लगायें। ...(व्यवधान)

मैडम, सबसे अफसोस की बात है कि जो लाखों की गिनती में ...(व्यवधान) चाहे जितने मर्जी जानवर मिल जायें, आपको सिर्फ एक जानवर ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** मैडम, यह बहुत जरूरी बात है। आप मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) किसानों को अब तक मुआवजा ...(व्यवधान) मैडम दो मिनट बोलने दीजिए।...(व्यवधान) 40 हजार रुपये एकड़ का उनका खर्चा बनता है, तो कम से कम इस मुआवजे को दिया जाये। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, Sk. Saidul Haque.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except the submission being made by Sk. Siadul Haque.

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री हंसराज गं. अहीर, श्री राम सिंह राठवा, श्रीमती कमला देवी पटले, श्री सोहन पोटाई, श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री रावसाहेब दादाराव दानवे, डॉ. संजय जायसवाल, श्री देवजी एम. पटेल, श्रीमती रमा देवी, श्री अशोक अर्गल, श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट, श्री नारनभाई कछाड़िया, श्री मनसुखभाई डी. वसावा और श्री गोरखनाथ पाण्डेय अपने आपको श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के विषय के साथ सम्बद्द करते हैं।

… (*Interruptions*)

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you Madam Speaker for giving me this opportunity to speak. I would like to raise an important issue. After the Indo-Pak War in 1965, when hon. Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister of India, many farmers and their families numbering 10,000 including 5,000 Sikh families from undivided Punjab were invited to go to Kutch area to make barren land into fertile land and do the farming. With their great effort, almost 1 lakh acre of land became fertile. Those persons have been residing there for more than 50 to 60 years now. They have become voters there; and they have got their ration cards also. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seat. She has already spoken. Let Sk. Siadul Haque continue his submission.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is not done. No. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEKAER: Please sit down. When the other hon. Member is speaking, show some respect for him

… (*Interruptions*)

SK. SAIDUL HAQUE : Now, Madam, in 2010 the Gujarat Government had issued a Circular through the District Magistrate telling those 5,000 Sikhs families of the farmers, who have been living there as farmers since last about 60 years, that they will have to vacate their land. It has come to our notice that a new port is going to be constructed there. The land is very valuable one. That is why big corporate houses are lobbying to take that land; and the Gujarat Government is acting at the dictate of the corporate houses. That is why those affected farmers moved to the High Court, which rejected the Government Circular… (*Interruptions*)

Now, it is learnt that the Gujarat Government is going to the Supreme Court on this issue. In this case, the Chief Minister of Punjab approached the Gujarat Government but there was no result.… (*Interruptions*)

Now, those 5,000 Sikh farmers including their families are in a state of great anxiety and are in great danger about their existence.. Therefore, I would request the Central Government to take up this matter with the Gujarat Government so that there would be no forceful eviction of the 5,000 Sikh farmers, who are living in the Katch area for about 60 years.

MADAM SPEAKER: Now, Shrimati Sumitra Mahajan.

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** आप सब बैठ जाइये। यह क्या कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You cannot pressurize me like this. No.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Sit down please.

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** इस तरह नहीं होगा।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप सब बैठ जाइये। सुमित्रा जी बोल रही हैं, इसलिए आप सब बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आपने अपनी बात कह दी है। कल आपके माननीय सदस्य भी बोले थे और आज आप बोली हैं। इसके बाद चर्चा हो रही है। आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** सुमित्रा जी, आप बोलिये।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** सुमित्रा जी, क्या आपको बोलना है?

…(व्यवधान)

**12.03 hrs.**

*At this stage Shri Sher Singh Ghubaya, Shri Ganesh Singh and some other hon. Member came and sat/stood on the floor near the Table.*

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. I would like to raise a very serious human rights violation which has taken place in Kerala day before yesterday.… (*Interruptions*) The police attacked a young man brutally.… (*Interruptions*) He was waving a black flag demonstration against the Chief Minister and he was brutally attacked in an inhuman manner by the police.… (*Interruptions*) His genitals were stamped by the police. This has never happened in Kerala.… (*Interruptions*)

**12.06 hrs**

*At this stage, Shri Shailendra Kumar came and stood on the floor near the Table.*

So, Madam Speaker, this is a grave injustice. This is a grave human rights violation. We would like to demand the Government's response.… (*Interruptions*) The Central Government should respond to this human right violation. … (*Interruptions*)

I demand an inquiry into the human right violation involved in this and the Union Government should respond to this issue. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …*[*]

MADAM SPEAKER: Shri A. Sampath, Shri P. Karunakaran and Shri P.K. Biju are allowed to associate with the matter raised by Shri M.B. Rajesh.

… (*Interruptions*)

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):** मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...(व्यवधान) मैं लोक महत्त्व के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) एक अंतर्राज्जीय सिंचाई परियोजना है, जो झारखण्ड और बिहार के चार-चार

[*] Not recorded.

संसदीय क्षेत्रों और तीन जिलों- पलामू, औरंगाबाद और गया के सवा लाख हेक्टेयर जमीम की सिंचाई करने वाली है। ...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सिंचाई परियोजना पर 1975 में काम शुरू हुआ। अभी तक हजारों करोड़ रुपए इस परियोजना के निर्माण पर खर्च हो चुके। ...(व्यवधान) किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गयी, नहरें खोद दी गयीं, ...(व्यवधान) लेकिन कुटकू डैम में स्लूईस गेट के अभाव में यह डैम अभी तक बरसाती नहर के रूप में है। ...(व्यवधान) इससे अभी तक कोई सिंचाई का कार्य शुरू नहीं हुआ है। अनिश्चित रूप से सिंचाई होती है। किसानों की सात-आठ हजार हेक्टेयर जमीन ले ली गयी। ...(व्यवधान) हजारों करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च कर दिये गये। इसका स्थापना व्यय प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए है, लेकिन इस सिंचाई परियोजना, जो एक अंतर्राज्जीय सिंचाई परियोजना है, से किसानों को कोई लाभ नहीं मिला रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2007 में कुटकू डैम में स्लूईस गेट लगाने पर पर्यावरण के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। ...(व्यवधान) इसमें बेतला नेशनल पार्क तथा विभिन्न परियोजनाओं की जमीनें डूबेगी, यह कारण बताया गया है। एक तरफ सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाती है और दूसरी तरफ इतने महत्त्वपूर्ण सिंचाई परियोजना अधूरी है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि कुटकू डैम, जो एक महत्त्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, को शुरू करने के लिए सरकार कदम उठाए। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री सुशील कुमार सिंह :** 25 लाख किसानों और खेतिहर मज़दूरों के लिए यह महत्त्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, लेकिन 38 सालों से अधूरा है। ...(व्यवधान) भारत सरकार ने जो स्लूईस गेट के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसे हटाये, अनापत्ति प्रमाणपत्र दे, उस डैम में फाटक लगे ताकि सवा लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सके। ...(व्यवधान) जो इलाका बंजर है, जो इलाका पूरी तरह से उग्रवाद से प्रभावित है, वहां इस महत्त्वपूर्ण सिंचाई परियोजना की ओर सरकार ध्यान दे। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** किसानों की जो समस्या है, जो पीड़ा है, दुख-दर्द है, उससे हम लोग सभी दुखी हैं, पूरा सदन दुखी है। इसीलिए यहां पर उस विषय पर आज शाम की एक चर्चा लगी हुई है, उस पर चर्चा हो जाएगी और चर्चा पूरे विस्तार से होगी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** इसके अलावा मैं और क्या करूँ? जब मैं कह रही हूं कि चर्चा करा देंगे, तो बैठ जाइए।

**12.09 hrs**

*At this stage, Shri Shailendra Kumar, Shri Sher Singh Ghubaya, Shri Ganesh Singh and some other hon. Members went back to their seats.*

MADAM SPEAKER: The 'Zero Hour' is over. Rest of the matters will be taken up at the end of the day.

**<u>12.09 ½ hrs.</u>**

## MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

### (i) Need to expedite setting up of the proposed hi-tech Central Warehousing Godown at Puthencruz, Ernakulam district, Kerala

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): As the Government of India is about to ensure sufficient food for all through the Food Security Act, wastage of food grains due to poor storage and transit or on account of theft remains a major issue. Over the past four years, an estimated 600,000 tonnes of food grains have been lost due to poor storage facilities. These types of wastage of food grains may adversely affect the food security of the country. However, comparing the value of the anticipated loss of food grains due to inadequate storage facility, establishment of more godown facilities even with a slight increase in lease rate is need of the hour. If we are able to conserve a considerable amount of food grains through wise measures like the establishment of a number of well equipped godowns, the food grains so saved could be utilized to meet the demand of the country for a few months. A proposal for establishing a Central Warehousing Corporation Godown at Puthencruz, Ernakulam District, Kerala has been forwarded to CWC New Delhi. The location of the proposed Godown is near the N.H. 85. Kochi- Thondi Road (Old NH 49, Kochi- Madurai) The location is also near the proposed Smart City and Petrochemical Complex at Ambalamugal, Vallarpadom International

* Treated as laid on the Table.

Container Terminal, LNG Terminal Puthuvype etc. The District Collector, Ernakulam has recommended 10% of the market price as Lease for the land proposed for the above godown at Puthencruz.

Hence, I request that Government may take urgent necessary steps for establishing proposed Hi-tech Central Warehousing Godown at Puthencruz, Ernakulam District, Kerala.

## (ii) Need to take all necessary measures to assist flood affected people in Uttar Pradesh

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** उत्तर प्रदेश में लगभग सभी नदियों जैसे राप्ति, बुढ़ी राप्ति, सरजू, गंगा, बेतवा, जमुना नदी आदि में बाढ़ का प्रकोप जारी है जिससे लगभग दर्जनों जिले जैसे सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी आदि के सैकड़ों ग्राम प्रकोप में आ चुके हैं । इन नदियों के किनारे बसे गाँवों का अस्तित्व खतरे में है । किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है । इसके बाद भी प्रशासन द्वारा बाढ़ बचाव कार्य में काफी लापरवाही के चलते वहाँ की जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है । इसलिए मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूँ । उत्तर प्रदेश में इस वर्ष बाढ़ से लगभग 235 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 1500 गाँव जलमग्न हुए । काफी जन एवं धन की क्षति हुई है ।

## (iii) Need to sanction funds for construction of link roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Bhiwani and Mahendragarh districts of Haryana

SHRIMATI SHRUTI CHOUDHRY (BHIWANI-MAHENDRAGARH): I would like to draw the kind attention of the Government regarding the need for construction of link roads in Bhiwani and Mahendergarh Districts under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) Phase-II. These districts are most backward areas of South Haryana.

I had forwarded a list of link roads for construction under PMGSY in my Parliamentary Constituency Bhiwani-Mahendergarh to the Government of Haryana in April 2010, which could not be executed due to non-release of central funds for Haryana in Phase-I of this scheme. Later, I learnt that the Central Government has given its approval for release of funds for construction of the link roads in Haryana, in phase-II of PMGSY. Therefore, I have again forwarded a block-wise list of link roads in Bhiwani, Tosham, Dadri, Badhra & Loharu in Bhiwani District and Mahendergarh, Narnaul, Nangal Chaudhary & Ateli in Mahendergarh district to the Hon'ble Minister of PWD (B&R), Government of Haryana on 29.05.2013 for taking further necessary action. It is pertinent to mention that there is lack of rural connectivity/link roads in the villages. Since the link roads are a prime factor for development of any area, this most urgent work is required to be executed on priority. Recent rains have further worsened the condition in these areas. The commuters are feeling highly inconvenienced while commuting.

As such, I urge the Hon'ble Minister for Rural Development, through the Chair, to look into the matter and direct the concerned authorities for early release of Central Funds for construction of link roads and related infrastructure and repair of existing link roads in my Parliamentary Constituency, in coordination with the Government of Haryana in the larger public interest.

**(iv)Need to take stringent action against pharma companies selling medicines at rates higher than the ceiling fixed by the National Pharmaceutical Pricing Authority**

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): The Department of Pharmaceuticals (DoP) through its legislative order has made it clear that drug companies will not be allowed to sell old stocks of essential medicines, which are under price control, at prices higher than the ceiling set by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA). According to the new drug price control order (DPCO) around 151 drugs including the commonly used painkiller paracetamol, antibiotic azithromycin and antidiabetic insulins should have been available at the rates fixed by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) since July 29 this year, when the 45-day period from the day of notification of the ceiling price expired. However, there has been a complete disregard of this order and many instances of drugs being made artificially and sold at the old rate by pharmaceutical retailers across the country had come to the notice. This move by many retailers is affecting patients who found relief in the government's new order reducing the prices of drugs. Many companies have also maintained a position that only 15-20% of the 151 medicines with relabelled packs have reached the markets. I would request the Government to take strict legal action against the retailers who are creating artificial scarcity and attempting to neglect the Government's order and would further request the Government to ensure that a dedicated vigilance wing be formed to conduct random checks at retailers as well as stockists who indulge in such practices, denying the rights of patients for availing medicines at reduced rates. I would further request the Government to speed up the process by NPPA to recover over Rs. 2500 crore from pharma companies as fine for selling drugs at rates higher than the ceiling fixed by the regulator.

## (v) Need to streamline the implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Shrawasti district of Uttar Pradesh

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):** मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनपद श्रावस्ती में केन्द्र की विभिन्न विकास योजनाओं में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण, मनरेगा, एम.एस.डी.पी. व अन्य विकास योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा ।

जनपद श्रावस्ती में मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित वन विभाग के सुजानडीह पौधशाला में नाबालिग बच्चों द्वारा पौध रोपण का कार्य करवाया गया है । इन नाबालिग बच्चों को एक हजार पौध रोपण के लिए महज 70 रूपये मजदूरी दी गई है । ऐसा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि नाबालिग बच्चों द्वारा मनरेगा अंतर्गत पौध रोपण की जानकारी रेंजर गिरंट सहित डी.एफ.ओ. को भी थी । परन्तु जानबूझकर गिरंट वन विभाग के उक्त पौधशाला में बाल श्रमिकों को लगाकर बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन करने के साथ-साथ मनरेगा की मजदूरी की रकम कामगारों को नहीं दी गई है ।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि उपरोक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाए जाने का कष्ट करें ।

## (vi) Need to sanction funds for embankment fortification work of Cauvery and Kabini rivers in Chamarajanagar parliamentary constituency, Karnataka

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): I would like to draw the kind attention of the Government regarding sanction and allotment of sufficient funds for embankment fortification work of Cauvery and Kabini Rivers of my Chamarajanagar Parliamentary Constituency in Karnataka under Centrally sponsored Flood Management Programme.

I would like to state that in Chamarajanagar many villages viz. Dhanagere, Mullur, Yedakuriya, Sathegala, Hampapura, Cauveripura, Nanjangud etc. come under the river bank of Cauvery and Kabini Rivers and every year they face the wrath of floods and suffer huge damage to standing crops, houses and other properties. Hence, implementation of Bank Protection works is very essential in these river banks.

In view of this grim situation in Chamarajanagar, I humbly request the Hon'ble Minister for Water Resources, to sanction and allocate sufficient funds for embankment fortification work of Cauvery and Kabini Rivers in my Chamarajanagar Constituency under Centrally Sponsored Flood Management Programme.

## (vii)Need to address the problem of annual flood and drought situation in Bihar

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** बिहार की कुल आबादी का 76 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है और इसमें एक-तिहाई से ज्यादा भाग खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करता है । परंतु सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि बिहार का एक हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में रहता है और दूसरा हिस्सा सूखे की चपेट में । केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या का समाधान करने हेतु जो स्थायी उपाय किए जाने हैं वह अभी तक नहीं किए गए हैं । आजादी के 67 वर्ष बाद भी इस समस्या के निदान के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है । इस वर्ष 15 अगस्त तक बिहार में 27 प्रतिशत से कम बारिश हुई है । नवादा एवं सीतामढ़ी में तो 72 प्रतिशत सामान्य से कम बारिश हुई है । वहीं गया, वैशाली, लखीसराय, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, समस्तीपुर, जहानाबाद आदि में 50 से लेकर 68 प्रतिशत तक सामान्य से कम वर्षा के कारण स्थिति भयावह हो गई है । परंतु अभी तक राज्य के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है जबकि वर्ष 2010 में 21 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी जिसमें राज्य के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया । दूसरी ओर उत्तरी बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं जिसमें करोड़ों रूपये की फसल को नुकसान पहुँचता है । कई लोगों की जानें चली जाती है और सैकड़ों पशुओं की मौत हो जाती है । इस साल पटना, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा एवं गोपालगंज जिलों के कुल 43 प्रखंडों के 2152 गाँव के 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित रहे हैं । बाढ़ से बचने के लिए कोसी क्षेत्र में हाई लेवल डैम, कमला के ऊपर चीसापानी में हाई लेवल डैम व बागमती के ऊपर नूनथर में हाई लेवल डैम निर्माण हेतु सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है । सोन नहर की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि का इस कार्य में अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ।

अतः सरकार से अनुरोध है कि बिहार में सुखाड़ एवं बाढ़ की समस्या जो हर साल आती है उसका स्थायी समाधान किया जाए जिससे लोगों के जान-माल की रक्षा के साथ-साथ देश में खाद्यान्न एवं सब्जियों का उत्पादन को बढ़ाया जा सके ।

## (viii) Need to permit cutting of dry bamboos in forests of Bharuch and Narmada districts of Gujarat

**श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच):** मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के भरूच जिले और नर्मदा जिले में अधिकांश रूप से जंगल है और यहां बांस की पैदावार काफी संख्या में होती है और यह बांस झुंड के झुंड में खड़े रहते हैं । जब यह पकने लगते हैं तो उसमें एक फूल आता है उसके बाद यह सूखने लगते हैं । परंतु वन कानूनों की वजह से सूखने के बावजूद इन बांसों की कटाई नहीं हो पाती है । इन सूखे बांस के झुंडों में आग बड़ी तेजी के साथ पकड़ती है । असामाजिक तत्वों द्वारा इन सूखे बांसों में आग लगाने की संभावना बनी रहती है । कई बार जंगलों में जो आग लगती है उसका महत्वपूर्ण कारण इन सूखे बांसों में आग लगना होता है जिससे एक तो वन सम्पदा का नुकसान होता है और दूसरी ओर जंगल की हरी भरी वनस्पति को भी नुकसान पहुँचता है । इस प्रकार की जंगलों में आग लगने से जानवरों एवं लोगों के घरों को नुकसान पहुँचने का खतरा भी बना रहता है । बांसों को फूल लगने के बाद तुरंत काट लेना चाहिए जिससे ये सूखने पर आग का कारण न बन सकें । इससे उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति एवं वन क्षेत्र में नई वनस्पति को पैदा करने के अवसर मिलेंगे ।

सरकार से अनुरोध है कि वन कानूनों में इस तरह से परिवर्तन किया जाए कि बांसों में फूल आने के बाद इसको काटने की अनुमति स्वतः मिल जाए जिससे वन सम्पदा का हम राष्ट्रहित में उपयोग कर सके और राजस्व की प्राप्ति कर सके ।

## (ix) Need to expedite presidential assent to Madhya Pradesh University (Amendment) Bill 2011 for setting up Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University at Chhatarpur in Madhya Pradesh

**श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो):** केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बाद इस क्षेत्र में नवीन विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म0प्र0) नाम से नए विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से संबंधित क्षेत्रान्तर्गत जिले के शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को नए विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सके और यहां के लोगों की शैक्षणिक समस्याओं का निराकरण हो सके ।

इस हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2011 बिना संशोधन के पारित किया गया और इसको विधि एवं विधायी विभाग म0प्र0 शासन के माध्यम से दिनांक 12.08.2011 को महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है, किंतु अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही गृह मंत्रालय की ओर से नहीं की गई है ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) दिनांक 20.07.2011 पर महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

---

**12.10 hrs.**

## STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL, 2012 ....Contd.

MADAM SPEAKER: Item no.15. Shri Anant Gangaram Geete.

… (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** अनंत गीते जी, आप बोलिए।

**श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़):** अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …*[*]

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** अध्यक्ष महोदया, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण को लेकर यह विधेयक लाया गया है, लेकिन इस विधेयक को जब हम कानून में परिवर्तित करेंगे, तो उस कानून को सफल बनाने के लिए, उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर हैं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस विधेयक के माध्यम से आपने देश में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का प्रॉविजन किया है। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जाएंगे। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी एप्वाइंट की जाएगी, जिसमें 40 प्रतिशत स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आदि सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को आज जो पुलिस की ओर से हटाया जाता है, कार्रवाई की जाती है, वह कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको रोका जाएगा। इस प्रकार की कई बातें हैं। एक छोटा स्ट्रीट वेंडर एक तरह से अपने लिए स्वरोजगार का निर्माण करता है और उसके माध्यम से अपना एवं अपने परिवार का गुजारा करता है। उन स्ट्रीट वेंडर्स के संरक्षण के लिए यह विधेयक लाया गया है, इसलिए हमने इस विधेयक का समर्थन किया है। लेकिन समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसका क्रियान्वयन होना है। इस देश के छोटे-बड़े शहरों, महानगरों में ये स्ट्रीट वेंडर्स अपना व्यवसाय करते हैं, तो अंत में इसका क्रियान्वयन उन सभी शहरों को करना है। इसका मतलब यह है कि उन शहरों में जो लोकल अथारिटीज हैं, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे महानगरपालिका हो, उनको इस

---

[*] Not recorded.

कानून को लागू करना है और सारी सुविधाएं उन स्ट्रीट वेंडर्स को मुहैया करानी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा के लिए इस विधेयक के माध्यम से हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसके साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी देने का भी प्रयास हम करने जा रहे हैं। ऐसे में जिन संस्थाओं को इस कानून को लागू करना है, वे सभी लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स हैं, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने इसके बारे में इन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से चर्चा की है? क्या ये स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं इस कानून को लागू के लिए सक्षम हैं? क्या आपने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को इस कानून को लागू करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कोई प्रावधान इस विधेयक में रखा है? इन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को करने के लिए कोई कानून बनाने की बात आपने इस विधेयक में की है? जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार का कोई प्रावधान इस विधेयक में मुझे नहीं दिखाई देता है। अध्यक्ष जी, यह बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि कल ही इस सदन की एक माननीय सदस्या, कांग्रेस पार्टी की सदस्या बोल रही थीं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं। केवल कानून बनाने से उसका लाभ नहीं मिलेगा, उस कानून का क्रियान्वयन होना जरूरी है। उसका अमल होना जरूरी है। अमल होने के बारे में जो आशंकाएं और बाधाएं हैं, उनको किस प्रकार से हटाया जाए, इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब उदाहरण देने का समय नहीं है। आपका समय समाप्त हो गया है।

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** इसी सदन की एक माननीय सदस्या ने शून्य काल में राइट टू एजुकेशन का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब से यह कानून बना है, उनके यहां पांच-पांच साल से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा।

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Syed Shahnawaz Hussain is saying.

*(Interruptions) ...*[*]

[*] Not recorded.

**अध्यक्ष महोदया:** काफी हो गया, अब आपकी पार्टी का एलाटिड टाइम खत्म हो गया है इसलिए अपनी बात समाप्त करें।

श्री शाहनवाज हुसैन। Why do you not begin?

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदया:** ठीक है, समाप्त करें। आज अंतिम दिन है, हम लोगों को काफी काम करना है।

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** यह कानून किस लिए बनाया जा रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। अध्यक्ष महोदया, आखिरी मुद्दा मुझे कहने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदया:** बोलिए, लेकिन आखिरी मुद्दा आप बहुत लम्बा खींचेंगे।

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** मैं मुम्बई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां लगभग सात लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

MADAM SPEAKER: No, I have severe constraint of time. No, please sit down. Take your seat.

**श्री अनंत गंगाराम गीते. :** मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदया:** नहीं, अब समय नहीं है। आपको चार मिनट बोलना था, आपने दस मिनट ले लिए हैं।

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** अध्यक्षा जी, यदि सचमुच में स्ट्रीट वेंडर्स को न्याय देना है, सचमुच संरक्षण देना है, तो सात लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स मुम्बई में हैं।

**अध्यक्ष महोदया:** शाहनवाज जी, आप बोलिए, उनकी बात पूरी हो गई है।

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** मुम्बई में सात लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं।

**अध्यक्ष महोदया:** ठीक है, अब हो गया, अब अपनी बात समाप्त करें।

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** कैसे आप एक-एक स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस इश्यू करेंगे? स्ट्रीट पर कोई वेंडर नहीं बैठ सकता है, मंदिर और मस्जिद के पास कोई वेंडर नहीं बैठ सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो जो लोकल अथोरिटीज हैं, उनकी जिम्मेदारी है इसे लागू करने की।

**अध्यक्ष महोदया:** अब आप बैठ जाएं। क्या कर रहे हैं आप?

**श्री अनंत गंगाराम गीते :** क्या उनके पास इतनी पावर है कि वे ऐसा कर सकती हैं, तो क्या यह उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होगा? यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उन लोकल अथोरिटीज को सक्षम करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है और उसका प्रावधान कानून में होना आवश्यक है।

MADAM SPEAKER: All right, thank you so much.

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और अपनी नेता सुषमा स्वराज जी का भी शुक्रगुजार हूं, जिसकी वजह से मुझे ऐसी समस्य पर बोलने का मौका मिला, जो गरीबों से, मुफलिसों से जुड़ी हुई है यानि स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी हुई है। हम कहते हैं कि अगर भारत को देखना है, उसकी संस्कृति को देखना और समझना है तो भारत के गांवों को देखिए। अगर आप गांव को देखते हैं तो वहां किसानों को देखें। आज उनकी जिस तरह से हालत है, बहुत बड़ी तादाद में उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है। जो किसान बड़ी तादाद में पहले खेती करते थे, आज उनकी खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही है, उल्टे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस कारण किसान अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, महानगरों की ओर जा रहे हैं। महानगरों में उनके लिए न तो रहने की जगह है और सोने की जगह है। इसके अलावा कोई उन पर यकीन करने वाला नहीं होता है। इसलिए वे सड़क या पटड़ी पर रेहड़ी आदि लगाकर, थोड़ा पैसा खर्च करके जीवनयापन का काम करते हैं।

पिछले दस सालों में यूपीए सरकार में किसानों द्वारा आत्महत्या के केसेज बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और बेरोजगारी बढ़ी है। इस वजह से बड़ी तादाद में लोग गांवों से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। वे महनगरों में आते हैं, उनके पास रेहड़ी या पटड़ी पर सामान लगाकर बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। आज औद्योगिक उत्पादन घट रहा है, उद्योग बंद हो रहे हैं। मैं 1986 में दिल्ली आया था और वैस्ट दिल्ली में रहता था। वहां पर मैं देखता था कि बड़ी तादाद में लोग साइकलों से जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई रैली हो रही है। वे लोग मायापुरी में फैक्टरीज में जाते थे। अगर किसी को वहां रैली करनी हो तो उनकी साइकलों पर झंडा लगा दो, लोगों को जमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी तादाद में साइकलों पर लोग जाते थे कि लगता था जैसे रैली में जा रहे हों। यह इसलिए नहीं था कि उस समय मेट्रो नहीं थी, जो आज है। पैट्रोल-डीजल महंगा है और उस वक्त भी बहुत सस्ता नहीं था लेकिन लोग साईकिल से फैक्ट्री जाते थे, रोजगार तलाशते थे और उन्हें कोई न कोई रोजगार दिल्ली में मिल जाता था। दूसरे महानगरों में भी लोग रोजगार तलाशने के लिए जाते थे, लेकिन आज उनके पास कोई उपाय नहीं है। समाज के अंतिम पायदान पर अगर कोई व्यक्ति है तो वह रेहड़ी-पटरी वाला है जो छोटी सी दुकान सड़क पर लगा लेता है। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत चिंता की है।

आज मैं अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने असंगठित मजदूरों के लिए काम शुरू किया था, साथ ही अपने स्वर्गीय नेता साहब सिंह वर्मा जी को भी याद करना चाहूंगा। जब वे लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की

थी। मेरे पास वर्ष 2003 का वह पम्फलेट मौजूद है जिसमें उन्होंने असंगठित मजदूरों की चिंता व्यक्त की थी। आजादी के इतने साल बाद अगर किसी ने असंगठित मजदूरों की चिंता की तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने की थी। उन्होंने असंगठित मजदूरों की श्रेणी में इसे रखा था। उनका इंश्येरेंस कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसकी पूरी चिंता उन्होंने की थी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उस वक्त उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई थी जिसकी एक कॉपी अध्यक्ष महोदया, मैं अपने साथ लाया हूं।

आज स्ट्रीट वेंडर्स के रोजगार और सुरक्षा के लिए योजना बनाई गयी है। मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री जी का पहला बिल है। माननीय मंत्री महोदया हमारी पुरानी साथी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, हम सब इनका आदर करते हैं, ये कभी गुस्सा और नाराज नहीं होती हैं। हम लोग पक्ष-विपक्ष में रहते हुए इनसे वाद-विवाद  करते हैं लेकिन इन्होंने हर बातों का बहुत सरल स्वभाव से जवाब दिया है। मंत्री के तौर पर यह इनका पहला बिल है। माननीया आपको मंत्री बनाने में इन्होंने बहुत देर कर दी और यह बिल लाने में भी बहुत देर कर दी है। काश, आपको पहले मंत्री बनाया होता तो आप पहले बिल लेकर आतीं।

अध्यक्ष महोदया, राजस्थान में हम लोगों का, भाजपा का जो तुफान चल रहा है उसे रोकने के लिए देर से इन्हें वहां पर खड़ा किया गया है, लेकिन वह तुफान चल चुका है। वहां पर आप लोगों से गलतियां हो चुकी हैं, वे आपको मंत्री पहले बनाते क्योंकि हम तो बहुत पहले से आपके बारे में उम्मीद करते थे। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कांग्रेस में जो चंद अच्छे लोग हैं उनमें हम माननीया गिरजा व्यास जी को शुमार करते हैं। जब मैं भारत सरकार में मंत्री था तो जो भी काम गिरजा जी बुनकरों के लिए कहती थीं मैं तुरंत उसे कर दिया करता था। इस बात की वे गवाह हैं कि मंत्री रहते हुए हम लोगों का व्यवहार बहुत शालीन था और इसका कई बार इन्होंने जिक्र भी किया है। इसलिए अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि    " बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते।"

अध्यक्ष महोदया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है क्योंकि हम संसद की शक्ति को और सरकार की शक्ति को जानते हैं। लेकिन सरकार की शक्ति के ऊपर एक महाशक्ति है जिसका नाम नेशनल एडवाइजरी कौंसिल है और वह बड़ी ताकतवर है। हम जानते हैं कि कैबिनेट में भी वही आता है जो एनएसी से तय होकर आता है। भारत के संविधान ने सारे अधिकार कैबिनेट को दिये हैं लेकिन कैबिनेट में बैठे लोगों ने मौन रूप से सारे अधिकार एनएसी को दे दिये हैं और उसकी अध्यक्षा यूपीए चेयर-पर्सन हैं। वे आज यहां

मौजूद नहीं है इसलिए मैं उनके नाम का जिक्र नहीं करुंगा, वे स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। एनएसी नो जो ड्राफ्ट बनाया, वह देर से बनाया।

पेंशन बिल जो हमने शुरू किया, उसको आप लेकर आए तो हमने सपोर्ट किया। हम विपक्ष में हैं तो हम फराख दिल हैं। हम छोटे दिल से राजनीति में नहीं आए हैं। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है- "छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।" हम बड़े मन से काम करते हैं। कई बार हम लोगों को जनता कह भी देती है। हम लोग देश के हित के लिए विपक्ष में बैठे हैं। अगर हम विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि हमारी संख्या कम है। विदिशा के लोगों ने हजारीबाग के लोगों ने दरभंगा के लोगों ने, गुड्डा के लोगों ने भागलपुर के लोगों ने आपकी सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने तो हमारी सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। हम लोग जीत कर आ गए। हमारी नेता सुषमा स्वराज जी भारी बहुमत से जीत कर आयीं। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन संख्या कम हो गयी और आप सत्ता में आ गए। लोकतन्त्र में जो सरकार होती है, जैसे बिहार में आपको दो ही सीट मिलीं। एक सीट से माननीय अध्यक्ष महोदया जीतीं जो बड़ी शख्सियत हैं और दूसरी हमारे मौलाना असरारूल हक साहब जीते। अगर बिहार में हम देखें तो आपको कोई मैंडेट ही नहीं दिया गया। लेकिन आपकी सरकार चूंकि लोकतन्त्र है, इसलिए जो जीता वही सिकंदर। आप जीत गए तो आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं और इस नाते आपको यह मौका मिला है। आप लोग जो बिल लाए हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं। आपकी दिक्कत यह है, कई बार मैं आपको समझता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? कई फैसले आप गरीबों के हित में बड़ी देर से लाते हैं। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। पहले तो आप एफडीआई ले आते हैं जो रिटेल सैक्टर में छोटा-छोटा रोजगार कर रहे हैं, उनके हाथ काट दो, बाहर से अमेरिकी लोगों को ले आओ। अमेरिकी दुकान खोल दो, इसके लिए आप इंतजाम करते हैं और जब देखते हैं कि एफडीआई रिटेल में आपके प्रयास के बाद भी कोई आ नहीं रहा है तो फिर आप गरीबों की चिंता करने लग जाते हैं। आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मैं बराबर देखता हूं। कई बार गरीबों के लिए ब्लैक नीति और बाद में फिर व्हाइट नीति लेकर आ जाते हैं तो आपकी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है। इसलिए यह एनएससी में भी, कई बार हमें लगता है कि आप वाजपेयी जी की सरकार की कई योजनाओं को चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, इसमें क्रिटीसिज्म करने की बात नहीं है, लेकिन मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि जो वाजपेयी जी की सरकार की योजना है, कई योजनाओं को आप चला रहे हैं, जैसे सर्वशिक्षा अभियान को आप चला रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप पीएमजीएसवाई को चला रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अन्त्योदय अन्न योजना चला रहे हैं, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने

अन्त्योदय का सूत्र दिया, उसकी योजना हमारे संस्थापक अध्यक्ष की योजना को आप चला रहे हैं। नेशनल हाइवे में आप थोड़ा धीरे चल रहे हैं। इस योजना में थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगा कर चल रहे हैं। आप हमारी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सही है कि दो-तीन योजनाएं आप भी ले कर आए हैं जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। माशा अल्लाह इस योजना के बारे में मैं क्या कहूं, इस योजना को नज़र न लग जाए। मैडम, बोर्ड लगा है लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण में बल्ब नहीं जल रहा है।...(व्यवधान) वह कुटीर ज्योति थी, उसका नाम बदल दिया। आज भी राजीव गांधी जी के नाम पर एक और योजना सिविल एविएशन में आने वाली है। उसके बारे में हमारे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अनंत कुमार जी बोलेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। आप मनरेगा भी लाए, लेकिन यूपीए सरकार में जो योजनाएं लाए हैं, वे फ्लाप योजना क्यों बनाते हैं? आज आपकी सफल योजनाएं वहीं हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थीं। विपक्ष में रहते हुए जब हम कभी आपका किसी मुद्दे में साथ देते हैं, अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और पार्लियामेंटरी पार्टी से भी जो कुछ भी यहां घटता है, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी हमें कहती हैं कि बाहर जाकर इस बारे में टिप्पणी भी अपनी पार्टी की तरफ से करता हूं। मुझे कई बार दर्द भी होता है कि हम कितना बोलें। हम बोलते-बोलते थक गए, लेकिन आप जागते ही नहीं हैं। हम आपको जगाते-जगाते थक गए, लेकिन आप उठते ही नहीं हैं। यह बात भी सही है कि वही खबर बनती है, जिस पर झगड़ा हो। कल मैं वक्फ बिल पर बोला, लेकिन कहीं खबर नहीं छपी और कहीं पर दो मुस्लिम भाई के साथ अगर कोई छोटी सी बात मुहावरा भी आ जाएगा, तो उस पर हंगामा बरपा हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा काम होगा जैसे आज उर्दू अखबार में जरूर फ्रंट पेज पर हैडलाइन में वक्फ़ का मुद्दा बना लेकिन और जगह जैसे श्री गणेश सिंह जी ने कहा कि आप प्रवक्ता होकर बोले लेकिन कहीं नहीं छपा। मैं कई बार देखता हूं कि जब हम आपका साथ देते हैं तब हमारे हाथ जल जाते हैं। आपकी इमेज ऐसी हो गई है कि अगर आप लोगों का हम साथ भी देते हैं तब भी हमारा हाथ जल जाता है। हमारी नेता प्रतिपक्ष जो देश के हित में कई मुद्दों पर आपके साथ खड़ी होती हैं, तो ये कम्युनिस्ट वाले चुपचाप हमसे समझौता कर भी लेते हैं और आकर कहते हैं कि हमें बोलने दो, ये करने दो लेकिन जब अपना मतलब निकाल लेते हैं तो बाहर जाकर बयान देते हैं कि भाजपा, कांग्रेस दोनों मिल गईं। हम मिलते नहीं हैं। हम तो नदी की दो धारा हैं जो कभी नहीं मिल सकते।...(व्यवधान) लेकिन हम देश के मुद्दे पर जब साथ देते हैं तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मिल गई। कई बार ...(व्यवधान) निरुपम जी, इस हाउस में मैं आपसे वरिष्ठ हूं। 14 साल से हूं। आप उस हाउस में थे। मेरी उम्र पर मत जाइए।...(व्यवधान) मेरी पार्टी ने यहां तुष्टिकरण नहीं कर रखा है। हमारी नेता, प्रतिपक्ष ने नियम के तहत हमको यहां बैठाल रखा है। कई बार लोगों को लगता होगा कि ये शाहनवाज़ हैं, इसलिए इनको आगे सुषमा जी ने बैठाया होगा। लेकिन मैं भी यशवंत जी के

साथ, सुषमा जी के साथ मंत्री रहा हूं। इसलिए बैठाया है। हम लोग भी वरिष्ठ हैं। उम्र में कम लगें लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको टोक दीजिए। हमारे साथ भी वरिष्ठ सांसद जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) इसलिए यह जो एनएससी का ड्राफ्ट है, वाजपेयी जी की सरकार के सुझाव को आप देर से मानें लेकिन मैंने देखा कि एनएससी के सुझाव को भी आप इतनी देर से लाए हैं। इसका मतलब मैडम की बात भी आप लोग आजकल नहीं सुन रहे हैं। हमें बड़ा दर्द हो रहा है। हम लोग समझते थे कि मैडम की बात आप लोग जरूर मानते होंगे क्योंकि गरीबों के बारे में इसमें बहुत सी बातें कही गयी हैं।

मैं स्ट्रीट वेंडर फैमिली से नहीं आता हूं लेकिन जो शिक्षक हैं, उनकी भी बहुत आय नहीं होती है। मैं शिक्षक-पुत्र हूं। इस नाते मुझे किसी झोंपड़ी में जाकर गरीबी देखने की जरूरत नहीं है। सुपौल में मेरा खड़ का मकान था। वह जो खड़ होता है, मैडम, आप तो जानती हैं। ...(व्यवधान) खपड़ा नहीं, खपड़ा तो बिहार में बड़े अमीर लोग यूज करते हैं। हम युवा नेता हैं। किसी बड़े घर में पैदा होकर युवा नेता नहीं कहलाते हैं बल्कि एक शिक्षक के घर में पैदा हुए और आज हम सांसद बने हैं। भागलपुर की जनता ने मुझे यह स्थान दिया है कि मैं यहां बोल पा रहा हूं। लेकिन हमने गरीबी देखी। ये जो गरीब लोग हैं, जो फुटकर लोग हैं, उनके बारे में आपने यह बिल बनाया है। इसलिए मैं इस बिल का कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं और वह भी गिरिजा जी बिल लाएं क्योंकि मैडम, हम लोग अगर ज्यादा तारीफ कर देंगे तो आपकी पार्टी आपकी दुश्मन हो जाएगी।...(व्यवधान) इसलिए कम कर रहे हैं।...(व्यवधान) जोशी जी, बिल पर ही हम बोल रहे हैं। गरीबी मतलब बिल वेंडर के लिए है। इसलिए इस पर स्ट्रीट वेंडर की बहुत सारी समस्याएं हैं कि स्ट्रीट वेंडर आकर पटरी लगाता है, रेड़ी लगाता है, पुलिस वाला आता है, खासकर दिल्ली और मुम्बई में क्योंकि पिछले दिनों से हमारी सरकार बहुत दिनों से नहीं है और ...(व्यवधान) जयपुर में भी आपकी ही सरकार है जहां की मैडम हैं और...(व्यवधान)

**श्री महेश जोशी (जयपुर):** आप देश हित में उधर ही रहेंगे और हम देश हित में इधर ही रहेंगे।...(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** जयपुर में इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा। गलती से पंजा खिला था।...(व्यवधान) जितना बोलिएगा, रहने दीजिए। छोड़ दीजिए। इसलिए हमारे 2004 में नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर वाजपेयी जी ने बनाई थी। स्ट्रीट वेंडर के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए। जो नेशनल पॉलिसी बनी, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह होना चाहिए लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तरफ तो चर्चा हो रही है कि हम लाइसेंस राज से देश को मुक्त करेंगे और मंत्री जी इस बात का ध्यान रख लीजिए कि कहीं लाइसेंस लेने के लिए आपकी फोटो और जैसे राष्ट्रपति जी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि जो भी योजना बना रहे

हैं, उसमें मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की अपनी फोटो डाल देते हैं, आज ही के अखबार में है। राष्ट्रपति जी ने फोन पर कहा है। इसलिए ऐसा न हो जाए कि लाइसेंस उसी को दीजिए जिस पर आपकी तस्वीर हो, आपकी पार्टी का निशान हो। जब हम भी कोई कानून पार्लियामेंट में बनाते हैं तो वह गरीबों की मदद करने के लिए ही बनाते हैं। उसके लिए और परेशानी पैदा हो जाए, इसलिए कानून नहीं बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन करने और लाइसेंस देने का ध्यान रखना चाहिए ताकि गरीब आदमी किसी के दरवाजे पर नहीं भटके, नेताजी के दरवाजे पर चक्कर न मारे, उसे सलाम न करना पड़े। इस विधेयक की बहुत चर्चा है।

अध्यक्ष महोदया, आप विदेश गई हैं और मुझे भी आपके साथ कई बार विदेश जाने का सौभाग्य मिला है। आप स्विट्जरलैंड, इंग्लैण्ड, अमेरिका में किताबों की दुकान पर चले जाएं, अगर बढ़िया किताब कहीं नहीं मिलेगी तो वहां जो स्ट्रीट वैंडर की दुकान, फुटपाथ पर मिल जाएगी। इसकी एक अलग दुनिया है और खरदीने वाले बहुत लोग होते हैं। इस सरकार के लोग एफडीआई वाले हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रीट वेंडर पूरी दुनिया में हैं। स्ट्रीट वैंडर गांव में भी होते हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। आप पटना में जाइए। महोदया, आप भागलपुर गई थी। हम वहां हाजिर नहीं हो पाए थे लेकिन आपका स्वागत हमारे लोगों ने किया था। जब आप सर्किट हाउस से निकली होंगी तो आपने देखा होगा कि घंटाघर तक बगल में स्ट्रीट वैंडर्स हैं। उनकी चिंता कौन करेगा? बड़े शहरों और महानगरों ने की है? हम गांव में पैदा हुए, वहां हाट होता है। अब गांव की जमीन महंगी हो रही है इसलिए कोई जंमीदार लगाने नहीं दे रहा है। वह कहता है कि मेरे दरवाजे पर हाट मत लगाओ।

महोदया, स्ट्रीट वैंडर के विधेयक में जिन चीजों का जिक्र किया है, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप कानून रहे हैं, आपके विभाग का नाम शहरी गरीबी उपशमन है तो आप गांव की चिंता भी सरकार के बिहॉफ पर कर रहे हैं। आप ऑन बिहॉफ आफ दि कैबिनेट, ऑन बिहॉफ आफ दि गवर्नमेंट बिल लेकर आई हैं। कई छोटे गांव हैं जो बड़े हाट बन गए। आपको पालिसी बनानी चाहिए। जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो गरीबों के नेता माने जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने गांव और शहरों के स्ट्रीट वैंडर के लिए पहले कानून बनाया। बनाना तो केंद्र को था लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाया और आप लोग नहीं बनाते हैं तो जहां हमारी पार्टी राज में होती है, करती है, गरीबों की खिदमत आप लोगों से पूछकर तो करेंगे नहीं। यह तो हम लोगों को करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां कानून बनाया है। छोटे-छोटे काम करने वाले लोग जैसे कोई आलू लेकर आ गया। प्याज लेकर तो आजकल कोई स्ट्रीट वैंडर आता नहीं है क्योंकि इतना महंगा कर दिया है।...(व्यवधान)

मैडम, आजकल प्याज तो लॉकर में मिलता है। आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें होता है। हमारे ज्यादातर नेता लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं लेकिन हम बिरयानी और कोरमा खाने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा प्याज माइनोरिटी के लोग खाते हैं। लोग कहते हैं, प्याज के बारे में सारी कहावत माइनोरिटी के लोगों की होती है।...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** दलित भी खाते हैं।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** हम दलित पर भी आ रहे हैं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** प्याज, नमक और रोटी उनका खाना है।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** माइनोरिटी और दलित अलग-अलग थोड़े हैं। आप क्यों अलग कर रहे हैं? मुझे समाजवादी पार्टी कल से माइनोरिटी के मुद्दे पर तंग कर रही है। इनके एक भी माइनोरिटी के एमपी जीतकर नहीं आए हैं। बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं, यहां तो एक मुस्लिम एमपी है। समाजवादी अपने को सैक्युलर कहती है, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं हैं। आरजेडी में भी नहीं है।

मैं माइनोरिटी के लोगों का दर्द रख रहा हूं।

**श्री नीरज शेखर (बलिया):** महोदया, माइनोरिटी के हितैषी तो उस तरफ बैठे हैं, हम तो बीच में ही रहेंगे।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** आप देखिए कि कितनी टोकाटाकी हो रही है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** मैडम, मैं संबद्ध करता हूं, हम सही में हितैषी हैं क्योंकि हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, हर व्यक्ति से प्यार करते हैं जो इस भारत माता की संतान है।...(व्यवधान)

**श्री नीरज शेखर :** गुजरात में क्या हो रहा है, सारी दुनिया को पता है। ...(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** जो जननी मातृभूमि मानता है उससे हम प्यार करते हैं इसलिए हम माइनोरिटी से भी प्यार करते हैं।...(व्यवधान)

**श्री नीरज शेखर :** वीज़ा के लिए लड़ाई कर रहे हैं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** इनके राज में एक मुस्लिम डीएसपी मर गया, उसे ये लोग नहीं बचा पाए।...(व्यवधान)

**श्री नीरज शेखर :** इस पर भी आप लोग गलत हैं।...(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** इनके राज में मरा है, मैंने यह कहा और कुछ नहीं कहा है। इल्ज़ाम कहां लगाया? आप बिना बात के बोल रहे हैं। मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप क्या कर रहे हैं? आप बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** मैडम, अकलियत के लोग डीएसपी या एसपी नहीं होते हैं, एक डीएसपी हुआ बेचारा और वह भी मर गया। इसके लिए मुझे दर्द है। अब मुलायम जी तो इसका दर्द तो नहीं रखेंगे।...(व्यवधान) हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। मैं कह रहा था कि प्याज की बात कह रहा था कि बड़ी महंगाई हो गई है इसलिए स्ट्रीट वैंडर आजकल प्याज भी नहीं बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बात प्याज पर क्यों ले आए? शाहनवाज हुसैन क्या बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग ताजा प्याज खरीदना चाहते हैं। ...(व्यवधान) मैडम, थोड़ा संरक्षण दीजिए। मैं कितना शालीन सांसद हूं, मैं कभी किसी को नहीं टोकता हूं लेकिन मुझे कितना टोकते हैं।...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** ये पूरा सेशन ऐसे ही बोलते हैं।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** मैडम, शैलेन्द्र जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा टोकते हैं।

**अध्यक्ष महोदया :** आप बोलिए, आप सबके साथ बातचीत में लग जाते हैं।

...(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** अध्यक्ष महोदया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कान बंद हो जाए। मेरी दिक्कत यह है कि कोई बोलता है तो सीधे आवाज बाएं कान को आती है। इधर से तो आती नहीं है, अब या तो कान में कुछ लगाकर आएंगे, तभी बोल पाएंगे। मैडम, मैं कान में ये लगा लेता हूं, इतनी टोका टोकी है, समाजवादी पार्टी के लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान) मुझे पता है कि इससे इनका वोट भी कम हो जाएगा, मुझे पता है। हमारे बड़े समर्थक यूपी में हैं, वे सब इन लोगों से नाराज हो जाएंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि मंत्री मोहतरमा बहुत अच्छा बिल लाई हैं। इसमें कुछ कमियां है, आपको गरीब लोगों की चिंता करनी चाहिए। स्ट्रीट वैंडर बहुत गरीब, पिछड़े, दलित और माइनोरिटी के लोग होते हैं। आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। इसलिए जब स्ट्रीट वैंडर का मुद्दा आया तो हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति सियासत नहीं है, इबादत है। हम गरीबों

की सेवा इबादत जानकर करते हैं। यशवंत सिन्हा आईएएस से रिजाइन करके आए हैं। आप खुद फॉरेन सर्विस से रिजाइन करके आई हैं। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** अध्यक्ष महोदया, ये मुद्दे से भटक जाते हैं ......(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** मैडम आप हर बार हम लोगों को डांटती हैं, आप थोड़ा उधर भी डांट दीजिए। ...(व्यवधान) हमारी स्पीकर साहिबा की तारीफ भी इनको पसंद नहीं है

**अध्यक्ष महोदया :** आप बोलिए।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** आप फॉरेन सर्विस से खुद रिजाइन करके आई।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** मक्खन पालिश ज्यादा नहीं चलेगा।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** मक्खन ऐसा लगाएंगे यूपी में कि 50 सीट जीत जाएंगे, आप दस सीट पर रह जाएंगे।

**अध्यक्ष महोदया :** आप बोलिए। आप विषय पर बोलिए। आप सुनिए। शैलेन्द्र जी क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** हमारी नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ी वकील होते हुए सियासत में सेवा के लिए आई हैं। स्ट्रीट वेंडर का मुद्दा आया है, तो मेरा कहना है कि और मुद्दों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी लड़ी है लेकिन कम से कम गरीबों के मुद्दे पर मत लड़िए। यह अच्छा नहीं है।

महोदया, अब मैं लास्ट प्वाइंट पर आ रहा हूं। गिरिजा जी ने बिल में दिया है कि लाइसेंस होगा, जगह बनेगी और हाइजिन का भी ध्यान रखना होगा। गरीब आदमी जो अपने तन पर मैला कपड़ा पहनकर आता है वह हाइजिन कहां से मैन्टेन करेगा? जब आप गरीबों के लिए हाइजिन कर देंगे तो दूसरा विभाग भी वहां पहुंच जाएगा और कहेगा कि गोलगप्पे का पानी टेस्ट करवाओ। मुंबई में एक बार ऐसा हुआ था अगर शिव सेना और बीजेपी के लोगों ने प्रोटेक्ट न किया होता तो आज कोई भी चौपाटी पर भेलपूड़ी न बेच पाता। बिहार में झालमूड़ी बेचते हैं। अब ये कहें कि अपना डिब्बा दिखाओ, यह डिब्बा कहां से लाए, कौन सी कंपनी का है तो वह झालमूड़ी कहां से बेचेगा? इंस्पेक्टर राज को फिर से लागू मत कीजिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पथ विक्रेता हैं...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदया :** आप उनकी बात सुन लीजिए, आप टोका-टाकी क्यों कर रहे हैं, आप बोलिये। आप भी उन्हें उकसा रहे हैं, यह भी सोच लीजिए। आप भी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वह फिर बोलने लगते हैं। आप सिर्फ अपनी बात बोलिये।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** मैडम, अब मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ आपको देखकर बोलूंगा। यह जो हाइजिन मेन्टिनेन्स का मुद्दा है, इसका भी ध्यान रखा जाए। जो पथ विक्रेता हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी की जानी चाहिए, जैसे फैक्टरी में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ईएसआई की तर्ज पर चिंता होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

मैडम, अगर किसी पथ विक्रेता का निधन हो जाता है तो वह स्ट्रीट पर रहता है, उसकी लाश भी वहीं पड़ी रहती है, उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। वह गांव में अपनी बीवी-बच्चों को छोड़कर आता है। वह अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार, अपने भाई-बहन को छोड़कर आता है। कोई दिल्ली शौक से नहीं आता, कोई लाल किला घूमने नहीं आता। यहां लोग दर्द लेकर आते हैं। आज भी यहां बिहार से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हमारे यहां बहुत बड़ी फैक्टरियां नहीं लग पाईं। आज भी बिहार में ज्यादा उद्योग-धंधे नहीं लग पाये, इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहां आ रहे हैं। ये लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं और जब लोग रोजगार की तलाश में आते हैं तो वे पटरी पर छोटी सी रेहड़ी लगा लेते हैं। परंतु अगर उनका देहान्त हो जाए तो उनके परिवार के लोगों को इसकी सूचना भी देरी से मिलती है। उनकी लाश को लावारिस कह दिया जाता है। मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं, संजय निरूपम जी आप मंत्री जी को मेरी बात सुनने दीजिए, आप बाद में बात कर लीजिएगा, वह आपकी पार्टी की हैं। आप हमारी तरफ से उधर गये हैं, थोड़ी कम बात कीजिए। आप हमारे अपने आदमी थे, उधर चले गये हैं। इसलिए मैडम, जब उनका देहान्त हो जाए तो उनका कम से कम पांच लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर वह कमाने आया है तो उस पर पूरा परिवार डिपैंड करता है। अगर वह बीमार हो जाता है तो उसका इलाज होना चाहिए और अगर उसका देहान्त हो जाए तो सरकार को उसको कम से कम पांच लाख रुपया देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जो स्ट्रीट वैंडर्स होते हैं, वे जब कहीं पर दुकान लगाते हैं, मैंने स्ट्रीट वैंडर्स का दर्द देखा है। मैं सुबह-सुबह जाता हूं और रेहड़ी-पटरी वालों को देखता हूं। मैं संसद की कार्यवाही के बाद सीधे भागलपुर कोलकाता होकर जाता हूं, कई बार जहाज में आपसे मुलाकात भी हुई है। उसके बाद वहीं से ट्रेन पकड़ता हूं, फिर भागलपुर से कोलकाता आता हूं और जब मैं कोलकाता आता हूं तो ट्रेन सुबह पांच बजे पहुंचती है। कोलकाता में आपने देखा होगा कि जैसे ही स्टेशन से आगे चलते हैं, सुबह चार बजे बाजार लगता है, पांच बजे बाजार लगता है। उससे थोड़ा आगे जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पर जो छोटे-छोटे स्ट्रीट वैंडर्स हैं, जो चाय की दुकान चला रहे हैं, भूजा की दुकान चला रहे हैं, वे जिस पटरी पर दुकान लगाते हैं, उसी पर सिकुड़े हुए, सोये हुए नजर आते हैं। उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए सरकार इसमें यह जोड़े कि जो स्ट्रीट वैंडर्स हैं, उनके

रहने के लिए भी कोई शैल्टर सरकार बनाये, उनके लिए नाइट शैल्टर होने चाहिए। अभी ममता जी वहां मुख्य मंत्री बन गई हैं तो वह उनके लिए कुछ कर रही होंगी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खाली बात करते थे, कुछ करते नहीं थे। खाली गरीबों की बात करना और कांग्रेस की तरह गरीबों की चर्चा करना तथा गरीबों को और गरीब करना। जो स्ट्रीट वैंडर्स हैं, जो पटरी पर सिकुड़े हुए सोये होते हैं, मैं वहां जाड़े में गया हूं। कई बार मुझे महसूस हुआ है कि काश इनके ऊपर कोई कम्बल डालने वाला होता। इसलिए स्ट्रीट वैंडर्स के रहने का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हमारे संविधान में बराबरी का अधिकार मिला है, आप जो बिल लेकर आये हैं, इस बिल में आपने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में जिसमें समानता का सिद्धांत है, जिसमें अमीरों और गरीबों के बीच में बराबरी का सिद्धांत है, इसी को ध्यान में रखकर आप बिल लाये हैं। जो बेकारी, बुढ़ापा और बेरोजगारी है, उसे ध्यान में रखते हुए जो संविधान के तहत अधिकार है, आप यह जो बिल लेकर आये हैं तो आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यह मत कीजिए, यह फूड सिक्युरिटी बिल की तरह मत कीजिए कि पास हुआ नहीं पहले फोटो खिचवाने शुरू कर दिये। यानी आपकी पहली नजर वोट पर है, गरीबों की भूख मिटाने पर नहीं, अपनी वोट की भूख मिटाने पर नजर है। आपकी नजर स्ट्रीट वैंडर्स पर नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आप स्ट्रीट पर जाने वाले हैं, आप सत्ता से बाहर जाने वाले हैं और मैं समझता हूं कि इसके बाद आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो आपकी कमियां हैं, हम उन कमियों को आपको बतायेंगे। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आपने फूड सिक्युरिटी बिल क्यों पास कराया तो हम कहते हैं कि क्या करें गरीबों के लिए यह बिल लाये तो सही, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। जब हम सरकार में आयेंगे तो इन कमियों को पहली बार ठीक करेंगे।

मैडम, मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, इस नाते और एक सांसद के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पहले छः महीने इन्होंने जो गलत और आधे-अधूरे बिल पास किये, उन्हें हम ठीक करेंगे। हम फूड सिक्युरिटी बिल को भी ठीक करेंगे और स्ट्रीट वैंडर्स बिल में जो कमियां हैं, उन्हें सुधारने का काम करेंगे और लैंड एक्युजिशन बिल में भी जो कमियां हैं, उन्हें भी सुधारेंगे।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** अब मैं समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान) लालू जी के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस किससे समझौता करेगी, शरद जी से करेगी या लालू जी से करेगी, यह भी देश में चलता है। दोनों कांग्रेस को खुश करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को मनाने में लगे हुए हैं, मंत्रियों की आवभगत में लगे हैं। बिहार में मंत्री जा रहा है, रोज रिसीव करना, रोज उसकी तारीफ करना। लेकिन मुझे पता नहीं कि कांग्रेस किससे करेगी, जिससे भी करे, लेकिन वहां एनडीए के लोग ही जीतेंगे। बिहार में 2004 में एक बार हम

जीत चुके हैं। हम चालीस की चालीस सीटें जीतकर आयेंगे और बिहार का व्यक्ति प्रधान मंत्री के नाम का प्रस्ताव करेगा। इतना हम जरूर कह सकते हैं।

मैडम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Item No.3. Shri Narayanasamy.

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** मैडम, मैं आपका थैंक यू जरूर करूंगा।

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है, आप बोलिये।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** मुझे यह तहजीब और तमद्दुन में सिखाया गया है कि जब मैं बोलू तो शुक्रिया अदा करके बात खत्म करूं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप चेयर पर हैं तो हम आपको नेता मानकर नहीं बल्कि अध्यक्ष मानकर बोलते हैं। इसलिए लालू जी की बात से प्रभावित नहीं होना है। हम लोग बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि यह बिल लेकर आए, इसमें जो कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, इस देश के हित में जो भी काम होगा, उसे चाहे कोई भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।

MADAM SPEAKER: Members, who want to lay their written speeches, may give it at the Table of the House. There shall be no Lunch Break today.

---

**12.53 hrs**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Item No.3. Shri Narayanasamy.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the All India Services Act, 1951:-

(i) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. G.S.R. 80 in Gazette of India dated 6th April, 2013.

(ii) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2013 published in Notification No. G.S.R. 81 in Gazette of India dated 28th March, 2013.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 9721/15/13)

---

**12.54 hrs.**

## STATEMENT BY MINISTER

### Report on border infrastructure in Ladakh submitted by Shri Shyam Saran, Chairman National Security Advisory Board*

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): Madam, Speaker, Shri Shyam Saran, Chairman, National Security Advisory Board visited Ladakh from August 2 to 9, 2013. He has submitted a report on infrastructure in Ladakh, a copy of which has been sent by the Prime Minister's Office to the Ministry of Defence, among others, on 2nd September, 2013. The Report is primarily focused on the border infrastructure but also deals with several aspects relating to the region covering a broad spectrum of activities and requirements.

Broadly speaking, the Report reviews the progress in development of border infrastructure required to ensure connectivity between Ladakh and neighbouring areas.… (*Interruptions*)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** महोदया, माइक में से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदया :** चैक करवा लेते हैं।

...(व्यवधान)

SHRI A.K. ANTONY: Broadly speaking the report reviews the progress in development of border infrastructure required to ensure connectivity between Ladakh and neighbouring areas. In this context, issues such as availability of modern machinery for construction and maintenance of roads, upgradation of roads, tunnelling and alternate alignments, among others, have also been discussed. The report also deals with the requirement of air facilities in the region, as also issues relating to land acquisition and environmental and wildlife clearances. Other matters such as employment opportunities to local youth,

---

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 9728/15/13.

tourism, mobile and internet connectivity, law and order, better equipment and facilities for ITBP, certain grievances of local people, among others, have further been covered in the report.

I would like to state categorically that Shri Shyam Saran has not stated in this report that China has occupied, or has denied access to India to any part of Indian territory. I would like to assure the House that there is no question of India ceding to China any part of Indian territory. The Government keeps a constant watch on all developments having a bearing on India's security and takes all necessary measures to safeguard it. I would further like to assure the House that Government would continue to strengthen our capabilities in border areas to protect our national interest.

…

(*Interruptions*)

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** अध्यक्ष महोदया, ऐसे नहीं चलेगा। ...(व्यवधान) पूरे वक्तव्य में सदन को गुमराह किया गया है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** मैडम, इसमें तथ्यों को छुपाया गया है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: There is no provision in the Rules. Rule 372 prohibits any clarifications. आप नोटिस दे दीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Yashwant Sinhaji, you are a very senior Member. You know the rules.

… (*Interruptions*)

**12.57 hrs.**

*At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

---

**12.58 hrs**

## STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL, 2012 – Contd.

MADAM SPEAKER: We would now go back to Item No. 15 – Shrimati Meena Singh.

… (*Interruptions*)

**श्रीमती मीना सिंह (आरा):** मैडम, आपने मुझे पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक 2012 पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप नोटिस दे दीजिए। हम आपको बुलवा लेंगे।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I cannot do anything. I have to follow the rules and the rule says that there will be no discussion or clarificatory questions after a statement. You all know the rules, and please observe the rules. How will the House run if I am supposed to violate all the rules?

…(व्यवधान)

**श्रीमती मीना सिंह :** मैडम, मैं अपनी पार्टी, जनता दल-यू की तरफ से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अगर आपको चर्चा करानी है तो आप नोटिस दे दीजिए। हम चर्चा करा देंगे।

…(व्यवधान)

**श्रीमती मीना सिंह :** मैडम, इस बिल के समर्थन का कारण है कि मैं और मेरी पार्टी यह महसूस करती है कि इस देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वाले की जिंदगी बेहद नारकीय है। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप नोटिस दे दीजिए। हम चर्चा करा देंगे।

…(व्यवधान)

**श्रीमती मीना सिंह :** वे लोग जिल्लत की जिंदगी जीने को विवश हैं। …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All of you know Rule 372 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

...(व्यवधान)

**श्रीमती मीना सिंह :** मैडम, हम सभी जानते हैं क फुटपाथ पर दुकान एवं फेरी का काम वही महिला या पुरूष करता है जो समाज का काफी गरीब व्यक्ति होता है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** इस तरह से मत कीजिए। जब हम कह रहे हैं कि हम चर्चा करवा देंगे।

...(व्यवधान)

**श्रीमती मीना सिंह :** अधिकांशतः महिलाएं फुटपाथ पर दुकान लगा कर या फेरी का काम कर के अपने परिवार का पेट पालती हैं। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** हम नियम-372 का उलंघन कैसे करें?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

**श्रीमती मीना सिंह :** मैडम, बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या फिर स्थानीय पुलिस के लोग हों, इन विक्रेताओं के साथ फुटबाल जैसा व्यवहार करते हैं। जो आता है, वह इन्हें किक लगा कर चला जाता है। ...(व्यवधान)

**13.00 hrs.**

**अध्यक्ष महोदया :** आप नोटिस दीजिए, हम चर्चा करायेंगे।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** यह हमारे ऊपर है, हम कह रहे हैं कि हम यहां चर्चा करायेंगे। आप नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्रीमती मीना सिंह :** ये लोग अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सारी जिल्लत को बर्दाश्त करते रहते हैं।...(व्यवधान)

**13.0 ½ hrs.**

*At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats*

**श्रीमती मीना सिंह (आरा):** महोदया, मैं बहुत सारे फुटपाथ विक्रेता और फेरी वालों को जानती हूं।...(व्यवधान) जो 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेकर उस धंधे को करते हैं।...(व्यवधान) क्योंकि उनके पास पूंजी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है।...(व्यवधान) इतना महंगा ऋण लेकर कोई व्यक्ति फुटपाथ पर दुकान लगाता है...(व्यवधान) और उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका या पुलिस के लोग वहां पहुंचकर उसके सामान को नाले में फेंक देते हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

**13.01 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.*

---

**14.00 hrs.**

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रक्षा मंत्री को हाउस में बुलाया जाए। …(व्यवधान) माननीय मुलायम सिंह जी उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। …(व्यवधान)

**श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):** हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। …(व्यवधान) रक्षा मंत्री कुछ भी बोलते चले जाएंगे यह ठीक नहीं है। …(व्यवधान) मैं फॉर्मर विदेश मंत्री रहा हूँ। क्या हमें दो मिनट बोलने का मौका नहीं मिलेगा? …(व्यवधान)

**श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा):** उपाध्यक्ष महोदय, सुबह माननीय यशवंत सिन्हा जी ने लिखकर दिया था। …(व्यवधान) यहाँ सरकार जवाब नहीं दे रही थी तो हमने सरकार से मांग की थी कि इसके ऊपर एक स्टेटमैंट दिया जाए। स्टेटमैंट के लिए नोटिस पहले यशवंत जी ने दिया हुआ है। अब वे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं।…(व्यवधान) यह देश की अस्मिता की बात है। …(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, after a Minister makes a Statement, we cannot discuss it immediately in this House.… (*Interruptions*) The convention is that after a Minister makes a Statement, there is no clarification made on the Statement. … (*Interruptions*) That is the rule in this House.… (*Interruptions*) That is the convention in this House. If they want, let them give notice. The hon. Speaker will consider it. … (*Interruptions*)

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्रीमती मीना सिंह।

**श्रीमती मीना सिंह (आरा):** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को शांत कराइए। ...(व्यवधान) महोदय, भोजनावकाश से पूर्व मैंने इस बिल पर बोलना शुरू किया था। ...(व्यवधान) आप लोग शांत हो जाइए। मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान) हमें बोलने तो दीजिए। ऐसा नहीं करिये। ...(व्यवधान)

**14.04 hrs.**

*At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

...(व्यवधान)

**श्री वी.नारायणसामी:** आप लोग इस विषय पर नोटिस दीजिए और डिसक्शन मांगिए।...(व्यवधान)

**14.05 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.*

---

**15.00 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.*

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I will give you time. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General.

**15.01 hrs**

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Constitution (One Hundred and Twentieth Amendment) Bill, 2013, which has been passed by the Rajya Sabha in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution, at its sitting held on the 5th September, 2013."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th September, 2013 agreed without any amendment to the Securities and Exchange Board of India (Amendment) Bill, 2013 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th August, 2013."

* Laid on the Table.

2. Sir, I lay on the Table the Constitution (One Hundred and Twentieth Amendment) Bill, 2013, as passed by Rajya Sabha on 5th September, 2013.

---

… (*Interruptions*)

**श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):** महोदय, रक्षा मंत्री का इस सदन में एक बयान हुआ था। मैंने लिख कर दिया कि मैं उस पर चर्चा चाहता हूं। हम उन से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछने में जो भी वक्त लगे, मैं सरकार से चाहता हूं कि आज वह हमें आश्वस्त करें कि आज ही इस सदन में रक्षा मंत्री के बयान पर चर्चा होगी। बताइए। आज ही होगी।

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** महोदय, उन्होंने जो कहा है, वह सही है। हमने जो कुछ कहा या रक्षा मंत्री ने कहा, अगर इस पर चर्चा हो जाए, चाहे संक्षिप्त चर्चा ही करा दें तो कम से कम कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगा। कंफ्यूजन दूर कीजिए। सरकार स्पष्ट बता दे। हम यह नहीं कहते कि हमने जो कहा, वह ही सच है और यशवंत सिन्हा साहब जो कह रहे हैं, वह सच है। आपके सामने क्या सच्चाई है? जहां तक रक्षा मंत्री का बयान है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप ने पढ़ कर बता दिया। आप खुद अकेले में आकर बता दीजिए, यहां सदन में मत कहिए। क्या देश की रक्षा के बारे में ऐसे बयान दिया जाता है? यह है असली बात। रक्षा मंत्री ने उलझाया है।

**शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** महोदय, कल माननीय सदस्य यशवंत सिन्हा जी ने आग्रह किया था कि रक्षा मंत्री आ कर बयान दें। किस पर बयान दें? 640 वर्ग किलोमीटर जो भारत की भूमि है, उस पर चीन के कब्ज़े के बारे में। मैंने उस समय स्वीकार किया था कि रक्षा मंत्री आ कर बयान देंगे। आज रक्षा मंत्री जी ने आकर बयान दिया और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि जो भारत की कोई 640 वर्ग किलोमीटर भूमि के कब्ज़े की बात है, जिस श्याम शरण जी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। श्याम शरण ने भी इसका खंडन किया है।...(व्यवधान) उन्होंने जो सही बात थी, बड़े साफ तरीके से, संसद में अपने बयान में कही है। He has been very clear. माननीय मुलायम सिंह जी ने अभी इसका जिक्र किया है। अभी भी इसमें अगर कोई भ्रम है, अभी भी इसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो आज हाउस का बिजनेस है। जब यह बिजनेस खत्म हो जाता है, रक्षा मंत्री जी राज्य सभा में हैं तो बिजनेस के खत्म हो जाने के बाद और राज्य सभा में उनके स्पष्टीकरण के बाद मैं उन से निवेदन करूंगा कि वे हाउस में आएं और आपके कोई भी प्रश्न हों, उसका जवाब दें।

**15.05 hrs**.

## STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL, 2012 –- Contd.

MR. CHAIRMAN : The House will take up item no. 15. Shrimati Meena Singh

**श्रीमती मीना सिंह (आरा):** सभापति महोदय, भोजनावकाश से पूर्व मैंने इस बिल पर बोलना शुरू किया था, परन्तु व्यवधान के कारण मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। मैं अपनी पार्टी जनता दल यू की तरफ से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बिल के समर्थन का कारण मैं और मेरी पार्टी यह महसूस करती है कि इस देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वालों की जिन्दगी बेहद नारकीय है। ये लोग जिल्लत की जिन्दगी जीने को विवश हैं। सभी यह जानते हैं कि फुटपाथ पर दुकान एवं फेरी का काम वही महिला या पुरुष करता है, जो समाज का काफी गरीब व्यक्ति होता है। अधिकांशत: महिलाएं फुटपाथ पर दुकान लगा कर या फेरी का काम करके अपने परिवार का पेट पालते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां, चाहे वह नगरनिगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या फिर स्थानीय पुलिस के लोग हों, इन विक्रेताओं के साथ फुटपाथ जैसा व्यवहार करते हैं। जो आता है, वही इन्हें किक लगा कर चला जाता है। फुटपाथ के विक्रेता या फेरी वाले अपना एवं अपने परिवार का पेट पालने के लिए सारी जिल्लत को बर्दाश्त करते रहते हैं। बहुत सारे फुटपाथ विक्रेता या फेरी वालों को जानती हूं, जो दस प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक मासिक ब्याज पर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेकर इस धंधे को करते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि महंगा ऋण लेकर जब कोई व्यक्ति फुटपाथ पर दुकान लगाता है और उसके बाद नगरनिगम, नगरपालिका या पुलिस वालों के लोग वहां पहुंच करके उनके सामानों को नाली में फेंक देते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। ऐसी घटना को देख करके, सुन करके मन पीड़ा से भर जाता है। जिस किसी भी दिन इस प्रकार की घटना ऐसे विक्रेताओं के साथ घटती है, मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता होगा।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करती हूं कि इस बिल के पास होने के बाद इस देश के गरीब, फुटपाथ विक्रेता एवं फेरी वालों की जिन्दगी में खुशहाली आएगी। मैं इसके लिए माननीय मंत्री बहन गिरिजा व्यास जी को बधाई देती हूं। इस बिल के इन विक्रेताओं के साथ शहर में अलग से जगह निर्धारित करने

की व्यवस्था की गई है। मेरी मांग है कि फुटपाथ पर विक्रेताओं के लिए ऐसी जगह आरक्षित की जाए, जो जगह मुख्य मार्ग पर हो, क्योंकि मुख्य मार्ग पर इगर जगह नहीं दी जाएगी, तो वहां कोई खरीदकारी ही नहीं मेरी दूसरी मांग है कि इन छोटे व्यापारियों के लिए सुलभता से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे ये लोग स्थानीय सूदखोरो के हाथ लूटने से बच सकें। मेरी तीसरी मांग है कि जो फुटपाथ विक्रेता सामान बेचने के लिए खड़े हैं, उन सामानों एवं उनकी जीवन बीमा का प्रबंध किया जाए। मेरी अंतिम मांग है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे सरकारी लोगों एवं पुलिस द्वारा इनका शोषण न किया जाए, क्योंकि आज के दिन इनकी आमदनी का चौथा हिस्सा यही लोग वसूल लेते हैं। इन्हीं लोगों द्वारा वसूला जाता है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात इस विश्वास के साथ समाप्त करती हूं कि इस कानून का कठोरता से पालन किया जाएगा। हमारे देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वालों के परिवारों में खुशहाली आएगी।

[*] **SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM) :** This Bill is a great step in helping the poor street vendors who are exposed to untold miseries and harassment by the Police and local authorities. Street Vendors or hawkers constitute an important segment of the urban population. Street vendors are those who are unable to get regular jobs in the remunerative formal sector on account of their low level of education and skills. They earn their livelihood through their own meager financial resources and sweat equity. Unemployment is the major reason for immigration of people from rural to urban areas and engage in street vending. Street vending provides a source of self-employment, and thus acts as a measure of urban poverty alleviation without major Government intervention. Street vending also acts as an instrument to provide affordable as well as convenient services to a majority of urban population and has a prominent place in the urban supply chain and are an integral part of the economic growth process within urban areas. As per National Commission for Enterprises in the Unorganised Sectors' report based on $55^{th}$ round of NSSO (1999-2000) the estimated number of street vendors in urban areas was in the range of 17 to 25 lakhs. According to National Policy on Urban Street Vendors, 2009, street vendors are estimated to be about 2 per cent of the population in several cities and women constitute a large segment of these street vendors in almost every city. It, therefore, becomes imperative that these vendors are enabled to pursue their livelihood in a congenial and harassment-free atmosphere. The Bill aims at

[*] Speech was laid on the Table.

providing a mechanism for regulation of street vending activities to avoid congestion on sidewalks and to ensure free flow of traffic on roads by a legislative framework to enable street vendors to pursue an honest living without harassment.

So far, only 5 States namely Jharkhand, Arunachal Pradesh, Mizoram, Madhya Pradesh and Rajasthan have enacted their State legislations for the street vendors.

The Bill provides for compulsory registration of every person intending to carry out street vending activities. A certificate of vending and identity cards will be issued to street vendors. They will have certain rights and duties. A town Vending Committee shall be constituted with minimum forty per cent representation of street vendors, out of which one-third shall be women vendors and reasonable representation of SC/STs/OBCs/minorities and persons with disabilities. The Bill envisages for redressal of grievances and resolution of disputes of street vendors. Measures will be taken to make available security for the street vendors. The street vendors shall not be prevented by any person or police or any other authority from exercising their right to vend when carrying on street vending in accordance with the terms and conditions of certificate of vending.

While the Bill is a welcome move, I would like to suggest the following for the kind consideration of the Minister :

1. There is lack of adequate regulation for vendors operating on Railway land and outside the stations and exclusion of such vendors from the

provisions of this Bill duly expose them to harassment and exploitation by Railway authorities and Police. The interest of these vendors who provide essential services to the passengers and the people residing near railway stations are required to be secured in terms of provisions of the Bill.

2. The vendors who provide essential services near bus stand, taxi stand, metro stations and inside the public and private transport are equally need to be secured in terms of the provisions of the Bill.

3. Keeping in view the fact that most of the applicants, seeking vending, are not literate, they must not be asked to undergo cumbersome procedure and only one of the easily accessible documents such as voter ID card/ PAN card/Driving License/Aadhar Card/Ration Card/Electricity Bill/Telephone Bill etc. should be required.

4. All existing vendors should be invariably registered. In the absence of a specific time-line for renewal of certificate of vending, the local bodies may renew the certificate of vending as per their whims, which may lead to harassment of street vendors. Therefore, the certificate of vending should be renewed every three years and a provision to this effect should be made in the Bill.

5. A mechanism may be considered to constitute zonal grievances redressal system besides incorporating statutory time limit by which the dispute redressal Committees should give their decision.

With these words, I support this historic bill which aims to protect the livelihood rights and social security of street vendors.

*श्री रामशंकर राजभर (सलेमपुर) : समाज के अंतिम परिश्रमियों को कठिन परिश्रम कर अपना परिवार पालने वाले लोगों को कानूनी संरक्षण देने वाले पथ विक्रेता जीविका संरक्षण बिल पर मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूं

छेड़ने से मूक भी वाचाल हो जाता है
टूटने से शीशा भी काल हो जाता है
देश के गरीबों को इतना ना सताओ लोगों
जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।

काफी प्रयास के बाद इन गरीबों को सुधि ली गयी। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इसको जमीनी स्तर पर लागू कराना बड़ी चुनौती है। इस पर तो प्रदेशों द्वारा ही प्रभावी कदम उठाना चाहिए था, परंतु चूक हुई। प्रजातंत्र में बड़ी दुस्वारी है कि जो न बोले उसकी आवाज दबी रह जाती है। अब मैं बिल पर आता हूं। बिल में प्राकृतिक बाजार की परिभाषा करनी होगी यह ठीक है। 50 वर्ष् से कार्यरत व्यक्ति के साथ आवेदित दिन तक पात्र श्रेणी खुली है, पात्र होगा परंतु केवल नगर, शहर ही कार्य क्षेत्र माना गया है। जबकि ब्लाक मुख्यालयों पर ढेला इत्यादि लगाने वाले, ग्रामीण चौराहों पर ढेला, खोमचा, चौकी आदि लगाकर जीवन यापन करने वालों को छोड़ा जा रहा है जो ठीक नहीं है। अब आप ही बताएं ग्रामीण चौराहे पर गुमटी व्यवसाइयों, चौराहे के बगल में जमीन पर मछली बेचने वालों, एक लाठी गाड़कर मीट बेचने वालों, चौकी पर बैठकर मुर्गी बेचने वालों, इण्डिया गेट, लाल किला, पार्क, हाट व अस्थाई मेला, भीड़ के स्थान पर भुट्टा भूनकर बेचने वाले बच्चे, महिलाओं को छोड़ना उचित नहीं है। 4 वर्ष से ऊपर व्यक्ति ही पात्र होगा, इसमें भी खामी है क्योंकि आप इण्डिया गेट पर ही 20 से 60 वर्षा की मां मक्का भूनती है। 8 से 10 वर्ष की बच्ची व बच्चा उसका

* Speech was laid on the Table

सहयोग करते हैं। पुलिस वाले को देखते हैं तो कड़ाही व मक्के को लेकर भागते हैं उनके लिए क्या प्रावधान करना उचित नहीं है।

पूरे देश के 2.5 प्रतिशत गरीबों को इंतजाम करते समय जम्मू-कश्मीर को छोड़ा जा रहा है। क्या जम्मू-कश्मीर में गरीब नहीं हैं। जबकि पहाड़ियों में काफी गरीब पहाड़ी खाद्यों के साथ रोड के किनारे मिलते ही है। बिल में रेलवे भूमि में इनको जाने की मनाही होगी जबकि देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन के बाहर होते ही यह उपलब्ध है।

एक बड़ी समस्या यह है कि इनके रजिस्ट्रेशन हेतु संबंधित संस्थाओं को अलग से इनके लिए काउंटर खोलने का जिक्र नहीं है। इनको रजिस्ट्रेशन में काफी झेलना पड़ेगा। आम तौर पर ऐसे व्यवसाइयों को कानून की पेचीदगी मालूम नहीं होगी। इसलिए इनको 6 माही कार्यशाला/प्रशिक्षण दिया जाए, तुम्हें कैसे कार्य करना है और कैसे कानून संरक्षण प्राप्त है। विवाद समाधान तंत्र में इनका एक प्रतिनिधि भी शामिल हो। पथ विक्रय योजना के 5 वर्षीय समीक्षा में अधिकांश शहरी पथ विक्रेता के साथ ग्रामीण पथ विक्रेता भी शामिल किए जाए। नगर विक्रय समिति परिलक्षित किया जाए। पथ विक्रेताओं के कार्यों में पुलिस हस्तक्षेप बंद किया जाए। इनके संगठन को प्रभावी व कानूनी अधिकार दिया जाए, इनकी संख्या को प्रतिबंधित न किया जाए।

पथ विक्रेता पूरे दिन खड़ा रहकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर देश को एक बड़ी समस्या से निजात दिला रहे हैं। इसलिए इनको जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों को पढ़ाने एवं शहरी विकास योजनाओं में इनको वरीयता देनी होगी, इनको कानूनी संरक्षण जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है । इनको विकास योजनाओं में वरीयता देना, बुरे व्यसनों से मुक्ति कार्यक्रम इनके बीच चलाना होगा। आज जो बिल पास हो रहा है वह निश्चित तौर पर पथ विक्रेताओं के पक्ष में है। यह कारण बन जाने से अब कोई भी इन्हें न तो जब चाहे तब उजाड़ देगा और न ही सामान फेंक पाएगा

ओर न ही पंजीकृत पथ विक्रेताओं से अवैध वसूली हो पाएगी। सही मायने में देश के करोड़ों सभी तरह के पटरी व्यवसायी इस कानून के बन जाने से खुले में सांस लेंगे ।

*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): The Bill about the street vendors is a very important and long awaited Bill for the welfare of the poor people of India. But I would like to attract the attention of the Minister that the Bill should help the poor vendors and not become a tool of the police to harass the poor vendors already harassed by corruption and inflation. The license should be easily available to them and they should not be harassed by the local authorities for that. The Bill should also promote welfare of the vendors and a loan at low interest should be given to them. There should also be an amount of money to be given to the vendors on their death to their family members because generally they die on roads without a proper funeral even. The Government should honestly implement the Bill for the welfare of the vendors who belong to the backward communities, SCs, OBCs, STs and minorities. The whole nation is looking towards the Central Government because after bringing FDI, the Government has thought about street vendors and their welfare but both are contradictory. I have been in cities like Mumbai where vendors are harassed by local authorities and police in a combined manner. So, I hope this Bill brings a difference in the life of vendors.

* Speech was laid on the Table

* **SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM) :** The Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Bill, 2012 is an important Bill. This Bill is aimed at protecting the livelihood rights of street vendors and also to ensure regulation of street vending through demarcation of vending zones, conditions for and restrictions on street vending.

We all are aware that street vendors life is not rosy. They lead a miserable life. Some days are very good; some days are not so good; and yet some days are very bad. It depends on season to season. Their income is vacillating, never standard income is expected from their vending in streets. It is not dependable. The tragedy is that though they take care of simple and genuine needs of people who visit market or hit the streets to buy what they want, street vendors have no place to live. The life of petty shopkeepers is not meaningful, in a sense, as they retire for the day with despair and no ray of hope when they go to sleep.

This is the state of affairs of street vendors, to put it in a nutshell. They literally have no place to pursue their petty business. They have to depend on the mercy of police or municipal authorities. Most often they are fleeced by these very entities and the so-called profit of theirs is taken away by them. Such is the sorry state of living of street vendors.

Our UPA II Government, considering all the above factors, and much more which I have not mentioned here, have come to a conclusion and have come up with this all important Bill primarily to streamline the business of street vendors in

---

* Speech was laid on the Table.

order to give them a decent living and life. I hope the hon. Members cutting across different party affiliations appreciate this effort of the Government to bring very important Bill. I am of the firm opinion that each and every Member present here would extend their cooperation in passing this Bill.

I would be the happiest person if this Bill becomes an Act or rule which would put a stop to harassment being meted out to street vendors day in and day out. I don't want to go into the details of the delay in bringing about such an important social legislation. It would always be better late than never.

This would undoubtedly provide social security to the vast populace of street vendors across the country. Their livelihood would henceforth be ensured and their lives get a semblance of balance with the passage of this important Bill.

I have read a report of the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector which has given the number of street vendors, specifically in cities , to the tune of 17 to 25 lakh. This was the statistics of 1999-2000. With the completion of 20 years of liberalization, privatization and globalization and with the vast growth in every sector, this number must have multiplied.

In that sense, this Bill is very timely. Hence, I support the Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Bill, 2012.

* **SHRI J.M. AARON RASHID (THENI) :** I wholeheartedly support the much awaited Bill (The Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012 that is to be passed in this august House. A great dream of wiping out the tears of the teeming millions of poor street vendors in the country is being fulfilled now. At this juncture, I would like to thank our leader Smt. Sonia Gandhi ji for bringing this vital Bill in this august House.

If this Bill is enacted, it may improve the lives of 10 million people. That is the number of street vendors in India, according to a serve report. The serve report shows that Mumbai has the largest number of vendors at 2,50,000, Delhi has 2,00,000, Kolkata more than 1,50,000 and Ahmedabad 1,00,000.

Weighed down by a life of hard work and meager income, many street vendors are migrants displaced by the destitution of their native area. Fleeing from the poverty of their villages, they make their homes in the shanties of cities and earn a living by selling their wares on pavements. Frequent targets of harassment and extortion by police and municipal officials, often evicted without prior notice from the place where they have been hawking for years. They are occasionally seen as eyesores by ambitious town planners, particularly so when cities wish to beautify themselves into world-class cities.

Sustained and continuous efforts are needed to improve the education, health and employment conditions of the street vendors. The proper training

* Speech was laid on the Table.

should be given to these street vendors in preservation methods. And they can be provided with a common chilling warehousing to preserve their unsold articles.

To avoid inconveniences in crowded areas, a separate market place should be allotted specially for street vending where the street vendors can sold their articles. A vigilance team should be constituted under the headship of the city Police Commissioner to prevent the harassments on street vendors by police, Municipal officials and local things.

I would like to give a suggestion that this Bill should be applicable on Railways Vendors also. The people who travel in general compartments, most of them are poor passengers who cannot purchase the high rates food items, they can purchase food items from these vendors at low price. Railway department allow these vendor to sell only packed items not open because it is related to health.

These Railway Vendors can become messengers and middle chain between passengers and police because these vendors can notice the activity of unsocial activities like robbers, pick pocket, burgling and goondaism. Railway Department should provide proper identify cards with railway pass to these vendors so that the RPF could not ill-treat them.

I am very grateful and thankful to our beloved leader Smt. Sonia Gandhi ji who brought the NAREGA for poor villagers to avoid famine and starvation death and to entitlement of AAM AADMI she brought RTI Act for transparency in the government work and to remove the corruption. Recently, our beloved leader Smt. Sonia Gandhi ji brought a vital bill Food Security Bill to poor people with her best

efforts so that nobody can live without food. And now she is bringing Street Vendors Bill to protect the rights of poor street vendors.

Again, I am grateful to our beloved leader Shrimati Sonia Gandhi ji, our young leader Shri Rahul Gandhi ji and our Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji for bringing such crucial legislations to facilitate the common men and even street vendors. Only our UPA Chairperson Sonia ji knows the pains of poor street vendors. The Opposition should know who is the real leader of this nation. So, the people of this country know the common poor people/destitute/disabled persons. Every one loves our Leader Soniaji who knows the pains of the poor and downtrodden of this country. With these words, I welcome this Bill.

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । मगर मैं इस बाबत पर अपना दुःख व्यक्त करता हूं कि गरीब, दलित और किसानों के छोटे-छोटे रोजगार सृजन की बात एनडीए की सरकार ने बहुत पहले की थी, वह बड़े देर से आया है । फिर भी देर आए, दुरस्त आए। मैं उसका स्वागत करता हूं ।

मैं अहमदाबाद क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर कई सालों से स्ट्रीट वेन्डरों के लिए हर रविवार के दिन एक बाजार भरती है । उसे 'गुजरी बाजार' नाम से जाना जाता है । वहां छोटे-छोटे वेन्डर्स अपनी छोटी सी दुकान अलग-अलग प्रकार की चीजें बेचते हैं । वह चीजें बहुत सस्ते दामों पर बेची जाती है और वहां से पूरे घर का सामान, जीवन जरूरी चीजें एवं पुस्तकें मिल सकती हैं और बहुत ही किफायती दामों पर बेची जाती है । वहां से पुरानी चीजें रेडियो, ग्रामोफोन आदि सब कुछ प्राप्त होता है । यह व्यवस्था लोगों की ओर से बनी है । उसे महानगरपालिका का समर्थन प्राप्त होता है ।

मैं उन गरीबों के लिए सभी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग करता हूं । उन्हें पुलिस एवं अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की मुश्किलें एवं असुविधाएं न हो, उनका ध्यान रखना चाहिए । उन लोगों को खासकर खाद्य वस्तुएं बेचने वाले को सिर्फ हाईजीन के नाम पर दंडित न किया जाए, उसका ध्यान रखना होगा ।

उनके स्वास्थ्य इंश्योरेंस, उनके रिहेबीलिटेशन, बच्चों की पढ़ाई, सोशल सिक्युरिटी एवं घर उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

मेरा क्षेत्र अहमदाबाद, पहले मान्चेस्टर ऑफ इंडिया से जाना जाता था । वहां टैक्सटाइल मिलें चलती थीं । मगर पिछले कुछ सालों से मिलें बंद होते हुए कई लोग बेरोजगार हुए हैं । इस नई पॉलिसी में ऐसे बेरोजगारों को समाविष्ट करना चाहिए ।

---

* Speech was laid on the Table

*[*]**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल(महेसाणा) :** वाजपेयी सरकार 2004 में स्ट्रीटवेंडर पालिसी लायी थी। लेकिन पास नहीं पायी। हमारे देश में ज्यादातर लोग गांव में बसते हैं । लेकिन वहां रोजगार की कमियों के कारण किसानों को और अन्य लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पडता है। मुबई, दिल्ली, कोलकता तथा चेन्नई जैसे शहरों में रेड़ी-पटरी लगानी पडती है। वहां पर चाय, नमकिन, रेडिमेड कपड़ों की दुकान लगाकर रोजगार करना पडता है।

मुंबई में कहावत है कि वहां रोटला मिलता है लेकिन ओटला (मकान) नहीं मिलता।

इस बिल के तहत मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं

1. एफडीआई में रीटेल सेक्टर को बाहर रखा जाए।

2. लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाए लेकिन स्ट्रीटवेडरों को एक स्पेशियल जोन दिया जाए और आई कार्ड दिया जाए।

3. असंगठित मजदूर सुरक्षा योजना बनाई जाए।

4. उनके खुराक और स्वास्थ्य की चिंता की जाए।

5. फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मकान आवास की योजना नाईट शेड या शैल्टर हाउस बनाया जाए।

6. उनकी मृत्यु पर 5 लाख की बीमा स्कीम लागू की जाए।

7. उनकी मृत्यु पर उनकी लाश को घर तक पहुंचाने का प्रावधान किया जाए।

8. परिवार की बेकारी, बेरोजगारी का ध्यान रखा जाए ।

---

[*] Speech was laid on the Table

9. भारतीय संविधान के कॉलम 14 में समानता की जो बात कही गई है उनके तहत वह भी भारत माता की संतान हैं । उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए क्योंकि वह भी एक प्रकार से जनता की सेवा ही करते हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, Kamal Nath *ji*.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Mr. Chairman, Sir, I want to make a request to the hon. Members. We have said that we are going to pass some of the business today. In order to be able to pass this expeditiously, I will be requesting all the Members either not to put any speakers – it is only a request – or if they put a speaker, to put only one speaker to speak for two minutes. These are the Bills which have have their own importance. These are social Bills. So, I would make that request, because the Defence Minister has also to come. In the light of my agreeing and our Government agreeing that the Defence Minister will come here after his clarification in the Rajya Sabha and on the passing of this business, it is my appeal to the Members to either not put speakers or put speakers who will speak for two minutes.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The hon. Member is on his legs.

… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, I want to respond to that.… (*Interruptions*) Sir, just a minute. The Minister said that on the request of the Members, the Defence Minister is going to come. If on that condition, he is telling, we have to accept the Bills to be passed, we cannot accept that. He cannot put the condition. It is because we need sufficient time to discuss the Bill, you must allow our Members to speak. That condition we cannot accept.

MR. CHAIRMAN: It is a request, not a condition.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Okay, do not waste time now; please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am giving time; Shri C. Rajendran. I will give you only two minutes.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let your turn come. Please sit down now. When your turn comes, I will give you time.

… (*Interruptions*)

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Thank you, Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, kindly allow us to speak… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes, after DMK.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : How could you allow them first? How is it possible? … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I will call you.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : After DMK, AIADMK's turn will come. Why are you flouting the rules?… (*Interruptions*)

SHRI C. RAJENDRAN :Street vendors constitute a very important and major portion of the urban population. The people do take up street vending as profession, because of their low levels of education and skills. Street vending provides a source of self-employment; and without Government's support and help, they eradicate their own poverty through this measure. Hence, they need to be helped and it would be regulated in a way that their livelihood is not hampered and hindered in any way.

There are certain issues which are to be considered by the Government before passing this Bill. As of now, the street vending is regulated by the municipal laws which are enacted by the State Legislatures. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence.

… (*Interruptions*)

SHRI C. RAJENDRAN :When issues of municipal zoning are involved, it comes into the State List. In 2006 and also in 2009, in reply to a question in the Lok Sabha, the Minister said that 'street vending' is a State Subject. So, I feel that it is better left to the State Governments to enact such laws.

Secondly, the Government says that this Bill would not be applicable to Railway lands, Railway premises and trains. In India, we have areas exclusively meant for Railway officers and staff. What will happen to street vendors in such areas? If they vend in such areas, will they be treated as violators and would they be punished? Hence, this Bill needs an amendment in this regard. The Standing Committee of Parliament which went into this subject made a recommendation that this Bill should be made applicable to the Railway lands, but it is not accepted by the Government.

The Bill says that the State Governments will issue vending certificates to the vendors, but does not specify the principles that are to be followed by the States. In the absence of such principles, this Bill would defeat the purpose for which it is being enacted.

The Bill says that in case of violation of the provisions of this Act, the vendors would be penalized to the maximum of Rs. 2,000. Though it does not prescribe any minimum penalty, the maximum penalty suggested is very huge for the street vendors. The Bill should have been re-drafted to say that for the first three violations, a reasonable fine would be imposed and after three violations, a maximum of Rs. 2,000 would be imposed. In the absence of this, the adjudicating authority is free to impose a fine of Rs. 2,000, even for the first violation, and the poor street vendor would be in a precarious position if that happens. The Government needs to modify and amend the provision in this regard.

The Bill requires that the street vending plan is to be framed by the local authority, in consultation with the planning authority. Though Town Vending Committee is to be involved in the process of issuing the vending certificates, for forming the street vending plan, the Bill does not require the Town Vending Committee to be consulted. Lack of consultation with the Town Vending Committee would lead to controversies in formulating the street vending plan and also in redressal of disputes that would arise later on. Hence there is a need to make an amendment in this regard also.

With these observations, hoping that the hon. Minister would consider them and bring suitable amendments, I conclude.

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज जो पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 आया है, मैं माननीया मंत्री श्रीमती गिरिजा व्यास जी को बधाई दूंगा कि देर आये, दुरूस्त आये, कम से कम इतने महत्वपूर्ण बिल को इतनी देर में, चाहे इसका कारण चुनाव ही क्यों न हो, अगर आप इसे लाये हैं तो हम इसके बारे में चर्चा जरूर करना चाहेंगे क्योंकि यह गरीबों का मामला है।

महोदय, अगर इस देश में गरीबों की वास्तविक तस्वीर को देखना हो, अगर उनके बारे में जानना हो तो देश के जो कुछ प्रमुख महानगर हैं, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, बम्बई हो, अहमदाबाद हो, अन्य कोई भी हो, ऐसी जगह जाने पर हमें इस देश की गरीबी की सच्चाई दिखने लगती है, इसे बताने की जरूरत नहीं है।

महोदय, यह बिल ठेला-खोमचे पर मूंगफली बेचने वाले, भूजा बेचने वाले, पानी-पूड़ी बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, छोटे-छोटे बच्चों के नये-पुराने कपड़े बेचने वालों के लिए है। ये आपको ठेले पर सामान लेकर चलते हुए गलियों में मिल जायेंगे। महानगरों के अलावा छोटे-छोटे शहरों में भी, देश और प्रदेश में हर जगह पर ये मिलते हैं और उनकी जो हालत है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। वे कौन लोग हैं? वे गरीब लोग हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास न खेती है, न रहने के लिए मकान है, वे उसी ठेले के आधार पर अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि गरीब, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों को किसी तरीके से बैंक से लोन भी नहीं मिलता है। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में कीजिए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please maintain order in the House.

… (*Interruptions*)

**श्री दारा सिंह चौहान :** सभापति जी, उनके पास पैसा भी नहीं है, उन्हें बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता है, चूंकि बैक से ऋण लेने की कंडीशन है। वे सूदखोरों के दरवाजे पर जाने को मजबूर हैं और आप जानते हैं कि जो सूदखोर बड़े-बड़े लोग हैं, जो सूद पर पैसा ठेले पर सामान बेचने के लिए देते हैं, वे उनसे ब्याज ही नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज से भी कई गुना ज्यादा ब्याज लेते हैं। जो बेचारे 12-14 घंटे धूप और बरसात में अपने सामान को लेकर घुमता है उसकी आधी कमाई सूदखोर की झोली में चली जाती है।

आप जानते हैं कि उनके हालात क्या हैं? आप दिल्ली के करोलबाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर में चले जाइए, किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो आपको अचानक पता चलेगा कि सड़क के किनारे जो सामान बेचने वाले छोटे-छोटे दुकानदार हैं, अपने सामान को ले कर भाग रहे हैं। उनसे पूछने पर पता चलता है कि इंस्पेक्टर आ रहा है। जो सबसे बड़ा खतरा फूटपाथ पर सामान बेचने वाले लोगों का हैं, मैं अपने

संसदीय क्षेत्र एवं कहीं की बात करूं, पूरे देश में किसी भी दुकान के सामने वे अगर अपना सामान बेचते हैं, तो उन्हें दुकानदार वहां से भगाता है कि हमारे दुकान के सामने तुम्हारा ठेला कैसा? अगर सड़क के हाशिए में आ गया तो नगरपालिका या महापालिका के लोग डंडा ले कर दौड़ाते हैं कि यहां तुम क्यों हो? लाइसेंस मिलने के बाद भी उसे किसी सड़क या दुकान के सामने रुकने के लिए जगह नहीं है, इजाजत नहीं मिलती है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए आपका संरक्षण क्या है? जो पुलिस का शोषण होता है, जब देखिए तो पुलिस आती है और उसके ऊपर डंडा बजाती है। जब उनके जो जी में आया वह किया। अगर उनके पास सेब है तो पुलिस वाले सेब ले लेते हैं। ये खिलौना हाथ में ले कर चले जाते हैं। चूंकि फूटपाथ पर सामान बेचने वाले गरीब हैं, इसलिए वह उनसे सवाल नहीं कर सकता है। जो कमाता है, वह पूरा का पूरा सूदखोरी में चला जाता है।

सभापति महोदय, वे ठेलेवाले गरीब हैं, दुकानदार हैं, भुंजा, चना, मुंगफली, सब्जी, फल, और कपड़ा बेचने वाले हैं, उनकी आधी कमाई केवल रिश्वत में चली जाती है। उसके बाद उसे कोई संरक्षण नहीं मिलता है। उनके पास रहने का मकान नहीं है, रहने का स्थान नहीं है। आप दिल्ली के लालकिला के पास चले जाइए, जो मेट्रो स्टेशन है, वहां पर जो गरीब लोग हैं, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जो गरीब लोग हैं, आप जूहु चौपाटी में चले जाइए, आप कोलकाता या अहमदाबाद चले जाइए, मुझे कोलकाता में जाने का मौका मिला है, मुझे आज भी लगता है कि आजादी के इतने दिनों बाद, जब मुल्क इक्कीसवीं सदी में आगे बढ़ रहा है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाने के बाद भी, यहां आदमी, आदमी को खींचता है। इस देश में रहने वाले गरीबों का कैसा दुर्भाग्य है? आपने भी देखा होगा। आपका संसदीय क्षेत्र गोवा है। आप वहां समुद्र के किनारे देखिए, वहां पर जो छोटे-छोटे सामान और खिलौने बेचने वाले लोग हैं, वे पूर्वांचल और दूसरे प्रदेशों के गरीब लोग हैं। जिन्हें रोजी-रोटी नहीं मिलती है। कोई उद्योग-धंधों में जाने का उन्हें मौका नहीं मिला।

सभापति महोदय जी, आज ये बेचारे गरीब मेट्रो स्टेशन के सामने हाथ फैलाते हैं। दलाल उसका ठेका ले लेते हैं कि तुमको लालकिला के सामने या कहीं भी दुकान दिलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी देश में बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं, जिसका माननीय मंत्री जी इसमें प्रावधान करें, तो मैं समझता हूं कि जहां देश में राजस्व की प्राप्ति बड़े पैमाने पर हो सकती है, उनको ठिकाना भी मिल सकता है। हमारे संसदीय क्षेत्र में, चाहे रतनपुरा, मऊ, घोसी, धिंदारा हो या दोहरीघाट हो, रेलवे की जो जमीन है, जो किनारे है, बेकार पड़ी हुई है, लेकिन अगर ठेला रखने वाला, अगर कोई पर्दे का गुमंटी या दुकान बना कर रख दिया, उसको भी रेलवे के लोग बर्खास्त कर देते हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आपके मन में ठेले, खोमचे वालों के लिए पीड़ा है, तो उनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। उन्हें सड़क पर कोई दुकानदार खड़ा नहीं होने देता। नगरपालिका, महापालिका के लोग सड़क के हाशिए में ठेला खड़ा नहीं करने देते। उनके पास रहने का कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में रेलवे की जो बची हुई जमीन है, अगर वह जमीन उन्हें रहने के लिए आवंटित कर दी जाए तो शायद वे अपना कारोबार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत) :** आज मंत्री जी जो बिल ला रहे हैं, जिसमें छोटे स्ट्रीट वेंडर के लिए जो भी बात है उनका हम समर्थन करते हैं। एनडीए के शासन में वाजपेयी जी के समय में जो ये बिल की शुरूआत हुई थी, आज बहुत साल बाद जो बिल आया है, ये गरीब स्ट्रीट वेंडर के लिए, अच्छी बात है ।

उनके लिए बीमा का प्रावधान होना चाहिए । रात को अपने गांव से शहर में अगर आते हैं तो रात को रैन बसैरा, हेल्थ या जनसुविधा के लिए भी प्रावधान किया जाए । आजादी के इतने सालों बाद गरीब ठेलेवालों के लिए ये जो सोच है, एफडीआई के चलते उनकी आमदनी पर जो असर होने वाला है, की भी सरकार ने इस बिल के जरिए उनको जो आरक्षित करके जो सुविधा देने की व्यवस्था की है वो गरीबी निर्मूलन पर पहला कदम है । जिनमें ज्यादातर महिलाएं अपना काम करती है, उनको संरक्षण मिलेगा ।

* Speech was laid on the Table

***श्री अशोक अर्गल (भिंड):** माननीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास जो बिल लेकर आई है उस बिल का समर्थन करता हूं । इस बिल से फुटपाथ पर, ठेलों पर अपना व्यवसाय करते हैं, उनके संरक्षण की जरूरत है। प्रायः देखने में आता है कि कभी नगरपालिका के लोग, कभी पुलिस वाले, कभी भी आकर परेशान करते हैं तथा कभी-कभी मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चैन्ने और बड़े-बड़े शहरों में माहवारी (हफ्ता) भी वसूल करते हैं। कभी-कभी तो उनका ठेला-सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे गरीब व्यक्ति जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं उनके घर पर उस दिन ठीक से खाना भी नहीं बन पाता है । इस बिल से हाथ ठेला, खिलौना, मूंगफली, थवजी, कपड़े विक्रेताओं को सुविधा होगी । गरीब की कोई जाति नहीं होती है । यदि उसके पास धन-दौलत होती तब वह गली-गली एवं फुटपाथ पर नहीं घूमता । मेरा सरकार से इसमें कहना है कि ऐसा व्यवसाय करने वालों को बैंक लोन दे अपनी गारंटी पर । जिससे उसे व्यवसाय करने में सुविधा होगी । मुझे लगता है कि इस बिल से गरीबों को संरक्षण मिलेगा ।

---

* Speech was laid on the Table

[*]**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर)** मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 की चर्चा में मेरे कुछ सुझाव ले करना चाहता हूं जो निम्नानुसार हैः-

1. यह बिल नगरीय गरीबी दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। लकिन विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया यदि जटिल रहती है तो फिर से इंस्पेक्टर राज स्थापित होने की संभावना बनी रहती है। अतः इस संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है।

2. बिल में स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है तथा चल विक्रेता एवं पथ विक्रेता को भी परिभाषित किया गया है। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी जिसमें नगर निगम, छावनी बोर्ड और पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी किस तरह का व्यवहार करते हैं और यह अधिनियम बनने के बाद उनके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आएगा, इस स्थिति को ठक करने के लिए बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः इस गैप को भरने की आवश्यकता है।

3. बिल के क्लॉज 10 में चल विक्रेता/पथ विक्रेता के विक्रय प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। इसका दुरूपयोग नहीं हो ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है।

4. बिल में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर प्रावधान करने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन चल विक्रेता व पथ विक्रेता के बीमा कवर के प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

---

[*] Speech was laid on the Table

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा)**:** मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 का समर्थन करता हूं ।

यह विधेयक थोड़ा विलंब से लाया गया है। इस विधेयक की जरूरत काफी लंबे समय से देश महसूस कर रहा था। यह विधेयक देश के करोड़ों लोगों को राहत देगा। देश के तमाम शहरों की सड़कें न सिर्फ लाखों कामगार, गरीबों तथा अभावग्रस्त लोगों की आश्रयस्थली है वरन उनकी रोजी-रोटी का केंद्र भी है, जहां पर सस्ते और आकर्षक सामानों की दुकान सजाते हैं। शहरों में सड़क किनारे फुटपाथ पर ऐसे अनेक पुरूष और महिलाएं कपड़े, खिलौने, किताबें, फल एवं सब्जियां, पकाया हुआ भोजन तथा घरेलू इस्तेमाल की चीजें एवं सजावटी सामान बेचते मिल जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार भारत में तकरीबन एक करोड़ लोग इस तरह सड़क किनारे सामान बेचते हुए अपनी जीविका कमाते हैं। यह विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटरी -सड़कों पर जो लोग छोटा-मोटा कारोबार करके अपना जीवन चलाते हैं उन्हें आम तौर पर गैर कानूनी माना जाता है । इन लोगों के व्यापार की एक बड़ी लागत पुलिस, नगरपालिका और इसी किस्म के सरकार लोगों को रिश्वत देने में निकल जाती है। यह देश की एक ऐसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है जो करोड़ों हिन्दुस्तानियों को स्वावलंबी बनाती है। स्ट्रीट वैंडर्स का जीवन बहुत कठिन होता है। देश के सात शहरों में किए गए सर्वे से पता चला है कि उनकी कामकाजी स्थितियां बहुत खराब हैं। उन्हें दिन में दस से बारह घंटे काम करना पड़ता है और उनके पास मौसम के प्रकोप से बचने का कोई साधन नहीं होता है। अब जब सरकार पटरी वालों के अधिकारों के लिए कानून बनाने जा रही है तो शहरों में उनके लिए भी जगह छोड़ी जाएगी । इस तरह थोड़ी पूंजी और ज्यादा मेहनत के जरिए रोजगार कमाने वाले इन लोगों को जरूरी पहचान और सम्मान मिल जाएगा। इसी के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं ।

---

* Speech was laid on the Table

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending ) Bill, 2012 .

This Bill aims to protect the livelihood rights of the street vendors and to regulate the street vending though demarcation of vending zones, conditions for and restrictions on the street vending.

Before I come back to the major features of this Bill, I would like to speak about the street vendors. As everyone here knows, the street vendors lead a normal life -- we can even say they are hand to mouth – all depending on the income they earn on a given day. They are not petty shopkeepers who have a place to do their business. 'Street vendors' by the very name denote that their business is on the street. They have no place to go or do their business. Under such a trying circumstances, their life goes on. I hope, this Bill would go a long way in streamlining the street vending across the country.

The street vendors are often subjected to harassment by the Authorities and Officials. They have no protection; they have no social security; and their livelihood hangs in balance all the day. They live life of 'hand to mouth'.

Sir, as per the Report of the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector, we have an estimate of the street vendors in the urban areas; and they were in the range of 17 to 25 lakh in 1999-2000. This figure must have been doubled in the following decade. So, the time is ripe to regulate the street vending across the country.

There was a proposal to extend support to the urban street vendors; and this aspect has been included as a component under the National Urban Livelihood Mission. Would the hon. Minister throw more light on this and the status?

Would the hon. Minister also highlight the major features of the revised National Policy on Urban Street Vendors? Has the Ministry studied various policies at the State level concerning street vendors? If yes, would the hon.

Minister state whether some of the salient features of such State policies on the street vendors are included in the current Bill?

What is more important about this Bill is that it establishes a uniform legal mechanism for the regulation of street vending across the length and breadth of the country.

The Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Poverty Alleviation had submitted its Report on 13th March, 2013. The Committee took more than six months to go through the Bill thoroughly; and it then came out with its recommendations.

This Committee had made suggestions, which should be considered and accepted by the Government. For example, Members of the Town Vending Committee should have a fixed tenure of five years. I think this is an important recommendation, which delineates the tenure of the Members of the TVC, which governs the whole process.

The Parliamentary Standing Committee also recommended that the vending certificate should be issued within one month. But the Bill mysteriously does not provide any time limit for the TVC to issue a vending certificate. How long should a vendor wait for a certificate from the TVC? Hence this recommendation should be included in the Bill.

Another important recommendation of the Parliamentary Standing Committee is that the vending certificate should be renewed every three years. This is also an important recommendation and it should be included in the Bill by bringing necessary amendment.

While ventilating my views, I am very careful about the TVC not getting sweeping powers to decide on everything.

It does not augur well for the country. Till now, municipal laws governed street vendors. There is no dearth of laws and Acts but when it comes to implementation and reaching out to the needy, our country is lacking. With this Bill, efforts are being made to bring the street vendors in the Concurrent List.

I am hopeful that with this Bill the street vendors would heave a sigh of relief.

***श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):** पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 एक अच्छा कानून बनने जा रहा है । मैं इसका स्वागत करता हूं । आज के युग में गांव से लोग शहर की ओर आजीविका कमाने के लिए आ रहे हैं । हमारे देश को कहा जाता रहा है कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं । एक समय था जब हमारे देश में 90 प्रतिशत से अधिक लोग गांव में रहते थे, अब लगभग यह आबादी 60-65 प्रतिशत रह गई है । यानि गांव के लोग शहरों में आ रहे हैं । वहां वह किस प्रकार अपनी रोजी-रोटी पूरी करेंगे यह सोचने का विषय है । लोग इसलिए कहीं न कहीं छोटा-मोटा काम करेंगे और म्युनिसिपलिटी के क्षेत्र में और कानूनी तरीके से कोई न कोई कार्य करेंगे । इस प्रकार के गरीब लोगों को किस प्रकार वहां की स्थानीय पुलिस व स्थानीय प्रशासन शोषण ही नहीं परंतु उनको प्रताड़ित भी करती है । इसलिए इस प्रकार के लोगों को कानूनी संरक्षण मिले इसकी आवश्यकता थी और इस कानून के माध्यम से इसका लाभ उन्हें मिलेगा । इसके लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं जिसे इसमें समायोजित किया जाए । मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 की चर्चा में मेरे कुछ सुझाव आपकी अनुमति से ले करना चाहता हूं जो निम्नानुसार है ः

1. यह बिल नगरी गरीबी दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया यदि जटिल रहती है तो फिर से इंस्पेक्टर राज स्थापित होने की संभावना बनी रहती है । अतः इस संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है ।
2. बिल में स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है तथा चल विक्रेता एवं पथ विक्रेता को भी परिभाषित किया गया है, लेकिन स्थानीय प्राधिकारी जिसमें नगर निगम, छावनी बोड और पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी किस तरह का व्यवहार करते हैं और यह अधिनियम बनने के बाद उनके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आएगा इस स्थिति को ठीक करने के लिए बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । अतः इस गेप को भरने की आवश्यकता है ।
3. बिल के क्लॉज 10 में चल विक्रेता/पथ विक्रेता के विक्रय प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार दिया गया है । इसका दुरूपयोग नहीं हो ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है ।
4. बिल में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन चल विक्रेता व पथ विक्रेता के बीमा कवर को प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।

---

* Speech was laid on the Table

**SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI)**: Sir, I am very thankful to you for allowing me to participate in the discussion on the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012.

On behalf of the DMK Party I rise to support this Bill. Mr. Chairman, Sir, today street vending is an important source of employment for a large number of urban poor as it requires low skills and small financial inputs. A street vendor is a person who offers goods or services for sale to the public without having a permanent built-up structure but with a temporary structure or mobile stall or head loaded.

Sir, the proposed Bill is aimed to regulate street vendors in public areas and protect their rights. The Bill aimed at providing social security and livelihood rights to street vendors.

Sir, the total number of street vendors in our country is estimated at around 10 million. Some studies estimate that street vendors constitute approximately three per cent of the population of the metropolitan cities. Mumbai has roughly four lakh street vendors and Kolkata is having nearly two lakh street vendors. In Chennai, there are nearly two lakh street vendors. They also ensure the availability of goods and services at cheaper rates to people.

Regarding their wages, the average earnings of street vendors are very, very low. It is ranging between Rs.40 and Rs.80 per day. They work under very bad conditions for long hours and they are frequently harassed by the municipal authorities and also by the police personnel. A large part of the vendors' income goes to bribes and protection money.

A study on street vendors estimates that the vendors pay between 10 and 20 per cent of their earnings as rent. State legislations relating to street vendors are varied. Most of the municipalities provide licences to street vendors. In some States, shops are allotted in this zone on the basis of draw of lots. Space is also reserved on the pavement for several street vendors.

The policy at the national level and implementation at the State level has been a challenge. Only three States until now have implemented this policy. Based on this policy, draft laws on the street vendors are currently under discussion. There has been significant progress in advocating for a national law on street vendors in the country. Some of the important demands of workers that have been highlighted by some of the organizations are:

1) The impact that multinational retail chain and Foreign Direct Investment have on the traditional retail sector in India, including the street vendors.

2) Protection of their right to livelihood is, perhaps, one of the most important issues over which struggles are being waged.

3) In addition, the right to have a share of urban space and not to be viewed as a nuisance—rather a provider of urban services—is another issue with which the movement is grappling with.

4) Several draft legislations are currently focussed on ensuring adequate livelihoods and protection for street vendors.

According to a recent data of the National Crime Records Bureau, of the total nearly 38,000 unidentified bodies found across the country during 2012, nearly 4,000 were found in Delhi, an average of nine bodies per day.

Other big States that have witnessed a large number of such incidents include Maharashtra which tops the list with nearly 6,000 unidentified bodies. In Tamil Nadu, it was nearly 6,000 and in Uttar Pradesh, it was 4,000 in 2012.

These are largely labourers, who cannot afford rented accommodations. They die due to harsh weather conditions and, generally, their bodies are found along the railway lines and near ISBT areas. As migrants, mainly from the labour class, they reside in these areas in large numbers. These people mainly work as beggars, balloon sellers, rickshaw-pullers and street vendors, who sleep on pavements, near flyovers or railway tracks, and die in road accidents.

As the Bill proposes to allow street vendors to operate in specified vending zone and carry identity card, I request the Government that in some places vacant

plots can be identified for them and let them open for vendors to do their business during specific hours. It could work on a first-come-first-served basis. Permanent shops could eventually lead to demand for land rights.

Regarding the working conditions of the street vendors, I would say that they have little social protection. Their working conditions on the streets expose them to a variety of safety and health issues.

They often suffer from stress related diseases like migraine, hyper acidity, hyper tension and high blood pressure. Lack of toilets has an adverse effect on women's health and many of them suffer from urinary tract infections and kidney ailments. The mobile women street vendors also face security issues.

Vendors are often regarded as public nuisance. They are accused of depriving pedestrians of their space, causing traffic jams and having links with anti-social activities.

I request the Minister to regularise their working conditions and protect the street vendors.

With these words, I conclude my speech.

*SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI) : Respected Chairman Sir, I take the floor to speak on the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill,2012 and I thank Hon. Minister for introducing it. I'd like to request to you that adequate time should be given to discuss this Bill threadbare as it is related to the deprived, helpless section of the society, i.e. the street vendors sir, the number of economically backward and non-educated people is increasing in our country day by day. More than one crore people are engaged in this occupation of street vending. The Central Government's policy of liberal economy, adopted in the years 1990 and 1991, resulted in the rise in their numbers by leaps and bounds. On one hand the industries are closing down, new factories and industries are not being set up. Thousands of factory workers are rendered jobless and they are steadily migrating to the metropolitan cities. On the other hand we have the doomed agriculture sector which is on the verge of collapse. Farmers are not getting the remunerative price of their produce. They cannot even recover their input cost today. Thus agricultural labourers are also crowding the towns and cities. Nobody is able to find any job. Therefore all of these jobless workers, be it from the industrial sector or from the agricultural sector, are compelled to depend on street vending. But most unfortunately, they have no rights at their disposal. The police men, the municipal officers and goons are having a field day and are exploiting and harassing these hawkers. Go to Chandni Chowk area and you will find that the police are extorting Rs.200 per day while the municipal officers are taking Rs.500 per month from the hapless hawkers. Even the sweepers are forced to shell out Rs.10 daily. This is the ground reality. Many Hon. Members have raised this issue and the Government should sincerely look into this problem.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

Sir, I thank Hon. Minister from the bottom of my heart as she has been kind enough to bring this Bill. Though I don't want to speak at length, I just want to mention few points. There is a provision that persons who are above the age of 14 years will be given license for vending but this contradicts the national education policy of the Government which stipulates that by the year 2020, all children will be educated. If children below 14 years are allowed to vend then the objective of universal education will be defeated. Our view is that this provision will promote child labour. My specific suggestion is that only those persons should be given vending license who are above the age of 18 years. People below that age must not be allowed to adopt this occupation of street hawking.

My second point is the Bill has not conferred any rights to the people who vend on the railway platforms or on the adjoining railway land. The standing committee has recommended that this provision of hawking on rail stations and nearby areas should be considered by the Ministry. If the hawkers are not given any right then the railway police and railway officials will continue to harass these vendors. Another point is that the penalty has been pegged at Rs.2000/- but my suggestion is that it should be reduced to Rs.200/- only. In case of issuance of certificate a time limit of one month has been fixed but I suggest that it should be only 15 days.

Respected Sir, in case of eviction and relocation, a notice of only 7 days has been provided for. However the standing committee has recommended that at least one month should be given for such eviction and relocation. I support the opinion of the committee. The last point which I want to raise is that when the vending policy is to be chalked out in the urban areas, the stakeholders, i.e. the street vendors should be taken into confidence and their representatives should be included at the stage of planning of the Town Vending Committee. This is my request to Hon. Minister.

With these few words, I thank you for allowing me to participate in this discussion and conclude my speech.

**डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे):** महोदय, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज इस बिल को सदन में रखा है।

महोदय, मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 2004 में नवी मुंबई महानगरपालिका का महापौर था, तब यह विधेयक सूचना के तौर पर लाने की कोशिश की थी और आज मैं एक सांसद बना हूं, यह बिल सदन में आया है। मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त महाराष्ट्र सरकार और खासकर नवी मुंबई महानगरपालिका ने जो सुझाव दिए थे, उनमें से बहुत से सुझावों को इस बिल में लिया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि ऐसा करते वक्त हम दो चीजों को सामने दे रहे हैं। हम न केवल पथविक्रेताओं को अधिकार दे रहे हैं, उनको बहुत दिनों से जो तकलीफ हो रही थी, उससे राहत दे रहे हैं, उसके साथ ही उस इलाके में जो गंदगी होती थी, पथविक्रेता कहीं भी जाकर बैठते थे, अपनी चीज को बेचने की कोशिश करते थे, तो उससे वहां के लोकल लोगों को भी राहत मिलने वाली है। मुंबई जैसे शहर में कोई भी कहीं भी जाकर फुटपाथ पर बैठता है, अपनी चीज बेचने की कोशिश करता है, उसमें उसे बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कई बार कोई व्यक्ति ऋण लेकर व्यापार शुरू करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वह उससे उद्वासित हो जाता है, चला जाता है। मैं समझता हूं कि मुंबई जैसे शहर में हिन्दुस्तान के अनेक राज्यों से आए हुए लोग हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे धंधों से शुरूआत करके आज बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं और वे फुटपाथ से ही जाकर अमीर बन गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इन लोगों के लिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आपने इस बिल में कई चीजें शामिल की हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जो हमारे पथ विक्रेता होते हैं, उन्हें आप इस बिल के जरिए अधिकार दे रहे हैं रहने का। शहरी इलाकों में बहुत सी आवासीय योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भी इन योजनाओं के तहत छोटा-मोटा मकान मिलता है, तो आप भी इसमें उनका सहयोग करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि इस बारे में राज्य सरकारों को भी बताना चाहिए, जिससे उनके हित में बात हो सके।

हम यहां इस विधेयक को पारित करेंगे। उसके बाद आपको राज्य सरकारों के पास भेजना है पारित करने के लिए, लेकिन राज्य सरकारों को यह बताना होगा कि किन-किन शहरों में इन लोगों को कौन-कौन सी जगह पर बिठाना चाहिए। आज देखें तो बहुत सी ऐसी जगहों पर ये लोग वेंडिंग का काम करते हैं कि चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। मुम्बई जैसे शहर में जहां पौने दो करोड़ की आबादी है और उसके बगल में मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे और नवी मुम्बई में तीन लाख पथ विक्रेता हैं। आज जब हम लोगों को कोई समस्या होती है तो हम कमिश्नर से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि क्या करें जगह नहीं है। इसलिए

राज्य सरकारों को ऐसी योजना लानी होगी, जिसके माध्यम से आने वाले 100 साल की प्लानिंग हो, क्योंकि आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए राज्यों को सही ढंग से चीजें बतानी चाहिए।

आपने स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस देने की बात कही है। वह लाइसेंस उसी जगह का होना चाहिए, वरना काफी झगड़े होते हैं। वे लोग देखते हैं कि अमुक जगह अच्छा व्यापार हो रहा है, अच्छी आमदनी हो रही है तो वहां गुटबाजी शुरू हो जाती है और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मुम्बई जैसे शहर में अगर किसी जगह 10,000 रुपए से कोई काम शुरू करता है और अच्छी आमदनी करता है तो वह उस जगह को, ठेले को, दो-तीन लाख रुपए में किसी दूसरे को बेच देता है। इस तरह की काफी दिक्कतें आती हैं। यह चीज बड़े शहरों में ज्यादा होती है। इसलिए मंत्री जी को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आप इनके लिए कार्ड की व्यवस्था करने जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि आधार कार्ड से इसे संचालित करें, क्योंकि बहुत सी चीजें आजकल आधार कार्ड के माध्यम से हो रही हैं। अगर कोई एक व्यक्ति एक जगह से किसी कारणवश दूसरी जगह पर जाता है तो उसका सारा रिकार्ड भी जाना चाहिए और उसके लिए वहां कोई जगह रहनी चाहिए। जैसे नौकरियों में ट्रांसफर प्रणाली में होता है। इस बारे में राज्य सरकारों को कुछ प्रतिशत जगह रखनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए वहां ठेला आदि लगाने का प्रावधान हो और वह वहां व्यापार कर सके। इस बारे में भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

जहां तक अनहाइजेनिक और हाइजेनिक चीजों की बात है, राज्य सरकारों को भी यहां से नियम बनाने को कहना चाहिए कि किस चीज को वह अपने व्यापार या व्यवसाय में शामिल करे। आपने उनके इंश्योरेंस का प्रावधान इस विधेयक में किया है, यह एक अच्छी बात है। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर गलती करता है और उसका सामान प्रशासन उठा ले जाता है तो वह वापस नहीं दिया जाता है। इससे उसके व्यापार पर असर पड़ता है, क्योंकि उसने अपना काम चलाने के लिए बाजार से कर्ज लिया होता है। इसलिए ऐसा कोई प्रावधान इसमें होना चाहिए, जो मेरे खयाल से नहीं है। अगर किसी का सामान गलती से चला गया और वापस नहीं आता तो दो-चार दिन बाद वह कहां से पैसा लेकर दोबारा अपना काम शुरू करेगा। अतः इस तरह का प्रावधान इसमें जरूर करना चाहिए।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहे, बल्कि आप सभी राज्य सरकारों से कहें कि इस पर अमल करना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को एक ही तरीके से अमल करना चाहिए। एक जगह चार बाई पांच की जगह होगी तो दूसरी जगह छः बाई आठ की होगी। इसलिए एक समान होनी चाहिए और यह लिखना चाहिए कि जो ठेला होगा वह किस साइज का होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

***SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA):** I would like to express my appreciation to the Hon'ble Minister and the Government for putting this bill for the consideration of this august House.

Street vending is an important source of employment for the poor and underprivileged sections of society in our country. This sector is largely unorganized and is estimated to provide livelihood support to approximately more than one crore people in our country. It is the first occupation typically for those who have recently migrated from rural to urban areas and are unskilled and without an asset base sufficient to support other vocations. The landmark legislation has balanced on the one hand the desire from an urban planning perspective, the need to organize the venders in a manner that is sanitary and sustainable with the humanistic approach of providing protection to the poorest of the poor who find relief in this work and provide a valuable service to local farmers, manufacturers and consumers.

I would like to point out the important role of the States in ensuring that this law is implemented in letter and spirit. The Bill has provided specifically under Chapter IX protection against harassment by police or any authority. This is commendable but it remains to be seen how responsive State Governments are to this proposal. I will also point out two issues which I would like the Minister to give appropriate response.

Firstly, representatives of street vendors must be part of the planning process. In the street vending plan under Chapter VI, the Bill states that "Every local authority shall, in consultation with the Planning Authority once in five years make out a plan to promote a supportive environment for the vast mass of urban street vendors to carry out their vocation." This should specifically mention the representative of street vendors to ensure that for the sake of equity, their participation is mandated in the formulation fo the street vending plan.

---

* Speech was laid on the Table

I would also state that as public representatives, Members of Parliament and State Legislative Assembly should also be made part of the district level, planning procedure as envisaged in this Bill. We are often approached by our Constituents who believed it is our role to clean up the streets and to provide protection to the vendors who are often prosecuted by the local authorities.

With these two recommendations, I would like to thank the Government for this initiative and extend my party's support to the street vendor's protection of livelihood and regulation Street Vending Bill, 2013.

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Mr. Chairman, I stand here today to participate in the discussion relating to Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012. Before I venture into this Bill, I would say who a 'street vendor' is: "They are persons who offer goods and services for sale to the public from a temporary static structure or mobile stall." They fall under the purview of two authorities – the traffic police and the municipal authorities.

In 1989, the Supreme Court held that street vendors have a fundamental right to carry out their trade or business, subject to regulations and reasonable restriction. In October, 2010, that is, after 21 years, the Supreme Court directed the Governments, both Central and State Governments, to enact a law by June, 2011, to recognize the livelihood rights of street vendors and regulate vending activities.

Several States, including Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Odisha, have enacted laws and policies on street vending. This is followed by this Bill. I congratulate the Minister. Perhaps, this is the first Bill she is piloting today in this Fifteenth Lok Sabha after becoming a Cabinet Minister. I express heartfelt thanks to her because she has taken up a Bill after persistent advice and directions from the Supreme Court. This is something which caters to the people who migrate from rural area to urban area. In her State, in Rajasthan, in my State in Odisha, we have enacted a policy; we have enacted laws.

This Bill aims to protect the livelihood rights of street vendors as well as regulate street vending through demarcation of vending zones. Any person intending to undertake street vending needs to register with the Town Vending Committee. The Bill does not specify principles to be followed by the Governments in issuing vending certificates, allocating vending zones, and the number of vendors per zone. Absence of such norms could defeat the purpose of enacting a law to ensure uniformity in the legal framework. The Bill does not require the stakeholders to be consulted in the formation of the street vending plan. This may lead to a lack of safeguards in ensuring that the plan is determined in a

fair manner. Of course, the Central law will have an overriding effect on State laws that are inconsistent with the Bill.

Currently, some States, as I had mentioned, Sir, such as Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan, have passed laws empowering urban local bodies to regulate street vending. State Governments derive power to legislate on the issue from item No. 5 of the State List that covers local government and municipal corporations. The question is whether Parliament has the jurisdiction to frame such a law. In 2006, in response to a question in this House, Government had said: "Street vending is a State subject. Central Government does not have the mandate to enact the legislation on street vending." In 2009, again, a similar position was reiterated and a proposal of drafting a model Bill was mooted. The National Advisory Council later on said: "The law on street vending should be enacted by States. Centre's responsibility may be confined to recommending a model Bill." It also said: "On the issue of livelihood and employment, Central law is justified as it was advised by the Supreme Court of India."

Therefore, this Bill tries to balance three key objectives: (1) securing the right to livelihood of street vendors. Two, ensuring congestion free public spaces and streets; and three convenience of vending services for customers. However, the Bill leaves several aspects of regulation of street vending to the Street Vending Scheme and that is to be formulated by the State Governments and implemented by the local authorities. Here I would say that there are three key issues because for the fourth one, already certain amendments have been taken. First is jurisdiction of Parliament; second is balancing objectives of the Bill - livelihood rights and Urban Planning needs; and third is lack of consultation with stakeholders in framing the Street Vending Plan.

Sir, I would draw the attention of the Minister towards two specific clauses of this Bill – proviso to Clause 35 and another Clause 20. Under this Bill, the TVC has a limited role but in States like Chhattisgarh and Rajasthan, the laws on street vending and in case of Odisha, the street vendors policy give TVC the

power to identify and designate vending zones and determine the vending capacity of each zone. This is with regard to proviso to Clause 35 and when the Central law will over-reach the State law, then the problem will arise because many States already have policies in their place. I congratulate the Minister because already she is going to move an amendment in this aspect by deleting those four lines which was there in the proviso to Clause 35. I am happy the Minister is deleting that. So, this issue will not be there. Where the law is there, it will be prevalent. The Central law will not be creating any hindrance.

I would refer now to Clause 20. Under this Bill, the local authority will constitute a Dispute Redressal Committee. That will consist of a sub-judge or a Judicial Magistrate or an Executive Magistrate and other persons experienced in street vending and natural markets. However, in Rajasthan, from where the hon. Minister comes from and in Odisha from where I come from, the TVC is empowered to resolve disputes between street vendors. Under the Bill, if the State law differs from the Central law, the Central law will prevail. This means TVC's limited role will prevail and that is only to issue and renew registration and vending certificates and to keep records of street vendors. Further, I would say that there is no redressal mechanism. That needs to be corrected. Further, I would say that this Bill does not provide any tenure for the TVC members. Street vendors should not lease or rent out vending zones. The Bill does not provide for the renewal of vending certificates.

I have another issue. I hope some other hon. Members might have drawn the attention of the Minister also. This is regarding allowing anyone over the age of 14 to work as a hawker with a license. While capping their total number at 2.5 per cent of the city zone or ward, by allowing teenagers to work as street vendors does this Bill not go on the wrong side of the law?

Lastly, I would quote from one newspaper:

"फुटपाथ दुकानें चलाने के लिए नहीं होते, लेकिन शहरों में हॉकिंग जोन जरूर होने चाहिए - समस्या नहीं यह समाधान है।"

***श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार):** फुटपाथ दुकानदारों के जीवनयापन की सुरक्षा के लिए जो बिल प्रस्तुत है उसका समर्थन करते हुए कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं जिससे इन फुटपाथ दुकानदारों एवं आश्रितों की रोजी-रोटी एवं जीने का अधिकार सुरक्षित रह सकें ।

फुटपाथ एवं सड़कों एवं गलियों में अपनी छोटी-मोटी दुकानें लगाकर अपने पेट को भरने के साथ अपने-अपने परिवारों के जीवन को चलाने का काम करने वाले वो लोग हैं जिन्हें कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका । तब विवश होकर जीवन को जोखिम में डालकर ये गरीब लोग अपनी जिन्दगी को बचाने के लिए फुटपाथ पर रहकर समाज को सेवा देकर अपनी जीविकोपार्जन के लिए छोटी-छोटी दुकानें चलाकर देश के लिए कोई बोझा नहीं बन रहे हैं ।

इन गरीब लोगों के प्रति राष्ट्र की पूरी संवेदना है । हम चाहते हैं कि ये गरीब लोग मेहनती भी है एवं हुनरमंद भी है, को सरकार पूरा सहयोग करें ।

फुटपाथ पर अपनी कठिनाई-भरी जिन्दगी जीने वाले लोग भूमिहीन एवं गरीब हैं । अतः इनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए । जिस स्थान पर वह अपने हुनर से अपना रोजगार चला रहे हैं उस स्थान पर उनका रोजगार करने का शेड या दुकान बनाकर दें । इनके लिए सामाजिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए । रोजगार को ठीक ढंग से चलाने हेतु बैंक कम दर के ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था को सरकार कानून बनाए । इनके एवं आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिले । जहां-जहां इस तरह के फुटपाथ दुकानदार हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए । सरकार अच्छा बिल लायी है, अतः मैं इसका समर्थन करता हूं ।

---

* Speech was laid on the Table

**16.00 hrs.**

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, hon. Chairman Sir, I stand to support the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012. Sir, the street vending as a profession has been in existence in our country since time immemorial.

So many speakers have mentioned about the approximate number of street vendors in our country. It may be more than one crore. As per the study conducted by the Hawkers' *Sangram Samiti,* in Mumbai, the number is more than 2.50 lakhs; in Delhi, it is more than two lakhs; in Kolkata it is 1.50 lakhs and in Ahmedabad it is more than one lakh. Generally, it can be said that about three per cent of the population of every town and city is engaged in street vending business. I congratulate the Minister for bringing this Bill. This was overdue. This should have been brought much earlier.

The Minister may be aware about the movements of the street hawkers. It is being done across the country by the Hawkers' *Sangram Samiti*. They met the Minister several times. They have already given the memorandum to the Minister and to the Department several times. At the same time, I also congratulate those workers who are fighting for this. While supporting all these things, I want to just mention some points.

It is very good that they are providing the social security, which is lacking. So far as the street vending business is concerned, it is treated as self-employment without the intervention of the Government. But they should live in a dignified manner. So, the social security is required. They are providing that. That is why, I congratulate the Minister.

Another thing on which I would like to congratulate the Minister is about the promotional measures for making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors. All other things have been mentioned. It is very good. I have got some points which have been raised by other Members also. The street vending is regulated under municipal laws enacted

by the State Legislatures. So, the question is, whether it has been put in the Concurrent List or not. If it is not, how that problem would be solved, whether there would be any conflict or contradiction with the State Governments in this regard.

Another issue is that the Bill does not specify principles to be followed by the Government in issuing vending certificates, allotting the vending zones and the number of vendors per zone. Absence of such norms could defeat the purpose of enacting a law to ensure uniformity in the legal framework.

My third point is that, the Bill does not mention that the stakeholders should be consulted in the formulation of the street vending plan. This could lead to lack of safeguards in ensuring that plan is determined in a fair manner.

Fourthly, the Central law will have an over-riding effect on the State laws that I have mentioned earlier. But street vendors are not just confined to the cities or the towns. A large number of street vendors are there in the rural areas. Even in the towns particularly the areas which are called the railway towns, a large number of street vendors are there. Insofar as my constituency Kharagpur is concerned, it is called a railway town. So, thousands and thousands of street hawkers are doing their business in the streets where the railways are not involved in this. What is the security for them? We are talking about the mobile hawkers, mobile vendors, those who are vending in the railways. There is no security for them. You have to think about them. If it is not possible right now, you have to think about them later on. It is known to everybody that street vendors are under threat by the local authority and the traffic police or the local police. This is not enough. This Bill does not provide the security in this regard.

I am going to mention Section 16, Chapter 4. The Town Vending Committee is there, very good. Even the Ward Vending Committee is very good. The proposal on composition of the Vending Committee is welcome. It covers all sections of people like women, Schedued Castes, OBCs, etc., and they will issue licences. But what is written here is that where the local authority is satisfied that a

street vendor has consistently failed to comply with his duties and obligations under the Act or the Rules and the Schemes made there under, he can evict such street vendors in such a manner as may be specified in the scheme. There is no provision like 'with the consultation of the Town Vending Committee'. Town Vending Committee can issue the licence but if the local authority is not satisfied, he can evict the vendors. This should be reconsidered and restructured, and this amendment should be made.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now, Pandaji.

SHRI PRABODH PANDA : Yes, Sir, I am going to conclude.

Before making any plan for street vendors, the Town Vending Committee and the Ward Vending Committee should be consulted. The Government should assure the House about the timeframe within which it is going to extend this type of law in order to cover the rural street vendors and in order to cover the street vendors who are doing their business in the Railways.

I wholeheartedly support this Bill but with some queries and some amendments and I think the Minister will respond to that. I would urge upon the hon. Minister not to give so much power to the local authority that they can evict any street vendor without consulting the Town Vending Committee.

***श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** आज पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 माननीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा 5 सितम्बर को पेश किया गया । इसके विषय में हम लोगों को उन लोगों की व्यथा बहुत नजदीक से देखने को मिलता है ।

भारत ऐसा देश है कि देश में अधिक संख्या गरीबों की है । ऐसे राजनीति करने वाले लोग अपने तो बैठकर राज किए लेकिन जनता को गरीब रखा कि समय आने पर कुछ पैसों का टुकड़ा फेंकने पर वोट मिल जाए । आज परिस्थिति इन राजनीतियों की देन है । ये गरीब लोग अपने जीवन यापन करने के लिए अपने परिवार, बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए छोटे-छोटे रोजगार सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं । इसके लिए इनको बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है । कभी पुलिस वाले को, कभी कमीशन खाने वाले को, यहां तक कि इतना दबदा रहता है कि इनकी दुकान सड़कों पर लगाने को मना कर देना इनका समान फेंक देता है । कच्चा सामान खाने-पीने का समान तो बर्बाद हो जाता है । छोटे दुकानदार हमेशा डरा-सहमा रहता है । क्योंकि घर का खर्च इनके ऊपर ही रहता है । आर्थिक परिस्थिति इनका इतना कमजोर रहता है कि साहूकार से कर्ज सूद पर लेना पड़ता है । ऐसी परिस्थिति जब आती है तो ये सड़कों पर रहते ही हैं और इनको अपने जीवन का बहुमूल्य समय समाप्त हो जाता है । इनके बच्चे पढ़ नहीं पाता जो आगे का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता है ।

मैं मांग करती हूं कि सड़कों पर काम करने वाले को स्थान निश्चित करे । इनको शेड का इंतजाम करें । सरकार के तरफ से पूंजी की व्यवस्था करें । इनके रात्री शेड की व्यवस्था से सुरक्षित अनुभव करेंगे ।

ये हमारे देश के निवासी है और सरकार का कर्तव्य बनता है कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे हमेशा अपने को सुरक्षित महसूस करें । इनके बच्चे अपने माता-पिता के दयनीय स्थिति को देखकर इनका मनोबल टूट जाता है जिससे आगे अपना भविष्य नहीं बना पाते और इससे गरीबी और शिक्षा बाधित होती है । हमारे देश में जो गरीबी है उसे आप से अनुरोध है कि इनका परिवार को आगे बढ़ने और इनका आगे के भविष्य आप के हाथ में है ।

माननीय मंत्री जी ये विधेयक लाकर लाखों लोगों को जीवन का सुधार और आगे अच्छे जीवन जीने के लिए व्यवस्था की है । इसके लिए आपको मेरी तरफ से धन्यवाद । माननीय मंत्री जी ये बिल तो छोटा दिखता है लेकिन लाखों जनता का दर्द इसमें समाहित है । आप ये बिल लाकर इनका दर्द बांटने का काम किया है । इसके लिए भी धन्यवाद देती हूं ।

---

* Speech was laid on the Table

**SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM):** Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to speak on Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of the Street Vending) Bill, 2012. मैं सबसे पहले माननीय मंत्री गिरिजा व्यास जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इलैक्शन से पहले गरीबों के बारे में सोचकर बिल लाई हैं। मिनिस्टर बनने के बाद खुद कोशिश करके किसी तरह से बिल लेकर आई हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। प्रेजेंट इकनोमिक सिचुएशन में गांव से बहुत लोगों ने शहरों में आना शुरु कर दिया है। जब से यूपीए सरकार आई है तब से यह परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। भारत में करीब दो से ज्यादा परसेंट पापुलेशन पास के शहरों में आकर अपना सामान बेच रही है। आज इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाया गया है। हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं।

महोदय, तेलुगू देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के समय में गांव से पास के शहरों में स्ट्रीट वैंडर्स के लिए राइट टू बाजार, किसान बाजार के लिए शहरों में कुछ लोकेशन सिलैक्ट की गई थी। इसमें स्ट्रीट वैंडर्स के लिए प्रोवीजन किए गए थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और हैदराबाद जैसी सिटी में महत्वपूर्ण जगहों पर जोन लोकेट किए। अभी रिसेंटली भुवनेश्वर में वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। इसमें एंटायर भुवनेश्वर के लिए 52 स्ट्रीट वैंडिंग जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। हर जोन में कितने नंबर होने चाहिए, लोकेट किया और सिस्टेमैटिक काम किया। यह काफी अच्छा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस तरह से कुछ कीजिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन समय कम है। आप राइट टू बाजार के मॉडल को जरूर देखें।

महोदय, सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए समयबद्ध सीमा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी समय सीमा निश्चित करनी चाहिए। इसी तरह रिनुअल के लिए पीरियड मेंशन होना चाहिए। जो सामान अगर उठाकर लेकर गए हैं, कान्फिसकेटिड किया है, उसे रिलीज करने के बारे में बताना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सामान कान्फिसकेटिड नहीं करना चाहिए, स्ट्रीट वैंडर का सामान लेकर चले जाएंगे तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। जो भी फाइन करना है कर दीजिए लेकिन उसका सामान लेकर नहीं जाना चाहिए।

महोदय, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि चैप्टर 3 आइटम नं. 8 में वैंडिंग फीस रखी गई है, इसमें नामिनल फीस होनी चाहिए। अगर इस प्रोवीजन को ओपनली रखेंगे तो ज्यादा फीस देने से दिक्कत होने का स्कोप होगा। इसके साथ बिल को इम्पलीमेंट करने के लिए काफी फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस के बारे में स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है we will provide the finance. मेरा

कहना है कि परसेंटेज फिक्स करनी चाहिए कि कितना परसेंट राज्य सरकार बियर करेगी और कितना परसेंट केंद्र सरकार बियर करेगी।

महोदय, मेरी कांस्टीचुएंसी खम्माम में स्ट्रीट वैंडर्स के लिए हमें भी बहुत बार जोनल स्ट्रीट में जाना पड़ता है। पुलिस बहुत दिक्कत करती है, अथारिटी बहुत दिक्कत करती हैं। जब हम कांस्टीचुएंसी में होते हैं, वे लोग हमारे पास परेशानी लेकर आते हैं तो उनसे बात करने के लिए जाते हैं। ऑलरेडी बहुत जगह रेलवे लैंड और म्युनिसिपल लैंड में टैम्परेरी हाट में स्ट्रीट वैंडिंग कर रहे हैं, उन्हें लाइसेंस देकर परमानेंट करना चाहिए। अगर उन लोगों को निकालना है तो जोन में शॉप एलोकेट करके निकालना चाहिए। नहीं तो इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को इस तरह का प्रोवीजन रखना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

*__SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI) :__ The Bill is another welfare oriented legislation brought before the House by the UPA Government headed by Dr. Manmohan Singh and in the fulfillment of the vision of UPA Chairperson Madam Sonia Gandhi ji. The UPA Government have in both their innings brought several path breaking legislations which have changed the life of the common man for the better and this legislation will be another landmark in the process of positive change. I congratulate the Hon'ble Minister. The Bill is to protect the most vulnerable, neglected people in the society. I know the plight of the street vendors because I meet them everyday during morning walk on the road. I see how much they are toiling. They go to each house in the street carrying and selling the variety of vegetables or fruits or any other goods.

The people's mindset is that when you go to their houses for selling, then they will bargain. The vegetables are fresh because they get up early in the morning at 2 or 3 am and go to the wholesale market. With this Bill you can avoid the money lenders exploitation of earning more exorbitant interest for small loan. Suppose they borrow Rs.800, they will have to repay Rs.1000 in one day.

Vendors are pushing the cart or tricycle with goods but traffic police harass them and corporation officials also give them trouble. The street vendors should be given bank loan like education loan. Because of education loan, thousands of students are benefited. They are also repaying. Likewise, the vendors also will repay and their life will be comfortable. There may be some defaulters which

---

* Speech was laid on the Table.

does not matter. If any person dies in the family of vendors, the Government should come forward to help them by paying some substantial amount. I congratulate the Hon'ble Minister.

There is hardly a person who may not have had an interaction with the street vendors and acknowledges their helpful role in our daily lives. They are one section of our society whose immense contribution in our day to day lives is mostly forgotten or unacknowledged. It is their entrepreneurial skill which helps them earn their livelihood. It is for the betterment of the lives of such large section of our population that this Bill aims to achieve. Street vendors who are self employed have a rigorous life. They toil from early morning or should I say from late night often working for more than 16 hours. Their routine starts from early in the morning when most of us are still in deep slumber. They reach the wholesale markets, buy their wares, come to their place of business, segregate their goods and arrange them for retail sale. By the time most of us open our eyes they have already put in three to four hours of labour and start their efforts for actual earnings from sale of their merchandise. It is their great service to us that makes one's life comfortable and easy to a great extent and we are saved from unnecessary botheration. This Bill seeks to achieve a better placement for the street vendors and ease their harassments which they face in course of earnings their livelihood in a decent manner. We all know that the street vendors belong to the comparatively poor sections of our population and are largely unorganized. The Bill by providing for a mechanism for regulating their activities and with a

view to cause minimum obstruction to the movements of the public at large, makes provision for the street vendors to pursue a honest living with ease.

It guarantees certain protection to the street vendors. In so far as making compulsory registration of every person carrying out street vending activities and issue of certificate of vending and proper Identity Cards to them is concerned, it provides for the constitution of a Town Vending Committee in each local authority with 40% representation of street vendors wherein different sections of the vendors are adequately represented. Social security to the vendors is one important aspect which is essential for the welfare of these sections. The Bill aims to undertake promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors.

If safeguards the rights of the registered vendors and protects them from any person or police or any other authority from preventing them from exercising their right to vend on the designated street. This measure will no doubt be a source of great relief to the law abiding street vendors. The Bill also makes provision for enforcing of cleanliness and public hygiene in the vending zones and the adjoining areas.

While a majority of us would pay an exorbitant sum for a product sold in a Mall or public showroom while for the same product sold by an ordinary street vendor we would bargain and at times not be read to pay the reasonable cost. Madam has introduced a very good Bill.

I am also hopeful that the present legislation would bring some discipline and stringent following of ethical norms on the part of the vendors also. We have to realize that the common public and the vendors are made for each other. One cannot survive without another and this Bill seeks to achieve the well being of the street vendors.

I whole heartedly support and commend this Bill.

*__श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)ः__ मैं पथ विक्रेता बिल का समर्थन करता हूं । हमारे देश के शहरों में ही नहीं अपितु गांवों, कस्बों में भी लाखों लोग अपने परिवार का भरण पोषण ससम्मान करने के लिए सड़क पर ही सीमित साधनों द्वारा छोटा-मोटा कार्य कर रहे हैं। धन व शिक्षा के अभाव में लोग सड़क पर ही सामान बेच जीवन यापन कर रहे हैं।

मेट्रो सिटिज ही नहीं अन्य शहरों में भी जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग सड़क पर सामान बेच रहे हैं। यह भी दृष्टिगोचर आपको होगा कि इन पथ विक्रेताओं से पुलिस वाले, नगर निगम/नगर पालिका वालों के साथ-साथ स्थानीय दबंग भी इनसे हफ्ता वसूली व इनका सामान फ्री में ही उठा कर ले जाते हैं और वे बेचारे बेबसी में कुछ भी नहीं कह पाते, न कुछ कर पाते क्योंकि उन्हें सम्माननीय तरीके से इसी प्रकार कार्य कर परिवार को पालना है।

मेरे ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार, में जो कि जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, वहां कि कैनाल मार्किट में खोखों में सैंकड़ों व्यक्ति कार्य कर परिवार का पेट पाल रहे हैं। ये लोग सन 1980 से ही इस मार्किट में कार्य कर रहे हैं। 1980 से ही सिंचाई विभाग इनसे लीज के रूप में राजस्व लेता रहा है परंतु अचानक सन 2000 से विभाग ने इनसे राजस्व लेना बंद कर दिया है। लीज न लेने के कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा अब इन्हें उठाने का नोटिस देकर इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सिंचाई विभाग खोखे वालों से तो लीज नहीं ले रहा, परंतु गृहकर अभी तक नियमित रूप से ले रहा है। इन लोगों के खोखों के कारण न तो वहां यातायात बाधित होता है और न ही किसी अन्य को किसी प्रकार की परेशानी होती है क्योंकि जिस जगह ये खोखे हैं वहां केवल पैदल व्यक्ति या दुपहिया वाहन ही निकल सकता है। ऐसे में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस प्राकर सुविधाएं देनी चाहिए जिसे जहां वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं, वहां उन्हें करने दिया जाए । इसी प्रकार पौड़ी तथा रामनगर जिला नैनीताल में भी पथ विक्रेताओं को बिना किसी सूचना के कभी भी हटा दिया जाता है अथवा उनका सामान जब्त कर लिया जाता है।

बिल में सरकार द्वारा अच्छे प्रावधान किए गए हैं पर मेरे कुछ अन्य सुझाव हैं जिस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इन पथ विक्रेताओं के लिए हाट विकसित किए जाने चाहिए। ये हाट वाटर प्रूफ बनने चाहिए। जिससे वर्षा के मौसम में भी ये लोग सुचारू रूप से कार्य करते रहें तथा इनके सामान को भी नुकसान न पहुंचे।

---

* Speech was laid on the Table

इन लोगों को क्रेडिट कार्ड, इंश्यूरेंस फैसलिटी प्रदान करनी चाहिए । साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। महिलाओं, विकलांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ा वर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पथ विक्रेताओं के बच्चों को शिक्षा के लिए कोई योजना बनाकर उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए। सामाजिक व व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए योजना बनानी चाहिए। उनके व उनके परिवार के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर कार्यान्वित करनी चाहिए। उनकी परेशानियों, समस्याओं को दूर करने के लिए एक सेल का गठन किया जाना चाहिए, जो उनकी समस्याओं को विस्तार से सुनकर उनका शीघ्र निदान कर सके।

पथ विक्रेताओं व उनके परिवार के सदस्यों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

इनके साथ-साथ पथ विक्रेताओं के लिए भी दिशा निर्देश बनने चाहिए जिसमें उन्हें यह हलफनामा देना होगा कि उनके कार्य स्थल के आसपास साफ -सफाई रखनी होगी । बरसात के मौसम यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां जल भराव न हो ताकि कोई महामारी न फैले।

अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए पथ विक्रेता बिल, 2012 का समर्थन करता हूं।

**श्री जगदानंद सिंह (बक्सर):** माननीय सभापति महोदय, मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश में व्यवसाय और व्यापार करने का मौलिक अधिकार है। यह अब तक धनवानों के लिए था और अब गरीब भी सम्मानजनक व्यवसाय कर पाएं, इस कानून से इन्हें अधिकार मिल जाएगा।

महोदय, ये कौन लोग हैं जिनके लिए विधेयक लाया गया है? ये वे हैं जो लगातार 12 घंटे जीविकोपार्जन के लिए फुटपाथों पर काम कर रहे हैं। मौसमी प्रकोप, चाहे वह गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, फुटपाथों पर अपने जीविकोपार्जन के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जिनके लिए देश अब तक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर पाया है। इनकी आमदनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम होती है। पूरे देश के पैमाने पर जो आकलन किया गया है, इस पेशे के माध्यम से औसत एक व्यक्ति 70 रुपये से अधिक नहीं कमा पाता है और महिलाएं 40 रुपये से अधिक नहीं कमा पाती हैं। इसके लिए उनके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई बैंक, कोई सरकारी संस्थान, कोई कोऑपरेटिव संस्थान आदि इन्हें सूद पर पैसा नहीं देता। स्ट्रीट वैंडर्स को वही लोग सूद पर पैसा देते हैं, जो शाम को मूल और सूद के साथ वसूल लेते हैं और कहीं-कहीं इन निरीह और अनाथ लोगों को 110 प्रतिशत सूद देना पड़ता है। इसके साथ वे जो कुछ भी कमाते हैं, इस नियम के न होने के कारण जिस पुलिस, प्रशासन की कृपा से अपने जीविकोपार्जन के लिए सड़कों पर बैठ पाते हैं, उन्हें अलग से घूस देनी पड़ती है। उनके पास पूंजी नहीं हैं, उन्हें कोई बैंक पैसा नहीं देता और जो थोड़ा बहुत वे व्यवसाय करके कमाते हैं, वह घूस देने में चला जाता है।

महोदय, जब टाउन प्लानिंग होती है तो पार्कों, अस्पतालों, ऑफिस, आवासीय कालोनी, बस, रेल टर्मिनल के साथ माल और शापिंग के लिए तो टाउन प्लानिंग होती है, लेकिन गरीबों के लिए कोई ऐसा स्थान उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनता, जहां वे लोग भी अपने जीविकोपार्जन का साधन पैदा कर सकें। इनके बारे में शहरों में रहने वाली इनकी दो प्रतिशत आबादी का आकलन है। ये कौन लोग हैं, ये स्वरोजगार पैदा करते हैं, इसमें कहीं भी सरकार का सहयोग नहीं है। जबकि सरकार की स्वरोजगार की नीति है। लेकिन ये लोग स्वयं ही पूंजी जुटाते हैं, प्रकृति के खिलाफ लड़ते हैं और भूखे रहकर न्यूनतम मजदूरी से कम पर अपने बूते पर स्वरोजगार करते हैं। ये लोग सबको सेवा देते हैं। शहर के रहने वाले गरीब लोगों के लिए सुलभ और किफायती सेवा के ये स्रोत हैं। ये हमारे समाज के आवश्यक अंग हैं। ये अपने में अनाथ भले ही हो सकते हैं, लेकिन ये सबका सहयोग करते हैं, बिल्कुल दरवाजे पर जाकर अपना सामान देते हैं। ये लोग रेहड़ी चलाकर या फुटपाथ पर अपने सामान का विक्रय करके गुजारा करते हैं। ये लोग अपनी

आजीविका अल्प पूंजी में चलाते हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये असंगठित पथ विक्रेताओं के लगातार प्रयास के बाद इस स्थिति तक यह बात आई है। यह ठीक है कि इस नियम के अनुसार अब इन्हें कानूनी दर्जा दिया जायेगा। इन्हें नागरिक सुविधाएं भी दी जायेंगी। डाउन वैंडिंग कमेटी के द्वारा पारदर्शी विनियमन भी होगा। फेरी वालों को संगठन बनाने के लिए कानून इजाजत देगा। भागीदारी की प्रक्रियाएं, पुलिस प्रशासन, एसोसिएशन और नागरिकों को मिलाकर जो टाउन वैंडिंग समिति बनेगी, उसमें सबके प्रतिनिधि रहेंगे और स्वनियमन की कल्पना की गई है। ये स्वयं ही अपना पेशा कर पायेंगे, लेकिन जो नगर की सुविधाएं हैं, उसमें भी इनके द्वारा कोई परेशानी नहीं आयेगी।

महोदय, तीन वर्षों से यह विधेयक लम्बित है। राष्ट्रीय नीति 2004 में बनी, संशोधन 2009 में हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सरकार को 2010 में निर्देश हुआ और आज यह विधेयक कानून का स्वरूप लेने के लिए आया है। इस देश में इनकी एक करोड़ से अधिक संख्या है, जो सड़कों पर अपने जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन एक करोड़ लोगों में केवल 55 हजार लोग ही ऐसे हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र या लाइसेंस मिल पाया है कि वे काम कर सकें, बाकी सब बेसहारा लोग अन्य लोगों के द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। टाउन वैंडिंग कमेटी का कान्सैप्ट बहुत अच्छा है और इसमें पचास प्रतिशत सरकारी कार्मिक होंगे। 40 प्रतिशत वेंडरों के द्वारा निर्वाचित होंगे। लेकिन 10 प्रतिशत वेंडर ही इसमें शामिल होंगे। माननीय मंत्री जी, इसको थोड़ा सा फिर से देखा जाए। जो अनाथ रहे हैं, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रताड़ित होते हुए, वर्षों के बाद संगठित हो कर, जब इस स्तर पर आए हैं तो निश्चित ही उन्हें प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, परिचय पत्र दिया जाएगा। आप वेंडिंग ज़ोन बनाएंगे। उनके प्रमाण-पत्र में अवधि भी तय होगी कि इतने ही दिन काम करेंगे। यदि कहीं गलती हो गई तो आप उन पर ढाई सौ रूपये का जुर्माना कर देंगे। ये लोग दया के पात्र हैं। शायद जुर्माना देने का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत पूंजी हाथ में आती है, प्रताड़ित होने के बाद वह भी हाथ से चली जाएगी। इस नियम में है कि अगर कोई स्थान बदलने के लिए कहा जाएगा तो इनको 15 दिन का ही समय देंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि स्थान बदलने के लिए यदि इनको कहीं से तो कम से कम 3 महीने का समय तो मिलना ही चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह सलाह देना चाहता हूँ कि जब इतनी बात इनके लिए हो रही है और इनको कानूनी मान्यता मिलने जा रही है तो कृपया कर इस स्वरोज़गार के लिए जो इस पूरे देश का कानून बना हुआ है, स्वरोज़गार के लिए लोग सहायता देते हैं, बैंकों के द्वारा अब इन्हें भी, क्योंकि अब नियमित हो रहे हैं, इनको आप एक आधार देने जा रहे हैं तो इनकी पूंजी भी इनके हाथ में आ सके, ताकि ये केवल सड़क पर ही न रहें, ये व्यापार करते हुए आगे भी जा सकें, इसलिए बैंकों का भी कहीं न कहीं इनको समर्थन मिलना चाहिए। ताकि केवल फुटपाथ पर ही न रह जाएं, प्रकृति के खिलाफ़ लड़ते हुए, जो सेवा कर रहे हैं, उनको सहयोग भी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** यह सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ...*[*]

[*] Not recorded.

**श्री गणेश सिंह (सतना):** सभापति जी, मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार ने बहुत लंबे समय के बाद इन गरीबों के बारे में चिंता की है। देश की बहुत बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज पटरियों पर बैठकर अपनी जीविका को चलाने के लिए मज़बूर है।

गांवों के लोग सर्वाधिक संख्या में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि गांवों में जो परंपरागत व्यापार थे, वे जो बंद हो गए हैं। उस कारण से लोग रोज़ी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। जब उनको कहीं और काम नहीं मिलता है तो वे सड़क के किनारे बैठ कर अपनी जीविका को चलने के लिए छोटे-छोटे धंधे करने का काम कर रहे हैं।

महोदय, उनका सचमुच एक असंगठित क्षेत्र है। उनका कोई संगठन नहीं है। इस वजह से उनका शोषण भी बहुत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि उनको जीविकोपार्जन करने का अधिकार है और सरकार को उनके लिए कुछ न कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करना चाहिए। आज उनके लिए किसी भी शहर में जगह तय नहीं है। पुलिस का भय रहता है और खास तौर पर बड़े शहरों में ज्यादा होता है। मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और दिल्ली आदि जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां पर पुलिस के लोग आज भी हफ्ता वसूल कर रहे हैं। उनके क्षेत्रों के जो गुंडा किस्म के लोग होते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। नगरी निकाय का जो भय है, वह तो है ही क्योंकि म्यूनिसिपल के अपने अलग कानून हैं। उन क्षेत्रों की जो ठेकेदारी दे दी जाती हैं, सड़कों के किनारे जो लोग रोज़गार करते हैं, उनसे जबरन पैसा वसूली होती है। उनसे हफ्ता वसूली होती है। यह समस्याएं उनके सामने हैं। बरसात के दिनों में उनका जो सामान खराब होता है, छाता लेकर वे बेचारे अपनी रोज़ी-रोटी की तलाश में बैठे रहते हैं। जब उनका सामान खराब हो जाता है, उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है।

एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि आज इस बिल के माध्यम से उनकी बहुत सारी समस्याओं के निदान का इसमें प्रावधान रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें और गहराई से जाने की जरूरत है। इस बिल के माध्यम से उनके रजिस्ट्रेशन आदि की जो व्यवस्था होनी है, इस विधेयक के पारित होने के बाद तो जहां पर वे वर्तमान में मौजूद हैं, अगर उनको वहां से हटाकर सर्वेक्षण कराया जायेगा तो बड़ी संख्या में वे तो बाहर ही रह जायेंगे। इस बात को ध्यान में रखा जाये ताकि उनके साथ अन्याय न होने पाये। इसी तरह से जो समिति बनने वाली है, उसमें प्रावधान तो 40 प्रतिशत इन्हीं दुकानदारों के बीच के प्रतिनिधियों को लेने का है, लेकिन मेरा मानना है कि 40 प्रतिशत कम है, उसे 50 प्रतिशत के आसपास करना चाहिए। आधा उनके हिस्से में हो और आधा जो और जनप्रतिनिधि या म्यूनिसिपल समिति के जो सदस्य होंगे, उनमें

से बनेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा करने पर ही उनके साथ न्याय हो पायेगा। जहां पर उनके लिए जगह आरक्षित हो, वहां कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, वहां पर उनके लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि वे बेचारे रात में वहीं सो जाते हैं, उनके लिए रैन बसेरा की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये सारी सुविधाएं भी इसमें जोड़ा जाना जरूरी हैं। उनके सामान की रक्षा के लिए उसका बीमा होना बहुत जरूरी है। वे बचारे बहुत मुश्किल से किसी से पैसा उधार लेकर अपने जीविकोपार्जन का काम करते हैं, लेकिन अगर वह सामान खराब हो गया तो उनकी भरपाई कहां से होगी, यह उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था, उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और सस्ती ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध होना चाहिए।

मैं माननीया मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप तो इस बिल को अभी लाये हैं, लेकिन वर्ष 2012 में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इन गरीबों के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने उसमें प्रावधान किया और अब तक 82 हजार हितग्राहियों का सर्वे कराकर उन्होंने उनको परिचय-पत्र दे दिया। उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हॉकर जोन बना दिया, उन्होंने तीन हॉकर जोन बनाये, एक ग्रीन शेड, एक यलो शेड और एक रेड शेड। ग्रीन शेड में उन्होंने कहा कि जहां हम उनको भूखण्ड देंगे, जहां पर उन्हें दुकान लगानी है, वह जगह उनकी आरक्षित होगी और उससे उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है, उनको अधिकार-पत्र देंगे। इसी तरह से यलो शेड में समय निर्धारित किया गया है। यलो शेड में उन्होंने समय निर्धारित किया है कि आप सुबह इतने बजे से लेकर रात इतने बजे तक ही इस पर अपना रोजगार कर सकते हैं। रेड जोन को उन्होंने छोड़ दिया है, जहां पर बहुत भीड़-भाड़ का इलाका होता है, नेशनल हाइवे है या कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऐसी जगहों पर उन्होंने प्रतिबन्धित किया है और बाकी जगहों पर उनको पूरी सुविधा देने की कोशिश की है। वे उन्हें पांच हजार रूपये तक का लोन बैंक से सस्ती ब्याज दर पर दिला रहे हैं और ढ़ाई हजार रूपये की उनको सब्सिडी दे रहे हैं। मात्र 250 रूपये उनका प्रीमियम जमा होता है, बाकी का उनका कर्ज होगा और एक साल का उनको पांच हजार का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके बाद दूसरे साल से उनको 25 हजार का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसकी पूरी गारन्टी राज्य सरकार ले रही है। ऐसी सुविधा उन्होंने उसमें की है। मैं चाहूंगा कि इस बात को आप अपने इस विधेयक में भी शामिल करें। इसी तरह से उन्होंने उन जगहों को विकसित करने के लिए, जहां पर शहर में वह क्षेत्र हैं, जहां पर ये बैठते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अभी तक 14 करोड़ रूपया दिया है ताकि उसे विकसित किया जाये। इसी तरह से इसमें भी प्रावधान होना चाहिए।

माननीया मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है, उसको अगर इस विधेयक में शामिल करेंगे तो इसकी सार्थकता और सिद्ध होगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने इन गरीबो को एक रूपये किलो का गेंहू, दो रूपये किलो का चावल आदि भी देने का प्रावधान किया है। उनकी बेटियों की शादी के लिए 15 हजार रूपये देने का प्रावधान किया है। उनके लिए निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जांच की भी व्यवस्था की है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की है। ये सारी सुविधायें उन्होंने दी हैं। यहां तक कि अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाये और गंभीर बीमारी से वह ग्रसित हो जाये तो उसका इलाज सरकार अपने खर्च पर राज्य बीमारी सहायता के माध्यम से करायेगी। ये सारी सुविधाएँ उन परिवारों के लिए होनी चाहिए। उनका अंतिम संस्कार भी सम्मान पूर्वक हो जाए, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि इस बिल में एक तरफ आप एफ.डी.आई. ला रहे हैं। बड़े शहरों में जो एफ.डी.आई. आएगा, ऐसे चार करोड़ परिवार पूरे देश में हैं जिनका व्यापार बंद होने वाला है। ऐसे समय पर आपने इनकी चिन्ता की है। निश्चित तौर पर इनको और गारंटी देने की ज़रूरत है। सिर्फ उनको सुरक्षा के नाम पर कोई हटाएगा नहीं, कोई बेदखल नहीं करेगा, इतने में काम चलने वाला नहीं है। उनके व्यापार को संरक्षित करने के लिए और तमाम उपाय इसके साथ जोड़िए, तभी इस बिल की सार्थकता है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ।

***श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक में देश के करोड़ों लोग को अधिकार कानूनी तौर से सुरक्षित हो सके । उक्त विधेयक में देश के शहरी आबादी के 2.5% आबादी जो सड़कों के फुटपाथ पर परिवार की जीविका हेतु अस्थायी दुकानें लगाते हैं । ये ज्यादातर वो लोग हैं जो गांवों में रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरों में जाकर के फुटपाथ पर रेहड़ी, खोमचें की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं । विडम्बना है कि ज्यादातर स्ट्रीट वेन्डर्स के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है । फलस्वरूप दिन में फेरी एवं दुकान लगाते हैं और रात को उसी फुटपाथ पर सो जाते हैं । दिनभर की थकावट के बाद ठीक से उन्हें पुलिस सोने नहीं देती है । यहां तक कि दुकान लगाने के लिए उन्हें पुलिस, नगरपालिका, आसामाजिक तत्वों को पैसा देना पड़ता है । फिर भी सुरक्षित नहीं रहते हैं । कभी-कभी उनकी पूरी पूंजी लगाकर के जिस सामान की बिक्री करते हैं उसे स्थानीय नगर की संस्थाएं एवं प्रशासन जब्त कर लेती है जिसके कारण उनके समक्ष पुनः पूंजी का अभाव हो जाता है । भर्ती के अभाव में उन्हें मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । अभी यह परंपरा है कि ग्रामीण क्षेत्र का गरीब जब गांव में परिवार के भरण-पोषण के लिए काम नहीं मिलता है तो वह गांव छोड़कर शहरों एवं महानगरों के लिए रास्ता पकड़ता है । आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, संत कबीनरगर, बाराबंकी, गोण्डा एवं देवरिया, जौनपुर, वाराणसी आदि जिले के लाखों लोग मुम्बई एवं उनके उपनगरों में फुटपाथ पर गुजर-बसर कर रहे हैं । फुटपाथ उनकी जीविका एवं निवास दोनों है । दिन में गर्मी, बरसात एवं जाड़े में छोटी-मोटी दुकान करके परिवार का सहारा बनते हैं । इसीलिए कांग्रेस एवं यूपीए की सरकार द्वारा उन करोड़ों लोगों के लिए जीने की सुरक्षा एवं कानून बना करके अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया है । अभी तक पथ-विक्रेता को कोई जीविका का संरक्षण नहीं मिलता है । यहां तक कि उनके लिए कोई पथ विक्रय, पथ-विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ-विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 सदन में प्रस्तुत किया गया है । इस बिल के पास होने के बाद पथ-विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाना अनिवार्य होगा । हर पथ-विक्रेता को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जाए । ऐसी दशा में वही व्यक्ति पथ में विक्रय के लिए दुकान लगा सकता है जिसके पास रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र होगा । ऐसी परिस्थिति में पथ-विक्रेता को अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगा ।

---

* Speech was laid on the Table

इस कानून के बन जाने के बाद प्रत्येक पथ-विक्रेता को को उसे आवंटित विक्रय जोनों में विक्रय प्रमाण-पत्र और समुचित सरकार द्वारा विरचित स्कीम में वर्णित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ-विक्रय क्रियाकलापों का कारबार करने का अधिकार होगा । प्रत्येक ऐसा पथ-विक्रेता जिनके पास विक्रय प्रमाण-पत्र है, धारा 18 के अधीन उसके पुनः स्थापन की दशा में अपने विक्रय क्रियाकलाप करने के लिए यथास्थिति ऐसे नवीन स्थल या क्षेत्र का हकदार होगा जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए । पथ-विक्रेता के अंतर्गत कई तरह के विक्रेता होते हैं । पहला स्थिर विक्रेता, दूसरा चल-विक्रेता या कोई अन्य प्रवर्ग जो विहित किया जाए । यदि पथ-विक्रेता के लिए स्कीम नहीं होगी तो वह अपने परिवार के प्रति कैसे जिम्मेदारी निभाएगा । क्योंकि घर की पत्नी अपने सुहाग को परिवार के सहारा के लिए खाने की पोटली बांध करके शहर के लिए खाना करती है तो उसके आंखें में एक ही सपना होता है कि मेरा पति परदेश जाकर के फुटपाथ पर रोजी-रोटी के लिए छोटा-मोटा काम करके गांव के लिए पैसा भेजेगा तभी घर का खर्च चलेगा । इस विधेयक से इस तरह के सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी । पूरे सिद्धार्थनगर जनपद के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति बाहर शहरों में मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, कोलकाता में जाता है । आज पूरा सिद्धार्थनगर मनीआर्डर इकोनोमी से लोगों की रोजी-रोटी चलती है । इसलिए इस ऐतिहासिक बिल जो पथ-विक्रेता नगरीय जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग का गठन करते हैं ।

पथ-विक्रेता वे लोग हैं जो अपनी शिक्षा और कौशल के निम्न स्तर के कारण पारिश्रमिक रूपी प्रारंभिक सेक्टर में नियमित काम पाने में असमर्थ है । वे अपनी जीविका अपने अल्प वित्तीय संसाधनों और श्रम साध्य साम्या के माध्यम से उपार्जित करते हैं । पथ-विक्रय स्वनियोजन का एक साधन उपलब्ध कराता है और इस प्रकार वह सरकार के किसी बड़े हस्तक्षेप के बिना नगरीय गरीबी को खत्म करने के एक उपाय के रूप में कार्य करता है । पथ-विक्रय अधिकांश नगरीय जन-समुदाय को सस्ती एवं और साथ ही सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के एक परिकरण के रूप में कार्य करता है । ये नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया का एक एकीकृत भाग है ।

अतः मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पथ-विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ-विक्रेता विनियमन) विधेयक, 2012 का समर्थन करता हूं ।

**श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर):** सभापति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फेरी वाला यानी हमारे समाज का आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे नीचे पायदान पर खड़ा हुआ समाज का एक वर्ग। ऐसे कमज़ोर, महागरीब वर्ग के लिए देश के सर्वोच्च सदन में हम कानून बना रहे हैं, सबसे पहले मैं इस सर्वोच्च सदन को सलाम करता हूँ। हमारी बहन कुमारी गिरिजा व्यास जी, जो मंत्री पद का पदभार ग्रहण करने के बाद जो पहला बिल इस देश के फेरीवाला, रेहड़ीवाला, स्ट्रीट वैन्डर और हॉकर्स के कल्याण के लिए लेकर आई हैं, इसके लिए मैं मंत्री जी को भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।

महोदय, फेरी वालों का विषय एक अर्से से कम से कम मुम्बई में एक बहुत ही विवादास्पद विषय माना जाता रहा है। लोग मजबूरी में सड़क पर बैठकर, चाहे धूप हो या बारिश हो, इस फेरी का धंधा करते हैं। एक सवाल उठाया गया कि अलग-अलग राज्यों ने कानून बनाए लेकिन सैन्टर ने कभी कानून नहीं बनाया क्योंकि स्ट्रीट वैन्डिंग स्टेट सब्जैक्ट है, यह बार-बार कहा जाता रहा है। इस पार्लियामैंट में 2006 में, 2009 में क्वश्चन आवर के दौरान केन्द्र के मंत्री महोदय ने कहा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है इसलिए हॉकर्स के बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि हॉकिंग एक फंडामैंटल राइट है, हॉकिंग एक लाइवलीहुड का विषय है और यह अधिकार सबके पास है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवैन्शन के बाद एक नेशनल पॉलिसी ऑन हॉकिंग बनी। उसके बाद उस आधार पर अलग अलग राज्यों ने कानून बनाए। उसके बाद नेशनल एडवाइज़री काउंसिल दृश्य में आई। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इन गरीबों का विषय अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि संविधान के हिसाब से स्ट्रीट वैन्डिंग स्टेट सब्जैक्ट हो, लेकिन यह लोगों के जीवनयापन से जुड़ा हुआ विषय है। यह सोशल सिक्यूरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, यह रोज़गार से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए संविधान की समवर्ती सूची में यह आता है और इस आधार पर केन्द्र सरकार कानून बना सकती है और उसी समवर्ती सूची के आधार पर केन्द्र सरकार ने कानून बनाने का काम शुरू किया और आज हमारी मंत्री महोदय यहाँ पर विधेयक लेकर आई हैं तो मैं सबसे पहले यूपीए चेयरपरसन को, मंत्री महोदय को और सरकार को, देश के तमाम फेरी वालों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।

इस बिल में जो दो-तीन बड़े विषय हैं, उन विषयों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला आपने इसमें नैचुरल मार्केट की बात कही है। नैचुरल मार्केट में आप जो बड़ी परिभाषा कहेंगे, मैं पढ़ दूँगा, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उसमें कहीं न कहीं मेला,

बाज़ार, हाट और मंदिरों और मस्जिदों के बाहर सदियों से जो बाज़ार लग रहे हैं, उन बाज़ारों का ज़िक्र होना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, ऐसे सार्वजनिक स्थलों के 150 किलोमीटर के आसपास कोई हॉकिंग नहीं होगी। उसके आधार पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपैलिटी वाले डंडा लेकर घूमने लगे और फेरी वालों के खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करने लगे जैसे कोई गुनाह कर रहे है। मुझे लगता है कि इस कानून के तहत जब रूल्स बनेंगे तो रूल्स बनाते समय इसको क्लैरिफाई किया जाए कि मंदिरों के बाहर ज़माने से जो चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मुम्बई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जो मार्केट लगे हुए हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई प्रसाद के आइटम बेच रहा है, कोई मंदिर में चढ़ावा के आइटम बेच रहा है, उन लोगों के लिए विशेष इंतज़ाम यहाँ होना चाहिए।

स्टैन्डिंग कमेटी ने रिकमैन्ड किया था कि दो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। रेलवेज़ को इस कानून के तहत शामिल करना चाहिए। हिन्दुस्तान के तमाम रेलवे स्टेशनों पर और स्टेशनों के बाहर वैन्डिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। चाहे मुम्बई में कितने भी लोकल स्टेशन आप देखेंगे, उनके बाहर वैन्डिंग और हॉकिंग चलती रहती है। रेलवेज़ को इस कानून के तहत शामिल नहीं किया गया है। मेरा निवेदन होगा कि रेलवे को शामिल किया जाए। रेलवे के परिसर के तहत जितनी भी वैन्डिंग होती है, उस वैन्डिंग को रैगुलेट करने की आवश्यता है, वरना आज स्थिति यह है कि हमारे देश में मुम्बई में जो ब्लाइंड लोग हैं, वे अलग-अलग स्टेशनों के बाहर खड़े होकर कुछ चीज़ें बेचते हैं। आरपीएफ के लोग उनको डंडे मार-मार कर भगाते हैं। कई बार मैंने इंटरवीन किया और उन लोगों को बचाने की कोशिश। अब बार-बार एक एमपी या एमएलए कब तक इंटरवीन करेगा तो उस रेलवे के हद में काम करने वाले जो हॉकर्स हैं, उनको कैसे इसमें शामिल किया जाए, इस विषय के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आपने जो टाउन वैंडिंग कमेटी बनाई है, जिसके तहत हम सारे हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे और सर्टीफिकेट देंगे। टीवीसी में आपने जो रिप्रेजेंटेशन हाकर्स को दिया है, वह अच्छा दिया है। सात साल मुम्बई जैसे शहर में या फिर दिल्ली जैसे महानगरों में आप देखेंगे कि जो बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं उनके और हाकर्स के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है। आप बिल्डिंग के बाहर बैठ कर हाकिंग नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वह बिल्डिंग वालों का दुख-दर्द है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉकिंग हमेशा से इल्लीगल रही है। हॉकिंग कभी लीगल नहीं रही है और यह इल्लीगल रहे, इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। चाहे पुलिस विभाग हो या ट्रैफिक विभाग हो या म्युनिसिपैलिटी वाले हों, क्योंकि इल्लीगल हॉकिंग एक बहुत बहुत बड़ा रैकिट है। इस रैकिट को खत्म करने के लिए जब रेग्युलेट करने के उद्देश्य से कानून लाए हैं, तो टीवीसी में जो स्थानीय बिल्डिंग वाले लोग हैं, रेजिडेंशियल

लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए। हॉकिंग जोन, नो-हॉकिंग जोन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुम्बई में एक विषय आया कि 110 नो हॉकिंग जोंस क्रिएट कीजिए। नो हॉकिंग जोंस क्रिएट हो गए, लेकिन हॉकिंग जोन क्रिएट नहीं हो रहे हैं। बरसों से जो लोग हॉकिंग कर रहे हैं, उन्हें डंडा मार कर वहां से भगा दिया। लोग 30-40 साल से वहां धंधा कर रहे हैं, उन्हें कहा गया कि आर्डर है आप यहां हॉकिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाकिंग जोन भी क्रिएट किए जाएं, लेकिन आज तक हाकिंग जोन क्रिएट नहीं हुए। मेरा मानना है कि जो वेंडिंग जोन क्रिएट करने का प्रस्ताव है, उसके तहत इसके ऊपर जोर दिया जाए क्योंकि वेंडिंग जोन क्रिएट करना बहुत आसान काम नहीं है। वेंडिंग जोन क्रिएट करने जाएंगे तो स्थानीय जो लोग हैं, उन लोगों से भी राय-विचार करना होता है।

मैं एक पेनल्टी से जुड़ी बात कहना चाहता हूं। मुझे यह पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेनल्टी में यहां गलतियां हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक जगह पर ऐसा अरेंजमेंट है, एक सैक्शन-3 और चैप्टर-4 है।

In Chapter II – Relocation of Street Vendors - it has been stated that Every street vendor who fails to relocate or vacate the site allotted to him after the expiry of the said period of notice shall also be liable to pay, for every day of such default, a penalty which may extend up to rupees five hundred as may be determined by the local authority.

Further, in Chapter X – Penal Provisions – If any street vendor indulges in vending activities without a certificate of vending; he shall be liable to a penalty for each such offence which may extend up to rupees two thousand as may be determined by the local authority.

अब एक टमाटर बेचने वाला गरीब आदमी उस टोकरी में मुश्किल से 10 किलो टमाटर ले कर बैठा है और उसका पूरा धंधा दो सौ, ढाई सौ या तीन सौ रुपए से ज्यादा का नहीं है, अगर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उससे कोई गलती हो जाती है, उसके लिए आप राज्य सरकार और म्यूनिसिपैलिटी आथोरिटीज़ को छूट देते हैं कि दो हजार तक की पैनल्टी ले सकते हैं, मुझे लगता है कि यह उसके ऊपर अन्याय होगा। पैनल्टी की रकम सौ रुपए, डेढ़ सौ या ढाई सौ रुपए के अंदर होनी चाहिए क्योंकि उसकी पूरी कमाई ढाई सौ, तीन सौ रुपए के करीब है। पैनल्टी के बारे में क्लैरिटी देना बहुत आवश्यक है।

मंत्री जी, मैं एक आखिरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यह जो सर्टीफिकेट देना है, उसकी टाइम लिमिट तय होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा था कि किसी गरीब ने, किसी फेरी वाले ने जो एप्लीकेशन दी है, उसे एक महीने के अंदर सर्टीफिकेट मिलना चाहिए नहीं तो वह भटकता रह जाएगा। वह हमारे जैसे लोगों के पास आएगा कि मेरी अनुशंसा टीवीसी के नाम पर कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि सर्टीफिकेट के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले से स्ट्रीट वेंडिंग में हैं, उनका क्या करेंगे? इस कानून के तहत उन सभी को रेग्युलेट करना चाहिए। उदाहरण के लिए मुम्बई में सात लाख हॉकर्स हैं। महानगरपालिका ने उनको रेग्युलेराइज नहीं किया है। मैं ऐसा चाहता हूं कि इस कानून के तहत केन्द्र सरकार ऐसा निर्देश दे कि मुम्बई के सारे के सारे सात लाख हॉकर्स रेग्युलेट किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको सर्टीफिकेट दिया जाए ताकि मुम्बई में हमेशा के लिए हॉकर्स और पुलिस वालों के बीच जो विवाद चल रहा है और पुलिस तथा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो शोषण चल रहा है, वह शोषण सदा के लिए खत्म हो जाए। नये को तो लेना है, लेकिन पुराने को रेग्युलेट करने के बाद नये लोगों को इनडक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

***श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):** स्ट्रीट वेंडर्स या पटरी व्यापारी शहरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है । यह वही वर्ग है जिन्हें नियमित रोजगार न मिलने के कारण इस असंगठित क्षेत्र के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं । शहर के हर क्षेत्र में सही दाम पर सामान भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं । पहली बार इन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं । लोगों को सुविधा भी मिले और पटरी व्यापारी की वजह से यातायात में व्यवधान न हो । इस बिल के माध्यम से इस वर्ग की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था की गई है । यातायात में व्यवधान न हो इसके लिए हर पांच वर्ष में पटरी व्यापारियों के लिए योजना बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है । इस वर्ग को पंजीकृत कर, ऋण, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जा रहा है । इस वर्ग को सम्मान उपलब्ध होगा ।

अच्छा प्रस्ताव है । सामाजिक कानून है । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* Speech was laid on the Table

**श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार):** चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपको और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों तक सोचने-समझने के बाद उन्होंने गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए यह बिल लाया है।

हमारे पहले बहुत ऑनरेबल मेम्बर्स ने बहुत चर्चा की है। मुझे जो समय मिला है, उस समय के मुताबिक मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। स्ट्रीट वेंडर्स का जो यह बिल है, इसको मेरा समर्थन है। पहली बार सरकार ने गरीबों के बारे में एक अच्छा बिल लाया है। बिना कोई वोटिंग के यह बिल पास हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म शहरों में होता है। आप दिल्ली जाएं, मुम्बई जाएं, कोलकाता जाएं, जितने भी मैट्रोपोलिटन्स शहर हैं, उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे कि वेंडर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे गरीब हैं। कुछ वेंडर्स शहर के हैं। गांव में खेती मन्द होने के कारण किसान कम होते जा रहे हैं। कृषि कार्य कम होते जा रहे हैं। कृषि कार्य छोड़ कर लोग शहरों में आकर बेच रहे हैं। वे लोग भी वेंडर में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें समस्या है। गांव छोड़कर बहुत लोग शहरों में काम करने के लिए आए हैं। आप शहर में जाइए, जितने भी वहां लेबर्स हैं, वे गांव से आए हैं। दिक्कत यह है कि लोग गांव से आकर शहर में वेंडरी के कार्य में जुड़े हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं, वे तो ठीक हैं। उनकी जान-पहचान है। उनके पीछे अच्छे लोग हैं। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि हिन्दुस्तान में सारे लोगों को जीने का अधिकार है। जो गांव छोड़कर शहरों में वेंडरी शुरू करते हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है। जो पहले से ही शहर में इससे जुड़े हुए हैं, वे ज़ुल्म करते हैं। फिर जो पुलिस हैं, जो ट्रैफिक पुलिस हैं, वे भी ज़ुल्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो नए वेंडर्स काम शुरू करने जा रहे हैं, उसको भी ठीक करना चाहिए क्योंकि पहले वाला वेंडर नए वेंडर पर ज़ुल्म करता है। कभी-कभी इधर-उधर मैं घूमता हूं। आप दिल्ली में जाएं। उनको पुलिस भी तंग करती है क्योंकि किसी ज़ोन में कहीं कोई लिमिटिड दुकान नहीं है। पुलिस देख कर वेंडर वाला जल्दी-जल्दी दुकान उठा लेता है। पुलिस से जुगाड़ कर के वेंडर वाला दुकान हटा लेता है। कभी आप घूमिए तो आप यह देखेंगे। फिर पुलिस इधर-उधर कर के चला जाता है और फिर वेंडर वाला दुकान खोल देता है। मैं यही देखता हूं। गरीबों के ऊपर यह जो ज़ुल्म है, यह बंद होना चाहिए।

महोदय, हमारा मिशन साक्षर भारत का है। सब शिशु को, आखिरी पीढ़ी को हम एजुकेशन देना चाहते हैं। लेकिन इस बिल में यह बोला गया कि चौदह साल की उम्र से ऊपर हमारे जितने भी लोग हैं, उन्हें अपने जीने के लिए काम चुनने का अधिकार है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह ठीक नहीं है। हम लोग एजुकेशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन स्टेट बने। हमारे जो शिशु हैं, वे निरक्षर न रहें। इसलिए चौदह साल को हटा कर चौदह साल वाले वेंडर को कोई

लाइसेंस नहीं देना चाहिए। इससे बाल मज़दूरी बढ़ जाएगी और गरीब लड़के सब कुछ छोड़कर वेंडरी में जाएंगे। इसलिए मंत्री जी और हमारी जो स्टैण्डिंग कमेटी हैं, वे इसके बारे में सोचें। मंत्री जी इसके बारे में करेक्शन करें।

महोदय, जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े बिजनेसमेन हैं, उन्हें लोन मिलता है, सुविधा मिलती है, पॉलिसी मिलती है। आप सारे देश में देखिए, चाहे शहर हो या गांव, वहां जो वेंडर्स हैं, उनको बैंकों से कोई सुविधान नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास कोई जान-पहचान नहीं है, जगह नहीं है, मकान नहीं हैं। आप जाकर देखिए कि वे वेंडरी किसी और जगह करते हैं और रात कहां काटते हैं। फ्लाई ओवर के नीचे, मेट्रो के ब्रिज की सीढ़ी के नीचे वेंडर वाले सोते हैं। इसलिए ऐसे वेंडर वाले जिनके पास घर नहीं है इसका सर्वे करना चाहिए। इसका सर्वे करना चाहिए कि वेंडर वाले को ज़ोन चाहिए और उसके परिवार वालों के लिए जगह चाहिए। टाउन में, बसावट में बहुत जगह है। दिल्ली में बहुत जगह है। गांव से जुड़े हुए दिल्ली शहर में जाएं तो आप देखेंगे कि जितने भी बस्ती बने हैं जैसे बसंत कुंज है और जैसे यमुना पार बस्ती है, वहां माफिया रहते हैं। वे लोगों को जगह देकर डंडा लेकर परिवारों से रुपया मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं कि रुपया दो तब रहो, नहीं तो दिल्ली छोड़ कर बाहर जाओ, यहां आपके लिए जगह नहीं है। इन गरीबों का क्या कसूर है?

महोदय, सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार इस बिल को लाया है। इस बिल पर मेरा समर्थन है। वेंडर्स के बारे में सबकी सहमति है। आपने मुझे मौका दिया, आपको धन्यवाद देते हुए, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

* **SHRI S. GANDHISELVAN (NAMAKKAL) :** This Bill is very timely as it aims to regulate street vending activities across the country.

While going through the Bill, I could see a proposal to extend support to urban street vendors and this aspect has been included as a component under the National Urban Livelihoods Mission. Would the Minister throw more light on this and the status?

What are the various important features of the revised National Policy on Urban Street Vendors? I would like to suggest to the Centre should make efforts to go through the policies at the State level concerning street vendors, which would help the Central Government to come out with a comprehensive Bill.

Another important aspect of this Bill is that it aims at establishing a uniform legal mechanism for the regulation of street vending across the length and breadth of the country.

The Bill was introduced on September 6, 2012 after which it was referred to the Department-Related Parliament Standing Committee on Housing and Urban Poverty Alleviation on September 9, 2012. The Committee has submitted a Report which contained many recommendations.

One of the recommendations is Members of the Town Vending Committee (TVC) should have a fixed tenure of 5 years. I hope this recommendation is made with the intention to streamline the Committee which governs the whole process.

* Speech was laid on the Table.

Another vital and in a sense very important is the recommendation to the effect that vending certificate should be issued within one month. I will not go why the original Bill has excluded this all important aspect of fixing the time frame. I hope the Government would accept this recommendation of the Standing Committee.

Renewal of vending certificate every three years is a routine one and I hope there would not be any problem in accepting this recommendation too.

In a sense, for street vendors, independence has dawned on them after 66 years of Independence. It is a good sign that at least now the Government is taking effective initiatives to streamline the livelihood of street vendors across the country.

Hence, I support this important Bill.

**श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद):** सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। यह जो बिल लाया गया है, मैं इसका खेरमकदम करता हूं। मेरा जो मुशाहयदा है, वह यह है कि हमारी पार्लियामानी जम्हूरियत को जिन अफराद ने, जिन तबके के लोगों ने मजबूत रखा और अभी भी उनका यकीन इस पार्लियामानी जम्हूरियत में है। ये तमाम के तमाम गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। यही लोग, जो इस पेशे को इख्तियार किए हुए हैं, चाहे वे चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की सर्दी हो, वे बराबर रोड के ऊपर बैठ कर अपना कारोबार करते हैं। जैसा कि मिनिस्टर साहिबा ने अपने शुरुआती कलमात में कहा कि हमारे मुल्क की दो फीसद आबादी इस पेशे पर अख्तियार कर चुकी है।

मेरा जो मुशाहयदा है, वह यह है कि मेरे शहर में कम से कम डेढ़ से दो लाख के करीब लोग इस कारोबार को करते हैं। तमाम आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जो हमारी मुतस्सिल रियासत है, पड़ौसी रियासत है, जहां मुझे जाने का मौका मिलता है। जो शहरी इलाके हैं, वहां पर 60 फीसद से ज्यादा मुस्लिम, अकलियत के लोग ये कारोबार करते हैं। चाहे वे मेवा बेचते हों या छोटी-छोटी चीजें बना कर बेचते हों। ये जो कानून लाया जा रहा है, मैं इसका खैरमुकदम करता हूं। मगर हमारी रियासत में भी इस तरह के कानून हैं, बावजूद इसके खास तौर से ट्रेफिक पुलिस और इंतजामिया की तरफ से इनको बार-बार हरासा किया जाता है। इसके तालुक से मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को पास हो जाने के बाद वे हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में जाएं, इस तरह का एक प्रोग्राम करें ताकि मुखामी इंतजामिया को भी मालूम हो कि ये एक रोजगार का मसला है और हम इनको उस जगह से अगर बेदखल करते हैं तो हम इनके घर के अफरादे खानदान को भूखा या फिर कोई गलत काम करने के लिए मजबूर करते हैं।

सर, मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में, खास तौर से कोठी का इलाका है। यहां पर एक बहुत बड़ी मार्केट पुरानी किताबों की थी। पूरे शहर से अज़ला से बच्चे आकर किताबें खरीदते थे। आज हाईकोर्ट का फैसला आया और उनको निकाल कर ऐसी जगह पर ले जाकर रखा गया, कि जहां पर कारोबार नहीं होता। हमको यह देखना जरूरी है, कि अगर ये लोग उस जगह पर बैठ कर अपना कारोबार करते हैं तो इसका मकसद क्या है कि वहां पर लोग आते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि आप इनको हटाइए, क्योंकि ट्रेफिक ज्यादा हो गया। यकीनन ट्रेफिक ज्यादा हो गया, मगर अगर हम दूरदराज के इलाकों में ले जाकर इनको रखेंगे तो वहां पर ये अपना कारोबार नहीं कर सकते। तो यकीनन एक बीच का रास्ता तलाश करना बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मिनिस्टर साहिबा, हैदराबाद भी

आएं। मैं निजामाबाद की मिसाल दे रहा हूं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम निज़ामाबाद आ रही थी, क्योंकि वहां एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा था। कलेक्टर ने धोखा देकर दो सौ से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल दिया, जो फ्रुट का कारोबार करते थे। हम कानून तो बना रहे हैं, मगर इसका इतलाफ कैसे होगा? इसका इतलाख सही मायनों में हम कामयाब उस वक्त होंगे, जब नेकनीयती के साथ रियासत के जो इंतजामिया के लोग हैं, वे इस कानून को सही अमलावरी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मिनिस्टर साहिबा पूरे हिन्दुस्तान के शहरी इलाकों का दौरा करेंगे और वहां के इंतजामियों को बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और यही लोग ऐसा कारोबार करते हैं। जिस वक्त पोलिंग का दिन होता है तो सबसे पहले यही लोग पोलिंग की लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है, ये कानून जो बनाया जा रहा है, हम इसका खेरमकदम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जो स्पिरिट है, उसको सामने रख कर इस पर अमलावरी होगी।

**डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बिल सुनने और देखने से लगता है कि इससे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की भलाई होगी, लेकिन मेरे अंदर शक पैदा होता है, क्योंकि बहुत सारे बिल सरकार ऐसे लाई, जिससे जिसको फायदा मिलना था, उसको फायदा पहुंचा नहीं। वे लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा, मंत्री जी, जो भी इस बिल के अंदर है, उसको कम से कम ठीक से और समय पर लागू करें। जिनके लिए यह बिल है, उनको इस बिल से कुछ फायदा मिल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे देश के जो गरीब हैं, जो बहुत छोटे पैमाने में जीते हैं, उन लोगों के स्ट्रीट वेंडिंग में आता है, हॉकिंग में आता है। यह एक-दो करोड़ का मामला नहीं है, मेरे हिसाब से तीन करोड़ के ऊपर होगा। हमारे देश में जो वेंडिंग में हैं और गांव में जैसे काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भले ही आप नरैगा कर रहे हैं, लाइवलीहुड मिशन लगा रहे हैं, काम के लिए लेकिन लोग शहर में आ रहे हैं। शहर में उनके खाने के लिए कुछ चीज नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, उसके ऊपर पुलिस और आफिशियल्स लोगों के अत्याचार जारी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह सब अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के अंडर आता है। आप लोग जानते हैं, यह सेल्फ इंप्लायमेंट में हैं। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसे सरकार को जरूर देखना चाहिए और उसे ठीक से लागू करना चाहिए।

तीसरी बात, मैं एफडीआई के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की बात कही है। एफडीआई को इसमें लाने से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स लोगों को बहुत ही भयंकर आघात लगेगा, इसलिए एफडीआई को रिटेल ब्रांड में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स लोग खत्म हो जाएंगे। जो पेंशन फंड रैग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी बिल लाये हैं, उसे जिन लोगों को पेंशन मिलती है, उनका पूरा भविष्य अनिश्चित हो गया और उसके सुख और शांति को छीन लिया है।

महोदय, स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। एक तरफ पुलिस वाले करते हैं, दूसरी तरफ म्युनिसिपलिटी कारपोरेशन के आफिशियल लोग करते हैं और वहां लोकल माफिया होता है, उनका अलग-अलग एरिया होता है। वे लोग उनसे टैक्स लेते हैं। जो वहां पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी होती है, उसके पास उनका हफ्ता जाता है। यह बंद होना चाहिए। उन सबको लाइसेंस मिलना चाहिए और इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का राज होता है,

उसकी यूनियन के साथ जुड़ने से उनको लाइसेंस मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, सबको लाइसेंस मिलना चाहिए।

महोदय, हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ था, आप जानते है, क्योंकि आप पास में रहते हैं। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सन शाइन, वेस्ट बंगाल जब लेफ्ट फ्रंट चलाते थे, सीपीएम गवर्नमेंट के रेजीम में, उन लोगों को हटाने के लिए कोलकाता के फुटपाथ से रात को बुलडोजर चलाकर आग लगाकर उनकी सब चीजों को खत्म कर दिया गया था। पूरे देश में उसका प्रोटेस्ट हुआ था। हम लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। हमारी ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन, सेंटर सब शामिल थे, सिविल सोसाइटी थी, जिससे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए बाध्य हुयी थी। हमारी जो वर्तमान सरकार है, उसने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन ज्यादा वादे उन्होंने अभी तक नहीं निभाये हैं। उसे अपने वादे पूरे करने चाहिए।

महोदय, अंतिम बात, सोशल सिक्योरिटी अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के लिए जरूर देना चाहिए। जैसे ईएसआईसी की हैल्थ फैसिलिटी है, उसके लिए प्रोवीडेंट फंड होना चाहिए, अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए छोटे-छोटे मकान हों, जैसे इंदिरा आवास योजना है, ऐसी कोई स्कीम लाकर उनके लिए रहने का इंतजाम करना चाहिए। कभी उनको कोई बीमारी होती है, तो उनके घर में दूसरा कोई रोजगार देने के लिए नहीं है। कोई विकलांग हो जाए तो उसे कंपंसैशन या मुआवजा जरूर देना चाहिए। जैसे आदमी जीते हैं, वैसे वे जियें, एक जानवर के माफिक न जियें। वे आदमी जैसा जी सकें, वैसा सम्मान और मर्यादा उनको देना चाहिए। मैं सरकार से यही मांग करूंगा।

**श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):** महोदय, मैं माननीय मंत्री गिरिजा व्यास जी को बधाई देती हूं और साथ-साथ इस बिल का समर्थन भी करती हूं।

महोदय, यह बिल देखने में छोटा लगता है, लेकिन इस बिल का उद्देश्य और इसका ध्येय बहुत बड़ा है, इसकी आत्मा बहुत बड़ी है। यह बिल उन लाखों लोगों की जिंदगी, आजीविका और आत्म-सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, जो सड़क पर खोमचा लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, पटरियों पर दुकान लगाते हैं, सिर पर जामुन या आम की टोकरी रखकर बेचते हैं और दर-दर भटकते हैं। उनके लिए अभी तक कोई संरक्षण नहीं था। हम सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं और इस बात की महत्ता से अच्छे तरीके से परिचित हैं कि शायद ही हम लोग ऐसा कोई कानून बना सकेंगे कि देश के जो लाखों लोग हैं, उन सबको रोजगार के अवसर मुहैया करा पायें। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा।

दूसरी तरफ, जो सत्तर प्रतिशत कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, वे दिनोंदिन कृषि से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि यह अपने आप में बहुत महंगा सौदा है और कृषि के लिए संसाधनों की कमी है। कृषि एक बहुत महंगी चीज होती जा रही है, जिसमें फायदा नहीं है। हम ऐसा एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट हो। ऐसी पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सके। हम चाहे बातें जितनी भी कर लें, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में पढ़-लिख कर, थोड़े कम पढ़े-लिखे, अशिक्षित लोग एवं मेहनतकश लोगों के पास एक ही उपाय होता है कि वे शहर की रुख करें या जहां भी जाएं, वहां छोटे-मोटे खोमचा लगाएं, सड़क पर कुछ सामान बेचें और इस तरीके से अपना जीवनयापन करें।

महोदय, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यह कोई नई चीज नहीं है। ये केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के हर कोने में ये देखने को मिल जाते हैं। अगर हम एफील टावर के नीचे भी जाएं तो भी ये वेंडर्स हमें दिख जाते हैं, जो अपने साथ में सामान ले कर बेचते रहते हैं। सचमुच ये स्ट्रीट वेंडर्स वहां के जनजीवन और संस्कृति का एक हिस्सा होते हैं। अमृतसरी छोले हो, मुंबई का बड़ा पाव हो, बंगाल का मुरही हो, या हमारे बिहार का भुंजा और लिट्टी हो, ये सब हमारे संस्कृति के साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए दुनिया में हर जगह इनको महत्ता दी जाती है क्योंकि ये वहां की संस्कृति को दर्शाते भी हैं।

हमारे यहां इनको संरक्षित करने का कोई ऐसा कानून नहीं था, जिससे इनको संरक्षण प्राप्त हो सके। जिसके कारण वहां के स्थानीय नगरपालिका, नगर पंचायत हो या फिर वहां की पुलिस हों, ये सबके द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। अभी बात हो रही थी कि सचमुच ऐसे संगठित कुछ लोग होते हैं, जो इनसे हफ्ता वसूलते हैं और हफ्ता नहीं देने पर पुलिस को खबर करते हैं और नगरपालिका के लोग आकर, इनके सामान को उठा कर ले जाते हैं, इनके सामान को तोड़फोड़ कर फेंक देते हैं और फिर उन्हें थाने जा कर

हाजिरी लगानी पड़ती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, तभी सामान वापस लिया जा सकता है। यह लाखों लोगों के मान-सम्मान और आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज संसद बहुत ऐतिहासिक फैसला करने जा रही है, जिससे उन लोगों को बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

सभापति महोदय, यह बिल जिस तरह से आगे बढ़ा है, मैं आपके द्वारा सरकार से यही आग्रह करूंगी कि इसको जो कानूनी जामा पहनाया जा रहा है, उसका पूरे पारदर्शिता के साथ में पालन हो ताकि इस बिल का पूरा-पूरा लाभ, जिन लोगों को ध्यान में रख कर बनाया गया है, उनको प्राप्त हो सके।

***श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):** डा. गिरिजा व्यास द्वारा पेश किए गए पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

यह विधेयक जनहित में आवश्यक है । गरीबों के लिए यह विधेयक लाभकारी है । दलित, दबे-कुचले गरीबों को जीविका चलाने के लिए कोई व्यवसाय आवश्यक होता है। गरीब सूद पर रुपया महाजन से लेते हैं, छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं, फेरी, फुटपाथ पर ठेला चलाकर स्व-रोजगार कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं ।

असंगठित पथ विक्रेता स्वरोजगार चलाकर, फेरी कर, ठेला चलाकर साग-सब्जी, फल, कुल्फी, पानी- पूरी बेच कर जीविका चलाते हैं । देश में करोड़ों लोग इस रोजगार में लगे हैं । इनका दर्द, इनकी परेशानी, मजबूरी को सरकार समझकर इस विधेयक में व्यवस्था देने की योजना बनाई है ।

देश के करोड़ों लोग रोजी-रोजगार खोजने शहर की ओर भाग रहे हैं । वहां छोटा-मोटा रोजगार चलाते हैं, फेरी करते हैं । फुटपाथ पर धन्धा-व्यवसाय करते हैं किंतु पुलिस, म्युनिसिपल कारपोरेशन तथा अन्य वसूली करने वाले लोग इन वसूली या ठेला चलाने वालों से वसूली करते हैं । जितना वे कमाते हैं उसमें से आधे से अधिक उनसे वसूल कर लिया जाता है ।

ऐसे फेरी वाले, रेहड़ी वाले, हॉकरों तथा पथ विक्रेताओं के लिए जो व्यवस्था आप इस विधेयक में लाए हैं उसमें और भी सुधार की जरूरत है । इन्हें रोजी, रोजगार के लिए और सुविधा की जरूरत है । इनके परिवार के लिए सस्ता अनाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा तथा रहने के लिए गरीब निवास की जरूरत है। ऐसे कमजोर गरीब को 1 रूपये किलो गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

'देर आयद दुरुस्त आयद' सिद्धांत पर इन गरीबों, असहायों, असंगठित क्षेत्र को शोषण से बचाने के लिए और भी जरूरी संशोधन होने चाहिए । मेले, त्यौहारों, उत्सवों पर इन्हें फेरी करने, खोमचा लगाने, फुटपाथ पर समान बेचने से न रोका जाए । अवैध वसूली से सुरक्षा दी जाए, हॉकरों को डंडा न मारा जाए । इन्हें डंडा मारकर भगाया न जाए ।

---

* Speech was laid on the Table

शहरों में छोटा धंधा करने वाले, फेरी करने वाले, सब्जी, फल बेचने वाले पर जुर्माना राशि कम की जाए । इनके रजिस्ट्रेशन व सर्टिफिकेट में सरलीकरण कर इन्हें और सुविधा प्रदान करने की जरूरत है । मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन गरीब, असंगठित, स्वरोजगार करने वालों को हर छोटे कस्बे, बाजारों तथा शहरों में संरक्षण और पुलिसिया जुर्म से बचाने की और सुधार करने की जरूरत है ।

[*] **SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI) :**I congratulate the Hon'ble Minister for bringing this historic Bill for the benefit of the street vendors.

I am sure that while drafting the Bill in question the Government has taken utmost care to take care of this section of our society who totally depend upon the daily income from the street vending.

However, I would like to make submission concerning few aspects of the Bill which is the centre stage of the business of the House . The Street vendors are mostly not literate and this is a fact known to all very well. Therefore, I am afraid how the Government is going to guide these illiterate street vendors with regard to various restrictions imposed in the said Bill such as application for registration, registration of street vendors and issuance of certificate of registration. The street vendors are always at the mercy of the police personnel and this section of our society always is in the midst of fear that when their bread earning avenue is blocked by police personnel. Therefore, I feel the Bill in question will take care of these aspects.

Another thing which I noticed in the Bill is that the Bill does not include significant clauses of the National Policy for Urban Street Vendors as recommended by the National Commission on Enterprises in the Unorganized Sector. If passed in its present form, it will constitute a mockery of street vendors' rights. If the Government is serious about protecting the livelihoods of the urban

[*] Speech was laid on the Table.

working poor, it must incorporate not only the clauses of the national policy but also the progressive steps taken in this area by State Governments.

At the end, as I stated earlier, our street vending community is very illitrate amongst most of them, the government should make the procedures for making applications and for obtaining registration as street vendor in a simple and easy manner and time frame should be fixed for the authorities to issue certificates to the persons, and at the same time the government should also take care of exploitation of the illiterate conditions of the street vendors by so called agents, etc. Any exploitation, if noticed, should be viewed seriously and dealt with accordingly.

I congratulate the Hon'ble Minister again for bringing the historical Bill. With this I support the Bill.

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) :** सभापति जी, सबसे पहले मैं सोचती हूं कि समस्त सदस्यगणों को, विशेष कर लोकसभा सदन के सदस्यगणों को बधाई दूं, धन्यवाद दूं, कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। एन.सी.ए. का जिक्र हुआ और इसका जिक्र शाहनवाज भाई ने भी किया। इसलिए उसका जवाब यह देना चाहूंगी कि एन.सी.ए. ने जिस तरह से, इस काउंसिल ने बात को उठा कर रखा और उस बात को ले कर और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसके आधार पर भी और मैं कल भी कह चुकी हूं कि वर्ष 2004 से इस पर कवायद शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2004 से ले कर वर्ष 2007, वर्ष 2009, वर्ष 2010 में मॉडल बिल और उसके बाद में बिल की प्रक्रिया, फिर नए रूप में, इन सब के बीच जाते-जाते अंत में राहत के रूप में हमारा यह बिल संसद में पेश हुआ है। मैं पूरे तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि ये बिल पास होगा।

महोदय, 13 मार्च को यह बिल स्टैंडिंग कमेटी से आ गया और अब एक कानून बनने जा रहा है, उन लोगों का कानून जो गरीब हैं, उन लोगों का कानून जिनके मुंह में जबां नहीं है, उन लोगों का कानून जो दहशत के साथ जीते हैं। उन लोगों के लिए कानून, विशेष कर महिलाओं के लिए जिन्हें कब और किधर भेज दिया जाएगा। उनके जामुन की बात आपने कही, लेकिन पता नहीं किसके सर पर रखा हुआ टोकरा, उसके सब्जी के साथ गिरा दिया जाएगा। यह कानून उन लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए मैं सदन को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यहां पर हमारे पूर्व मानीय मंत्री कुमारी सैलजा जी थीं और हमारे पूर्व मंत्री श्री माकन साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

**<u>17.00 hrs.</u>**

मैं प्रधान मंत्री जी विशेषकर यूपीए सरकार, यूपीए की चेयरपर्सन साहिबा, विपक्ष की नेता, माननीय आडवाणी साहब, जो इतनी देर से बहुत गौर से सुन रहे हैं, उनकी संवेदनशीलता को, हमारे सभी नेताओं की संवेदनशीलता को पूरे तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन मुझे वे स्ट्रीट वैंडर्स भी धन्यवाद के पात्र लगते हैं, जिन्होंने लगातार अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, कभी किसी की जान नहीं ली, कभी किसी को डंडा नहीं मारा, लेकिन अपनी बात कहते रहे। इसलिए उन्हें सलाम करते हुए मैं उन्हें भी इस विषय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं आज आपकी बात सुन रही थी। अगर मैं गिनूं, तो पुतुल कुमारी जी तक 21 सदस्यों ने इसमें अपनी बात रखी। 21 का आंकड़ा अच्छा होता है। मैं इस बात के लिए अपने आपको सौभाग्यशाली मानती हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अगर इस तरह और बातें होतीं तो शायद कुछ और बातें सम्मिलित कर दी जातीं। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा लाए गए संशोधनों को भी ध्यान से पढ़ते, तो लगता

कि आपकी कही हुई आधी बातें हमने संशोधनों में ले ली हैं। इसके लिए मैं स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं।

भर्तृहरि जी, मैं आपसे बात करूंगी। आपने कहा कि यह समस्या नहीं समाधान है। यह बात सही है कि हमारे हॉकर्स समस्या नहीं हैं, बल्कि उन्हें ठीक करना हमारा समाधान है। मैं शाहनवाज जी की इस बात को भी पूरे तौर पर मानती हूं कि हम सब इबादत के तौर पर पॉलिटिक्स में आते हैं। मुझे पता नहीं, इसके दो-चार एक्सैप्शन हो सकते हों, लेकिन इबादत में दर्द छुपा होता है और दर्द के अनेक रूप होते हैं। मैंने दर्द को रूबरू बहुत रूप में देखा है।

**17.02 hrs.**

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

मैडम, अभी आप पीठासीन हुई हैं। आप महिलाओं से बहुत जुड़ी हुई हैं। मैंने उनके दर्द को बहुत ज्यादा महसूस किया। लेकिन जब मैं स्ट्रीट वैंडर्स के इस दर्द को देखती हूं कि जहां वे रहते हैं, वहां उनकी जगह उजाड़ दी जाती है। जब उनके हाथों से सामान खींचकर उन्हें मारा-पीटा जाता है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा जाता, तब मुझे लगता है कि यह दर्द बहुत ही अधिक है। नीरज जी ने कहा था -

दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं
और आस यह कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं।

बहुत बार यह कार्य नहीं हो सकता। लेकिन यदि सरकार की मंशा हो, ओवेसी जी ने सही कहा कि नीयत ठीक हो, यूपीए सरकार की मंशा भी थी, यूपीए सरकार की नीयत भी ठीक थी। मैं सदन को भी कहना चाहती हूं कि सदन की नीयत एक स्वर में ठीक है कि हम उन अनबोले, अनकहे, अपनी बात को पूरे तौर पर न रखने वाले मगर खुद्दार लोगों की बात को आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका इस बिल द्वारा देने जा रहे हैं। मैं खुद्दारी का एक उदाहरण देना चाहती हूं जिसमें मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यदि मैं कभी अपनी आत्मकथा लिखूंगी तो उसमें मुझे शर्मिंदगी के बहुत कम मौके मिलेंगे।

महोदया, मैं आपको कहना चाहती हूं। एक बार एक छोटे से अपंग बच्चे की थड़ी को गिरा दिया गया। वह मेरे पास आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। मैंने अपनी जेब से पांच हजार रुपये निकाल कर उसे ऑफर किए कि वह उससे अपनी कुछ व्यवस्था कर ले। वह वहीं कच्ची बस्ती में दुकान लगाता था। वह धीरे से उठा। मैंने सोचा कि शायद मुझे धन्यवाद दे रहा हो, लेकिन उसने मेरे चरणों पर पैसे रखकर कहा कि मुझे पैसे नहीं, व्यवसाय चाहिए, मैं नौकरी करना चाहता हूं। मुझे उस तरह से आपकी सहायता की जरूरत है। वह फिर रुका और मुझसे कहा कि मुझे मालूम है कि आप शायर हैं। इसलिए क्या कहूं -

तेरा ज़ौक भी तेरा शौक भी
मेरे दर्द-ए-दिल की दवा नहीं।

उसका यह कथन मुझे आज भी याद है। मुझे दूसरा कथन भी याद है। इसलिए जैसे ही मुझे यह मंत्रालय मिला, मैंने अपने आपको इसमें बहुत जोड़ा। एक बार ऐसे ही एक केले वाले रहमान भाई से बातचीत हो गई। मैंने देखा, उसकी संवेदनशीलता को समझा। एक महिला अपने सिर पर मौसमी लेकर आई। केले वाले की थड़ी का शायद परमानैंट लाइसैंस था, इसलिए उसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब महिला को पीटकर भगाया जाने लगा, तब उसने अपनी जगह उसे दी। मैं यह देखकर रुकी और उसे धन्यवाद देने के लिए अपनी गाड़ी से ऊतरी, तब उसने एक शेर कहा। वह आज बड़ा शायर है और उसकी दो किताबें छपी हैं। उसने कहा था -

हमारे घरों में मिट्टी के दिए जलते हैं
लोग छोटे ही सही दिल के बड़े होते हैं।

ये लोग अपने स्वावलम्बन के साथ जीते हैं। ये बड़े दिल के हैं और उसी बड़े दिल की भावना को रखते हुए जहां सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, जहां वर्ष 2004 से अब तक इसकी लड़ाई जारी थी, जहां पर इसकी मंशा के बाद कुछ राज्यों ने इसे किया भी था, कुछ राज्यों की इस पर बेरूखी भी थी, सब कुछ मिलाकर कनकरैंट लिस्ट के साथ इसे लाया गया है। इसीलिए मेरे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि समय की कमी के कारण शायद मैं यहां समस्त माननीय सदस्यों की बात का जवाब नहीं दे पाऊं, लेकिन अलग से आपकी बातों का जवाब दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जल्दी बुलाकर इस संबंध में हम बात करें। एंट्री 20, 23 और एंट्री 24 कनकरैंट लिस्ट द्वारा इसे केन्द्र सरकार ने लिया है, क्योंकि दो-चार राज्य सरकारों को छोड़कर कोई भी राज्य सरकार जिसमें मेरे स्टेट की भी राज्य सरकार थी, उन्होंने इसे बनाया। लेकिन बहुत सी राज्य सरकारें इस पर बिल्कुल उदासीन रहीं। उस हालत में यह एक यूनीवर्सल बिल बनकर आया है।

मैं महताब जी को विशेष तौर पर कहना चाहती हूं कि कनकरैंट लिस्ट के कारण इसे एंट्री 20, 23 और 24 के तहत लिया गया है। इसमें कुछ प्रश्न उठे। प्रश्न थे कि जो कमेटी है, उसमें संख्या कम है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहती हूं कि टीवीसी में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मार्केट एसोसियेशन भी है और दस प्रतिशत एनजीओज भी होंगे। इस तरह उन लोगों की संख्या करीब 60-70 प्रतिशत हो जाती है। यदि मैं मार्केट एसोसियेशन को निकाल भी दूं, तो 50 प्रतिशत उनकी जनसंख्या होती है, जो लोग अपनी बात रख सकें।

अभी पीछे से यह प्रश्न उठाया गया था कि इसमें कौन लोग शामिल होंगे? मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि सभी एग्जिस्टिंग वेंडर्स, जिनके पास पहले से सर्टीफिकेट हैं, उनको भी नहीं हटाया जायेगा। जब तक जोन स्थापित नहीं होंगे, उन लोगों को रजिस्टर नहीं किया जायेगा, उस दौरान भी नहीं हटाया जायेगा। सारे एग्जिस्टिंग वेंडर्स इसमें सम्मिलित होंगे, कवर्ड होंगे जब तक कि सर्वर और इनका सर्वे कम्पलसरी रूप में नहीं होगा। प्रत्येक पांच वर्ष में इनका सर्वे होगा। जो 2.5 परसेंट पापुलेशन है, प्रैक्टिकली उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को यह लाइसेंस दिया जायेगा। वेंडिंग जोन फिक्स करने के लिए बिल्कुल लिबरली फिक्स किया जायेगा। आपने जिस बात के लिए प्रश्न उठाया, अपने दर्द को भी रखा कि कहीं दूर-दराज न कर दें। मुझे याद है कि मेरे उदयपुर में भी एक बार सब्जी वालों को उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर सब्जी की दुकानें दी गयीं। सौभाग्य से आज वह बीच में आ गया है। लेकिन उस वक्त यदि कोई 8 किलोमीटर जाता था, तो रात को लौटकर वे महिलाएं मेरे घर के आगे अपनी सब्जी रख देती थीं और कहती थीं कि आप इसका जवाब दीजिए। इस तरह की बात न हो। जहां पर लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो, जहां लोगों की चाहत ज्यादा हो और इसीलिए इस बात को हम रूल्स में रखने की कोशिश करेंगे कि जिसमें जिसकी चाहत ज्यादा हो, कहीं सब्जी की मांग है, कहीं दूध और दही की मांग है, कहीं पर दूसरी चीजों की मांग है, उसे देखते हुए इसे ध्यान में रखा जायेगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने मुम्बई के संबंध में जिस बात का जिक्र किया कि इसमें जो मार्केट है, वह नेचुरल मार्केट के कान्सैप्ट में होनी चाहिए। इसमें सारे एरियाज कवर हो जायेंगे, यह मैं माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं। उसमें छोटे हाथ भी हैं, उसमें टूरिज्म के संबंध में जो मेले लगते हैं, वे भी आ जायेंगे। यदि आपने किसान मार्केट की बात की, तो मुझे विदेशों में कुछ जगहों पर एक मार्केट ऐसी भी देखने को मिली जहां केवल महिलाओं की मार्केट है, जो शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलती है। इस तरह की मार्केट भी इवॉल्व होकर आ सकें जहां पर महिलाएं भी अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसे देखेंगे और आगे चलकर इस संबंध में भी विचार करेंगे।

मैंने कहा कि जो डर है कि जब मर्जी किसी को एविक्ट कर दिया जायेगा और जो नहीं चाहता, उसे कहीं दूसरी जगह का लाइसेंस दे दिया जायेगा। इस ओर से भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। Evictions in extreme cases only. वह भी उसका जोन है। जहां पर स्कूल है, उन चुनिंदा स्थानों को देखते हुए बिल्कुल एविक्शन नहीं होगा, इसमें यह गारंटी दी गयी है। जहां तक पैनल्टी का सवाल है, तो वह केवल 250 रुपये है। सदस्य महोदय की दोनों बातों को, जिसका जिक्र उन्होंने अलग-अलग तौर पर किया, मैं सोचती हूं कि इन बातों में दोनों जगह पर अलग प्रावधान है और दोनों का कारण भी अलग है।

लेकिन पेनल्टी केवल 250 रुपए है। यदि कोई बिना लाइसेन्स का हो, तो उसके लिए पेनल्टी दो हजार रुपए है। मैं सोचती हूं कि इसमें भी हम लोग आपकी बात को ध्यान में रखेंगे। जहां तक प्रोपर्टी का सवाल है, उनके सामानों का सवाल है, उसमें मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि ज्यादा-से-ज्यादा दो दिन का समय उनके एप्लिकेशन के प्रोसेस में लगेगा। यदि कोई चीज एडिबल है, तो उसी दिन, जिस वक्त वह कहता है, उसके साथ उसको रिलीज़ कर दिया जाए। इसमें आप लोगों ने एक शंका उठायी, आपकी शंका वाज़िब है, मैं इसका स्वागत करती हूं। इसमें इंश्योरेंस और क्रेडिट दोनों को जोड़ा गया है। एक तरफ तो हमने कहा कि जो 5 प्रतिशत एन.एल.यू.एम. है, उसके तहत तो वह इसमें होगा ही, लेकिन उसके साथ-साथ हम बैंकिंग से भी मदद करेंगे ताकि उन लोगों को उसका समाधान मिल सके। वह एडमिसिबल है। जहां तक फैसीलिटी का सवाल है, मेरा ख्याल है कि श्री दारा सिंह जी ने कहा था या आपने इसका जिक्र किया था कि उस पर कहीं स्वच्छता का नियम न लागू कर दिया जाए। लेकिन स्वच्छता का अर्थ यह है कि आसपास की जगह को स्वच्छ रखा जाए और उसका दायित्व उस पर नहीं है, उसका दायित्व म्यूनिसिपैलिटी पर है। आपने इसका जिक्र बिल्कुल ठीक किया था। म्यूनिसिपैलिटी का दायित्व बनता है कि वह आसपास के स्थान को ठीक रखे। हमारे राजस्थान में एक कहावत हैः

> "फटे कपड़े और गरीब रिश्तेदारों से कभी नहीं घबराना चाहिए, लेकिन स्वच्छता उस गरीब कपड़े में भी हो, शायद यह बात जब जेब में पैसे होते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त यह ज़र्रा हीरा है, उस वक्त यह शबनम मोती है।"

जब उनके पेट में रोटी चली जाएगी, तो अपने आप स्वच्छता निकलकर सामने आएगी। इसे उस पर थोपा न जाए, इस बात से मैं आपसे सहमत हूं।

जहां तक पुलिस प्रोटेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी का सवाल है, तो यह इस बिल का मूल आधार है। रोज़ के डण्डे, रोज़ की कवायद, रोज़ का निष्कासन, बहुत हो चुका enough is enough और अब उन लोगों को जीने का हक है। इसलिए पूरे तौर पर वे साथ हों। इसलिए ओवैसी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। क्योंकि पांच पिलर्स बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है- कानून और कानून का कड़ा होना। अब तक इस संबंध में कोई कानून ही नहीं था। अब कड़ा कानून है। दूसरा होता है- कानून का एक्जिक्यूशन और उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। हम रूल्स में ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था करेंगे, यह मेरे मन की, मेरी इच्छा की बात है। व्यक्तिगत रूप से इसे कैसे लिया जाए। इसमें एम.पीज़ और एम.एल.एज को भले ही विशेष रूप से आमंत्रित करें, लेकिन इसमें उन लोगों के इलेक्टेड मेम्बर्स को भी इसमें आमंत्रित करें ताकि वे एक्जिक्यूशन को अच्छी तरह से एक्जिक्यूट कराने में अपनी भूमिका निभा

सके। एक्जिक्यूशन कितनी अच्छी तरह से भी कर दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी आदि से मैं भी भयाक्रांत हूं। उसमें हमें हैमर करने की आवश्यकता है। तीसरा है- अवेयरनेस के कार्यक्रम। इसे सरकारें करें, म्यूनिसिपैलिटी करे, हम लोग करें ताकि यह लोगों तक पहुंचे और जैसा कि ओवैसी जी का कहना था, कमेटियां बनाकर हम सब मिलकर आएं और अलग-अलग जगहों पर अवेयरनेस के कार्यक्रम करके उनके हक़ूक के बारे में उन्हें जानकारी दें। चौथा है- सिविल सोसायटी की भूमिका। मुझे रात को बहुत फोन आए। सुषमा जी मैं खासकर आपसे निवेदन करना चाहती हूं क्योंकि लोग हम महिलाओं को फोन किया ही करते हैं। पहला फोन आया गुलमर्ग पार्क से, जो हमारे घर के सामने है। क्योंकि वे दर्द कहां सुनाएं? अपनी दर्द की बात वे वहीं कहते हैं, एक महिला ने जानना चाहा कि क्या आप गुलमर्ग पार्क पर भी खड़िया लगा देंगे? मैंने उन्हें किसी तरह से शांत किया। दूसरा फोन था एक विकलांग का। वह कह रहा था कि आपने जो कहा, क्या वह सचमुच होगा? उन लोगों को अभी तक विश्वास नहीं है। तीसरा फोन स्ट्रीट वेन्डर्स का था, वे कह रहे थे कि क्या हमारा सपना पूरा होगा। ये फोन इस बात के लिए संकेत कर रहे थे कि जब सदन एक हो, जब सदन की मंशा ठीक हो, शाहनवाज़ जी ने सही कहा कि हम इबादत के साथ आए हैं, आज की इबादत उन गरीब लोगों के नाम, जो अपनी बात को कह नहीं पाए, लेकिन उनकी बात कहने के लिए अनेक जुबान दे दी गयी है। इसी संबंध में मेरे पास आप लोगों के 21 प्रश्न हैं, कुछ समाधान हैं, उन सभी का मैं लिखित रूप में आप लोगों को जवाब दूंगी। एक शेर, जिसे मैंने अभी-अभी लिखा था, उसके साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगीः

"खौफ़ देख, खौफ़ की ताबीर देख। दर्द पर लगाया है मरहम, तो उसकी ज़रा तामीर तो देख।"

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** सभापति महोदया, मैंने कहा था कि रेलवे मंत्रालय से बात करके रेलवे की बेकार पड़ी जमीन गरीबों को दी जाए, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी में ज्यादा इज़ाफा हो सकेगा।...(व्यवधान)

**डॉ. गिरिजा व्यास:** उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसके एक इंटर-मिनिस्टीरियल मीटिंग हो, हम लोग इंटर-मिनिस्टीरियल मीटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान)

**श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):** सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने बड़े मार्मिक ढंग से इसका जवाब दिया है। मुझे लगता है कि चार पंक्तियां उनके और इस सदन के नाम करके इस बिल को पारित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको मुखातिब करके और इस सदन को संबोधित करके कह रही हूं -

"किसी मजबूर की मजबूरियों को सोचकर देखो,
प्रेम को इन झोपड़ियों के बीच खोजकर देखो,
अगर इंसानियत को फिर से धरती पर बुलाते हो,
किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछकर देखो,
किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछकर देखो।"

इन रोते हुए के आंसुओं को पोंछने के लिए आप यह बिल यहां लेकर आई हैं, इसीलिए बिना किसी दलगत राजनीति के पूरा सदन इसको पारित कर रहा है।

MADAM CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to protect the rights of urban street vendors and to regulate street vending activities and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MADAM CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

**Clause 2 Definitions**

*Amendments made:*

Page 2, *for* lines 8 to 18, *substitute* —

'(a) "appropriate Government" means in respect of matters relating to,—

(i) a Union territory without Legislature, the Central Government;

(ii) the Union territories with Legislature, the Government of the National Capital Territory of Delhi or as the case may be, the Government of Union territory of Puducherry;

(iii) a State, the State Government;

(b) "holding capacity" means the maximum number of street vendors who can be accommodated in any vending zone and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee**;'.**

(3)

Page 2, *for* lines 28 to 30, *substitute* —

'(e) "natural market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;'.

(4)

Page 2, line 38, *after* "Municipal Act" *insert* ",as the case may be". (5)

Page 2, *omit* lines 44 and 45. (6)

Page 3, line 4, *for* "private area or" *substitute* "private area,". (7)

Page 3, line 11, *after* "local authority" *insert* "on the recommendations of the Town Vending Committee,". (8)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 2, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 3**

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

*The motion was negatived.*

**Clause 4 Registration of street vendors and issue of certificate of registration**

*Amendment made:*

Page 3, *for* lines 25 to 37, *substitute* —

"Survey of street vendors and protection from eviction or relocation.

4.(1) The Town Vending Committee shall, within such period and in such manner as may be specified in the scheme, conduct a survey of all existing street vendors, within the area under its jurisdiction, and subsequent survey shall be carried out at least once in every five years.

(2) The Town Vending Committee shall ensure that all existing street vendors, identified in the survey, are

accommodated in the vending zones subject to a norm conforming to two and half per cent. of the population of the ward or zone or town or city, as the case may be, in accordance with the plan for street vending and the holding capacity of the vending zones.

(3) No street vendor shall be evicted or as the case may be, relocated till the survey specified under sub-section (1) has been completed and the certificate of vending is issued to all street vendors.**”.**

(9)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 4, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 5 Persons not to engage in street vending without obtaining certificate of vending**

*Amendments made:*

Page 3, *for* lines 38 to 43, *substitute* -

| | |
|---|---|
| "Issue of certificate of vending. | 5.(1) Every street vendor, identified under the survey carried out under sub-section (1) of section 4, who has completed the age of fourteen years or such age as may be prescribed by the appropriate Government, shall be issued a certificate of vending by the Town Vending Committee, subject to such terms and conditions and within the period specified in the scheme including the restrictions specified in the plan for street vending: |

Provided that a person, whether or not included under the survey under sub-section (1) of section 4, who has been issued a certificate of vending before the commencement of this Act, whether known as licence or any other form of permission (whether as a stationary vendor or a mobile vendor or under any other category) shall be deemed to be a street vendor for that category for the period for which he has been issued such certificate of vending.

(2) Where, in the intervening period between two surveys, any person seeks to vend, the Town Vending Committee may grant a certificate of vending to such person, subject to the scheme, the plan for street vending and the holding capacity of the vending zones.

(3) Where the number of street vendors identified under sub-section (1) or the number of persons seeking to vend under sub-section (2) are more than the holding capacity of the vending zone and exceeds the number of persons to be accommodated in that vending zone, the Town Vending Committee shall carry out a draw of lots for issuing the certificate of vending for that vending zone and the remaining persons shall be accommodated in any adjoining vending zone to avoid relocation.

Conditions for issue of certificate of vending.

5A. (1) Every street vendor shall give an undertaking to the Town Vending Committee prior to the issue of a certificate of vending under section 5,that —

(a) he shall carry on the business of street vending himself or through any of his family member;

(b) he has no other means of livelihood;

(c) he shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending or the place specified therein to any other person.

(2) Where a street vendor to whom a certificate of vending is issued dies or suffers from any permanent disability or is ill, one of his family member in following order of priority, may vend in his place, till

the validity of the certificate of vending—

(a) spouse of the street vendor;
(b) dependent child of the street vendor:

Provided that where a dispute arises as to who is entitled to vend in the place of the vendor, the matter shall be decided by the committee under section 20.". (10)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 5, as amended, stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 5, as amended, was added to the Bill.*

**Motion Re: Suspension of Rule 80(i)**

DR. GIRIJA VYAS: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.41 to the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012, that that this amendment may be allowed to be moved."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.41 to the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012, that that this amendment may be allowed to be moved."

*The motion was adopted.*

**New Clause 5A** **Conditions for issue of certificate of vending.**

*Amendment made:*

Page 3, after line 43, insert–

5A. (1) Every street vendor shall give an undertaking to the Town Vending Committee prior to the issue of a certificate of vending under section 5,that —

(a) he shall carry on the business of street vending himself or through any of his family member;

(b) he has no other means of livelihood;

(c) he shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending or the place specified therein to any other person.

(2) Where a street vendor to whom a certificate of vending is issued dies or suffers from any permanent disability or is ill, one of his family member in following order of priority, may vend in his place, till the validity of the certificate of vending—

(a) spouse of the street vendor;
(b) dependent child of the street vendor:

Provided that where a dispute arises as to who is entitled to vend in the place of the vendor, the matter shall be decided by the committee under section 20.".

(41)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That New Clause 5A stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*New Clause 5A was added to the Bill.*

**Clause 6 Issue of certificate of vending**

*Amendments made:*

Page 3, *for* lines 44 to 47 *substitute* —

| | |
|---|---|
| "Categories of certificate of vending and issue of identity cards. | **6.**(1) The certificate of vending shall be issued under any of the following categories, namely:–<br>(a) a stationary vendor;<br>(b) a mobile vendor; or<br>(c) any other category as may be specified in the scheme.<br><br>(2) The certificate of vending issued for the categories specified in sub-section (1) shall be in such form, and issued in such manner, as may be specified in the scheme and specify the vending zone where the street vendor shall carry on his vending activities, the days and timings for carrying on such vending activities and the conditions and restrictions subject to which he shall carry on such vending activities.<br><br>(3) Every street vendor who has been issued certificate of vending under sub-section (1) shall be issued identity cards in such form and manner as may be specified in the scheme.". (11) |

Page 4, *omit* lines 1 to 12. (12)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 6, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 7 Criteria for issuing certificate of vending**

*Amendment made:*

Page 4, *for* line 17, *substitute* "specified in the scheme.". (13)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause7, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 8 and 9 were added to the Bill.*

**Clause 10 Cancellation or suspension of certificate of vending**

*Amendments made:*

Page 4, line 24, *for* "10.(1)" *substitute* "10.". (14)

Page 4, line 31, *for* "as it thinks fit:" *substitute* "as it deems fit:". (15)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That clause 10, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 10, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 11** **Appeal from decision of Town Vending Commitee**

*Amendments made:*

Page 4, line 35, *omit* "registration under section 4 or". (16)

Page 4, *for* line 38, substitute "prescribed.". (17)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That clause 11, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 11, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 12** **Rights of street vendor**

*Amendment made:*

Page 4, *for* lines 43 to 45, *substitute* —

"**12**. (1) Every street vendor shall have the right to carry on the business of street vending activities in accordance with the terms and conditions mentioned in the certificate of vending .". (18)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That clause 12, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 12, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 13** **Right of street vendor for a new site or area on relocation**

*Amendment made:*

Page 5, line 3, *after* "local authority.", *insert* "in consultation with the Town Vending Committee.". (19)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That clause 13, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 13, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 14 to 17 were added to the Bill.*

**Clause 18** **Relocation or eviction of street vendors**

*Amendment made:*

Page 5, *for* lines 16 to 31 *substitute* —

"Relocation or eviction of street vendors.

**18**. (1) The local authority may, on the recommendations of the Town Vending Committee, declare a zone or part of it to be a no vending zone for any public purpose and relocate the street vendors vending in that area, in such manner as may be specified in the scheme.

(2) The local authority shall evict such street vendor whose certificate of vending has been cancelled under section 10 or who does not have a certificate of vending and vends without such certificate, in such manner as may be specified in the scheme.

(3) No street vendor shall be relocated or

evicted by the local authority from the place specified in the certificate of vending unless he has been given thirty days notice for the same in such manner as may be specified in the scheme.

(4) A street vendor shall be relocated or evicted by the local authority physically in such manner as may be specified in the scheme only after he had failed to vacate the place specified in the certificate of vending, after the expiry of the period specified in the notice.

(5) Every street vendor who fails to relocate or vacate the place specified in the certificate of vending, after the expiry of the period specified in the notice, shall be liable to pay for every day of such default, a penalty which may extend up to two hundred and fifty rupees, as may be determined by the local authority, but shall not be more than the value of goods seized.". (20)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That clause 18, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 18, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 19 Confiscation and reclaiming of goods**

*Amendment made:*

Page 5, *for* lines 32 to 36, *substitute* —

"Seizure and reclaiming of goods.

**19.** (1) If the street vendor fails to vacate the place specified in the certificate of vending, after the lapse of the period specified in the notice given under sub-section (3) of section 18, the local authority, in addition to evicting the

street vendor under section 18, may, if it deems necessary, seize the goods of such street vendor in such manner as may be specified in the scheme:

Provided that where any such seizure is carried out, a list of goods seized shall be prepared, as specified in the scheme, and a copy thereof, duly signed by the person authorised to seize the goods, shall be issued to the street vendor.

(2) The street vendor whose goods have been seized under sub-section (1) may, reclaim his goods in such manner, and after paying such fees, as may be specified in the scheme:

Provided that in case of non-perishable goods, the local authority shall release the goods within two working days of the claim being made by the street vendor, and in case of perishable goods the local authority shall release the goods on the same day of the claim being made by the street vendor.". (21)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 19, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 19, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 20 Redressal of grievances for resolution of disputes of street vendors**

*Amendment made:*

Page 5, *for* lines 39 to 42, *substitute* —

"**20.** (1) The appropriate Government may constitute one or more committees consisting of a Chairperson who has been a civil judge or a judicial magistrate and two other professionals having such experience as may be

prescribed for the purpose of deciding the applications received under sub-section (2):

Provided that no employee of the appropriate Government or the local authority shall be appointed as members of the committee.”. (22)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 20, as amended, stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 20, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 21 Preparation of street vending plan**

*Amendment made:*

Page 6, *for* lines 17 to 23, *substitute* —

“Plan for street vending.

**21.** (1) Every local authority shall, in consultation with the planning authority and on the recommendations of the Town Vending Committee, once in every five years, prepare a plan to promote the vocation of street vendors covering the matters contained in the First Schedule.

(2) The plan for street vending prepared by the local authority shall be submitted to the appropriate Government for approval and that Government shall before notifying the plan, determine the norms applicable to the street vendors.”. (23)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 21, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 21, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 22 Town Vending Committee**

*Amendment made:*

Page 6, *for* lines 34 to 43, *substitute* —

"(b) such number of other members as may be prescribed, to be nominated by the appropriate Government, representing the local authority, medical officer of the local authority, the planning authority, traffic police, police, association of street vendors, market associations, traders associations, non-governmental organisations, community based organisations, resident welfare associations, banks and such other interests as it deems proper;

(c) the number of members nominated to represent the non-governmental organisations and the community based organisations shall not be less than ten per cent.;

(d) the number of members representing the street vendors shall not be less than forty per cent. who shall be elected by the street vendors themselves in such manner as may be prescribed:

Provided that one-third of members representing the street vendors shall be from amongst women vendors:

Provided further that due representation shall be given to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and persons with disabilities from amongst the members representing street vendors.". (24)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 22, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 22, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 23 Meetings of Town Vending Committee**

*Amendments made:*

Page 7, line 1, *for* "**23.**" *substitute* "**23.**(1)". (25)

Page 7, *after* line 3 , *insert* —

"(2) Every decision of the Town Vending Committee shall be notified along with the reasons for taking such decision.". (26)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 23, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 23, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 24 and 25 were added to the Bill.*

**Clause 26 Constitution of Ward Vending Committees**

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 26 stand part of the Bill."

*The motion was negatived.*

**Clause 27 Publication of street vendor's charter and database and carrying out social audit**

*Amendment made:*

Page 7, line 15, *omit* "certificate of registration and the". (27)
(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 27, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 27, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 28 Duties of local authority**

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That clause 28 stand part of the Bill."

*The motion was negatived.*

MADAM CHAIRMAN: Clause 28 is dropped from the Bill.

**Clause 29 Prevention of harassment by police and other authorities**

*Amendment made:*

Page 7, line 34, for "No street vendor", substitute

"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no street vendor". (28)
(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 29, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 29, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 30 Penality for contraventional**

*Amendment made:*

Page 7, *omit* line 42. (29)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 30, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 30, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 31 to 33 were added to the Bill.*

**Clause 34 Research training and awareness**

*Amendment made:*

Page 8, *for* lines 24 and 25, substitute —

"(a) organise capacity building programmes to enable the street vendors to exercise the rights contemplated under this Act;". (30)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 34, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 34, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 35 Act to have overriding effect**

*Amendment made:*

Page 8, *omit* lines 33 to 36. (31)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 35, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 35, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 36 was added to the Bill.*

**Clause 37 Power to amend schedules**

*Amendment made:*

Page 8, line 45, *omit* "or the Third Schedule". (32)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 37, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 37, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 38 Power to make rules**

*Amendments made:*

Page 9, *for* lines 1 and 2, *substitute* —

**"38.**(1) The appropriate Government shall, within one year from the date of commencement of this Act, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.". (33)

Page 9, *for* lines 5 to 7, *substitute* —

"(a) the age for street vending under sub-section (1) of section 5;

(b) the form, period and manner of filing appeal with the local authority under sub-section (1) of section 11;". (34)

Page 9, *after* line 22, insert —

"(ja) the manner of elections among street vendors under clause (d) of sub-section (2) of section 22;". (35)

Page 9, *omit* lines 33 to 35. (36)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 38, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 38, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 39 was added to the Bill.*

**Clause 40 Scheme for street vendors**

*Amendment made:*

Page 10, *for* lines 16 to 18, *substitute* —

"**40.** (1) For the purposes of this Act, the appropriate Government shall frame a scheme, within six months from the date of commencement of this Act, after due consultations with the local authority and the Town Vending Committee, by notification, which may specify all or any of the matters provided in the Second Schedule.".

(37)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 40, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 40, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 41 was added to the Bill.*

**First Schedule**

*Amendment made:*

Page 11, *for* lines 1 to 26, *substitute* —

"THE FIRST SCHEDULE
(See section 21)

Plan for Street Vending

(1) The plan for street vending shall,-

(a) ensure that all existing street vendors identified in the survey, subject to a norm conforming to two and half per cent. of the population of the ward, zone, town or city, as the case may be, are accommodated in the plan for street vending;

(b) ensure the right of commuters to move freely and use the roads without any impediment;

(c) ensure that the provision of space or area for street vending is reasonable and consistent with existing natural markets;

(d) take into account the civic facilities for appropriate use of identified spaces or areas as vending zones;

(e) promote convenient, efficient and cost effective distribution of goods and provision of services;

(f) such other matters as may be specified in the scheme to give effect to the plan for street vending.

(2) The plan for street vending shall contain all of the following matters, namely:-

(a) determination of spatial planning norms for street vending;

(b)earmarking of space or area for vending zones;

(c) determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;

(d) making of spatial plans conducive and adequate for the prevalent number of street vendors in that city or town and also for the future growth, by adopting such norms as may be necessary;

(e) consequential changes needed in the existing master plan, development plan, zonal plan, layout plan and any other plan for accommodating street vendors in the designated vending zones.

(3) Declaration of no-vending zone shall be carried out by the plan for street vending, subject to the following principles, namely :—

(a) any existing market, or a natural market as identified under the survey shall not be declared as a no-vending zone;

(b) declaration of no-vending zone shall be done in a manner which displaces the minimum percentage of street vendors;

(c) overcrowding of any place shall not be a basis for declaring any area as a no-vending zone provided that restrictions may be placed on issuing certificate of vending in such areas to persons not identified as street vendors in the survey;

(d) sanitary concerns shall not be the basis for declaring any area as a no-vending zone unless such concerns can be solely attributed to street vendors and cannot be resolved through appropriate civic action by the local authority;

(e) till such time as the survey has not been carried out and the plan for street vending has not been formulated, no zone shall be declared as a no-vending zone.”. (38)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the First Schedule, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The First Schedule, as amended, was added to the Bill.*

**Second Schedule**

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That Second Schedule stand part of the Bill."

*The motion was negatived.*

**Third Schedule**

*Amendments made:*

Page 13, *for* lines 1 to 39, *substitute* —

"THE SECOND SCHEDULE
[See section 40]

Matters to be provided in the Scheme for Street Vendors framed by the appropriate Government:

(a) the manner of conducting survey;

(b) the period within which certificate of vending shall be issued to the street vendors identified under the survey;

(c) the terms and conditions subject to which certificate of vending may be issued to a street vendor including to those persons who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys;

(d) the form and the manner in which the certificate of vending may be issued to a street vendor;

(e) the form and manner of issuing identity cards to street vendors;

(f) the criteria for issuing certificate of vending to street vendors;

(g) the vending fees to be paid on the basis of category of street vending, which may be different for different cities;

(h)the manner of collecting, through banks, counters of local authority and counters of Town Vending Committee, vending fees, maintenance charges and penalties for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services;

(i) the period of validity of certificate of vending;

(j) the period for which and the manner in which a certificate of vending may be renewed and the fees for such renewal;

(k) the manner in which the certificate of vending may be suspended or cancelled;

(l) the categories of street vendors other than stationery vendors and mobile vendors;

(m) the other categories of persons for preference for issue of certificate of vending;

(n) the public purpose for which a street vendor may be relocated and the manner of relocating street vendor;

(o) the manner of evicting a street vendor;

(p) the manner of giving notice for eviction of a street vendor;

(q) the manner of evicting a street vendor physically on failure to evict;

(r) the manner of seizure of goods by the local authority, including preparation and issue of list of goods seized;

(s) the manner of reclaiming seized goods by the street vendor and the fees for the same;

(t) the form and the manner for carrying out social audit of the activities of Town Vending Committee;

(u) the conditions under which private places may be designated as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;

(v) the terms and conditions for street vending including norms to be observed for up keeping public health and hygiene;

(w) the designation of State Nodal Officer for co-ordination of all matters relating to street vending at the state level;

(x) the manner of maintenance of proper records and other documents by the Town Vending Committee, local authority, planning authority and State Nodal Officer in respect of street vendors;

(y) the manner of carrying out vending activities on time-sharing basis;

(z) the principles for determination of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no-vending zones;

(za) the principles for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive census and survey;

(zb) principles of relocation subject to the following:

(i) relocation should be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question;

(ii) affected vendors or their representatives shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project;

(iii) affected vendors shall be relocated so as to improve their livelihoods and standards of living or at least to restore them, in real terms to pre-evicted levels.

(iv) livelihood opportunities created by new infrastructure development projects shall accommodate the displaced vendors so that they can make use of the livelihood opportunities created by the new infrastructure;

(v) loss of assets shall be avoided and in case of any loss, it shall be compensated;

(vi) any transfer of title or other interest in land shall not affect the rights of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of this Act;

(vii) state machinery shall take comprehensive measures to check and control the practice of forced evictions;

(viii) natural markets where street vendors have conducted business for over fifty years shall be declared as heritage markets, and the street vendors in such markets shall not be relocated.

(zc) any other matter which may be included in the scheme for carrying out the purposes of this Act.". (39)

Page 14, *omit* lines 1 to 8. (40)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 1 Short title, extent, commencement and provisions**

*Amendment made:*

Page 1, line 5, *for* "2012" *substitute* "2013". (2)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

**Enacting Formula**

*Amendment made:*

Page 1, line 1, *for* "Sixty-third Year" *substitute* "Sixty-fourth Year". (1)

(Dr. Girija Vyas)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

*The Long Title was added to the Bill.*

MADAM CHAIRMAN: The Minister may move that the Bill, as amended, be passed.

DR. GIRIJA VYAS: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

*The motion was adopted.*

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** माननीय सभापति महोदया, यह बिल तीन महिलाओं ने पास कराया है, महिला मंत्री, महिला सभापति और महिला नेता प्रतिपक्ष।

**सभापति महोदय :** महिला प्रतिपक्ष ने जोर से आपका साथ दिया है।

**डॉ. गिरिजा व्यास :** धन्यवाद।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : Hon. Members, in the Bill that we have just passed, three Clauses and one Schedule have been negatived. Also one new Clause has been added.

I, therefore, direct that wherever required, the subsequent Clauses and Sub-clauses may be re-numbered accordingly.

---

… (*Interruptions*)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** माननीय सभापति महोदया, साढ़े पांच बज गए हैं, मैंने हाफ एन आवर डिसकशन का नोटिस दिया हुआ है। यह मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय मंत्री जी भी मौजूद हैं। ...(व्यवधान)

**शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य की बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला बिल बहुत छोटा है।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** हमने कल भी संतोष किया था। हमें आज के लिए कहा गया था। आज साढ़े पांच बज गए हैं। अब आप आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए। ...(व्यवधान)

**श्री कमल नाथ:** अभी बिल ले लें और इसके बाद टेकअप करेंगे। यह मेरी रिक्वेस्ट है।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Now we shall take up Item No. 16.

**17.42 hrs**

## RAJIV GANDHI NATIONAL AVIATION UNIVERSITY BILL, 2013

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI AJIT SINGH): Madam Chairman, with your permission, I beg to move*:

> "That the Bill to establish and incorporate a national aviation University to facilitate and promote aviation studies and research to achieve excellence in areas of aviation management, policy, science and technology, aviation environment, training in governing fields of safety and security regulations on aviation and other related fields to produce quality human resources to cater to the needs of aviation sector and to provide for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

Madam, the Bill proposes setting up a National Aviation University as a Central University under an Act of Parliament at Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi Campus at Fursatganj, District Raebareli, Uttar Pradesh.

In 2006, Kaw Committee had recommended setting up of a National Aviation University in India. The 12th Five Year Plan Document also made a similar recommendation to augment qualified and trained manpower for aviation sector in India.

India is poised to be amongst the top three aviation markets in the world within next two decades. Its implied demand requires skilled human resources to upgrade and operate infrastructure across segments such as airlines, airports, ground-handling, cargo operations, maintenance, repair and overhaul etc. There is a virtual vacuum in the field of operational research in civil aviation and absence of credible institutions imparting specialized technical and managerial training in air transportation, safety, security and regulatory areas. There is lack of standardization of the quality of such education and training. Affiliation and academic supervision by a Central University is, therefore, a necessary investment

---

* Moved with the recommendation of the President.

in human resources and is critically required for civil aviation sector in India at this juncture.

It is proposed to set up National Aviation University on a piece of land available with Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi. Prime reason for selection of location is availability of the land of 26.35 acres and infrastructure in IGRUA campus.

The object of the proposed legislation is to establish a Central University as a society set up as an autonomous body under the administrative control of Ministry of Civil Aviation to promote aviation education, training, research and extension work. It shall be the endeavour of the University to maintain an international character and the highest possible standards of teaching and research. The Central Government will support the cost of setting up the proposed university with an estimated Central Government funding of Rs.202 crore in Phase-1, 2014-2019, on the land available with IGRUA. The capital expenditure would be Rs.145 crore, recurring expenditure is Rs.170 crore, revenue generated is Rs.113 crore, project outlay total is Rs.202 crore. The academic session of the NAU is proposed to be started by September 2014.

Madam Chairman, I believe and most hon. Members believe that it is time to set up a world-class university in the aviation sector. I would also like to request the hon. Members to pass this Bill without discussion so that many more members may get an opportunity to participate in the business to be conducted in the next two hours today.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I want to make a five-minute submission on this.

MADAM CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to establish and incorporate a national aviation University to facilitate and promote aviation studies and research to achieve excellence in areas of aviation management, policy, science and technology, aviation environment, training in governing fields of safety and security regulations on aviation and other related fields to produce quality human resources to cater to the needs of aviation sector and to provide for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

Shri Ananth Kumar.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, I think this is a very important Bill and it merits a debate in the House.

I am really surprised why our hon. Civil Aviation Minister has brought this Bill so hurriedly. We thought that before bringing the Aviation University Bill, he would be bringing a Bill for setting up a civil aviation authority in the country. When there is no civil aviation authority in India and suddenly he brings this Aviation University Bill, it is like putting the cart before the horse.

We want to have a regulatory authority in place first. We have the Medical Council of India, we have the University Grants Commission, we have the AICTE first before starting universities, engineering and medical colleges. And here the hon. Minister of Civil Aviation is indulging in a *vice versa* activity and I am surprised at this.

Our hon. Parliamentary Affairs Minister Kamal Nathji is here. There are many other important Bills, more important than this Bill, which are pending. Today being the last day of the session, I do not know what is the priority of Chaudhary Ajit Singhji for bringing this Bill? We have the Indira Gandhi National University for Women Bill which is listed for today. We have the Seeds Bill which is a very important piece of legislation for the protection of farmers from exploitation by seed manufacturing and marketing companies, which is not getting any priority. We also have Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill pending since 2012. We have the Lokpal Bill pending. We have the Women's Reservation Bill which our leader Shrimati Sushma Swarajji has incessantly fought for. But unfortunately, Ajit Singhji, before bringing a Bill on civil aviation authority has brought this Bill of Aviation University.

I am also amazed and surprised that this Aviation University is slated to be established in Fursatganj of Raebareli. Raebareli is an aviation desert. We cannot have an aviation university there. If at all there is a place in this country where you should have an aviation university, it is the aerospace capital Bengaluru.

… (*Interruptions*) Why Bengaluru? … (*Interruptions*) There are 2-3 important factors. Firstly, we need to have an airstrip; we need to have an airport; we need to have a training command; we need to have air force command; we need to have all those facilities. Bengaluru has four airstrips – we have HAL airport; we have Jakkur airport; we have Yelahanka airport and we have a new international airport, which has been named after Nadaprabhu Kempegowda. If there is one city where we have four airstrips of international standards, it is Bengaluru.

I want to draw the attention of the Civil Aviation Minister that Bengaluru being the aerospace capital of India, we have ISRO there; the headquarters of Indian Space Research Organization is in Bengaluru. The only aircraft manufacturing facility, Hindustan Aeronautical Limited, HAL is situated in Bengaluru. We have the National Aeronautical Laboratory, NAL, which tests R&D in modern aircraft and helicopters is in Bengaluru. We have three Defence and Air Force Organizations in Bengaluru – one is Deference Research and Development Organization, DRDO, Aeronautical Development Agency, ADA, and Aeronautical Development Establishment. That means, the entire country's aeronautical prowess, aeronautical capability is situated in one city, Bengaluru. When Bengaluru is the aerospace capital of India, Fursatgang and Rae Bereli are aviation desert. You even do not have proper airstrip there. … (*Interruptions*)

**सभापति महोदया :** आप अपनी बात बाद में रख सकते हैं।

…(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Please be seated.

… (*Interruptions*)

**सभापति महोदय :**जब आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात रखना।

…(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Take your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: Shri Ajit Singh Ji knows and understands that for development of backward area, you need not have Aviation University there; you need to have schools, colleges, roads and others. Rae Bareli and Amethi do not have the basic infrastructure. … (*Interruptions*) Madam, to establish Aviation University, you require trained manpower. In Bengaluru, we have IISc., IIIT, many engineering and IT colleges, and also the IT giants. You know that after year 2000, Y2K, the entire aviation systems have been transferred to terrestrial, to CNSATM – Air Traffic Management, Communication, Navigation and Surveillance, etc. … (*Interruptions*)

**सभापति महोदय :** आप बाद में बंगाल के लिए मांग लीजिएगा।

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Therefore, I urge the hon. Minister. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: You can demand for your place also.

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, my request to the hon. Minister and the Government is that he may change the location of the University; and from Rae Bareli and from Fursatgang, you can bring the Aviation University to the aerospace capital of India, Bengaluru. That is my request.

One more strong objection that I am raising is that the Aviation University is being named after our late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. I have nothing against Shri Rajiv Gandhi but at the same time I want to bring to the knowledge of the entire august House that in the Central Government schemes, there are six schemes named after Shri Rajiv Gandhi… (*Interruptions*) In State Government Schemes, there are 25 schemes named after him; 23 sports and tournaments are named after Shri Rajiv Gandhi. Stadiums, airports, universities, awards, scholarships, national parks, sanctuaries, museums, hospitals, medical institutions, roads… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : This is not the way. Please sit down.

… (*Interruptions*)

**सभापति महोदया :** जब आपका नंबर आएगा, तब आप बोल सकते हैं।

…(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** आप थोड़ी सहनशक्ति रखिए।।

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : I am not yielding.

Madam, I want to clarify that I have nothing against Shri Rajiv Gandhi but at the same time 444 institutions, universities, roads, bridges, canals have been named after Shri Rajiv Gandhi.… (*Interruptions*) I understand if Shri Kamal Nath ji, Shri Veerappa Moily ji and Kumari Selja ji indulge in ...* and ...* but I do not understand why Shri Ajit Singh ji is indulging in ...* because Choudhary Charan Singh ji always fought against Congress. He was one of the top leaders of the non-Congress Movement in this country. Having that legacy, I do not understand this!

I want to humbly suggest to the hon. Minister that if at all we want to name, we can name it after Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Bhagat Singh, Chandra Shekhar Azad, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Baba Saheb Ambedkar, Rani Jhansi Laxmi Bai… (*Interruptions*)

**सभापति महोदया :** प्लीज बैठ जाइए। बार-बार ऐसे उठना अच्छा नहीं है। प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** ऐसे टोकाटाकी करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज बैठ जाइए। This is not proper.

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, at the same time, if at all our hon. Civil Aviation Minister wants to name the university with an aviator politician he can name the university after Biju Patnaik. Biju Patnaik was such an aviator who even

---

* Expunged as ordered by the Chair.

flew aircraft with President Sukarno on board but unfortunately I do not understand this mentality of ...*

Today, I am urging the hon. Minister that we really need to have the university in Bengaluru because of the faculty, training facilities, atmosphere and because of various other factors that are there. I genuinely feel this because you require people from Singapore to come in; people from US to come in and you require people from boeing and airbus to come in. You have to work on simulators. I do not know how all these faculty members can come to Raebareli ! They can easily come to Bengaluru and impart education.

Not only that, in all these organizations, from HAL, NAL, ADA ADE, DRDO, Indian Institute of Science to IIIT, if you want to take faculty for the university, it is a matter of great ease. But in any other destination, in any other location, it is very difficult. At the same time, I also want to tell our hon. Civil Aviation Minister that we had a great engineer statesman, Sir M. Visvesvaraya.

**18.00 hrs.**

Sir M. Visvesvaraya, whose centenary was in 1959 was attended by none other than Pt. Jawaharlal Nehru, as Prime Minister of India. Sir M. Visvesvaraya was awarded Bharat Ratna. He was the pioneer of Indian aviation industry. He laid the foundation for HAL. Therefore, the University should be dedicated to Sir M. Visvesvaraya's memory. That is my request… (*Interruptions*). We had started an aerospace club and that aerospace club is also working in Sir M. Visvesvaraya's name only.

When the hon. Minister is moving this Bill, I do not want to go into the details of Director-General of Civil Aviation; what the Standing Committee has said; how the DGCA is working; how many vacancies are there; and what are the pitfalls in that regarding safety, maintenance and airworthiness.

**सभापति महोदया :** अनन्त कुमार जी, एक मिनट बैठिये। छः बज गए हैं। कितना समय बढ़ाना चाहेंगे?

---

* Expunged as ordered by the Chair.

**श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):** जब तक यह खत्म हो। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Madam, we have three more Bills.

**सभापति महोदया :** अभी तो 9 बजे तक बढ़ा देते हैं। तब तक ये सभी बिल कर लेंगे।

जो माननीय सदस्य अपने भाषण लिखित में देना चाहें, वे कृपया सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें।

...(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, I do not want to go into the details of Standing Committee regarding the functioning of DGCA.

SHRI AJIT SINGH: We are not discussing these things.

SHRI ANANTH KUMAR : We are not discussing this but at the same time, in the Objects of this Bill, you have said that you require a Civil Aviation Authority and to have a Civil Aviation Authority, you require a civil aviation Bill. But without bringing the Civil Aviation Bill, you have brought this Aviation University Bill.

The hon. Minister also knows that aviation industry is growing with 130 per cent growth rate. When 130 per cent growth rate is there, I would request him to change the location from Fursatganj Raebareli to Bengaluru and name this Aviation University in the name of Dr. Mokshagundam Visvesvaraya.

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** माननीय सभापति महोदया, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा। आपने मुझे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक 2013 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने यह कहा था कि जितने भी विधेयक ले रहे हैं, हम इस पर डिसकशन नहीं करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी यही बात हुई थी। हम लोग तो आश्वस्त हो गए थे। जब डिसकशन शुरू हो गया है तो मैं इस विधेयक का पुरज़ोर तरीके से समर्थन करते हुए यह बात कहना चाहूँगा कि रेल कोच फैक्ट्री, राजीव गांधी पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान और इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय तथा इसके पहले बहुत से संस्थान बने। मैं इनका विरोध नहीं करता, लेकिन तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विश्वविद्यालय खुलने चाहिए, जहाँ विमानपत्तन खुलने चाहिए। मेरा सुझाव है कि ऐसे तमाम पिछड़े इलाके हैं। इससे व्यवसाय और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप और भी क्षेत्रों का चयन करके विस्तार कीजिए, न कि रायबरेली, अमेठी तक ही सीमित रहें। कम से कम इसका ध्यान रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*[*]**श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)**: वर्तमान में समय की आवश्यकता है कि हम अपने ही देश में अपने बच्चों को मौका दें कि वह अपनी प्रतिभा का विस्तार विमानन सेक्टर में करें। आज विश्व के अनेक देश अमेरिका जैसे देश भारतीय ब्रेन के बूते पर ही विकास की राह पर अग्रसर है। यदि हमारे बच्चों को आधुनिक तकनीकी विमानन शिक्षा अपने ही देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध होंगी तो निश्चित ही हमारा देश सफलता की नई बुलन्दियों को छुएगा ।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि  राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक होना चाहिए जिससे वहां से शिक्षा ग्रहण करते ही उसका सेवायोजन हो जाए। आज यह देखा जा रहा है कि देश के प्रशिक्षित पायलटों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। इतनी महंगी पढ़ाई करने के बाद जब रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो देश के प्रशिक्षित युवाओं का मनोबल गिरता है। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में देश की सबसे कम उम्र की पॉयलट कु0 हिमांगी ऑबराय है, जो आज तक रोजगार की तलाश में भटक रही है । सिर्फ हिमांगी ही नहीं अनेकों ऐसे युवा हैं जो पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हाल ही में किंगफिशर एयरलाइन बंद होने से अनेकों पायलट, केबिन क्रू और अन्य तकनीकी सहायक आदि बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में इन प्रशिक्षित पायलटों व तकनीकी सदस्यों के रोजगार के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए।

हमारे रिमोट क्षेत्रों में सरकार को एयर टैक्सी का परिचालन करवाना चाहिए जिससे हमारे युवा प्रशिक्षित बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो सके। सरकार को चाहिए कि वो एविएशन सैक्टर में भारत को हब के रूप में विकसित करे। इसके लिए सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए। हवाई जहाज की मरम्मत, रख-रखाव उनके कल पुर्जे निर्माण

[*] Speech was laid on the Table

यह सब देश में ही होना सुनिश्चित होना चाहिए। जिससे विश्व के दूसरे देशों के जहाज भी सही होने के लिए हमारे देश में आए। ऑस्ट्रेलिया ने आज इस सेक्टर में काफी प्रगति की है, वहां के डॉक्टर भी मरीज को देखने के लिए अपना प्लेन ले जाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहां भी इस संदर्भ में काफी गुंजाइश है। हमारे यहां प्रतिभाएं भी हैं और यदि इच्छाशक्ति हो तो इसे पूरा भी किया जा सकता है।

यहां में यह भी कहना चाहता हूं कि यदि इस विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड में हो जाए तो यहां की तीन हवाई अड्डे हरिद्वार, देहरादून और पंत नगर मिल जाएंगे जिससे ट्रेनिंग में आसानी हो जाएंगी। कैप्टन सतीश शर्मा जी ने इस संबंध में पहले भी नोट लिखा था ।

आज भारत सरकार ने अपने देश की धरती से ड्रीमलाइनर जहाजों को उड़ा कर आज ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों तक शीघ्र पहुंचने की शक्ति हासिल कर ली है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मेरा सुझाव है कि भारत से पनामा तक सीधी हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए जिसे भारत, एशिया में एविएशन का हब बन जाएगा।

फ्लाइट स्कल्पचर के माध्यम से पायलटस व टेक्निकल प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग प्रदान करवानी चाहिए। इससे बिना पेट्रोल के ही उन्हें फ्लाइंग एक्सपेयिरंस प्रदान होगा तथा वह जहाज उड़ाने की कुशलता को प्राप्त करेंगे।

मेरा यहां यह भी सुझाव कि एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए। जिससे हमारी कनेक्टविटी बढ़ सके। अभी ऐसा देखने में आता है कि एएआई के एयरपोट्र्स भारतीय वायु सेना के साथ साझा कर रहे हैं, जिससे हमारी सामरिक ताकत प्रभावित होती है। यदि एएआई अपने बड़े एयरपोर्टस का निर्माण करेगा तो विश्व में सिविल एविएशन में तो हमारी ताकत बढ़ेगी ही साथ ही सामरिक ताकत भी बढ़ेगी । हाल ही में आई

उत्तराखंड आपदा में बचाव कार्य के लिए एक भी बड़ा जहाज पहाड़ पर नहीं उतर पाया क्योंकि पहाड़ के गौचर, चिन्यालीसौड़ व पिथौरागढ़ में बने हवाई अड्डे छोटे हैं वहां सिर्फ छोटे जहाज ही उतर सकते हैं। यदि हम दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में भी बड़े एयरपोर्टस का निर्माण करेंगे तो किसी भी आपदा के समय में हम अधिक तीव्रता से राहत कार्य कर सकेंगे।

मेरा यह यह भी सुझाव है कि मेरठ में भी एक उत्तरी क्षेत्र के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होना चाहिए जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने भरी जा सकें। मुझे आशा है मंत्री जी इस कार्य को शीघ्रता से संपादित करेंगे।

देहरादून हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होनी चाहिए, जैसे नेपाल के लिए वहां से सीधी हवाई सेवा होनी चाहिए।

हमारा प्रयास होना चाहिए कि भारत में वर्ल्ड क्लास हवाई शिक्षा होनी चाहिए जिससे एविएशन सेक्टर में भारत का नाम पूरे विश्व में गूंजायमान हो सके। आज कॉरपोरेट्स के अपने जहाज हैं जो भविष्य में और बढ़ेंगे ऐसे में हमें अधिक पॉयलट्स की आवश्यकता पड़ेगी ।

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं मुझे आशा है कि आप एविएशन सेक्टर में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं बिल का समर्थन करता हूं ।

* **SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI) :** At the outset I congratulate the Hon'ble Minister for bringing the Bill titled the Rajiv Gandhi National Aviation University Bill, 2013. The government has brought the Bill at an appropriate time when the country is witnessing indiscipline in our aviation sector. We have been reading in newspapers frequently of the aircrafts skidding off the runway, recurrences of near collusion, indiscipline within the aircrafts during flying, etc. So, the present Bill is in the right direction to bring in accountability in our aviation sector.

Why I said the Bill is in the right direction is because India would be the third largest aviation market by 2020 and it is expected that the country's airports would be handling 336 million domestic and 85 million international passengers with projected investment to the tune of US$ 120 billion by 2020.

The Civil Aviation Sector is facing acute manpower shortage, especially in the technical cadre. As per estimates of the sub-group on Human Resource Development for the Civil Aviation Sector, India would need 5,400 pilots.

Similarly, the demand for Aircraft Maintenance Engineers and Air Traffic Controllers would rise with the increasing number of flights and the new airports. Given a population of more than one billion plus, the requirement for the technical manpower appears inconsequential, but the low supply churn out rate of quality technical grade personnel might perpetuate an undermanned Indian aviation sector.

---

* Speech was laid on the Table.

There are around 40 approved flying training institutes in the country out of which 17 are functional. The training of commercial pilot is a time consuming process. At present, only 100 pilots graduate from these flying schools every year. On the short term demand basis there would be requirement of at least 150 pilots per year as replacements for retirements and normal attrition.

Therefore, the country must be ready or equipped to face the above challenge and I hope the present Bill will meet the above aspirations.

Clause 3 (3) of the Bill provides for establishing or maintain campuses and centers. What I wish to mention here that one such regional centre may please be established at Chennai, to cater to the needs of the students of the southern region of the country who are interested to study in aviation sector. I would like to stress upon the Hon'ble Minister that all the centers which the government intends to set up, should be under the direct control of the government and no affiliation should be granted for establishing institutions under the said Bill.

When we are talking about our aviation sector, how can I ignore our national carrier, Air India. I am happy that the Hon'ble Minister is taking special attention to make Air India a profitable organization and I am sure that the Air India is showing the signs in this regard. However, I would like to bring to the kind notice of the Hon'ble Minister that Air India is still not operating in profitable routes both domestic and international. I have heard that if Air India operates some international routes which are not presently used by Air India, Air India can earn handsome revenue. Therefore, I urge upon the Hon'ble Minister to direct the

Air India to undertake a study to find out the feasibility of operating aircrafts to routes which are not operated as of now. With this I conclude and support this Bill.

**श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):** सभापति महोदया, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 बिल माननीय मंत्री जी ले कर आए हैं, इसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं और यह बहुत बड़ा प्रदेश है और पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कभी बाढ़ से प्रभावित होता है, कभी सूखे से। शिक्षा के लिए अलग से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व्यवस्था देती है, पूर्वांचल विकास निधि। मैं चाहूंगा कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में जो ग्रामीण अंचल में है, वहां जमीन बहुत अधिक है। वहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, तो इससे ग्रामीण अंचल के लोगों को भी विमानन क्षेत्र में आने में सुविधा और सहूलियत मिलेगी। ग्रामीण अंचल के लोग जिस तकनीकी ज्ञान से पिछड़े हैं, वह भी अपने को इससे जोड़ पाएंगे। यह बहुत अच्छा बिल है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में बहुत जमीन है। वहां इसकी स्थापना करें ताकि ग्रामीण अंचलों को भी इस तकनीकी ज्ञान का लाभ मिल सके।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I shall be very brief. I have nothing against the Bill to set up the Rajiv Gandhi National Aviation University at Fursatganj, Raebareli. Our late Prime Minister, Rajiv Gandhi, was a commercial pilot who had obtained a Boeing licence. When he was Prime Minister he had set up the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi at Fursatganj, Raebareli. There is a basic infrastructure there. The new University would be set up on that land at a cost of Rs. 202 crore. There is a need to standardise aviation training in this country.

I represent a constituency, which has the Kolkata airport. There are many fly-by-night operators. Somebody teaches you maintenance of the aircraft; and somebody teaches you how to be an airhostess. So, there is no standardisation in training and education as far as civil aviation is concerned.

It has many aspects, like cargo handling, airport handling, flight safety, etc. I do not want to go into that. There is a need for very specialised training. For instance, take the job of air traffic controllers. They perform a very technical work. But there are no institutions to train people in that.

So, an idea of an aviation university is a modern and forward-looking idea, considering that India is soon going to be the third largest market for airlines in the world. … (*Interruptions*) Please allow me another two minutes to put forth a small problem.

There is this Airports Authority of India. It runs many airports. The Government has already given four airports to the private sector. Two companies, the GMR and the GVK, made a loot in these airports. We know from the CAG airport what looting has gone on by the GMR in the Delhi airport. In Kolkata, there is the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. This was modernized by the Airports Authority of India at a cost of Rs. 2,300 crore. The new modernized airport was inaugurated by the President of India. The Minister of Civil Aviation was also there. Our Chief Minister was also there. It was inaugurated on 20th January this year.

The Chennai airport was also modernized by the Airports Authority of India at a cost of Rs. 2,150 crore. Now, the Minister of Civil Aviation is thinking, under pressure from the Deputy-Chairman and other members of the Planning Commission that these airports are to be privatized. These two airports were modernized at the cost of the exchequer. He is also planning to privatize Guwahati, Lucknow, Jaipur and Ahmedabad airports. I am totally opposed to handing over these airports, built at State cost, to private parties.

As far as maintenance is concerned, you can outsource them. But the management, ownership and operation in these airports must be in the hands of the Government.

Madam, please permit me to speak for one more minute. Any asset built with the State money should not be given to the GMR, GVK-type private entities. On behalf of the workers of the Airports Authority of India, I want to inform this House this thing. I seek the support of all of you to oppose the plan for airport privatization. The workers of the Airports Authority will ultimately have to go in for a straight confrontation, total strike from November if the hon. Minister does not give up the anti-people policy and if he goes on to privatize State Airports.

With these words, I conclude.

SHRI SHARAD YADAV (MADHEPURA): Madam, I support Prof. Saugata Roy on this issue.… (*Interruptions*)

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि एविएशन क्षेत्र बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है । इस क्षेत्र में समग्र विश्व में भारत अगले पायदान पर है । इसलिए एविएशन क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट, विश्वविद्यालय ऑफ एक्सलेंस की समय ही जरूरी है ।

वर्तमान में विमानन क्षेत्र में कई संस्थाएं कार्यरत है, जो इसी क्षेत्र में पाइलेट्स, एयर हॉस्टेस एवं अन्य लोगों की ट्रेनिंग में कार्यरत है ।

यह क्षेत्र जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे लेकर इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय विधेयक का मैं स्वागत करता हूं । इस विद्यालय की बजट से पाइलेट्स, एयर हॉस्टेस, सिक्योरिटी स्टाफ, हेल्थ स्टाफ, कार्गो स्टाफ एवं होस्पिटलिटी क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग हो सकेगी । इस ट्रेनिंग की यूनिफार्मेटी होगी और एविएशन क्षेत्र में प्रगति होगी ।

इस विद्यालय को सियासी तरीके से रायबरेली क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव की जगह मैं उसे अहमदाबाद-गांधीनगर क्षेत्र में स्थापित करने का सुझाव देता हूं ।

* Speech was laid on the Table

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):** सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप ने मुझे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर बोलने का अवसर दिया है।

सभापति महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि यह बिल तो बड़ा अच्छा है। इसका प्रारूप बहुत सुन्दर है। इसके जो उद्देश्य हैं, वे भी बहुत सुन्दर हैं। बाकी बातों को हमारे सहयोगियों ने कहा है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी एक अच्छे पायलट थे। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय हो, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना वैसी जगह पर होनी चाहिए जहां इसके लिए आवश्यक सुविधाएं हों, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर हो।...(व्यवधान) फुरसतगंज बड़ी जगह हो सकती है लेकिन इस विश्वविद्यालय में जिस तरह के शिक्षण के कार्य, जिस तरह का प्रशिक्षण विमानन विज्ञान, विमानन मैनेजमेंट, सुरक्षा आदि की जो शिक्षा दी जाएगी, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए जिन आधारभूत सुविधाओं और संरचना की आवश्यकता है, वे जहां हैं, वहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो हम अन्तरराष्ट्रीय मानक, अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा की बात जरूर करते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बिहार में जिस इलाके से चुन कर आता हूं तो वहां मेरे सबसे नज़दीक का हवाई अड्डा गया है। कहने के लिए तो गया हवाई अड्डा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है लेकिन वहां सुविधा के नाम पर क्या है, इसका मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। एक, उस अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर नाइट लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा, वहां के शौचालयों में आप चले जाएं तो आपको एक नैपकीन तक नहीं मिलेगा, एक टिश्यू पेपर तक नहीं मिलेगा और हम कहते हैं कि यह अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हमारी नीयत और हमारी नीति दोनों में एकरूपता होनी चाहिए। केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए, किसी क्षेत्र विशेष को उपकृत करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए यह काम नहीं होना चाहिए। नीति की बात होनी चाहिए और नीयत पक्का होना चाहिए। तब जाकर हम जो करना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, उसमें हम सफल होंगे।

महोदया, मैं इस विश्वविद्यालय के स्थापना के बिल का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। लेकिन, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहता हूं कि देश में पहले इसका सर्वे करा लिया जाए। देश में जहां भी इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां इसकी स्थापना होनी चाहिए। इसके नाम पर मेरा कोई

विवाद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। राजीव गांधी जी एक अच्छे पायलट थे। उनके नाम पर यह हो, इसमें हमें भी खुशी होगी लेकिन ऐसी जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जहां सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हों। पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए तो सड़के हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इनको विकसित कर के हम उस इलाके को विकसित कर सकते हैं।

महोदया, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

MADAM CHAIRMAN : Shri T.R. Baalu, do you want to speak?

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Yes, Madam, I want to speak.

Madam, at the very outset, I would like to say that I would like to support the Bill brought forward by my friend Shri Ajit Singh, the Civil Aviation Minister pertaining to the establishment of a National Aviation University at Raebareli in the name of one of the greater leaders, the late Shri Rajiv Gandhi.

While supporting the Bill, I would only say that a proposal of Greenfield airport in my constituency in Sriperumbudur for which even though land is available, the Government of India is simply glossing over the issue for more than four or five years. Madam, I demand from the hon. Minister to set up a University campus in Sriperumbudur where the Rajiv Gandhi Memorial is there.

Secondly, as far as Chennai airport is concerned, there is a lot of hue and cry as if it is going to be privatised. In this regard, I would request the Minister to react while replying.

Thirdly, the most important issue which is pending for more than four or five years is that many NGOs, the Government and the local representatives of State Legislature and the Members of Parliament have tried to convince the Government of India to see that Madurai airport is named after Muthuramalinga Devar, who was the then Member of the Constituent Assembly, a great patriot. I want to know whether the Minister would name Madurai airport after Muthuramalinga Devar. These are my submissions. I would request the hon. Minister to respond.

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** मै राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 के संबंध में अपना वक्तव्य ले करना चाहता हूं :-

1. विमानन विश्वविद्यालय में पर्यावरण (विमानन पर्यावरण) के क्षेत्र में भी शोध करेगी । मेरा अनुरोध रहेगा कि एमआईजी-21 विमान किन पर्यावरण कारणों से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसका भी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन होना चाहिए ।
2. विमानन सुरक्षा विनियमों में भी यह विश्वविद्यालय शोध करेगा एवं प्रशिक्षण भी देगा, लेकिन एमआईजी विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने में कौन-कौन से कारक जिम्मेदार रहे हैं इसका भी अध्ययन होना चाहिए ।
3. आर एंड डी के क्षेत्र में ज्यादा बजट रखने की जरूरत है ।
4. विमानन के क्षेत्र में एक्सीलेंसी सेंटर भी स्थापित हो यह भी इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार होना चाहिए ।

---

* Speech was laid on the Table

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you, Madam. My first submission to the hon. Minister is that the University should be established in Kolkata and in the name of Netaji Subhas Chandra Bose.

My next submission is this. Whose interest this University is going to be established? A large number of private institutions are there which provide aviation education and training, which are not up to the mark. This University is being established to give recognition because the Statement for Objects and Reasons states that this would give affiliations to the private institutions. Whose interest would be served by this?

The other submission is this. Why not this University be under the Ministry of HRD? Who will assess and accredit this University? If this University is giving accreditation to other universities, who will do its accreditation? What would the Ministry of Civil Aviation do accreditation? Giving accreditation would be regarded as substandard. Experience shows that in Sriperumpudur, the Rajiv Gandhi National Institute of Youth and Sports was established. The UGC declared it as substandard and blacklisted. Now, they are going to make it as a centre of excellence.

What is happening in civil aviation industry and sector? It is totally destroyed because now Air India is almost dead, functioning under a massive debt burden and huge loss. Who is responsible for that? The Ministry of Civil Aviation is responsible for that. We had to spend Rs.50,000 crore for buying 68 aircraft. My point is this. Air India, which is the market leader in India with 42 per cent share, has totally been damaged and destroyed. Foreign players are coming into the civil aviation sector. Now, the Minister is inviting FDI in civil aviation industry. What is the ground reality? At present, in handling, cabin crew, pilots, etc. outsourcing is there; there is a source of privatization.

My hon. submission is this. As has been dealt by other hon. Members, this Ministry is going to privatise Kolkata, Chennai and other airports. Still we oppose that. What will happen is that in this University also, which was built with so much of public money Rs.202 crore would be given to the private players. That will be the reason. So, I would request the hon. Minister of Civil Aviation, do not go to run the University, run the flights on right time because flights are not flying on time. If such university is to be built, let HRD Ministry do that. There are so many universities. These kinds of new courses can be taught there. You need not go in for setting up this university. You please run your Ministry in a competent manner so that this profitable PSUs can compete with others.

With these words, I oppose this Bill.

***श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत):** राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक 2013 जो सरकार द्वारा प्रस्तुत हो रहा है मुझे लगता है हड़बड़ी में लाया जा रहा है । उड्डयन विभाग द्वारा कई एसे संविधान और संशोधन है, जिसको लाना देश के हित में जरूरी था ।

लेकिन रायबरेली में एक विमानन विश्वविद्यालय के सपोर्ट में जो अन्य सुविधा होनी चाहिए जैसे की इंटरनेशनल कक्षा की एयरपोर्ट, राष्ट्रीय एयरोनोटीकल कोर्स की सुविधा नहीं है । शहर में अगर ऐसी यूनिवर्सिटी होती है तो ज्यादा विद्यार्थी अच्छी तरह से उनसे शिक्षा ले सके । अगर अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी ऐसे शहर में होने से ज्यादा तकनीकी एक्सपर्ट के लाभ भी ले सकते हैं । आवश्यक ईन्फ्रास्ट्रकचर वाली जगह में तालिम संबंधी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए । जयादा विद्यार्थीयों को तालिम के साथ रोजगारी युक्त हो सके । विश्वविद्यालय की स्थापना का हम स्वागत करते हैं लेकिन ऐसी जगह ये स्थापना होनी चाहिए जहां ज्यादा तालीम की सुविधा हो ।

---

* Speech was laid on the Table

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):** माननीय मंत्री श्री अजीत सिंह जी द्वारा प्रस्तावित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 का स्वागत करता हू । इस विधेयक से विमानन क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है तो विमानन अध्ययन एवं अनुसंधान को मजबूत बनाने हेतु उसका संवर्धन करने, विमान प्रबंध नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनयमों के शासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ये विधेयक द्वारा काफी मदद मिलेगी ।

महोदय, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के द्वारा देश को अच्छे प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे । अच्छे विमान चालक मिलेंगे । निजी संस्थानों में ट्रेनरों को शोषण होने की संभावना होती है ।

महोदय, जिस तरह हमारे विमानपत्तनों का निजीकरण हो रहा है मैं उसका विरोध करता हॅू । इस विश्वविद्यालय का नामांकन राजीव गांधी के साथ कर रहे हैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि वो खुद एक अच्छे विमान चालक थे, वहीं से राजनीति में आए थे ।

महोदय देश में जहां अच्छी सुविधा हो, इन्फ्रास्ट्रकचर उपलब्ध् हो वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए ।

*[*] **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :** मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक 2013 के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं । विमानन संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को सुगम बनाने के लिए और उसका संवर्धन करने के लिए जो बिल लाया गया है उसमें गुणवत्ता और मानव संसाधनों का उन्नयन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्फ्रास्ट्रकचर की आवश्यकता रहेगी और इस इन्फ्रास्ट्रकचर के विकास के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करने होंगे। मैं मांग करती हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सरदार पटेल विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए । नागर विमानन के लिए कनेक्टिविटी होनी जरूरी है । इस विश्वविद्यालय के लिए हमें योग्य अभ्यासक्रम का निर्माण करना होगा। हमें रोजगार को बढ़ावा मिले इस बात का भी ख्याल रखना होगा । यहां हम ग्राहक क्षेत्र को जोड़ने की भी बात करते हैं । हमें यह देखना चाहिए कि जहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वहां के लोग इस प्रवृत्ति के साथ जुड़ें और वहां का युवा वर्ग भी इसमें भाग ले । एसा करने से इसका लाभ बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा ।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए योग्य तकनीकी प्रशिक्षण आवश्यकता रहेगी । ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नॉलॉजी के साथ जुड़ेंगे जिसके फलस्वरूप राष्ट्र का विकास होगा । हम सब इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ।

---

[*] Speech was laid on the Table.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam Chairman, the setting up of a Central University exclusively in the Aviation sector is very much needed to enhance the image of the Indian Aviation sector. But I would like to point out one aspect to our hon. Minister of Civil Aviation.

I would like to emphasize that the proposed university should have included a provision for a real tie-up between the university and the industry. This is very important so that the students coming out of this university would have a sound practical knowledge of aircraft maintenance.

Madam, as per this Bill, this university would confer degree and diploma to students. But there is a provision in this Bill which states that at any time, on evaluation, the given degree and diploma can be withdrawn. Can any university withdraw the degree given to students? On what parameters can this be done? I would like to know whether any such provision exists in any other university today. The hon. Minister should reply to this question.

I would like to say that there is nothing wrong in establishing a university in the name of illustrious leaders or in the memory of departed leaders. But while doing so, we will have to ensure that such institutes should be Centres of Excellence. I would like to draw the attention of the hon. Minister that the university started in Sriperumbudur in the name of our late Prime Minister Rajiv Gandhi is one of the institutions which has been derecognized by Tandon Committee for want of quality education and lack of infrastructure and last year we have passed a legislation to convert it into an institute of national importance. The same fate should not happen to this university also. This is my concern. So, it must be ensured that the proposed Rajiv Gandhi National Aviation University excels in all fields. As far as priviatisation is concerned, we oppose privatization of the Indian Aviation sector.

**श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):** सभापति महोदया, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैडम, इस बिल को इंट्रोड्यूस करते ऑनरेबल मिनिस्टर ने दो इंपोर्टेंट प्वाइंट्स को रेज किया है। वन इंपोर्टेंट प्वाइंट इज, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में कहा है। सेकेंड प्वाइंट में उन्होंने कहा है, इसमें 26.35 हेक्टेयर्स लैंड की ऑलरेडी एवलेबिलिटी है। हम ऑनरेबल मिनिस्टर का बहुत सम्मान करते हैं। किसान के बारे में कोई भी चीज आयी तो पिछले पांच साल में हम लोग उनके साथ चले हैं।

मैडम, हम आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करना चाहते हैं, एक तो यह कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश देश में नंबर वन पर है। एंटायर इंडिया में आईआईटी, आईआईएम में 20 से 25 परसेंट ऑफ दी स्टुडेंट्स आंध्र प्रदेश से आते हैं। साउथ से करीब 40 परसेंट लोग आते हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए साउथ बहुत सुटेबल है, उसमें भी हैदराबाद काफी सुटेबल है।

सेकेंड प्वाइंट में, जो लैंड के लिए कह रहे हैं, हैदराबाद में ऑलरेडी एक गोल्ड एयरपोर्ट है, बेगमपेट एयरपोर्ट। पिछली तीन-चार दफा से कभी भी एविएशन ट्रेड शो होता है तो वह हैदराबाद से होता है। वहां टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड नहीं दे रही है तो हम लोग तेलगुदेशम पार्टी की तरफ से 50 एकड़ लैंड यूनिवर्सिटी के लिए दे देंगे। 500 एकड़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसमें हम यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि, ये हैदराबाद में ये यूनिवर्सिटी को लगा दें, उसके साथ-साथ और भी फैसिलिटीज दें । सौगत राय साहब ने दिल्ली एयरपोर्ट के बारे जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, उसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं। वह प्रोजेक्ट शुरुआत में दो हजार नौ सौ करोड़ रूपये का था। पूरा होते-होते इसका कॉस्ट दस हजार करोड़ रुपये हो गया।

मैंने खम्माम में एक एयरपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था। Once again, I am requesting यह बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहां आप एक एयरपोर्ट दे दीजिए। कोल इंडिया के सिंगरैनी कोयलरिज को इसकी काफी जरूरत है। आपने नॉर्थ में एक यूनिवर्सिटी दी तो साउथ में, हैदराबाद में, मैं एक और यूनिवर्सिटी की मांग करता हूं।

***श्री अशोक अर्गल (भिंड):** श्री अजीत सिंह, मंत्री, नागर विमानन जो प्रस्ताव राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक 2013 लाये हैं उसका स्वागत करते है, लेकिन इस बात पर आपत्ति है कि यह एक छोटी जगह है - फुर्सतगंज रायबरेली, उत्तर प्रदेश स्थान रखा है - वो स्थान ठीक नहीं - वहां जो भी छात्र प्रवेश लेंगे उनको आने जाने मे असुविधा होगी, यहां कहीं से भी डायरेक्ट फ्लाईट नहीं है । मेन ट्रेक, पर नहीं है । देश के कोने कोने से छात्र प्रवेश लेंगे उनको काफी परेशानी होगी यह स्थान, बैंगलोर, आगरा , लखनऊ, ग्वालियर के पास भिण्ड, मुरेना जैसे स्थान पर होता तो बहुत खुशी होती चूंकि स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पायलट भी थे । उनका निर्वाचित राज्य रहा है । इसका नामकरण आप कर रहे हैं ठीक है । वैसे दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानन्द जी, अमर शहीद सुभाष चन्द्र बोस, राम प्रसाद विस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, रानी झांसी लक्ष्मीबाई जैसे किसी महापुरूष के नाम को चुनते तो बहुत अच्छा रहता। आप एक तरफ राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय खोल रहे हैं वहीं आप छोटे-छोटे ट्रेनिंग संस्थानों को बन्द करवा रहे हैं जो कि पूरी तरह न्यायोचित नहीं है । मैं चाहता हूं कि इससे स्थान को रायबरेली के फुसर्तगंज से बदलने का कष्ट करें ।

---

* Speech was laid on the Table

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार):** आपने मुझे इस बिल के ऊपर अपनी बात रखने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, इसके साथ-साथ मेरे तीन मुद्दे हैं।

मैं वर्ष 1998 से इस सदन का सदस्य हूं। हम बोडो लैंड एरिया के लिए लगातार एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। तीन-चार सिविलए एविएशन मंत्री चले गए। उन्होंने इस सदन में वादा किया लेकिन आज तक हमें एयरपोर्ट नहीं मिला। ये लोग इतने कंजूस क्यों होते हैं। क्या बोडो लैंड अंचल में एक एयरपोर्ट देने से हिन्दुस्तान टूट जाएगा? क्या रामायण-महाभारत खत्म होगा? गीता-भागवत खत्म हो जाएगा। ...(व्यवधान)

Wonderful! It is very unfortunate. So, Madam, I would like to appeal to the Government of India, particularly, the present Union Minister of Civil Aviation, Shri Ajit Singh, to set up a domestic airport at Kokrajhar immediately.

**सभापति महोदया :** इस पर जरूर विचार किया जाएगा।

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :** मेरा दूसरा मुद्दा जिसका जिक्र सौगत राय साहब ने किया है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट को भी प्राइवेट कंपनी को देने जा रहे हैं। There is a very serous kind of campaign going on. I strongly oppose this kind of detrimental policy decision. Guwahati Airport should never be allowed to be privatised.

MADAM CHAIRMAN : Thank you. Now, Mr. Minister.

… (*Interruptions*)

**सभापति महोदया :** कृपया एक-एक आदमी बोलेंगे तो बात समझ में आएगी।

…(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, I would like to know whether the Government of India will come forward to set up a university campus in Sriperumbudur in the name of Rajiv Gandhi… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: The hon. Member, Mr. Bwismuthiary has not completed. You may continue please.

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :** एनडीए की सरकार के समय में गुवाहाटी से बैंकॉक तक एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू की गई थी, लेकिन एक साल के बाद उसको बंद कर दिया गया। उसे दुबारा चालू करवाएं। I would request the hon. Minister to restore the Air India flight from Guwahati to Bangkok immediately....(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** आपकी बात पूरी हो गई, अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :** गुवाहाटी से बैंकॉक जाने के लिए एयर इंडिया के फ्लाइट को चालू करने की जरूरत है। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** ऐसा नहीं होता है। अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Please sit down. This is not the way. Nothing will go on record.

*(Interruptions) …*[*]

---

[*] Not recorded.

**श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण):** पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना चाहिए।...(व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I would like to ask one question to the hon. Minister. Our hon. Chief Minister has written a letter to the Prime Minister and to him also requesting that the new Domestic Terminal (T3) is named after our beloved leader Dr. MGR, Puratchi Thalaivar. I would like to know whether he is going to consider it.… (*Interruptions*)

**श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):** संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी आपसे कहकर हाउस को छ: बजे की बजाए नौ बजे तक करवाया। नौ बजे तक इस अंडरस्टैंडिंग पर हुआ कि आज हाउस फाइनली एडजर्न होगा। अगर नौ की बजाय साढ़े नौ, दस बजे तक भी काम करना पड़े, लेकिन आज काम खत्म करक ही हम एडजर्न करेंगे। अभी-अभी खबर मिली है कि सिक्युरिटी को सर्कुलर आया है कि कल हाउस बैठेगा। जगह-जगह से पता चल रहा है कि कल हाउस बैठेगा। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री खड़े हों और हमें बताएं कि परिस्थिति क्या है? उन्होंने बाकायदा हमारे साथ समझ बनाकर यह कहा था कि चाहे कितनी भी लेट हो जाए, लेकिन आज हाउस साइने-डाई एडजर्न होगा। इसीलिए आपने छ: बजे हाउस की सैंस ली, नौ बजे तक बढ़वाया और यह भी सोचा कि अगर साढ़े नौ बजे तक भी काम खत्म होगा तो हम आज साइने डाई एडजर्न करेंगे। लेकिन यह कनफ्यूजन कैसे पैदा हुआ है, पहले इसका क्लैरीफिकेशन करें, उसके बाद हम जवाब सुनेंगे।...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): We also support it.… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Madam, we would like to associate.… (*Interruptions*)

**शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** मैडम, यह बात सही है कि इस पर दिनभर सब के साथ चर्चा हुई थी और यह तय हुआ था। सुषमा जी ने यह बात नहीं बताई कि जो बिल हैं, आइटम नम्बर 19 तक...(व्यवधान)

**श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):** आपने चार बिलों के लिए कहा था और अभी दूसरा बिल चल रहा है। ...(व्यवधान)

**श्री कमल नाथ :** अगर आइटम नम्बर 19 तक आज समाप्त हो जाएंगे तो हमें हाउस को साइने डाई करने में कोई एतराज नहीं है। ...(व्यवधान) यह बात तय हुई थी और मैं वही दोहरा रहा हूं।

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** आपने चार बिल कहे और अब 18वां भी कह रहे हैं। हम 18वां भी कर लेंगे। लेकिन आपने चार बिलों के लिए कहा था और अभी दूसरा बिल चल रहा है।...(व्यवधान) बाकी दोनों बिल भी हो जाएंगे।...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** अभी आधे घंटे की चर्चा भी है।...(व्यवधान)

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** मैनुअल स्कैवेंजिंग है और उसके बाद आरपी है।...(व्यवधान)

**श्री कमल नाथ :** मैं किसी बात से मुकरा नहीं हूं।...(व्यवधान) मैं बहुत स्पष्ट बात कह दूं।...(व्यवधान)

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** कल हाउस नहीं बैठेगा, कल हम लोग नहीं हैं।...(व्यवधान)

**श्री अनंत कुमार :** मैडम, हाउस की सैंस लेनी पड़ेगी, अकेले पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और सरकार तय नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU : It has to be today itself. There was an understanding.… (*Interruptions*)

**सभापति महोदय :** इसे आज ही पूरा करना है।

...(व्यवधान)

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** आप इसे आज ही खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** मुझे लगता है कि मंत्री जी ने यह कहा है कि इसके बाद दो बिल और पास करने हैं।

**श्री कमल नाथ :** तीन बिल हैं-- स्कैवैंजर्स और दो रीप्रैजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हैं। ...(व्यवधान)

***श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** इस बिल के माध्यम से सिविल एविएशन के क्षेत्र में राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना विकास में मील का पत्थर साबित होगा । कुछ वर्षों के पहले पायलट के प्रशिक्षण के लिए विदेश जाना पड़ता था । इधर कुछ वर्षों से दुनिया के प्रतिस्पर्धा में भारत के सिविल एविएशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है । पहले केवल नेशनल कैरियर के रूप में एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स ही थी । लेकिन अब भारत में निजी क्षेत्र में अन्य एयरलाइन्स आने से दुनिया का काफी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकषिर्त कर रहा है । पहले अपने देश में केवल अभिजात्य लोग ही हवाई सफर करते थे लेकिन अब आम आदमी भी हवाई यात्रा करने लगे हैं । यहां तक कि विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में आजकल हवाईयात्रा कर रहे हैं । इस विश्वविद्यालय की स्थापना से हवाई क्षेत्र में पढ़ाई, प्रशिक्षण, शोध एवं अन्य कार्यों का केन्द्र बिंदु बनेगा । आज बढ़ती हुयी हवाई प्रशिक्षण मे सुरक्षा एवं छात्रवृत्ति तथा एडवांस्ड टेकनोलोजी की व्यवस्था होगी । सिविल एविएशन के क्षेत्र में गुणवत्तापरक विमानन अध्ययनों और अनुसंधान को बेहतर बनाने और उसका संवर्धन करने, विमानन नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनयमों के शासी क्षेत्र के प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है । इस विश्वविद्यालय की फुरसतगंज रायबरेली में स्थापित करना उचित कदम होगा क्योकि फुरसतगंज में पिछले बीस वर्षों से उपर राजीव गांधी उड्डययन प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है । वहां बड़ी संख्या में काफी वर्षों से पायलट निकल रहे हैं जो केवल देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस प्रशिक्षण केन्द्र से निकल करने पायलट विदेशों में हवाई जहाज चला रहे हैं, इसलिए उस प्रशिक्षण केन्द्र को अब एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पायलट को तैयार करने की दिशा में एक अग्रणी केन्द्र बनेगा । और उस विश्वविद्यालय से उच्च कोटि के पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने तैयार होंगे । इस राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना फुरसतगंज में स्थापित होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक होगा ।

इसी के साथ में माननीय मंत्री जी के द्वारा राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी 2013 का भरपूर समर्थन करता हूँ ।

---

* Speech was laid on the Table

***डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):** राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय की फुर्सतगंज में स्थापना का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि अभी जो भी माननीय अनंत कुमार जी ने कहा वह भाजपा की दोहरी मानसिकता का परिचायक है । मैं मानता हूं कि बंगलुरू विकास में हिन्दुस्तान ही नहीं विश्व में अपना स्थान रखता हूं परंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे पिछड़े इलाके के विकास की महत्ती आवश्यकता है जिसे भाजपा नहीं करने देना चाहती । मैं माननीय मंत्री जी का यूपीए चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी का आभारी हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए वहां के नौजवानों को उड्डयन में भी रोजगार का अवसर प्रदान किया है ।

बुद्ध सर्किट से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा । मेरे क्षेत्र श्रावस्ती के एयरपोर्ट को उच्चीकरण कर इस विश्वविद्यालय से जोड़कर उस क्षेत्र के नौजवानों एवं पर्यटन को भी और पल्लवित होने का अवसर प्रदान किया जाए ।

* Speech was laid on the Table

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI AJIT SINGH): Madam Chairperson, I would like to thank all the Members who participated in this debate. I know civil aviation is a sector where there are so many issues that people want to discuss. Although this was regarding setting up of an University but some other issues have been raised. I know, many Members want to raise many other issues. But I would like to thank the Members because, more or less, they have stuck to this University thing.

Firstly, I would like to say that Mr. Ananth Kumar, my old friend and previous Civil Aviation Minister, mentioned that this Bill has been brought in a hurry. I would like to mention that in 2006, Kaw Committee had recommended that a Civil Aviation University be formed; 12th Planning Commission also mentioned it. We did not set it up just like that; we hired a world renowned consultant KPMG. This is a world-class consulting company and they have examined and found that all the necessary infrastructure is available at Fursatganj. They also have IGRUA there which runs an excellent pilots' training institute and there is an airport also there.

So, first, it was not brought in a hurry, a management consultant was hired and Fursatganj has all the infrastructure. I can understand demand for other places that this university should be set up. I would like to say that this is probably first amongst many such universities, which may be set up.

Second thing is this. Mr. Ananth Kumar was very worried as to why we have brought this Bill and ignored the Civil Aviation Authority Bill. First, I would like to say that these two Bills have nothing common that this has to be first and that has to be second. The Civil Aviation Authority Bill replaces DGCA, gives it more financial operational autonomy. That is all. That function is already carried out by DGCA. So setting up a university does not cause any problem that the Bill has not been brought or why this Bill is being brought now. There is no connection. That Bill was introduced and we had requested you also that the Standing Committee has already recommended this Bill and there is no need to

send it again to the Standing Committee. But as you insisted that it may be sent to the Standing Committee, so it has been sent to the Standing Committee.

There is another thing that Fursatganj is a backward area and Bengaluru is a developed area. I agree that Bengaluru is a very developed area. I went to a school, IIT Kharagpur when IIT was set up in Kharagpur in a building which was a former prison and you know what has happened to this whole town and IIT today. So please do not say that Fursatganj is a backward area, therefore, do not set up any university of excellence there.

Now, I will come straight to the concerns, many Members have - my friend Professor Saugata Roy and my very old friend Shri Sharad Yadav – that we are privatising these airports built by Airports Authority of India. I would like to say categorically that all these airports will continue to be owned by Airports Authority of India. We are not giving them away. We are not privatising the airports. It is the management operations and future developments – maybe five years later they want to built a terminal or extend something –that are being done through PPP mode but we are not giving away the airports which were built by Airports Authority of India.… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What will happen to the AAI workers? Will they lose their job? That is very important.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : No question-answers please.

… (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Now, Shri Baalu had raised some questions about Greenfield Airport. We have not yet received the land there. They are in the process. There are notified areas but the Government does not have it yet. They have just issued the notification. The Government has every intention of making another airport there. In fact, you might have mentioned that PPP, that this airport is being built, and we may take that into consideration while bidding for the Chennai Airport.

The second thing is about naming. For naming an airport, there is a well-established procedure. We need a unanimous recommendation from the State,

from the legislature and then the Cabinet takes it up. So for Madurai, you send a thing … (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Madam, I want to have a campus, a campus after the name of Shri Rajiv Gandhi. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: No, this is not a question-answer session. I am sorry. Nothing will go on record. Only hon. Minister's speech will go on record.

*(Interruptions) ...* *

SHRI T.R. BAALU : I want a campus at Sriperumbudur Constituency to be named in the memory of Shri Rajiv Gandhi. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: It is not a Question Hour. No, sorry.

… (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Madam Chairperson, my friend Baalu knows that we just do not deny anything that he requests. … (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : I could not get the hon. Minister. … (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: I said, my friend Baalu knows that we cannot deny anything that he requests. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Mr. Minister, you please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: So, we will certainly look into setting up the campus.… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : That means you are1 assuring the campus at Sriperumbudur.… (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: We will certainly look into it.… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Hon. Minister has given us an assurance.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: This is not fair, Mr. Baalu. Please be seated.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Hon. Minister, you assured us to set up a campus. … (*Interruptions*)

* Not recorded.

SHRI AJIT SINGH: I said, Mr. Baalu, I will take your request very seriously and we will certainly look into it. … (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Mr. Minister, there is a slip for you. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : This is not the way.

… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): What about the Tamil Nadu Assembly's Resolution for naming the new Terminal after MGR? … (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Madam, I know that there are many requests for airports, and many of those places deserve an airport, I will say that. … (*Interruptions*) The Airports Authority is going to build 50 smaller airports in the next few years. I hope that many of those requests can be fulfilled during that time. … (*Interruptions*) My friend from Uttar Pradesh, Shri Shailendra Kumar … (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : Sir, you have not answered my question. Here, the procedure has been followed. … (*Interruptions*) What about naming the new terminal after MGR? … (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: There is a procedure. … (*Interruptions*) Madam Chairman, I explained to the hon. Member before hand. Personally also I have explained to him. I will again explain to him personally. What I can say here is that there is a question of changing name of the existing terminal and all that, and so you have to look into many such things. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Dr. Thambidurai ji, please sit down.

Yes, Mr. Minister.

SHRI AJIT SINGH: One of my friends wanted an airport in Bhadohi. … (*Interruptions*)

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** सैंफई में हवाई अड्डा का क्या करेंगे?

**श्री अजित सिंह:** उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की बहुत कमी है। वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केवल दो एयरपोर्ट हैं। ...(व्यवधान) श्री मुलायम सिंह जी से भी बात हो चुकी है। प्रदेश सरकार से भी बात

हुई है।...(व्यवधान) हम वहां पर 10 नये एयरपोर्ट्स या जो डिफेंस के एयरपोर्ट्स हैं, उनमें टर्मिनल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं। ...(व्यवधान) राज्य सरकार के जो चार एयरपोर्ट्स हैं, उसे आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को देने को तैयार हैं, हम सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे और उनको डेवलप भी करेंगे।...(व्यवधान)

Madam Chairman, I would request the House to pass this Bill. …(*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to establish and incorporate a national aviation University to facilitate and promote aviation studies and research to achieve excellence in areas of aviation management, policy, science and technology, aviation environment, training in governing fields of safety and security regulations on aviation and other related fields to produce quality human resources to cater to the needs of aviation sector and to provide for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. "

*The motion was adopted.*

… (*Interruptions*)

**18.43 hrs**

*At this stage, Shri P. Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

MADAM CHAIRMAN: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Madam, I would request Dr. Thambidurai and my other colleagues. I will discuss with you how we name the terminal and what can be done. … (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : Already the Chief Minister has written a letter in this regard. … (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Please come and we will discuss how we name a Terminal. … (*Interruptions*) It cannot be done in the House. The proposal has to go to the Cabinet and the Cabinet considers it. … (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: You please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: Dr. Thambidurai is a very reasonable person. I know that from my experience. He is a very reasonable person. I will discuss with him and I will consider … (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : I do not want to have any discussion… (*Interruptions*) It is a known fact that our Chief Minister has followed the procedure and written a letter. … (*Interruptions*)

SHRI AJIT SINGH: I will consider it very sympathetically. … (*Interruptions*)

**18.44 hrs**

*At this stage, Shri P. Kumar and some other hon. Members went back to their seats.*

MADAM CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clauses 2 to 48 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 to 48 were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.*

MADAM CHAIRMAN: Now, the Minister may move that the Bill be passed.

SHRI AJIT SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed"

*The motion was adopted*

---

**18.45 hrs**

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**SECRETARY-GENERAL:** Madam, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 6th September, 2013 agreed without any amendment to the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2013 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th September, 2013"

---

**18.46 hrs**

## PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION BILL, 2012

MADAM CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No. 17. Hon. Minister.

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (KUMARI SELJA): Madam Chairman, I beg to move*

> "That the Bill to provide for the prohibition of employment as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. "

I also beg to move the amendments in the Bill for which I have already addressed notice to the Secretary General, Lok Sabha.

Madam, the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012 was introduced in Lok Sabha on 3.9.2012. The Bill was referred to the Departmentally Related Standing Committee on 9.9.2012, by the hon. Speaker Lok Sabha for examination and report. The Committee laid its report on the Table of the House on 4.3.2013. After careful consideration, it was considered appropriate to introduce certain Amendments to the Bill.

**18.47 hrs** (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** सभापति महोदय, हमें आश्वासन दिया गया था।...(व्यवधान) किसानों की समस्या पर बात नहीं हो रही है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is on her legs. Let her conclude her speech. Then, you may raise it.

---

* Moved with the recommendation of the President.

KUMARI SELJA: Elimination of dry latrines and manual scavenging and the rehabilitation of manual scavengers in alternative occupations has been an area of high priority for our Government. Despite the concerted efforts made in the past to eliminate the dehumanizing practice of manual scavenging, the practice still persists in various parts of the country.

Existing laws have not proved adequate in eliminating the twin evils of insanitary latrines and manual scavenging. These evils are inconsistent with the right to live with dignity, which is an essence of the Fundamental Rights guaranteed in Part III of our Constitution.

It is also felt that the existing laws are not stringent enough to eliminate these evil practices. In view of the above, there is a need to make comprehensive and stringent provisions for the prohibition of insanitary latrines and employment of persons as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families and to discontinue the hazardous manual cleaning of sewers and septic tanks by the use of technology and for matters connected therewith.

With a view to eliminate manual scavenging and insanitary latrines and to provide for the rehabilitation of manual scavengers, a multi-pronged strategy has been worked out in the provisions of the Bill, which consists of legislative as well as programmatic interventions.

Madam, I would request the hon. Members from all parties, all the Members of this House – because I know that they feel very strongly about this issue –to support this Bill. I know that we have a limited time at our disposal. But I hope that the hon. Members will understand that; and try to make their intervention and speech as little as possible and make all the relevant points that they wish to make.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the prohibition of employment as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. "

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Members to be very brief in their speeches as we have paucity of time.

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, if the House agrees, let this Bill be passed without discussion.

MR. CHAIRMAN: You see, a few hon. Members have already sent their requests to speak.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Those who want to lay their speeches, in writing, they may send them at the Table; and they will be treated as laid.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : If at all the Members want to speak, let them speak briefly for one minute and let them not take so much time.

Now, Shri Arjun Ram Meghwal.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let the Members make only the points, if any, very briefly.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is on his legs. Mr. Meghwal is on his legs.

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** सभापति जी, मैं प्रोहिबिशन आफ एम्प्लायमेंट एज़ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेब्लिटेशन बिल, 2012 के सम्बन्ध में खड़ा हुआ हूं। इस सदन में मेरे द्वारा कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। मेरे द्वारा इस सदन में ध्यानाकर्षण भी लाया गया था। उस समय इस बारे में मुझे यह विश्वास दिलाया गया था कि हम जल्द ही इसका सर्वे कराएंगे कि देश में कितने लोग मैला ढोने वाले हैं और उनके लिए कोई रिहेब्लिटेशन पैकेज लाएंगे। इसी सिलसिले में इस बिल को यहां पेश किया गया है और इसमें चार उद्देश्य बताए गए हैं, ड्राई लेटरिन पर रोक लगाना और वर्तमान में ड्राई लेटरिन अगर है तो उसे हटाना, हाथ से मैला उठाने पर प्रतिबंध लगाना, उनका पुनर्वास करना और उनके लिए नए जॉब ढूंढ़ना। एक और है, जो संविधान की धारा 21 में है जिसमें यह अंकित है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी को बढ़ावा देना।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि समाज के सबसे नीचे पायदान पर जो तबका है, जिसे समाज में सफाई कर्मचारी के नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, उसके लिए वह बिल लेकर आई हैं। इसके द्वारा मैला ढोने वाली गतिविधियों पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने की बात है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रधान मंत्री जी ने जून 2011 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम छः महीने में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर देंगे। चूंकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा, वैसे मैं इसके लिए सदन में पूरी तैयारी से आया हूं। प्रधान मंत्री जी ने जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा था कि हम छः महीने के अंदर इस प्रथा को समाप्त कर देंगे। फिर भी यह प्रथा समाप्त नहीं होती है तो इस बिल के आने के बावजूद भी, 1993 में भी बिल आया, लेकिन आपका रिहेब्लिटेशन पैकेज ठीक नहीं था इसलिए यह काम नहीं हो पाया।

मैं इस बारे में इतना कहना चाहता हूं कि कुछ अच्छे एनजीओज़ देश में हैं, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, वहां पर अलवर में एक एनजीओ सुलभ है, जिसके प्रभारी बिंदेश्वर पाठक जी हैं। उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आपने इस मामले में एनजीओज़ को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में नहीं लिया। मेरा कहना है कि हाथ से मैला ढोने वाली महिलाओं का काम इस एनजीओ ने छुड़वाया अलवर में और इसके बदले उन्हें टेलरिंग, पापड़ बनाने जैसे कामों में प्रशिक्षित करके उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी विजिट कराया। ये महिलाएं रैम्प पर भी चलीं। अलवर की ये महिलाएं कभी मैला ढोती थीं, मानव मल-मूत्र उठाती थीं, तो लोग रोटी मांगने पर ऊपर से रोटी गिराते थे। मैं यह शब्द यूज कर रहा हूं कि 'रोटी ऊपर से गिराते थे।' अब यही महिलाएं खाद्य सामग्री बनाती हैं और सामान्य वर्ग

में वितरित भी करती हैं। ऐसा परिवर्तन कर्त्तव्य के साथ समर्पण और सेवा की भावना से ही आ सकता है। यह काम सुलभ काम्प्लेक्स से बिंदेश्वर पाठक जी ने करके दिखाया है। ये महिलाएं लोक सभा में प्रति पक्ष की हमारी नेता सुषमा स्वराज जी से भी मिली थीं और अध्यक्ष महोदया मीरा कुमार जी से भी मिल चुकी हैं।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के कल्याण का मामला है। आप रिहेब्लिटेशन की व्यवस्था करेंगे। आज देश में हाउसिंग की इनके लिए बहुत बड़ी प्राब्लम है। अगर इस बिल द्वारा शहरों में और गांवों में जहां ये लोग रहते हैं, हुडको के माध्यम से हाउसिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप इनकी तकदीर सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये सेप्टिक टैंक में बिना किसी उपकरण के अंदर घुसते हैं। इनका यह बहादुरी का काम है। ये सफाईकर्मी हैं, इन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, इनका माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए।

इनका अंदाज़ ही निराला है कि इन्होंने हर गम को खुशी में ढाला है,
इनका अंदाज ही निराला है, लोग जिन हादसों से डरते हैं,
उन हादसों ने इन्हें पाला है।

सभापति जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से इन लोगों की तकदीर सुधारिए। आप अच्छा बिल लाई हैं और हम इसका समर्थन करते हैं।

*[*] **श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)ः** आज इतने प्रगति के दौर में भी जब पूरे विश्व में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सफाई की जा रही है परंतु तकनीकी क्रांति के इस युग में भी हमारे कर्मी आज भी मैला उठा रहे हैं।

आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है कि फलां गटर को साफ करते हुए तीन आदमी बेहोश हो गए, जिसमें से अस्पताल तक ले जाते हुए एक की मृत्यु हो गई। हमारे देश में आज भी हजारों कर्मी बिना किसी सुविधा के सीवर, मैन होल, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उसके अंदर उतर जाते हैं और जहरीली गैस व दम घुटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

हमारा प्रयास होना चाहिए अपने कर्मिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उनको नई तकनीकी से कार्य करना सिखाया जाए, आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएं जिससे कार्य करते हुए उन्हें किसी प्रकार का खतरा न रहे। उनके जीवन को सुरक्षित बनाने व उनके कार्य को सरल करने के लिए विश्व में प्रचलित उपकरणों को खरीदकर उन्हें उपलब्ध करवाया जाए।

हाथ से मैला उठाने के कार्य को रोकने के लिए जिला प्रशासन, नगर पालिका/नगर निगम तथा ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। विफल रहने पर जुर्माने तथा दंड का प्रावधान होना चाहिए।

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

[*] Speech was laid on the Table

[*] **SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTAK) :** This Bill to eliminate manual scavenging and rehabilitate scavengers which is before us today in the Lok Sabha, is another legislative attempt to eliminate this inhuman and shameful practice. But it is not lack of law that the practice has continued in the country. Supreme Court has admonished the government a number of times. There are lakhs of dry latrines in the country which are cleaned by scavengers. Septic tanks and sewers are also cleaned manually in many parts of the country. The practice will not go away by just banning it. Among those guilty of engaging manual scavengers are government bodies, corporations and panchayats. Railways are a big offender and it is doubtful if it can put an end to the extensive practice in a short time. When this Bill has made the offence non-bailable and prescribes summary trial of offenders, the Government should have the will to make officials accountable for their offence.

The existing legislation, passed by this Parliament in 1993, was almost farcical. Even though two decades have passed since its enactment, no convictions have yet taken place under that law. This being the case, will the new law work? The current law was conceived erroneously and solely as a corrective to a public health and sanitation problem, rather than as a guarantee of justice, equality and a life of dignity. This legislation was enacted under the Constitution's State List. The same had to be adopted and enforced by various State Governments.

---

[*] Speech was laid on the Table.

The 2011 decennial population census findings stated that there are as many as 2.6 million insanitary latrines in the country.

This Bill addresses manual scavenging under Entry 24 (Welfare of Labour and Working Conditions) of the Concurrent List. While this may be an improvement over the current law, the real point is to recognize this debasingly inhuman and iniquitous practice as such. The Government must incorporate this all-important modification. The Indian Railways, the largest single employer of this country has helped perpetuate this caste-ordained practice for decades. Handling some 8.4 billion trips per annum and adding about 3000 coaches it should not be beyond its capacity to equip trains with systems to manage faecal waste. I would like to mention here that this new Bill dilutes the significance of the clause that prohibits the employment of persons for hazardous cleaning of sewer and septic tanks. It selectively mandates that a person handling excreta with the help of 'protective gear' shall not be deemed a manual scavenger.

This is problematic in so far as such 'protective gear' becomes a mediating technology that helps sustain, if not perpetuate, the employment of persons for hazardous cleaning. 66 years after independence, an estimated 1.3 million people from Dalit communities continue to be employed as manual scavengers across the country in the Railways, in the Army, in municipalities and in private homes.

Manual scavenging is violative of the spirit of Article 14 (equality before law), Article 17 (abolition of untouchability), Article 21 (Right to life), and Article 23 (Right against exploitation) of the Constitution besides the SC & ST Prevention

of Atrocities Act, 1989. Dr. B.R. Ambedkar had said, 'In India, a man is not a scavenger because of his work. He is a scavenger because of his birth irrespective of the question whether he does scavenging or not. The Directive Principles of State Policy mandate the Government to prohibit manual scavenging. But neither the Union Government nor State Governments have shown any seriousness in introducing appropriate legislation. To circumvent the law, civic bodies are outsourcing such work to contractors.

A national shame is a national responsibility but nobody wants to own up this responsibility. Because of the census data we now have the actual statistics on dry toilets. It is no longer about general ignorance, it is about awareness being defeated by the persistence of a casteist mindset that is rooted in patriarchal value. We can change our toilets only when we change our mindsets. Earlier nobody talked about it. Now manual scavenging is in the news. But all this is lip service. How else can we explain the fact that although the Union Government had allocated Rs.100 crore in 2011-12 for eradication of scavenging and rehabilitation of manual scavenger, not a single rupee was spent out of this Budget. The Planning Commission has refused to enhance the budget for the scheme citing lack of demand. No ripples caused. No question raised. The Government has discovered the recent census data. This is stranger still because the census figures are only for unsanitary latrines : 7,94,390 dry latrines across the country where human excreta is cleansed by humans. Of these 73 per cent is in rural areas and 27 per cent in urban locations. In another 13,14,652 toilets, human excreta is flushed

into open drains. Incredibly the census adds that there are 4,97,236 toilets where the job of cleaning human excreta falls to animals. Now how can we estimate the number of manual scavengers from this data. Number of State Governments filed fresh affidavitgs in the Supreme Court in last November stating that the census data is not accurate. Presumably no data is accurate. It is against this background that this new Bill has come. Is it different? Will it help? Not likely. This Bill is terribly gender insensitive. Its language assumes that all manual scavengers and public authorities are men. The rehabilitation scheme must respond to the needs, problems and issues of women. The Bill delegates the responsibility of identifying manual scavengers, or conducting a fresh survey to the local bodies. These local bodies have always been in denial and have in fact filed false affidavits in the Supreme Court. Does it make sense to assign the job of fixing the numbers to State Governments and local bodies that have challenged the existence of manual scavenging and insanitary latrines in their areas? The focus of this Bill must be on liberating manual scavengers. The identification, demolition and conversion of insanitary latrines must be from this perspective.

The new Bill was introduced in Lok Sabha in March, 2012. It clearly states no person, local authority or agency shall, after commencement of the Act construct an insanitary latrine, engage or employ manual scavenger and every unsanitary latrine shall be demolished or converted into a sanitary one within 9 months. Any offence committed under the Act shall be cognizable and non-bailable offence. The Act aims to tackle open defecation problem through Nirmal

Bharat Abhiyan. Indian Railways would introduce environment friendly bio-toilets on all trains by 2021-2022. Yet the soul of the Law is Clause 13 which stresses upon the implementation of the rehabilitation package. I hope after this legislation is passed with certain amendments, rules will be framed for effective and speedy implementation of the law to uphold the dignity of sanitary workers who are mostly a product of the country's iniquitous caste system.

Before I conclude, I am reminded of Dr. Ambedkar, when he rose to speak on 25 November, 1949 in the Constituent Assembly – He had warned about the course of Indian democracy and had observed "On the 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality and in social and economic life we will have inequality….we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one-man-one-value. How long shall we continue to live this life of contradictions?

Does not this question still rings in our ears? How long we will continue to live this life of contradictions? How long?

The liberation of manual scavengers should begin in the spirit of the final words of Dr. B.R. Ambedkar "…ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality."

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I rise today in support of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.

At the outset, I want to congratulate Shrimati Sonia Gandhi, Chairperson, National Advisory Council, who has taken a lot of pains for eradication of manual scavenging. Most of the SCs and STs, particularly women, are engaged in this activity. Since Independence, several efforts have been made but we could not eradicate the manual scavenging. For the first time, during 1993, when the Congress Government was in power, the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act was taken up. But, still due to lack of political will and bureaucratic apathy, we could not declare our country free from manual scavenging.

Several movements emerged, several voices were raised, but we could not achieve the target. Later several organisations made representations before the National Advisory Council. It is all with their efforts that this Bill was introduced on 3rd September, 2012.

In this regard, I will give three suggestions. My first suggestion is regarding the survey. Only 3546 statutory towns were taken up for survey under Prohibition of Employment as Manual Scavengers Bill. But, I would say that 70 per cent of manual scavenging is practiced in rural India and 18 per cent in urban areas. Since there was a report based on the survey from only 3546 statutory towns, they say that there is no manual scavenging. If again we ask them to get the report, they will report the same because it was reported and recorded in the Supreme Court of India. But, the reality is different and we have to take the reality into consideration. I would say that we should again get a survey done by involving the Government agencies as well.

My second point is about the Explanation given under 2 (g) where only 'regular' or 'contract' employees have been covered. There are many casual labourers, who are working under contractors in private and Government firms. I would say that these people should also be covered under this Explanation to achieve the real goal.

My third point is this. It has been mentioned in the Bill that if a person is engaged or employed in scavenging with the help of such devices and using such protective gear, he is exempted from the scope of this Bill. If such loopholes remain there, we would not be able to achieve our goals and the whole purpose of it would be defeated. So, we will have to delete this clause and we will have to cover all types of manual scavenging in it.

I would like to say that by just allowing them to use these devices; we cannot say that they are exempted from manual scavenging. With the help of science and technology, the Government can develop such devices and instruments to prohibit manual scavenging. I also request the Government to announce a special package for this purpose.

)

[*] **श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत):** हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वासन विधेयक, 2012 का स्वागत करते हुए, मैला ढोने वाले लोग कितने हैं उनका सर्वे करना, जिसमें लाईव टू वीद डिगनीटी का समर्थन करते हुए बाल्मीक समाज के लिए ये प्रथा बंद करते हुए एनजीओ के माध्यम से उनका रीहैबेलिटेशन के साथ अच्छा काम दिलाते हुए ये प्रथा से मुक्त् करते हुए जो, बिल में प्रावधान करते हुए सबसे नीचे तबके से आते हुए लोगों के लिए उनकी तकदीर को सुधारते हुए , उनके स्वास्थ्य, सेफ्टी का काम करते हुए उनके रहने का प्रबंधन भी हमें करना चाहिए । ये बिल में कई महिला भी शामिल है । उनको भी तालीम देते हुए अन्य स्वावलंबी कार्य में जोड़ना चाहिए ।

---

[*] Speech was laid on the Table

*__श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :__ मैं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन एवं प्रतिबंध और पुनर्वासन विधेयक 2012 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं । आज भी हाथ से मैला उठाने की प्रथा चालू है । इन लोगों को जो तकनीकी सुविधाएं मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल रही है । आज तक सरकार ठीक से सर्वे नहीं कर पाई है कि कितने लोग हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं । आज जो यह बिल आया है वह सराहनीय है । 1993 में भी एक बिल आया था किंतु उस समय पुनर्वसन का काम ठीक से नहीं हुआ था । हमें महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें । हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए । सबसे बड़ी समस्या हाउसिंग की है, जिसे हमें सुलझाना चाहिए । जहां भी हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा चालू है, हमें उसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए ।

* Speech was laid on the Table.

**19.00 hrs.**

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** सभापति महोदय, आपने मुझे हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सात लाख लोग हैं, जिसमें से 5,86,000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इंसान को मल के नरक से बचाने के लिए सरकार के पास धन की कमी है। वर्ष 2011-12 में केवल सौ करोड़ रूपये सरकार खर्च नहीं कर पायी। अभी हमारे साथी अर्जुन मेघवाल जी बता रहे थे कि बजबजाते सीवर, सोकपिट में काम करने वाले अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। शराब पीकर गैर कानूनी तरह से जोखिम भरे समय में काम करते हैं। इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अगर पूरा बजट खर्च नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मैं कहना चाहूंगा कि एससी और एसटी के साथ अमानवीय अत्याचार रोकने के लिए जो निवारण अधिनियम बनाया गया है, उसको सख्ती से लागू किया जाए। मैं सुलभ शौचालय के इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के डॉ. बिन्देश्वर पाठक को बधाई देना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके सुलभ शौचालय की व्यवस्था की, जो बहुत बड़ी राहत है। अगर 15 राज्यों का रिकार्ड देखा जाए तो 225 जिलों का सर्वे हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 80 हजार, बिहार में 30 हजार, उत्तराखंड में 5 हजार और एमपी में 20 हजार लोग इस कुप्रथा के शिकार हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जातिगत पेशे के आधार पर जो नौकरी इनको मिली है, वह पक्की होनी चाहिए। अभी तक यह लोग डेली वेजिज या संविदा के आधार पर सर्विस करते हैं। आज भारत में 60 प्रतिशत लोग खुले स्थानों पर शौच करते हैं। हम लोगों के माध्यम से इन लोगों के लिए "झाडू छोड़ो और कलम उठाओ" का एक नारा होना चाहिए। दलितों के अलावा इस काम को कोई गैर जाति का नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है, जबकि दलितों को उसमें भर्ती किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें गैर बिरादरी के लोगों को समावेश किया गया है और ऊंची जाति के लोगों को रखा गया है, जबकि दलितों को रखा जाना चाहिए। कुछ जगहों पर देखा गया है कि बच्चों से स्कूलों में प्राइमरी और जूनीयर स्कूल में झाडू लगाते देखे गए हैं। आज 13 लाख 14 हजार परिवारों की गंदगी खुली नालियों में गिरती है, जिसकी सफाई यही कर्मी करते हैं। 7 लाख 94 हजार परिवार सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर हैं। इस विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं लेकिन सुलभ शौचालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशि दो, ढाई हजार रुपए की दी जाती है, वह पांच हजार से ऊपर, 10 हजार रुपए की होनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सुलभ शौचालय बनें और गंदगी

साफ हो सके। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): I support the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.

In spite of so many Acts and measures taken by the Government, we have unable to provide justice to the scavengers.

This Bill was warranted much earlier, somehow the Bill is going to be passed today. It would be a great relief to the hard working suffering class people.

I thank the UPA Government, and the Honourable Minister Seljaji that she could make it possible in the interest to give social justice to a large section of poor people.

* Speech was laid on the Table

***श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):** हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक 2012 पर आज चर्चा हो रही है । हमें यह कहते हुये दुःख भी है और क्षोभ भी है कि भारतवर्ष को आजाद हुये 66 वर्षों के बाद भी हम इस प्रकार का कानून तो बना सके हैं जहां पर कि हाथ से मैला उठाने वाले व सिर पर मैला ढोने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है परंतु आज भी देखा जाये तो यह प्रथा शहरों व छोटे-छोटे कस्बों में देखने को मिलती है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 7.94 लाख शौचालय ऐसे थे जहां मनुष्यों द्वारा मल उठाया जाता था । सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना के दौरान 1992 से 2005 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 7.70 लाख हाथ से मैला उठाने वाले और उन पर आश्रित लोगों की पहचान की गई है ।

यदि हम मंत्रालय की रिव्यू बैठक के आंकड़ें देखें तो पता चलता है, कि देश के 25 करोड़ हाऊस होल्ड में 13 करोड़ के पास अपने घरों में शौचालय नहीं है । और शहरों के 2 लाख घरों व गोंवों के 5.9 लाख घरों में लोग ही रात के शौच को उठाने का काम करते हैं । आज आवश्यकता है कि इस प्रकार के रोजगार में लगे लोगों को किस प्रकार से पुनर्वास किया जाये ताकि उन्हें इस प्रकार के अस्वच्छ काम से छोड़ाया जाये । यह हर्ष का विषय है कि आज इसके लिये कानून बन रहा है । निःसंदेह इस कानून के बनने के बाद शुष्क शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करना और सफाई कर्मचारियों का किसी अन्य व्यवसाय में पुनर्वास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । परंतु यह देखने वाली बात है कि कई प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी हम इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर पा रहे हैं । इसका कारण है कि कहीं न कहीं जो कानून बने हैं उसके कार्यान्वयन में कमी रही होगी । हाथ से मैला उठाने और अस्वास्थ्यकर शौचालयों को समाप्त करने तथा सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास करने के उद्देश्य इस कानून में इस प्रकार को प्रोत्साहित करने वालों के विरूद्ध सख्ती से निबटना होगा । और जो लोग शहरों में अन्य स्थानों में सफाई का काम कर रहे हैं उन्हें हर सुविधा देने की उदार योजना सरकार को बनानी चाहिये । यहां तक कि कोई अन्य काम करने के लिये बैंकों से ब्याजमुक्त (शून्य प्रतिशत ब्याज) ऋण व उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा व उनके रोजगार को कोई न कोई योजना बनाकर देना जरूरी है । यही नहीं आज इस समाज के लोगों को शहर में आज भी कोई रहने के लिये मकान भी किराये पर नहीं देता इसलिये

---

* Speech was laid on the Table

सरकार को चाहिये कि वह शहरों में इस वर्ग के लोगों को मकान बनाकर दे । भारत सरकार द्वारा 2001 में बनाई योजना मलिन बस्ती आवास योजना (वैमबे) जिसके अंतर्गत बीपीएल लोगों को आश्रय प्रदान करने और उनके वर्तमान आश्रम को उन्नयन करने की दृष्टि से आरंभ की गई थी उसे ठीक तरह से लागू किया जाये । इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिक धन राशि राज्यों को प्रदान करनी चाहिये ।

हालांकि सरकार के कानून द्वारा इस प्रकार के अस्वच्छ कार्यों को निरूत्साहित तो किया गया परंतु जमीनी तौर पर देखा गया है कि इसमें लोगों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिये क्योंकि उन्हें कहीं भी रोजगार न मिलने के कारण इसी को अपना काम चूना है । जोकि बहुत दुःख का विषय है । एक एनजीओ ने सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 1989 मे इस प्रकार के काम करने वालों की संख्या 6,00,000 थी जो कि 1995-96 में बढ़कर 787,000 हो गई यानि 31.6 % बढ़ोतरी हुई है । इसी तरह सुखी शौचालयों की संख्या 1989 में 720,500,000 थी जो बढ़कर 2000 में 9,600,600 अधिक हो गई । इसका मुख्य कारण कि शहरीकरण हुआ परंतु इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे उसे निरूत्साहित किया जाये । इस पर गहराई से विचार करना चाहिये । मैं कुछ सुझाव पुनर्वास पैकेज के रूप में निम्नलिखित दे रहा हूं स पर विचार करना जरूरी है । मंत्री महोदया उस पर विचार कर कार्यान्वित करेगी एसा मेरा सुझाव है-

- पुर्नवास पैकेज के तहत जो ऑथोरिटी जिसमें बैंक, वित्त निगम, हाउसिंग बोर्ड, हुडको आदि काम नहीं करें तो उनके अधिकारियों को बुलाना और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति भी सफाई कर्मचारी आयोग की होनी चाहिए ।
- यह ऐसा इसलिए जरूरी है कयोंकि एक स्टेडी के अनुसार ऐसा पाया गया है कि 80 प्रतिशत सीवर कर्मचारी रिटायरमेंट की एज से पहले मर जाते है । उनकी सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती है, लेकिन 45-50 वर्ष में ही मृत्यु हो जाती है । सफाई के दौरान हादसों में मरने वाले लोग अलग हैं । अतः इनके लिए पृथक से स्वास्थ्य बीमा योजना भी होनी चाहिए । और ऐसी बीमा योजना बीपीएल की लिस्ट के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए ।
- मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों के अधिकारियों के मन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसकी क्रियान्विति सही ढ़ंग से संभव होना मुश्किल है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदार के यहां काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की दुर्घटना में मौत की और मुआवजे की कहानी सबके ध्यान में है । मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इस सदन में चर्चा हुई तब कहीं जाकर मुआवजा मिला ।
- अतः मेरा सुझाव है कि सेफ्टिंग टैंक और कटर साफ करने वालों के पर्याप्त बजट की व्यवस्था केन्द्र सरकार के स्तर पर ही की जानी चाहिए ।

- बाल्मिकी समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या शहरों में नई कॉलोनियों का विकास नहीं होना है , इसके लिए हुडको या हाउसिंग बोर्ड लॉ कास्ट के मकान विकसित करें और बिना गारंटी के 10-20 लाख तक का लॉन बैंकों से देने की व्यवस्था हो ।

- सरकार/बैंक या किसी पीएसयू संस्था में जनरल अटन्टेण्ट के नाम पर सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था या संविदा पर सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिएह ।

**डॉ. बलीराम (लालगंज):** सभापति महोदय, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 जो मंत्री जी लाए हैं, मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं। इस विधेयक को बहुत पहले लाना चाहिए था, क्योंकि वर्ष 1953 काका कालेलकर आयोग बना और 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यह अमानवीय प्रथा है और इसके लिए कोई नई टेक्नोलोजी लाई जाए, जिससे लोगों को हाथ से मैला उठाना न पड़े। इसी तरह से 12 अक्टूबर, 1957 में मलकानी समिति बनी और मलकानी समिति ने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी।

इस देश में यह विडम्बना है कि जो गंदा करता है, उसे ऊंचा कहा जाता है। जो गंदगी को साफ करता है, उसे नीचा कहा जाता है। अभी हमारे साथी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, उसके पीछ एक ही मंशा रही कि इसमें हर समाज के लोग सफाई कर्मचारी बनें ताकि कोई किसी को न ऊंचा कह सकें और् न किसी को नीचा कह सकें। इस मानसिकता के आधार पर वहां भर्ती कराई गई। लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगा कि बिन्देश्वरी प्रसाद पाठक ने जो सुलभ शौचालय बनाया है, लेकिन उन सुलभ शौचालयों में अगर आप जाकर देखें तो जिनको उसमें भर्ती होना चाहिए जिसमें उसकी तैनाती होनी चाहिए, उनकी तैनाती पांच प्रतिशत भी नहीं है। वहां दूसरे लोग तैनात हैं। ...(व्यवधान) क्योंकि पैसा वसूलने के लिए वहां दूसरा बैठा हुआ है। सफाई करने के लिए 50 रुपये में दूसरे को पकड़कर वे सफाई करवाते हैं। इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि चाहे टाउन एरिया हो चाहे नगर पालिका हो, यहां पर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वे ठेके पर काम कर रहे हैं। वे 200-300 रुपये पर काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए सरकार उनकी पूरी परमानेंट नियुक्ति करे और जो उनका वेतन होता है, वह पूरा वेतन उनको दे। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इन सफाई कर्मचारियों को आदर और सम्मान देना चाहिए। कोई यहां न ऊंचा है और न कोई यहां नीचा है। इसलिए इस समभाव से सारे लोगों को देखना चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि वे अच्छे स्थानों पर रह सकें।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):** मैं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास विधेयक, 2012 का पुरजोर समर्थन करता हूं । महोदय, आजादी हासिल करने के लगभग साढ़े छह दशक के बाद भी समाज का एक तबका सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर है तो यह विकास के तमाम दावों पर सवालिया निशान है । हाशिए पर जलालत भरी जिंदगी गुजारते लोगों की इस विकास में क्या जगह है ?

सभ्य कहे जाने का दम भरने वाले किसी भी समाज के लिए यह शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए कि वह अपने बीच के ही इंसानों को ऐसे काम से बाहर नहीं निकाल पा रहा है जिसकी कल्पना करना भी एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए बहुत भयावह है । किसी काम का मतलब सिर्फ कुछ मेहनताना मिल जाना नहीं होता, उसे मानवीय और सम्मानजनक भी होना चाहिए । आज हैरानी इस बात पर है कि देश में हर दो-तीन महीने पर उच्च क्षमता वाले अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण से लेकर ग्रामीण इलाकों तक टीवी, मोबाइल टावरों और इंटरनेट जैसी तकनीकी सुविधाओं के पहुंच जाने के इस दौर में हाथ से मैला उठाने और सिर पर ले जाने की त्रासदी जारी है । इस सामाजिक अभिशाप को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए तथा हर इंसान को गरिमापूर्णय जीवन का हक मिलना चाहिए । इसी के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं ।

---

* Speech was laid on the Table

***प्रो. रामशंकर (आगरा):** माननीय मंत्री जी कुमारी सैलजा द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि जो समाज में सबसे नीचे स्तर पर है जिसे आज भी मनुष्य का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ । यह अत्यंत दुखद विषय है । देश की आजादी के इतने दिनों के बाद आज अपमान और अछूत की जिन्दगी जी रहे हैं ।

मेरी मांग है कि सफाई करने वालों को किसी प्रकार से मैला उठाने पर प्रतिबंध लगे । ऐसे सभी सफाईकर्मियों को नवीन उपकरणों के साथ सरकारी कर्मचारी का पूरा वेतन तथा आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके ।

---

* Speech was laid on the Table

**श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर):** सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 लाए हैं। मैं अपने दल की ओर से उनके बिल का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी आवाज उठाने का काम किया है, उनके हक के लिए आप यह बिल लाए हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 66 वर्ष के बाद भी आज जिस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनको समाज के लोग हाथ से मैला उठाने का काम दिया करते थे और आज़ादी के बाद कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी वे व्यक्ति हाथ से मैला उठाने का काम कर रहे हैं। मैं इसे भारत का दुर्भाग्य समझता हूं।

इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करिए और मैला उठाने वाले को चिन्हित करके उनके लिए भवन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि दलितों के लिए जो आरक्षण दिया गया था, उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर आरक्षण दिया गया था लेकिन जो समाज में अच्छे से अच्छे लोग हैं, वे भी इस कतार में शामिल हो जाएंगे लेकिन आरक्षण की सीमा वही है और उसी सीमा के अंदर आप और लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। मुझे दुख है कि सभी सरकारें जो भी आती हैं, वे सिर्फ दलितो के लिए भजन करने का काम करती हैं लेकिन दलितों को कहीं भी कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जहां तक सर्विस की बात है, नौकरी वेकेंट करके जनरल लोगों को भर्ती कर दिया जाता है।

मैं समझता हूं कि दलितों की गाथा गाई जाती है लेकिन कहीं भला नहीं होता है। आप बिल लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ कहना चाहता हूं कि भवन की व्यवस्था कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उनकी हर तरह से मदद कीजिए। आपने सुलभ शौचालय में काम दिया है, इसके लिए 1500 रुपए देते हैं। 1500 रुपए सिर्फ नाम का है। जिस भी गरीब के लिए यहां से पैसा जाता है, वह नियम के अनुसार गरीबों तक पहुंचना चाहिए।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak on this Bill. I feel that this Bill is long overdue. No amount of debate would justify manual scavenging. It is a scourge on a human being. It is so degrading that I would not hesitate to say that we should be ashamed of ourselves for letting humans to clean human excrement even after 65 years of Indian Independence.

I would like to quote here the growth of scavengers over the years. In 1989, we had six lakh scavengers, but by 1995-96, it rose to 7.87 lakh scavengers, a clear growth of over 31.76 per cent. No right thinking person would deny the stark reality that manual scavenging is increasing with rapid urbanization. The deprived and distressed strata of society are forced to take up the job of manual scavenging as they find nothing else to eke out their living.

Though the Employment of Manual Scavengers in Construction of Dry Latrine Act was enacted in 1993, it failed to bring in elimination of manual scavenging from our country. Way back in 2003, C&AG had reported that only 16 States have adopted the said Act, but no State had implemented the same.

A whole lot of other rehabilitation measures were put in place in the Bill. I do not want to dwell deep into them. It would be a great day for the country when we abolish and eliminate manual scavenging. Of course, the financial implication for implementing elimination of manual scavenging is mammoth. It is about Rs. 4,825 crore. No amount would be too big for erasing such a disgraceful and shameful employment of manual scavengers being practised in our country.

It is estimated that nearly 1.3 million people from Dalit communities are in manual scavenging. It is a shame. Failure is not only on the part of the Government, we as people of this country should feel sorry for allowing manual scavenging to continue all over these 65 years, in spite of our growth story and over 20 years of liberalization, privatization and globalization. We all have a role to play in ensuring the dignity of sanitary workers.

Sir, in the past, genuine efforts were made to replace manual cleaning process with Mechanical Pumping Scheme, for example, cleaning of septic tanks.

The Planning Commission wanted such a scheme to be dovetailed with the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. Would the Minister state what happened to the Mechanical Pumping Scheme?

I am now concluding, Sir. A word of caution here: the Government while banning manual scavenging should draw up a clear roadmap for the rehabilitation of those who worked as manual scavengers. Even our Madam Speaker lamented that caste systems and untouchability had given rise to the practice of manual scavenging.

Time has come to get rid of manual scavenging; time has come to liberate those who are in manual scavenging. Let us all come together to say adieu to the manual scavenging by passing this Bill. I fully support the efforts being made by the Government with the hope that manual scavenging would be erased from the map of India.

SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): Thank you Sir for allowing me to participate in the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.

On behalf of the DMK Party, I rise to support this Bill. In India, a man is not a scavenger because of his work. He is a scavenger because of his birth, irrespective of the question whether he does scavenging or not. Gandhism preached that scavenging is a noble profession.

Scavenger means one who is partially or wholly engaged in the obnoxious and inhuman occupation of manually removing night soil and filth.

Cleaning of water borne toilets, removal of bodies and dead animals is a third most common practice of manual scavenging. The socio-economic and educational levels of workers were so bad that it is prevalent predominantly in Arunthathiyar Community in Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN : Please be brief and come to the point.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHI SANKAR : The scavengers and sweepers are both an occupational category and the caste unit. Most of the sweepers are exclusively from Arunthathiyar community. The ideology of pollution-purity is intertwined with the urbanization and the political economy of sanitation has invariably resulted in that caste becoming the victims of this inhuman practice. Instead of spending money on technologies that can remove human beings from direct contact with the excreta of others, the local Government relies on human beings from these caste and communities to bear the social costs.

Sir, the Scavengers do not get safety equipments, like gloves, masks, boots and brooms while on job. Many scavengers reported parasitic infections, gastro diseases and skin ailments. They do not even know that manual scavenging is constitutionally illegal.

We filed an RTI with the Tamil Nadu Adi Dravidar Housing Development Corporation to find out as to how many manual scavengers were rehabilitated and how many manual scavengers are still working. They said that there were no manual scavengers in Tamil Nadu. The survey shows that only 174 scavengers are there at the time of scavenging in Tamil Nadu Housing Corporation. Those scavengers were also rehabilitated in December, 2008.

Sir, manual scavenging is still practiced in Madurai, Pudukkottai, Tiruvarur and Dindigul in Tamil Nadu. The DMK in its election manifesto had promised to abolish the abhorrent practice of manual scavenging by providing alternative jobs. In the 2006-07, an amount of Rs. 50 crore was allocated by the Government of Tamil Nadu under the leadership of Karunanidhi Kalaignar to provide vocational training and rehabilitate 12,000 manual scavengers. In the following year's budget in 2007-08, Rs. 59 crore was allocated to provide alternative jobs. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You highlight the main points.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHI SANKAR : During the time of Kalaignar regime in Tamil Nadu, he extended the full support for socio-economic development of sanitary workers and those who were engaged in the abhorrent practice of manual scavenging. It is only the Government of Tamil Nadu, under the leadership of Kalaignar, has established a separate welfare board for them. They continued to implement schemes for their rehabilitation and alternative livelihood. We have given special concession to Arundhatiyars, as they are still at the lowest rung in terms of socio-economic status.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Susmita Bauri will speak.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHI SANKAR : The Kalaignar Government proposed to consult all political parties and arrive at a decision on the possibility of providing special reservation for them within the quota of reservation for scheduled castes.

I request the Government of India to identify scavengers and their dependents and provide the subsidy and loan for undertaking self-employment ventures.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go in record.

*(Interruptions) …*[*]

---

[*] Not recorded.

**श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर):** सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह बिल उन लोगों के लिए है, जिनके बारे में इतने समय के बाद आज सरकार विचार-विमर्श कर रही है। यह 1993 का बिल था और इसे आज बीस साल हो गये हैं, आज माननीय सैलजा जी इस बिल पर बोली हैं और हम सब माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस बिल के लिए अधिक समय देना चाहिए था, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के बारे में यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे याद है कि महात्मा गांधी जी ने भी इन लोगों के बारे सोचा था, बाबा अम्बेडकर भी इनके बारे में बोले थे कि जो हमारे देश की दलित माताएं हैं, जब उनके संतान होती थी तो वे सोचती थीं कि क्या मेरा बेटा या बेटी सफाई कर्मचारी बनेगा। वे लोग यह कभी नहीं सोचते थे कि मेरा बेटा या बेटी ऑफीसर बनेगी या डॉक्टर बनेगी। ऐसी बात हम लोगों को आज बहुत खेद के साथ कहनी पड़ रही है कि वे लोग अभी भी हमारे देश भर में मौजूद हैं। लेकिन सरकार के पास जो आंकड़ें हैं, वे सही नहीं हैं। इसीलिए अगर सरकार आज पुनर्वास के लिए सोच-विचार कर रही है तो मैं सरकार से यह आग्रह करती हूँ कि आप उन आंकड़ों का ठीक से आंकलन कीजिए नहीं तो जो लोग सही मायने में हकदार हैं, उनको सुविधा नहीं मिलेगी। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ राहत मिलेगी। जैसे एजुकेशन, हैल्थ, हाऊस आदि ये सब होने चाहिए। ये लोग बहुत कट में हैं। हम लोग रेलवे में भी देखते हैं कि वहां पर भी कितने लोग काम करते हैं। हम लोग बैंगलोर गए थे, वहां पर देखा कि कुछ लोग रेलवे में कॉन्ट्रेक्ट बेस पर हाथ पर मैला उठाने वाला काम करते हैं। उन लोगों को रेलवे से 7 हज़ार रूपये मिलते हैं, लेकिन उन लोगों के कॉन्ट्रेक्टर, जो उनको नियोजित करते हैं, वे लोग उन लोगों को 3 हज़ार रूपये देते हैं। वे लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैडम, हमें 3 हज़ार रूपये मिलते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि जब सात-साढ़े हज़ार रूपये रेलवे से मिलते हैं, तब भी वह पैसा सही मायने में काम करने वाले लोगों के हाथ में नहीं आता है। यह बहुत दुख की बात है। बहुत सी महिलाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं। मैं देखती हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं। माननीय मंत्री जी भी महिला हैं। इनसे पहले के मंत्री, मुकुल जी सन 2012 इस बिल को ले कर आए थे। आज मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि बहुत दिनों के बाद इन लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला है। इनके पुनर्वास के लिए बताया है कि इनके बच्चों को ट्रेनिंग पीरियड में पैसा मिलेगा। लेकिन यह पैसा ट्रेनिंग पीरियड तक ही मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद इन लोगों को नौकरी मिलेगी या नहीं, इसके लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बजट में इन लोगों

के लिए थोड़ा पैसा बढ़ाइए क्योंकि उनको आगे आने के लिए नौकरी की जरूरत है। यह जो काम है, यह शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को इसके लिए फटकार लगाई है। इसके लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

***श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** माननीया मंत्री जी ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुम्बों के पुनर्वास तथा उससे संबंधथ्त या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को लेकर के आयी है । ये केवल विधेयक हाथ से मैला उठाने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगायेगा बल्कि भारत में एकनये अध्याय का प्रारंभ होगा । क्योंकि आज भारत दुनिया के एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थान प्राप्त कर चुका है । फिर भी हाथ से मैला उठाने वाले की परंपरा आज भी भारत में जारी है । यहां तक कि शहरों में भी आपको हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या दिखाई पड़ जाती है ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है । भारत में आज भी पूर्णरूप से मैला हाथ से उठाने वालों को पूर्ण रूप से प्रतिषेध नहीं हो सका । उनके पुनर्वास का तो अभी तक ठीक से कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है । जब तक इस काम में लगे हुये लोगों को मैला उठाने वालों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं प्राप्त होगी । तो उन्हें कैसे पुर्नवासित किया जा सकता है । इस दिशा में ये विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम होगा । अभी भी लोगों के घरों में लैट्रिंस नहीं है । सबसे पहले तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा ड्राई लैट्रिन्स को चिन्हित करना होगा तथा उसे पूर्ण रूप से ड्राई लैट्रिन्स को समाप्त करना होगा । इस विधेयक के माध्यम से समाज के बाल्मीकी समाज को वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था करना होगा । भारत के प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने भी भारत से इस प्रथा को पूर्णरूप से खत्म करने का संकल्प लिया है । अभी भी हाथ से मैला उठाने के सबसे बड़े नियोजक के रूप में देश के सभी राज्यों में स्थानीय निकाय इस तरह के लोगों को रोजगार में रखती है । अभी भी सीवर की सफाई हेतु गंदे नालों में सफाईकर्मी इस तरह का काम करते हैं । इसी तरह रेलवे में भी बहुत बड़े पैमाने पर आज भी इस तरह के कामों में लोग लगे हुये हैं । जबकि आर्टिकल 46 गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को शोषण से मुक्त होने की सुरक्षा प्रदान करता है ।

आर्टिकल 46- स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड वीकर सेक्शनंस पार्टीकुलरली द सीडियूल्ड कास्टस तथा सिडियूल्ड ट्राइबस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एण्ड ऑल फार्मस ऑफ एक्सपोलाईटेशन ।

अभी तक देश मं यह भी चिन्हित नहीं हो पाया है कि हाथ से मैला उठाने वालों की वास्तविक संख्या कितनी है । यहां तक कि अभी स्थानीय निकाय ने इनसैनिटेरी लैट्रिन्स को भी चिन्हित नहीं कर पायी है ।

* Speech was laid on the Table

इस पर कई समितियां बन चुकी हैं । पहली काका कालेलकर समिति बनीं जिसने अपनी रिपोर्ट में इस प्रथा को प्रतिषेध करना आवश्यक है तथा सामूहिक लैट्रिंन बननी चाहिये जो हाईजिनिक हो । " सत्यमेव

जयते " के दसवें एपीसोड में जब आमिर खाने ने सिर पर मैला ढोने वालों की हकीकत बताई तो एक बार फिर इक्कीसवीं सदी में भारत के दुनिया से नजरें मिलाने पर सवाल खड़ा हो गया । इस बिल से इस काम में लगे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश हो रहा है । सफाई कर्मचारी आंदोलन के अध्ययन बिल्सन का कहना है कि इसकी रोकथाम के लिए 19 साल से कानून है लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली और एक नया कानून आने से कुछ नहीं बदलेगा । बिल के मुताबिक सिर पर मैला ढोने को खतरनाक काम की श्रेणी में रखा जाय, लोगों को इस काम में रोजगार देने या लगाने को जुर्म करार दिया जाए ।

अतः मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और इसके पास होने से एक नया अध्याय शुरू होगा ।

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Sir, at the outset, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. On behalf of my Party Biju Janata Dal, I support this Bill.

Sir, manual scavenging is the degrading and illegal task of cleaning human excreta from dry latrines. This is mainly a hereditary occupation for Dalits. They are the worst victims of untouchability as they are considered unclean, impure and placed at the lowest level of caste hierarchy. Even within Dalit category, they represent the lower rung of the Scheduled Castes.

I can say emphatically that in independent India, these people are living in slavery. After 66 years of Independence, an estimated 1.3 million people from Dalit communities continue to be employed as manual scavengers across the country. This inhuman profession is against human rights and human dignity. It is against the spirit of Article 14; it is against the spirit of Article 17; it is against the spirit of Article 21 which says about Right to Life with Dignity; and it is against Article 23, that is, Right against Exploitation. This inhuman practice is against the Act enacted by this Parliament, that is, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Rules, 1995.

Not only is the Government, but the total system, even the present caste-minded society responsible for their plight. Here, I would like to quote Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. He has said that in India, a man is not a scavenger because of his work. He is scavenger because of his birth irrespective of whether he does scavenging or not. This is the real picture of our society.

Against this backdrop, I would like to highlight some important issues. Previously, this august House enacted one Act – Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 which provides punishment and fine for employing manual scavengers or constructing dry toilets. I would like to say that the Government as the largest employer of manual scavengers is guilty of violating this Act. Even today, the Act enacted by this Parliament is not

implemented. Now under the pressure of the hon. Supreme Court, under the pressure of the human rights movement and international community, the Government is going to pass this new Bill.

No doubt this is a good endeavour and I, on behalf of my party, wholeheartedly support the Bill. The present Bill - the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012 - contains eight chapters and 39 clauses, but this Bill is very soft. The duties and responsibilities of the implementing authority are very important, but the Bill is silent on that. In this context I would like to cite a recommendation of the Standing Committee.

On 4th March, 2013, the Standing Committee recommended that duties and responsibilities of the officials concerned should be fixed and some penalty be imposed on them for delay in implementing the Act. Similarly the Government should make provision for participation of Members of Parliament belonging to Scheduled Castes in the District-level Vigilance and Monitoring Committee, which will create space in the Committee for the Zila Parishad member. Government should not forget the recommendation of the Standing Committee in this regard.

On 4th March, 2013 the Committee noted that the successful implementation of the new Act would largely depend on how the Corporations, Municipalities and the local bodies like Gram Panchayats would be motivated and geared up for meeting the challenges to be thrown up by the new Act.

I have already submitted some amendments to the Bill and I do not want to elaborate upon them again. With these words I support the Bill wholeheartedly.

**डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे):** महोदय, मैं सरकार को और मंत्री महोदया जी को धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी एनसीपी पार्टी की ओर से इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत सालों के बाद इस तरीके का बिल लाकर, हमारे जितने भी दलित, खासकर जो हमारे बाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके ऊपर जो इतने सालों से अन्याय हो रहा था, उसको आज सरकार न्याय दे पा रही है।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो ही चीजों के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि खासकर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका में सबसे ज्यादा इन चीजों की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उस नगर पालिका के जो लोग हैं, सदस्य के बारे में आपने मॉनीटरिंग कमेटी में लिखा है, उसमें उनके जो सदस्य हैं, जैसे कारपोरेटर होते हैं, उनको उसमें इंक्ल्यूड करने की जरूरत है, क्योंकि जो डे-टू-डे फंक्शनिंग होती है, रोज मैला निकालना, रोज लेकर जाना, यह कौन करेगा? आखिर में जो आफीसर होते हैं उनसे ज्यादा फोन कारपोरेटर के पास आते हैं कि यहां साफ-सफाई नहीं हुयी, यहां काम ठीक से नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उनको इंक्ल्यूड करने की जरूरत है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि उनको इसमें इंक्ल्यूड किया जाए, उसमें रखा जाए।

दूसरी बात मैं उनकी सेहत के बारे में कहना चाहूंगा। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं, जिनके यहां पारंपरिक रूप से यानी सालों-साल से उनके परिवार में आज भी वही काम हो रहा है। जब हम उनसे कहते हैं कि अपने बच्चों को आप स्कूल में डालो, तो वे कहते हैं कि क्या करना है, मेरे बच्चे को भी तो यही काम करना है। मैं इसे बहुत ही गलत बात समझता हूं। उसके लिए उनकी शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए। उनके नजदीक ही उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वे पढ़ेंगे-लिखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो बहुत से बिल बनेंगे, लेकिन वे बिल सिर्फ कागज पर नहीं रहने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद करना चाहता हूं।

*SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill. This bill has been brought to eradicate the practice of manual scavenging in the country. I welcome this bill. After 66 years of independence, it is very significant to bring a bill of this kind that aims to prohibit manual scavenging. It is a shame to have manual scavengers in the country. People belonging to economically backward classes, Scheduled Castes and Arunthathiyar community are mainly involved in such manual scavenging work. They live in a pathetic condition and employment of a person as manual scavenger should be prohibited at any cost. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma has been implementing various welfare schemes meant for the upliftment and rehabilitation of sanitation workers. These Schemes are implemented for ensuring socio-economic development of sanitation workers. Dr. *Puratchiththalaivi* Amma has introduced schemes meant to eradicate social inequality, improve the economic status of sanitation workers and to provide free and quality education to their wards. In Tamil Nadu, bicycles, notebooks and education are provided free of cost to the wards of sanitation workers. Hon. Chief Minister has taken several far-reaching initiatives for the welfare of sanitation workers particularly through the Tamil Nadu Adi Dravida Housing Development Corporation. Loan applications are being forwarded to banks along with the recommendation of the government officials and with subsidies. But even after that, the banks do not provide loans to the applicants. Banks ask for collateral security for disbursal of loans. How these sanitation workers can provide collateral security to avail loans from banks? In my constituency, particularly people working as manual

*English translation of the speech originally delivered in Tamil.

scavengers are not provided bank loans for engaging in self-employment even after my recommendation. I urge the government that interest free loans should be provided to scavengers without collateral security. In all the Panchayats of Tamil Nadu, particularly for women who are using insanitary latrines, the State government led by Hon. Chief Minister Dr. Puratchiththalaivi Amma has built sanitation complexes with all facilities including 24-hour water supply. Hon. Chief Minister has taken initiatives to prohibit manual scavenging in the State of Tamil Nadu. People belonging to Arunthathiyar community, who are mainly involved in scavenging work, are given due representation in legislative bodies besides improving their economic status. As per statistics received from the States, 7,70,338 scavengers and dependants are there in India. Under NSLR Scheme, 4,27,870 scavengers are provided assistance and the remaining 3,42,468 scavengers are yet to be rehabilitated in the country. Such rehabilitation work should immediately be started. Identified scavengers should be provided skill development training, loans and subsidy. Union government should provide education to wards of scavengers and ensure that their standard of life is improved. Union government should also provide adequate funds to the States. In Tamil Nadu, even though people belonging to Scheduled Castes are in large number. NSFDC, a Public Sector Undertaking is ready to provide financial assistance to them but banks do not cooperate in this regard. Banks do not provide loans on the recommendation of a Member of Parliament. Bank officials even say that they do not have any order in this regard. Other States in the country should also try to emulate Tamil Nadu which has done a commendable work for upliftment of scavengers. People belonging to Scheduled Castes, Backward classes and Arunthathiyar Community are being benefitted by various schemes implemented by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma. Not only that I can also say that the living standard of sanitation workers has improved a lot in Tamil Nadu. With this, I conclude my speech.

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक बहुत देर के बाद लाया गया है ।

मैं समझता हूं कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है । कोई व्यक्ति अपने हाथो से मैला उठाते हैं, वह पूरे समाज एवं देश के लिए बड़ी दुःख की बात है ।

दलित समाज के सफाईकर्मी समाज, जो सबसे पिछड़ा है, ये उनके प्रति अन्याय है । मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सबको प्रायश्चित करना चाहिए । ये घृणित कार्य के लिए हम सब, पूरा समाज जवाबदार है । मैं ये भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैनहोल में उतरते वक्त् सफाई कर्मी का दूषित गैस की वजह से मौत भी होती है । मेरी मांग है कि इस प्रथा को त्वरित बंद करनी चाहिए और नए टेक्नीक को इस्तेमाल करके उसे वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए ।

मैं स्वच्छता का पवित्र कार्य करने वाले अपने शोषित बंधुओं को प्रणाम करता हूं और मैं मांग करता हूं कि उनके रीहैबीलिटेशन, उनके स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही रखना चाहिए । उनको आवास, उनके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहिए ।

यह घृणित प्रथा शीघ्र ही बंद करनी चाहिए । रेल मार्गों पर जो गंदगी होती है, उनके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को अपना दायित्व निभाना चाहिए ।

पुनः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

---

* Speech was laid on the Table

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.

महोदय, यह बिल तो बहुत पहले लाना चाहिए था मगर देर से ही सही, ऑनरेबल मिनिस्टर शैलजा जी इस बिल को लाई हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जो भी किसान और गरीब लोग हैं, उनकी याद सरकार को इलैक्शन्स के एक साल पहले ही आती है। उसी प्रकार से जो भी बिल सरकार अभी ला रही है, वह इलैक्शन्स को ध्यान में रखते हुए ला रही है, ऐसा इंडीकेशन सरकार दे रही है। पिछले 9 सालों में हम इस सदन में बहुत बार मैनुअल स्कैवैन्जर्स के बारे में डिसकस कर चुके हैं। हम सभी लोगों ने कहा था कि इसके ऊपर यदि बिल लाएँगे तो हम सब इसे सपोर्ट करेंगे।

इस बिल को सपोर्ट करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। आज बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा मगर इसमें सबसे बड़ा चैलेन्ज इस बिल का इंप्लीमैन्टेशन है। इम्पलीमेंटेशन के लिए माननीय मंत्री जी को कैम्पेनिंग करनी चाहिए। कॉर्पोरेशन्स, म्युनिसीपेलीटिज़, लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायतों को एजुकेट करके इम्पलीमेंटेशन के लिए मीटिंग्स करनी चाहिए। सबसे ज्यादा इस समय रेलवे स्टेशन्स पर प्राब्लम है। रेलवे स्टेशन्स में मैकेनिकल आटोमेशन सिस्टम को लाना चाहिए। आज रेलवे में फंड की बहुत प्राब्लम है। जितनी भी जरूरत है, विशेषकर इस एक्ट के अंतर्गत जो भी आएगा, उसके लिए फंड्स की जितनी भी जरूरत है, उसके लिए सैंटर गवर्नमेंट का प्रोविजन्स होना चाहिए। आटोमेशन सभी जगह होना चाहिए और टेक्नोलोजी को यूटीलाइज करना चाहिए। टेक्नोलोजी का आटोमेशन करते हुए जो भी लोग इस काम को करते हैं, उनको डबल वेजिज़ देने चाहिए। उनके बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत टेक-केयर करना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो भी मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, कारपोरेशन में जो कमेटी होगी, म्युनिसिपेलिटी में जो कमेटी होगी, उन लोगों को इन्वाल्व करना चाहिए, कारपोरेटर्स को इन्वाल्व करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एमपीज़ और एमएलएज़ को इन्वाल्व करना चाहिए।

[*] **श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):** 21वीं शताब्दी में आज भी भारत जैसे देश में आदमी ही आदमी का मैला ढोने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2006 में 7.73 लाख सफाई कर्मी यह कार्य कर रहे थे, जिनकी संख्या घटकर नवम्बर 2012 में 3.42 लाख ही रह गयी।

भारतीय संस्कृति के समक्ष समाज के लिए इस कार्य को कलंक के रूप में देखा जाता है। इस धंधे में किसी को कोई आनन्द नहीं आता, मजबूरी में गरीबी के कारण यह कार्य करना पड़ता है। यह कार्य एक प्रथा के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि राज्य प्रथा की समाप्ति की पुष्टि करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भविष्य में लोग मजबूरी के कारण इस कार्य में ना लगे इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संबध में केन्द्र व राज्य सरकारों ने काफी योजनाएं बनाई, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं का असर देखने में नहीं आता। इस बिल के माध्यम से मैनुवल स्कैवन्जर्स ओर अस्वच्छ शौचालयों को पहचानने के लिए मैनूवल स्कैविंजिग की परिभाषा का विस्तार करते हुए रेलवे ट्रैक, खुली नालियां, मैनहॉल, अस्वच्छ शौचालयों की सफाई आदि कार्यों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि इन कार्यों से जुड़े लोगों को राहत पहुंचाई जा सकें। यह एक अत्यंत गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसे जड़ से मिटाने के लिए पूरे समाज को साथ देना होगा ।

वर्ष 1993 से Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act लागू है, जिसमें सुरक्षा उपकरण, सफाई कर्मियों का पुनर्वास एवं सर्वे का प्रावधान नहीं किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार आज भी 14 राज्यों में हजारों लोग मैला ढोने का कार्य कर रहे हैं। मिडिया रिपोर्ट 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में 5530 Manual

---

[*] Speech was laid on the Table

Scavengers है। वर्ष 2011 तक इस कार्य से जुडे 78000 लोगों का पुर्नवास किया जा चुका है, जो कि नाकाफी है। 2011 के सेन्सस के अनुसार अभी भी 23 लाख Pit Latrins & insanitary Latrines है । मंत्रालय ने इन लोगों की वास्तविक संख्या एवं स्थिति जानने के लिए एक सर्वे कराने का निर्णय लिया है, जिसे तत्काल प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी बना है, जो अपना काम पूरी जिम्मेवारी से कर रहा है। आयोग को इस एक्ट के इम्पलीमेंटेशन की जिम्मेवारी दी गयी है।

केंद्र सरकार द्वारा भी सफाई कर्मचारियों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं। 1993 में Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act के तहत संविधान के अनुच्छेद 15,16, 17 में नौकरी का प्रावधान किया गया था ।

वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास करने की योजना (The Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers-SRMS) 2007 में प्रारंभ की गयी, जिसमें पिछले तीन वर्षों में 173.50 करोड़ की धनराशि जारी तथा 147.61 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

Total Sanitation Campaign जो अब निर्मल भारत अभियान के नाम से जानी जाने वाली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टॉयलेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले 3 वर्षों में 4009.25 करोड़ की धनराशि राज्यों को जारी की गयी, जिसमें से 3844.86 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

शहरी क्षेत्रों के गरीबों को Integrated Low Cost Sanitation Scheme के अंतर्गत dry latrines into low cost pour flush latrines and to construct new

ones where none exist हेतु 215.16 की धनराशि राज्यों को जारी की गयी, जिसमें से 113.91 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण से संबंधित अनेकों बिल पास करने हेतु संसद में लंबित है, जिसमें से एक Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012 भी है, जो कि 3 सितंबर, 2012 को लोकसभा में पेश किया गया है, जिस पर स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 मार्च, 2013 को दी। इस बिल को अनेकों बार चर्चा हेतु कार्यसूची में सम्मिलित किया गया, आज इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है।

यूपीए सरकार ने शुष्क शौचालय एवं मेनूवल स्कैविंजिग जैसे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करने, हाथ से मैला ढोने तथा सेप्टिक टैंक एवं सीवर लाईन में बिना सुरक्षा उपकरणों के उतर कर सफाई करने जैसे कार्यों को पूर्णतया प्रतिबंधित करते हुए इस कार्य से जुडे लोगों का पुनर्वास के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा करने का निर्णय लिया है। इस बिल में किए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा उल्लंघन करने के लिए बाध्य करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय निकाय, कन्टोमेंट बोर्ड एवं रेलवे की तय की गयी है। इस बिल में सरकार ने केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी के साथ-साथ राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी, जिले के लिए विजिलेंस कमीशन बनाने तथा आवश्यक जांच हेतु इंसपेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

इस बिल के अनुसार कानून को लागू करने के लिए तथा उल्लंघन करने की स्थिति में सजा देने के लिए एक ही व्यक्ति (Executive Magistrate) को जिम्मेदार बनाया गया है, जो कि अनुचित प्रतीत होता है। इस बिल में Summary Trial के बाद

5 साल तक की सजा का प्रावधान है जबकि Crpc के तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान के मामले ही Summary Trial से निस्तारित किए जा सकते हैं।

मेरा अनुरोध है कि Manual Scavengers से जुडे लोगों की संख्या एवं उनकी स्थिति जानने के लिए सर्वे तुरंत प्रारंभ कराया जाए। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ मिलकर वैकल्पिक कारोबार एवं रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह देखने में आया है कि इस कार्य से जुड़े लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझे कम उम्र में ही अपने बच्चों को भी साथ काम कराने लगते है। उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, उनकी स्किल डवलपमेंट की भी आवश्यकता है, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, एससीपी फंड के माध्यम से रजिडेन्शियल स्कूल खोले जाने चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में ऐसे बच्चों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की संख्या अधिक है, सरकार को इस वर्ग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सत्यमेव जयते कार्यक्रम की पूरी टीम और अभिनेता आमिर खान जी को भी इस समस्या को देश के सामने रखने और इनके निदान के लिए सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अतः मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I support the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012.

Sir, manual scavenging is an inhuman caste-based practice which involves manual clearance of human excreta with bare hands. Generations and generations of *dalits* and Muslim *dalits* have been employed in scavenging work and among them 98 per cent are women. So, the time has come, though it is long overdue, to eliminate this sort of inhuman practice. This is not only for promotion or rehabilitation, but this is the question to be focused on human dignity.

So, in this connection, I would like to put some suggestions for the consideration of the hon. Minister. Firstly, a viable and a formidable rehabilitation scheme should be made. The scheme should have adequate provisions for compensation, education, accommodation and employment. The Bill should also provide for imprisonment and financial penalties against the officials of the urban local bodies, Panchayats and Government offices responsible for the existence of dry latrines either in their own premises or within their jurisdictions. A national scholarship programme should be initiated for the children of liberated families. Adequate land should be provided by the Government to the families liberated from manual scavenging. Self-employment with adequate training for skill development should be provided. Loan and subsidies should be replaced by pure grant of no less than Rs.3 lakh each to be provided to the victims to help them re-skill and re-employ themselves according to their free will. A complete audit of all schemes made after 1993 for rehabilitation and abolishment of manual scavenging by the Government of India should be done.

I do not know why the Railways sector has not been covered. A large number of employees are engaged in manual scavenging in Railways. So, it should not be excluded.

Sir, there are some Ministries like Ministry of Social Justice and Employment, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Rural Development, Ministry of Poverty Alleviation, Ministry of Urban Development, Ministry of

Railways, etc. Like this, eight Ministries are there. So, my proposal and my request is that, please constitute a Coordination Committee of eight Ministries to monitor everything so that all these programmes can be implemented.

I congratulate the Minister for bringing such a Bill. I thank her and I support this Bill.

**श्री जगदानंद सिंह (बक्सर):** सभापति जी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 का मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

महोदय, यह आज की आवश्यकता है। आज भी हाथ से मैला उठाना एक राष्ट्रीय शर्म है। राष्ट्र को इससे बचना होगा। केवल कानून बना देने से कार्य नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Order please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is the last Member to speak on the Bill.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is the last Member to speak on the Bill. Then the Minister will reply. And then you can raise this issue.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Everybody feels that this is a very important Bill. So, we can pass this Bill. Then, you can raise the issue.

… (*Interruptions*)

**श्री जगदानंद सिंह :** महोदय, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहेगा कभी भी इस देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा समाप्त नहीं होगी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Okay, please sit down.

… (*Interruptions*)

**श्री जगदानंद सिंह:** सभापति जी, वर्ष 2011 से तय है कि इस देश में सर्वे किया जाए कि इनकी संख्या कितनी है? आज तक सही सर्वे नहीं हुआ है।...(व्यवधान) सबसे बड़ी बात है कि हाथ से मैला उठाना केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह छुआछूत का भी मामला है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

… (*Interruptions*)

**श्री जगदानंद सिंह :** महोदय, जब तक बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका घरों में काम करने का, दूसरे रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

**श्री जगदानंद सिंह :** सभापति जी, इस देश में सात लाख सत्तर हजार लोग अभी भी हाथ से मैला उठाने के कार्यों में लगे हुए हैं।...(व्यवधान) बिहार जैसे राज्य में करीब-करीब तीस हजार लोग इस कार्य में लगे हुए हैं।...(व्यवधान)

महोदय, मैं एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी भी शायद इसका जवाब देंगी। वर्ष 2011-12 में इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित था लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हाथ से मैला उठाने वाले परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए जो पैसे दिए गए थे, उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से आप आगे बढ़िए।

MR. CHAIRMAN: Silence please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Okay. Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

… (*Interruptions*)

**श्री जगदानंद सिंह :** महोदय, जब तक एक भी व्यक्ति हाथ से मैला उठाने वाला रहेगा, कभी भी इस देश में यह कानून सफल नहीं होगा।

KUMARI SELJA: Mr. Chairman, Sir, thank you. I am grateful to all the hon. Members who have participated in this discussion, in this debate. … (*Interruptions*)

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** हिन्दी में बोलिए। इस देश का दलित सुन रहा होगा।...(व्यवधान)

**कुमारी सैलजा :** मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगी- अंग्रेजी में भी और हिन्दी में भी। मैं हरियाणवी में भी बोल सकती हूं।

MR. CHAIRMAN: She will speak in both the languages.

**कुमारी सैलजा :** मैं सभी माननीय सदस्यों की बहुत शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने इस बिल पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। समय कम था, लेकिन इसके बावजूद काफी महत्वपूर्ण बातें यहां पर आयी हैं, सुझाव यहां पर आए हैं।

सर, पहला बिल वर्ष 1993 में लाया गया और एक कानून बना। लेकिन हम ने पाया कि पिछले तकरीबन बीस सालों में जहां यह प्रथा बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, वह खत्म नहीं हुई। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा, मेघवाल जी ने कहा कि एक मानसिकता होनी चाहिए थी, माइंडसेट भी होना चाहिए था।...(व्यवधान) बोलने को बहुत कुछ है।...(व्यवधान) मैं जानती हूं आप समर्थन में हैं और मैं आपकी इस बात के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं यह बात भी रिकार्ड पर रखना चाहूंगी कि सन् 1993 के बाद यह महसूस किया गया कि ये पूरी तरह से और सही ढंग से लागू नहीं हो पाया। इसको दोबारा हम लाए, इसलिए 2012 में मेरे प्रीडिसेसर श्री मुकुल वासनिक जी ने यह बिल यहां पर इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को यह बिल गया। मैं यह बात भी रिकार्ड पर रखना चाहूंगी, हालांकि अनंत कुमार जी कह रहे हैं, ये पूरा समर्थन दे रहे हैं। हाउस के सभी सैक्शंस इसको समर्थन दे रहे हैं। यह बात भी मैं रिकार्ड पर रखना चाहूंगी कि यह 2012 में भी नहीं आता, अगर हमारी यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी,...(व्यवधान) इसके पीछे ड्राइविंग कोच श्रीमती सोनिया गांधी जी, बेशक हमारे साथी माननीय सदस्य, श्री अनंत कुमार जी को उनके नाम से एतराज हो और हमारे कहने पर भी शायद उन्हें एतराज हो, लेकिन आपकी कमिटमेंट आपके किस नेता के प्रति है, मैं नहीं जानती, कौन से आपके नेता हैं, किन के प्रति आपकी कमिटमेंट है, लेकिन हमारी कमिटमेंट अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति है। हम उनकी बात को एकनॉलेज करते हैं। उनके कारण ही यह बिल यहां पर आया।

संक्षेप में मैं कहूंगी कि पहले बिल एनेक्ट करने के बावजूद ये इसलिए लागू नहीं हो पाया, क्योंकि इसे लागू करने की स्टेट्स को हमने ऑप्शन दे दी थी। लेकिन अब जब हम ये प्रपोज़ बिल यहां पर लेकर

आए हैं, ये सेंट्रल बिल होगा। This will be under the Seventh Schedule to the Constitution- Entry 97 of the List-III of Seventh Schedule, जिसके तहत ये सेंट्रल एक्ट बनेगा और ये सब पर लागू होगा। यह भी बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात जहां तक हम कहें, वहां पर तकरीबन सभी राज्यों ने यह लिख कर कह दिया कि हमारे यहां यह प्रथा ही नहीं है। जहां इस तरह की बात, हम डिनायल मोड में होंगे, यह मानसिकता तो वहीं से सभी राज्यों की नजर आ जाती है कि क्या वे इस बात को मानते हैं, पहचानते हैं। यह हमारे ऊपर, समाज के ऊपर और देश के ऊपर. एक कलंक है। मैंने पढ़ा कि जब हमारा देश आजाद हुआ, सिंगापुर आजाद हुआ, तब वहां पर भी ये प्रथा थी। लेकिन उनकी मानसिकता थी, उन्होंने इसे पहचाना, माना, रिकोग्नाइज़ किया और उसे खत्म किया। लेकिन क्या कारण है कि आज तक हम इस प्रथा को खत्म नहीं कर पाए हैं और कहने को कह देते हैं कि ये प्रथा है ही नहीं, मानते ही नहीं। जब मैं हाउसिंग और अरबन पावर्टी एलिविएशन मंत्रालय में थी, तो इसे लागू करने की हमारे पास एक स्कीम थी, ड्राइ लेट्रिंस को कंवर्ट करने की। हम राज्यों को लिख-लिख कर, उनसे बात कर-कर के थक जाते थे कि आप हमसे पैसे लीजिए, आप इस प्रथा को खत्म कीजिए, ड्राइ लेट्रिंस को कंवर्ट कीजिए, लेकिन हमारे पास प्रपोजल ही नहीं आते थे, क्योंकि सब राज्यों ने लिख कर दे रखा है, एफिडेविट दे रखे हैं तो वे कैसे मानें, कि ये प्रथा अभी भी चल रही है। इसलिए ये मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। जहां मानसिकता चेंज करने की जरूरत है, वहां एक बहुत ही स्ट्राँग कानून की भी जरूरत है। इसीलिए हम ये कानून यहां पर लेकर आए हैं।

मैं संक्षेप में कहना चाहूंगी कि ये कानून बहुत ही व्यापक रूप से, डिटेल में जो माननीय सदस्यों ने प्वाइंट्स उठाए, सब को एड्रेस करता है, चाहे रिहेबिलिटेशन की बात हो, सर्वे की बात हो। सर्वे की बात भी मैं कहना चाहूंगी। वर्ष 2011 के मुताबिक हमने पाया है कि आज 26 लाख इनसैनिट्री लैट्रिंस हमारे देश में हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। यह माना गया है, लेकिन हमारे सामने सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं कि कितने लोग मैला ढोने की प्रथा में अभी भी इंगेज्ड हैं, जो यह कार्य कर रहे हैं। यह हमारे सामने नहीं आया है। इसका सर्वे चल रहा है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यहां पर मौजूद हैं। इनसे भी इस पर हमारी करेस्पांडेंस होती है, बातचीत होती है। अभी सर्वे चल रहा है। जो सोशियो-इकॉनामिक सर्वे है, वह रूरल एरियाज का भी होगा और हो रहा है। इससे और आंकड़े हमारे सामने आएंगे, तो सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन बात इसकी नहीं है, इंतजार उसका नहीं है। यह कानून बनेगा। इसमें हर जगह, हर शहर में जहां भी म्युनिसपलिटीज हैं, जो भी शहर या गांव हैं, सब जगह सर्वे होगा। हमारे इस एक्ट में

सभी प्रावधान हैं, सर्वे के लिए, पीनल एक्शन के लिए कि कैसे हम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर पायेंगे, फाइन भी होगा, इम्प्रिजनमेंट की भी बात है, वह सारा कुछ इसमें है।

इसके अलावा रीहैबिलिटेशन की भी एक मेजर बात सामने आयी है, ...(व्यवधान) एजुकेशन की, रीहैबिलिटेशन की, तो यह जो सैक्शन 13 है, उसमें बहुत ही डिटेल में इस पर हमने बताया हुआ है कि हम कैसे इनका रिहैबिलिटेशन करेंगे। मैकेनाइजेशन की बात कही कि आज के दिन जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गयी है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इन चीजों में हम क्यों पीछे हैं? इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। सेप्टिक टैंक्स और सीवेज के बारे में बहुत से हमारे साथियों ने कन्सर्न जाहिर की है तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि इसको हमने रैग्युलेटेड एक्टिविटी इस बिल में बताया है, ताकि उसे ध्यान से देखा जायेगा और उस पर क्या स्टेप्स लिये जायेंगे, वह भी होगा।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक नया बिल ला रही है, जिसमें - for regulating the activities of those who are engaged in the sewage and sceptic tanks. These concerns are genuine, and I share this concern with all the other Ministries. अदर मिनिस्ट्रीज जिनसे भी हमें बात करनी होगी, जिनसे ताल्लुक होगा, इसके अलावा रिप्रजेंटेशन की बात आयी, तो इसमें कमेटीज बनेंगी। हर तरह से लोगों का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टेड मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा, ताकि हर लेवल से लोग ध्यान दें, क्योंकि जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें नहीं होंगे, तब तक यह एक्टिविटी केवल अधिकारियों पर छोड़ दें तो शायद उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। उसका भी ध्यान रखा गया है। हमने इसमें सभी प्रकार के प्रावधान किए हैं।

हालांकि यह भी प्रपोजल आया था कि हम बिना डिस्कशन के इसे पास कर दें और तकरीबन काफी माननीय सदस्यों ने इसका सपोर्ट भी किया, लेकिन मुझे खुशी है कि इसके बावजूद बहुत से माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रख सके। इसमें आपकी बहुत सी कंसर्न्स बिल में ही एड्रेस हो गयी हैं, लेकिन अगर कुछ रह गया है, तो हम जरूर उनको रूल्स में फ्रेम गाइडलाइंस में डाल लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आपने इस डिस्कशन में भाग लिया और जिन्होंने नहीं भाग लिया, मैं यह भी जानती हूं कि - you feel very strongly about this Bill. देश में हमें आज करोड़ों लोग देख रहे हैं कि यह पूरा सदन किस तरह से अपनी कमिटमेंट यहां पर दिखाता है, हमारे उन भाइयों और बहनों के प्रति, जो आज भी इस शर्मनाक काम में लगे हुए हैं । किस तरह से हम उन्हें जल्दी से जल्दी निजात दिला सकें और यह कलंक हमारे देश और समाज से हटा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to provide for the prohibition of employment as manual scavengers, rehabilitation of manual scavengers and their families, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

**Clause 2 Definitions**

*Amendments made:*

Page 2, line 29,–

*after* "fully decomposes",
*insert* "in such manner as may be prescribed". (3)

Page 3, line 2,–
*after* "fully decomposes",
*insert* "in such manner as may be prescribed". (4)

(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN: Shri Mohan Jena, are you moving your Amendment Nos. 23, 24 and 25 to clause 2?

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, in this amendment, I want to insert the words, "physically entering or diving or using bare hands for".

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (KUMARI SELJA): Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has just made an important point and even other hon. Members have mentioned very important points. We will consider them under the Rules.

SHRI MOHAN JENA : Sir, as the hon. Minister has assured, I am not moving my amendments.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

**Clause 4 Local authorities to survey in sanitary latrines and provide sanitary community latrines**

*Amendment made:*

Page 4, *after* line 27, *insert–*

"Explanation.- For the purposes of this section, "community" in relation to railway authorities means passengers, staff and other authorized users of railways.". (5)
(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN: Shri Mohan Jena, are you moving your Amendment No. 26 to Clause 4?

SHRI MOHAN JENA : I request the hon. Minister to assure me on this also.

MR. CHAIRMAN: Are you moving your amendment or not?

SHRI MOHAN JENA : Sir, I am moving my amendment.

I beg to move:

Page 4, line 18,--

*after* "community latrines"
*insert* ", with adequate and uninterrupted water supply and such other fixtures as are necessary to ensure that such sanitary community latrine do not become insanitary latrines.". (26)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 26 to clause 4 moved by Shri Mohan Jena to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 4, as amended, was added to the Bill.*

**Clause 5 Prohibition of insanitary latrines and employment and engagement of manual scavenger**

MR. CHAIRMAN: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving Amendment Nos. 13 and 14 to clause 5?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes, I am moving.

I beg to move:

"Page 4, *for* line 38 to 45,--

*substitute* "(2) Every insanitary latrine existing on the date of commencement of this Act, shall either be demolished or be converted into a sanitary latrine, either by the appropriate Government or by the occupier and the cost of such demolition or conversion shall be borne by the Central Government and the concerned State Government in such proportion as may be prescribed by the Central Government in consultation with the concerned State Government.". (13)

Page 5, *omit* lines 1 to 11. (14)

Sir, I would like to mention that a national shame is a national responsibility. I could hear from the Members who participated in the debate on this Bill that they were harping on this point. It is definitely a national shame. How many of us are conscious of the national responsibility? That is why the amendment that I have moved is deleting it because there is no specification and no responsibility is fixed on those authorities who are in-charge to find out and demolish those latrines and penalize those persons who are still continuing to use

them. … (*Interruptions*) It is not there in the Bill. Please read it. That is the fault which lies with us. In 1993, we passed a legislation and I was going through the records. How many of us have actually moved certain amendments at that time? That is the reason why after 20 years, again we are bringing a Bill in the Concurrent List. So, my amendment states that every insanitary latrine existing on the date of commencement of this Act shall either be demolished or be converted into a sanitary latrine either by the appropriate Government or by the occupier and the cost of such demolition or conversion shall be borne by the Central Government and the concerned State Government in such proportion as may be prescribed by the Central Government in consultation with the concerned State Government. This is my amendment.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment Nos. 13 and 14 to clause 5 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

**20.00 hrs.**

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

**Clause 7** **Prohibition of persons from engagement or employment for hazardous cleaning of sewers and septic tanks**

MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, are you moving your Amendment Nos. 15 and 16 to Clause 7?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I am moving my Amendment Nos. 15 and 16 to clause 7.

I beg to move:

Page 5, line 21,

*for* "7."

*substitute* "7.(1)". (15)

Page 5, *after* line 24, –

*insert* "(2) The appropriate Government and the concerned local authorities shall set up mechanised system of cleaning of sewers and septic tanks within one year from the date of commencement of this Act.". (16)

Sir, I want to remind this Government that the Union Government had allotted Rs.100 crore in 2011-12 for eradication of scavenging and rehabilitation of manual scavengers. You will be surprised to know that not a single rupee has been spent and the Planning Commission also has refused to enhance the budget for the scheme citing lack of demand. No ripple has been caused. कहीं कुछ तरंग भी शुरू नहीं हुई। No question was raised and I would say that is the reason why I am harping again and I would request the hon. Minister to look into this.

KUMARI SELJA: Sir, it is the right of the hon. Member to move the Amendment, but I would like to place on record that we have not received proposals from the States.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall put Amendment Nos. 15 and 16 to Clause 7, moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 7 was added to the Bill.*

*Clauses 8 to 10 were added to the Bill.*

**Clause 11 Survey of manual scavengers in urban areas by municipalities**

MR. CHAIRMAN: The Hon. Minister to move the Amendment No. 6 to Clause 11.

*Amendment made:*

Page 6, line 5,–

*after* "Municipality",

*insert* "and fulfilling the eligibility conditions as may be prescribed". (6)

(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab, are you moving your Amendment No. 17 to clause 11?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am moving my Amendment No. 17 to clause 11.

I beg to move:

Page 5, *after* line 43, –

*insert* "Provided that a person shall not be eligible to be identified as a manual scavenger unless he has been working as a manual scavenger for not less than two years prior to the coming into force of this Act.". (17)

Sir, here I would like the hon. Members, at least, present in this House to refer to a speech given by Dr. Baba Saheb Ambedkar on 25th November 1949 in the Constituent Assembly. He had warned about the course of Indian democracy and had observed and I quote:

> "On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics we will have equality and in social and economic life, we will have inequality…"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): What is your Amendment?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : He should please listen to what Dr. Ambedkar has said. I do not know whether he has gone into the Constituent Assembly's debate or not.

> "We shall by reasons of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradiction?"

Does this question still ring in our ears? How long we will continue to live with this life of contradiction? How long? Today, I reiterate by moving this Amendment.

MR. CHAIRMAN: Now, I shall put Amendment No. 17 to Clause 11, moved by Shri Bhartruhari Mahtab, to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 11, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 11, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 12 was added to the Bill.*

**Clause 13 Rehabilitation of persons identified as manual scavengers by a municipality**

MR. CHAIRMAN: Mr. Jena, are you moving your Amendment Nos. 27 and 28 to Clause 13?

SHRI MOHAN JENA : Yes, Sir, I beg to move:

Page 6, lines 42 and 44, –

*for* ", subject to eligibility and willingness of the manual scavenger, and the provisions of the relevant scheme of the Central Government or the State Government or the concerned local authority",

*substitute* "by the Central Government or the State Government or the concerned local authority on priority basis.".

(27)

Page 6, line 47.–

*for* "rupees three thousand",

*substitute* "rupees five thousand".

(28)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment Nos. 27 and 28 moved by Shri Mohan Jena to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 13 was added to the Bill.*

*Clauses 14 to 17 were added to the Bill.*

**Clause 18 Authorities who may be specified for implementing provisions of this Act**

MR. CHAIRMAN: Mr. Jena, are you moving your Amendment No. 29 to Clause 18?

SHRI MOHAN JENA : Yes, Sir. Sir, this is a new Clause to implement the recommendations of the Standing Committee. The Standing Committee recommended that duties and responsibilities of the official concerned should be fixed and some penalty be imposed on them for delay.

I beg to move:

Page 7, after line 44, insert,–

"(2) Where the District Magistrate or any other subordinate officer fails to perform his duties, he shall be liable to appropriate disciplinary action and a fine of rupees fifty thousand.".

(29)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 29 moved by Shri Mohan Jena to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 18 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 18 was added to the Bill.*

*Clause 19 was added to the Bill.*

**Clause 20 Appointment of inspectors and their powers**

MR. CHAIRMAN: Mr. Jena, are you moving your Amendment Nos. 30 and 31 to Clause 20?

SHRI MOHAN JENA : No, Sir, I am not pressing.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 20 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 20 was added to the Bill.*

*Clauses 21 to 23 were added to the Bill.*

**Clause 24 Vigilance Committees**

*Amendments made:*

Page 9, line 42,–

*for* "District Magistrate",

*substitute* "District Magistrate, two of whom shall be women".

(7)

Page 10, lines 21 and 22,–

*for* "District Magistrate",

*substitute* "District Magistrate, two of whom shall be women".
(8)

(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN: Mr. Jena, are you moving your Amendment Nos. 32 and 33?

SHRI MOHAN JENA : Yes, Sir, I am moving. This is an important amendment. In Vigilance Monitoring Committee, we, the MPs, should be included. The Members of Parliament belonging to Scheduled Castes should be included. This is important. MLAs are there. I beg to move:

Page 9, line 23,

*for* "all members of the State Legislature",

*substitute* "all members of the Parliament and the State Legislature".

(32)

Page 10, *after* line 3, *insert*–

"(j) one elected *Zila Parishad* member belonging to the Scheduled Castes to be elected by the *Zila Parishad* of the concerned District.".

(33)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment Nos. 32 and 33 moved by Shri Mohan Jena to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 24, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 24, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 25 was added to the Bill.*

**Clause 26 State Monitoring Committee**

*Amendment made:*

Page 11, lines 25,–

*for* "State Government",

*substitute* "State Government, two of whom shall be women".
(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 26, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 26, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 27 and 28 were added to the Bill.*

**Clause 29 Control Monitoring Committee**

*Amendment made:*

Page 12, lines 30,–

*for* "Chairperson",

*substitute* "Chairperson, two of whom shall be women". (10)

(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 29, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 29, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 30 to 35 were added to the Bill.*

**Clause 36 Power of appropriate government to make rules**

*Amendments made:*

Page 13, after line 41, *insert*–

“(aa) the manner in which the excreta fully decomposes under clauses (e) and (g) of sub-section (1) of section 2;”. (11)

Page 14, line 1,-

*for* “(e) publication”

*substitute* “(e) the eligibility conditions for identification of manual scavengers and publication”. (12)

(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 36, as amended, stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 36, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 37 to 39 were added to the Bill.*

**Clause 1 Short title, extent and commencement**

*Amendment made:*

Page 2, line 5,–

*for* "2012",

*substitute* "2013". (2)

(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause1, as amended, was added to the Bill.*

**Enacting Formula**

*Amendment made:*

Page 2, line 1,–

*for* “Sixty-third”,

*substitute* “Sixty-fourth”. (1)

(Kumari Selja)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

*The Preamble and Long Title were added to the Bill.*

KUMARI SELJA: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

*The motion was adopted.*

---

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, hon. Minister is here, he should reply on China issue.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No. We have to extend the House further.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We have got two Bills to be passed.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, first of all China issue should be taken.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: First, I want to take the sense of the House as to whether we are going to take two Bills or not and then we will take Half-an-Hour Discussion.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have to take the sense of the House whether we are going to take up Half-an-Hour Discussion or we have to take up two Bills. That has to be decided first. Then we will take up what you want.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, first of all China issue should be taken.… (*Interruptions*)

**श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):** …(व्यवधान) अगले दोनों बिल बिना डिस्कशन के होते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में चेयरमैन को ऑफिस ऑफ प्रौफिट से निकालना, उस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जो दूसरा बिल आर.पी. एक्ट का है, उस पर जो एमेंडमेंट आ रहे हैं, यह पुलिस कस्टडी वाला है, उस पर भी सबकी सहमति है, आप केवल उसको पास करवा दीजिए, इसे पास करवाकर चाईना का मुद्दा ले लें और उसके बाद इसे ले लें। आज हाऊस साइन डाई होगा, कल के लिए नहीं बैठेंगे। यदि मोशन लाएंगे, तो हम विरोध करेंगे।

**20.15 hrs**

## PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 2013

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up Item No. 18. Hon. Minister.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill further to amend the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

---

**20.17 hrs**

## REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2013

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up Item No. 19. Hon. Minister.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this Bill needs to be discussed. We cannot pass it without discussion. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: At the stage of third reading, you can speak. I will allow you to speak at the stage of third reading.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 to 4 were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Mr. Chairman, Sir, I am really disheartened about the manner in which actually this Bill is getting passed. No doubt there is unanimity to get this Bill passed but the manner in which we are rushing this Bill will automatically invite criticism to ourselves. This is something which has been interpreted in the Apex court. Two days back, the Apex court has agreed to review the petition. But still I would say this amendment which has been moved in the Rajya Sabha and which is before us after some wise men in the Upper House have deliberated on that, and it would have been better if, cutting across the Party line, we would have discussed this aspect because one issue is still there. I am not a lawyer by profession. One issue is still there. On the face of it, if somebody is convicted, he is in prison, if somebody is apprehended, he is in a police station, and though his name is in the voters' list, our law says that he cannot come out to vote. Taking that clause from the Representation of the People Act, the court interpreted that a person, who is unable to vote, how can he be a candidate? All of us, at least the persons who have little knowledge of law can say: "My name is still there in the voters' list. If my name is there in the voters' list, how can someone debar me to be a candidate?" A glaring example was Shri George Fernandes in 1977. He was in prison and he fought election being in jail. Nobody raised that issue. But peculiarly it was from the Patna High Court, where this decision came and it had been confirmed by the apex court. After this, in an All-Party meeting, a decision was taken; opinions were taken. And, the Government thought that 'we will move a Review Petition and also we will bring in this type of Amendment. But the question here is this. Yes with the provision that is there in this Amendment Bill, those persons who want to contest can contest. But the greater issue is still there; and I would like to be educated by our hon. Minister of Law and Justice. When two under-trial prisoners were allowed by the Apex Court, sent by the Indian Government to Italy to go and cast their votes, how can we deny our citizens from casting their votes? Is that being answered in this amended Bill? No.

Yet, we are rushing this Bill without batting an eyelid. That is my concern. This will be raised outside. I would not be surprised if some conscious persons will also raise it in the court of law. This is my concern. That is why, we are not here only to protect our interest; we are not here only to protect the political class; we are here to protect every citizen of this country and his rights. Adult Franchise gives us the right.

With these words, I would say, Sir, that the Government needs to consider all this. Thank you..… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you may tell your apprehension. The hon. Minister will reply to that.

**SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA):** Sir, thank you very much for giving me the opportunity

सभापति जी, सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था, जब पटना उच्च न्यायालय से निर्णय आया था। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ दर्जनों बार, 50 बार या 100 बार भी ऐसा हुआ होगा, जब भी उसने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया होगा। मैं चाहता था कि इस बिल पर चर्चा हो और हमें बोलने का अवसर मिले। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक नया क्षेत्र जुड़ा है, उसका नाम बेरौल है, वह सब डिवीजन है। आगामी 11 तारीख को उस सब डिवीजन के सामने मैंने एक धरना रखा है। मैं प्रत्येक न्यायालय का आदर करता हूं, जिस तरह से हिन्दुस्तान में कानून मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति करता है। आगामी 11 तारीख को मैंने धरना रखा है, क्योंकि बेरौल के एसडीओ से तीन बार मेरी बात हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय पटना के ही एक आदेश की अवमानना हुई है। हमारे यहां पर महेश्वर हजारी जी बैठे हैं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ वाले क्षेत्र समस्तीपुर से सांसद हैं। वहां सुपौल बाजार होते हुए एक सड़क जाती है। उस पर पटना के माननीय उच्च न्यायालय ने 2011 में एक आदेश दिया था। वहां कुछ दबंग लोगों ने सुपौल बाजार से जो सड़क जाती है, वह संकरी हो गई है, क्योंकि वहां पर सरकारी सड़क पर जो बननी थी, उस पर इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। वह सड़क इनके क्षेत्र में जाती है, जिसे कुशेश्वर स्थान कहते हैं। बरसात न भी हो तो वह क्षेत्र पानी में डूबा रहता है। उसे लेकर कई बार मैंने बात की, दो साल से उनसे बार-बार बात कर रहा हूं कि सम्भवतः वे मान जाएं और उस अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन नहीं किया गया है। लोग आक्रोश में हैं।

MR. CHAIRMAN: Kindly tell your point briefly.

SHRI KIRTI AZAD : Yes, Sir, I am just saying it very briefly. It is a very important matter. I think everybody has gone through it and you to have. Many times, you had also come into the Well for a lot of matters that pertain to your Constituency. So, I am giving an example exactly of what is happening in my Constituency; and what everybody is going though in his Constituency.

So, Sir, I may kindly be given a patient hearing. I shall be very grateful to you.

मैं यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान) यह बिल पर ही डिसकशन हो रहा है। अगर इस तरीके से बिल पास करेंगे तो लोग हंसेंगे। हम सब पर मीडिया हंसेगा। इसलिए यह जानना जरूरी है। मैं उस धरने की बात बताना चाहता हूं। आगामी 11 तारीख को हो सकता है कि मुझे डिटेन कर लें और सुबह से शाम तक

जेल में कर दें। अगर सुबह से शाम तक मुझे जेल में बंद कर देंगे, तो इस कानून के अंतर्गत जो अभी आया है, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। अगर मेरा किसी पड़ौसी के साथ झगड़ा हो जाए तो धारा 7 11 के अंतर्गत मुझे जेल में बंद कर दिया जाए तो सम्भवतः मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं।

मैं उस प्रकार से उतना बड़ा कानून नहीं जानता हूं जिस प्रकार से आदरणीय सुषमा जी जो एक बहुत बड़ी वकील हैं या कपिल साहब, विजय बहादुर जी या कल्याण बनर्जी साहब जानते हैं। लेकिन मैं वहां प्रदर्शन करुंगा और इसलिए करुंगा कि लोग वहां प्रताड़ित हैं। वहां एक रैफरल हॉस्पिटल बना हुआ है जो 30 बैड का अस्पताल है। जिस रैफरल अस्पताल का इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए किया जाना चाहिए, उस अस्पताल में वहां के एसडीओ और डीसी ने घर बना रखा है। जो वहां पर इंस्पैक्शन बंगला बैरोल में है उसमें डीएसपी रहता है जहां पर मैं रहना चाहता हूं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं कि अपने क्षेत्र के हर ब्लॉक में घर बना सकूं। लेकिन अगर मैं उस इंस्पैक्शन बंगले में जाकर रहना चाहता हूं तो नहीं रह सकता और वह मेरे क्षेत्र की जनता से मुझे दूर करता है। इसलिए मैं उस पर प्रदर्शन करुंगा। मैं क्रिकेट खेलते हुए भी एक आक्रमक बल्लेबाज और खिलाड़ी था और अपने राजनैतिक जीवन में भी मैं एक आक्रमक व्यक्ति हूं लेकिन मैं वहां शांतिपूर्ण धरने पर बैठूंगा और यदि वहां पर लोग आक्रोशित होकर डंडा उठाएंगे, वहां पर किसी भी सरकारी स्थान का नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह केस मुझ पर होगा। एक व्यक्तिगत अपराध में और जन-आंदोलन में बहुत फर्क होता है। आजादी के पहले से आंदोलन होते रहे हैं। मैं अपने को महात्मा गांधी या शहीद भगत सिंह नहीं मानता लेकिन आप इतिहास उठाकर देखें तो 8 अगस्त 1942 में "भारत छोड़ो" आंदोलन जब महात्मा गांधी ने किया था तो उस समय कहा था कि "करो या मरो" । अगर उस चीज को देखा जाए और आज के इस आदेश से तुलना की जाए तो सबसे बड़े क्रीमनल, माफ कीजिए मैं कहना नहीं चाहता हूं अंग्रेजों के समय में महात्मा गांधी जी ही थे क्योंकि उन्हें जेल जाना पड़ा था। जैसे लोग तेलंगाना, पूर्वांचल या दूसरी जगह की बात कर रहे हैं उसी तरह से मेरे यहां मिथिला राज्य को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। मैं सीता मां की पवित्र जन्म भूमि मिथिला से आता हूं और मिथिला राज्य बने, उसके लिए मैं आंदोलन करुंगा। मुझे एक बार नहीं अनेकों बार जेल जाना पड़ सकता है और मैं जेल जाऊंगा। जनता के लिए आंदोलन करना और कोई अपराधी हो, कोई हत्यारा हो, कोई फिरौती मास्टर हो, कोई अपहरण्कर्ता हो, उसके साथ मेरे इस जन-आंदोलन को नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता था कि आपराधिक मामले और जन-आंदोलन ये अलग चीजें हैं और उन्हें एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। आपने मुझे

ज्यादा कहने नहीं दिया लेकिन मैं चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। आपने कम अवसर दिया लेकिन जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद।

**SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD):** Sir, I am not against passing this Bill but at the same time when we discuss a Bill in the Parliament and pass the Bill, it is our responsibility to convince the people also. Otherwise, we would be sending a wrong message that it is for some other interests. Now we have taken the decision that without any discussion we are going to pass each and every Bill. In the other Bill, really I had wanted to seek some clarifications but you have not given me chance. But as the Parliament, it is our duty to discuss. If we are not fully convinced, how can we convince the people? There are a number of discussions that are going on. So, it is the duty of the Parliament to discuss. So, when I say that there is no objection in passing the Bill but at the same time sufficient time should be given for a detailed discussion.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I respect the speech that has been made by Mr. Bhartruhari Mahtab. I want to tell you one thing.

MR. CHAIRMAN: It is third reading stage. Therefore, please be very brief.

SHRI KALYAN BANERJEE : I am supporting this Bill. But I am saying it is not unknown to us that the Supreme Court passes inconsistent orders and judgements. That is only possible in our country. It is not that the Supreme Court is infallible. It is infallible. But there is no other Supreme Court. Therefore, the Supreme Court judgements and orders are final. There are orders and judgements which are inconsistent with that. But, the case which Mr. Mahtab has referred to, was an intelligence case. That was an order and that was not a judgement. But, the Patna High Court judgment, which has come, has to be rectified so that people can cast their votes as voters. I again appreciate the statement of Mr. Mahtab. But, as citizens of this country, let us come to this conclusion today that our Supreme Court is really famous for having there inconsistent views altogether from different Benches, different orders and different judgements. The judgement of Supreme Court is final and we have to accept it.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you, Chairman, Sir. Many of the judgements by the Supreme Court are more born out of anger towards politicians than out of legal sanctity. … (*Interruptions*) A man, who cannot vote, is not a man who is not eligible to vote. That is a difference. A man, who is not a voter, cannot contest. But, a man, who could not vote, can contest. But, there are many other loopholes in the Representation of People Act. The Government has brought this amendment only for this purpose. I would say that the entire Representation of People Act should be studied thoroughly and more amendments should be brought in so that it is perfect and the Supreme Court's anger cannot be shown through this Representation of People Act.

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** सभापति महोदय, माननीय कपिल सिब्बल जी जो विधेयक ले कर आए हैं, यह बहुत ही गंभीर बिल है। इस बारे में आम सहमति बनी थी कि इस पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा और पास कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि सवाल उठा है, मैं अपने यहां का ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ था। उसमें जो केंडिडेट था, उस पर मुकदमा एससी, एसटी लगा कि उसे जेल भेजा गया। ... * वह आज की तारीख में ब्लॉक प्रमुख है। उसे जेल भेजा गया और वह वोट नहीं दे पाया। अगर वह रहता तो मेरे खयाल से निश्चित जीतता।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not take anybody's name. Names are not allowed to be taken.

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** जनहित में लड़ने के लिए, जनता के हित में लड़ने के लिए धरना, प्रदर्शन देने पड़ते हैं। हम लोगों को निरूद्ध किया जाता है। सुबह से ले कर शाम को छोड़ दिया जाता है या दूसरे दिन या चौदह दिन की ज्यूडिशियली कस्टडी में भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में, ज्यूडिशियरी हमसे स्वयं नाराज है, तमाम पोलिटीशियनों से नाराज है। यह बिल कहीं बाधक न बने, इस पर विचार करना चाहिए।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Sir, thank you very much. I know that everybody is in a hurry to pass this Bill. I just very humbly want to register my protest. We talked about the hon. Supreme Court. But, the most supreme in democracy are the people of this country. We are the people, who have given us this Constitution. While talking about the people, my only objection is that by passing this Bill, without getting an opportunity to discuss, we would be sending a wrong signal. I personally feel that we should reconsider it ourselves and we should discuss this Bill. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

Shri Dara Singh Chauhan.

… (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, please do not be in a hurry. It is my right to speak. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why do not you speak, Mr. Dara Singh Chauhan? I have already taken your name. Mr. Dara Singh Chauhan, when I am calling your name, you must speak.

Trivedi ji, you have already spoken. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have already given him time to speak.

…(व्यवधान)

SHRI DINESH TRIVEDI : Sir, it is my right to speak. … (*Interruptions*) You are not letting me speak. … (*Interruptions*) Sir, I am walking out in protest. … (*Interruptions*)

**20.34 hrs**

*At this stage, Shri Dinesh Trivedi left the House.*

… (*Interruptions*)

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** सभापति महोदय, कुछ मामले को ले कर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिले थे और खास कर जो पालिटीशियन लोग हैं, जिन्हें राजनीतिक द्वेष वश किसी न किसी मुकदमे में झूठा फंसा कर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश की जाती है। जिसे लेकर आल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था कि सरकार की तरफ से जब संशोधन विधेयक आएगा, जिस पर सभी लोग संशोधन में साथ दे कर वापिस भेजेंगे, कानून का रूप देंगे। मैं खुद उसका गवाह हूं कि मेरे ऊपर खुद जब उत्तर प्रदेश में और मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी सरकार थी? मैं उस समय मीटिंग कर रहा था। मेरे ऊपर गलत मुकदमा लगाकर, विभिन्न राजनीतिक मामलों में करके मेरे ऊपर वह गलत मुकदमा लगाया गया। अगर इस एक्ट से काम होगा तो हमारे जैसे लोग राजनीति से वंचित हो जाएंगे, चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगे। ऐसे तमाम लोग हैं जो पोलिटिकल काम करते हैं। राजनीतिक आंदोलन, धरने में साथ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ साजिश की शंका है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**SHRI KAPIL SIBAL:** Sir, I am very happy that distinguished Members of this House have participated in this debate. I just want to say two or three things. यह जो विधेयक है और यह अमेंडमेंट बिल इसीलिए लाया गया क्योंकि अगर यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सही है तो चुनाव के एक दिन पहले इस हाउस के लीडरान को अगर एसएचओ अपने हिरासत में कर ले तो अगले दिन वह अपना नामांकन-पत्र नहीं दे पाएगा। यह इसका नतीजा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से whoever is in lawful custody cannot vote and if he cannot vote, he cannot be an elector. इसलिए इसमें ज्यादा बहस की जरुरत तो है नहीं क्योंकि यह अपने आप में ही बिल्कुल गलत है। The Supreme Court is right because it is final; it is not right because it is right. That is the reality. It is right because it is final. We are all mortals; we can make mistakes. हम भी सदन में गलती कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है और अगर उनकी कोई गलती हुई है तो हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि उसको हम ठीक करें। आज हम ठीक करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** सभापति महोदय, मैं इनसे सहमत हूं। क्या ये जज संविधान निर्माताओं से बड़े हैं?...(व्यवधान) क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू से ये जज बड़े हैं?...(व्यवधान) क्या आप ये मानते हैं?...(व्यवधान)

**श्री कपिल सिब्बल :** नेता जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल जल्दी से जल्दी ज्युडिशियल अपॉइन्टमेंट बिल लाइए और उसको पास कीजिए।...(व्यवधान) यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। हमें बाहर ये संदेश भेजना चाहिए कि इस सदन में हम इकट्ठे हैं।...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** पार्लियामेंट के मैम्बर भी हैं, वकील भी हैं।...(व्यवधान) आप ढ़ीलीपीली बात क्यों करते हैं?...(व्यवधान) उनको अधिकार नहीं है।...(व्यवधान)

**श्री कपिल सिब्बल :** यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे अचम्भा हुआ जब मैंने यह जजमेंट पढ़ा।...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** सीधा कहिए कि नहीं रोका जाएगा। यह कानून लेकर आइए।...(व्यवधान)

**श्री कपिल सिब्बल :** वह तो कर दिया। इसी कानून के अन्तर्गत हमने कर दिया और एक क्लेरिफिकेशन दे दी। पूरी तरह से हुआ है। यह क्लेरिफिकेशन भी दे दी कि अगर कोई वोटर अगर वोट नहीं कर सकता क्योंकि हिरासत में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह इलैक्टर नहीं है। यह हमने सही कर दिया। वह

हिरासत में सही तरीके से है या गलत तरीके से है, वह तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन यह जज तय नहीं करेंगे कि वह सही या गलत हिरासत में है। इसीलिए मैं यह विधेयक लाया हूं। ...(व्यवधान)

**श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.):** अगर उसको सजा हो गई और सजा होकर तो वह डीबार हो गया। उसका इलैक्शन रद्द और वह जीत गया।...(व्यवधान)

**श्री कपिल सिब्बल :** नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं। उसके लिए भी वह चर्चा करने की जरुरत नहीं है क्योंकि सजा की बात तो बाद की है। इस जजमेंट ने यह तय कर दिया कि अगर वह हिरासत में है और उसको वोट करने का हक नहीं है तो वह इलैक्टर भी नहीं हो सकता। यह अपने आप में साफ गलत है। इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरुरत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको पास किया जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

___________

**20.39 hrs**

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA…..Contd.

SECRETARY-GENERAL: Mr. Chairman, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 6th September, 2013 agreed without any amendment to the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2013 which was passed by the L201 ok Sabha at its sitting held on the 24th August, 2013."

---

**20.40 hrs.**

## SUBMISSIONS BY MEMBERS…Contd.

### (iv)Re: Report by Shri Shyam Saran, Chairman, National Security Advisory Board

**श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग):** माननीय सभापति महोदय, कल शाम को मैंने इसी सदन में प्रश्न उठाया था जो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा है कि चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। मैंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया था जो कि प्रधानमंत्री जी के विशेष दूत श्री श्याम संरन ने लद्दाख के भ्रमण के बाद उनको सौंपी थी। मैंने यह मांग की थी, शायद गलती की थी क्योंकि रक्षा मंत्री का इस तरह बयान आया है। मुझे लगा कि गलती मैंने इसलिए की क्योंकि जो बयान रक्षा मंत्री जी का आया है उसमें बातें छुपाई गई हैं और सच्चाई को दबाया गया है। हम सब जानते हैं, चूंकि अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें अगर कुछ बात कह दी जाए तो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं कह सकते कि यह गलत है लेकिन सच्चाई छुपाने के लिए वह काफी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया गया।

महोदय, मैंने गौर से इस स्टेटमेंट को देखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक खास वाक्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो उनके बयान में है:-/

> "I would like to state categorically that Shri Shyam Saran has not stated in this report that China has occupied, or has denied access to India to any part of Indian territory."

**20.42 hrs** (Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

China has not occupied or denied access to India to any part of Indian territory. On the face of it, ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अब चीन ने लिखित क्या दिया है कि आप नहीं जा सकते हैं। चीन ने नोट पर बल दिया है कि आप नहीं जा सकते हैं, चीन ने सच्चाई में, यथार्थ में जमीन पर यह कर दिया है। यह जो बात है इसे मंत्री महोदय अपने बयान में छुपा गए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल की है और शायद चीन की दूसरी है। ईस्टर्न लद्दाख, जिस इलाके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चीन लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल उसे मानता है जो उस समय के चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने हमारे प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखकर 7 जनवरी, 1959 को भेजा था। उसमें उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया था, चाइनीज मानते हैं

कि यही लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल है। हमारे यहां सरकारी पदाधिकारियों का चाइना स्टडी ग्रुप है, इसमें मिलिट्री पदाधिकारी भी हैं। इस ग्रुप ने 1976 में तय किया था कि 1962 की लड़ाई की सच्चाई के आधार पर लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। हम इसे लाइन आफ कंट्रोल नहीं कहते हैं जैसे पाकिस्तान की सीमा को लाइन आफ कंट्रोल कहते हैं। यह लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां दोनों आर्मीज 1962 युद्ध के बाद आमने सामने रही, यह वही लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल है। उस मंत्रालय को छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, मैं याद्दाश्त से बोल रहा हूं कि लाइन आफ कंट्रोल हमारा है। यह उनका लाइन आफ कंट्रोल 1959 का है जो इंडिया-चीन युद्ध 1962 में हुआ था। यह उसके पहले का है। उसके बाद बहुत सारे एग्रीमैन्ट्स हुए, 1966 का एग्रीमैन्ट हुआ और 2005 का एक प्रोटोकोल है, जिस प्रोटोकोल के अनुसार अगर पैट्रोलिंग करते समय दोनों देशों की आर्मी आमने-सामने आ जाए तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसके बारे में 2005 का प्रोटोकोल है। उसमें एक तो यह है कि हिंसा नहीं करेंगे, एक-दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, विदड्रा कर जायेंगे, अपने देश के प्रतिनिधियों को बतायेंगे, वे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह यह है कि यह जो इलाका है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन न हम करेंगे और न वे करेंगे। 2005 का बॉर्डर प्रोटोकोल यही कहता है। अभी हाल में अप्रैल में जब डिपसांग में चीनी सेना घुस आई थी, हम सब जानते हैं कि वे 20 या 25 किलोमीटर हमारी भूमि के अंदर, सीमाओं के अंदर आ गये थे और उन्होंने कैम्प लगा दिया था, कैम्प लगाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो 2005 के बॉर्डर प्रोटोकोल का खुला उल्लंघन था और हम कुछ सकपकाये रहे, हम हेजिटेट करते रहे, हमने इसका मुकाबला नहीं किया और बहुत दिनों के बाद जब उनकी मर्जी में आया तब वे वहां से हटे, वहां से वापस गये। हमने उन्हें हटाने के लिए कुछ नहीं किया। वे स्वयं आये, हमें एक संदेश दिया और वह संदेश क्या था, वह संदेश यह था कि हम जो चाहे वह कर सकते हैं और अगर तुममे हिम्मत है तो हस्तक्षेप करके देख लो और हमने हिम्मत नहीं दिखाई जब उनकी मर्जी में आया, तब वे वहां से गये।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से बिल्कुल स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यह जो चाइना का इनकर्शन हुआ, मेरी जानकारी यह है कि एक डिपसांग बल्ज है, जो मैप में इस तरह का इलाका है, जिसे बल्ज कहते हैं। वह हमारा इलाका था, आज वह हमारे पास नहीं है और मैं गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ मंत्री महोदय से आज इस सदन के फ्लोर पर जानना चाहता हूं कि क्या डिपसांग बल्ज आज भारत के नियंत्रण में है या हम उसे खो चुके हैं? आप छोड़ दीजिए 570, 540 या 640 स्कवायर किलोमीटर्स है या कितना था, कल मैं गलत था। कल मैंने कहा था कि 640 स्कवायर किलोमीटर्स चीन ने कब्जा कर लिया है। जब मैंने इसकी तहकीकात की तो मुझे पता चला कि उन्होंने जो हरकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की है, उसमें

एक्चुअली 750 स्कवायर किलोमीटर्स का इलाका उन्होंने ऐसा कर दिया है कि भारत की आर्मी के पैट्रोल वहां नहीं जा सकते और उन्होंने इसी तरह 2005 के प्रोटोकोल का वायलेशन करते हुए क्या किया है, एक ट्रैक जंक्शन है और मैं मंत्री महोदय से इसके बारे में जानकारी चाहता हूं कि दौलत बेग ओल्डी के पास एक ट्रैक जंक्शन है, उस ट्रैक जंक्शन में उन्होंने एक सड़क बनाई है, जो मोटरेबल है। चाइना की आर्मी मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट में उस रोड का इस्तेमाल करती है और उस रोड का असर यह पड़ा है कि हमने जैसा कहा कि 750 स्क्वायर किलोमीटर्स जिसमें हमारी सेना पैट्रोलिंग कर सकती थी, उससे आज के दिन हम वंचित हैं। यह कैसे हुआ, कब हुआ? इसके अलावा जो चुमार इलाका है, वहां पर भी हम पैट्रोलिंग करते थे। वहां पर प्वाइंट्स मैप में दिए हुए हैं - 10, 11, 11ए और 13 जहां हम जाते थे, हमारी सेना पैट्रोलिंग करते हुए जाती थी, परंतु आज हम वहां पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चीन ने रोक दिया है, उसकी फौज वहां पर खड़ी है। अब वह वहां क्यों खड़ी है, क्योंकि एक पाकीनाला है, उस पाकीनाला से आगे जाने से उन्होंने हमें रोक दिया है तो हम उन प्वाइंट्स पर नहीं जा सकते हैं।

फिर हम सब जानते हैं कि एक पैंगोंग चो लेक है, जिसमें एक स्वीजाप एरिया है, वहां पर चीन आज डॉमिनेट कर रहा है, उसने all along the Line of Actual Control अपनी पोज़िशंस को स्ट्रेंथन किया है। वह ज्यादा आक्रामक भूमिका में आ गया है। बार-बार हमारी भूमि के अंदर, सीमा के अंदर जो incursion हो रहा है, वह इसीलिए हो रहा है, क्योंकि चीन की फौज ने वहां पर ताकत बनाई है और हमने ताकत नहीं बनाई है। इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने श्री श्याम सरन, जो उनके विशेष दूत हैं, उनको भेजा कि लद्दाख का जो एरिया है, वहां से ले कर नॉर्थ-ईस्ट तक आप जाइए और पूरे Line of Actual Control को देखिए। यह सही है, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि उसमें यही मुद्दा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से आप देखिए। हम सब जानते हैं, हम लोग जब सरकार में थे, तो हमने शुरूआत की थी कि वहां इंफ्रास्टक्चर मज़बूत हो। मुलायम सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने कोशिश की थी कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत हो। लेकिन हमसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत कर लिया और हम अभी भी बहुत पीछे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उसको सुविधा ज्यादा है। वे जहां चाहें वहां आसानी से जा सकते हैं। हमारे पास में साधन नहीं हैं। अभी भी हम बहुत सारे इलाके में mule trains पर डिपेंड करते हैं। जहां वे कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, वहां हमको पहुंचने 15 दिन लगते हैं। सब मिला-जुला कर श्याम शरण जी को यह देखने के लिए भेजा गया कि ईस्टर्न लद्दाख का यह जो इलाका है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और सब बातों को देखें। मेरी अपनी जानकारी है और मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि श्याम शरण 2-9 अगस्त,

2013 को गए थे और लौट कर उन्होंने एक रिपोर्ट सब्मिट की थी, जो इनके मंत्रालय को 2nd September, 2013 को प्रधान मंत्री कार्यालय से भेजा गया। लगभग एक महीने के बाद। लेकिन मैं जानता हूँ कि श्याम शरण जी ने लौटने के बाद व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री जी से 10 अगस्त को मिल कर इन सारी बातों की चर्चा की थी कि कैसे यह पूरा एरिया जो है, उस इलाके में there is Chinese domination at Line of Actual Control. हमारा जो पेट्रोलिंग वाला इलाका है, वह आज हमको उपलब्ध नहीं है। जब हम 750 किलोमीटर की बात करते हैं तो हमारा यही मतलब है कि 750 किलोमीटर में जहां पर हमारे सेना के पेट्रोल जा सकते थे, आज नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चीनियों ने हमको रोक दिया है। हम खामोश हैं और हम अपनी सेना को आदेश को नहीं दे रहे हैं कि तुम मुकाबला करो। चीन की पॉलिसी है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं निबलिंग, जैसे चूहा धीरे-धीरे काटता है, वैसे Chinese are nibbling at the Line of Actual Control and they are re-drawing that Line. This is a very serious issue and in all humility, I will say that there is no politics. There is no politics because this is a matter of grave national importance. I, therefore, appeal to the Government with folded hands. Please come clean and please tell us what the truth is. Please tell us what is the challenge that we are faced with on the Line of Actual Control and the whole nation will be with you, will stand with you, if you take the strong action. यहां कहा गया है कि हमारी सेना कमजोर नहीं है। दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में हमारी सेना की गिनती होती है। उनको सिर्फ आदेश देने की ज़रूरत है। Therefore, it is not a question of any physical strength; it is a question of mental strength and it is a question of will power, political will power. I am appealing to the Government, Sir, through you, to the Defence Minister who is present in the House, to please develop that capacity, that courage to be able to meet the Chinese aggression headlong; give instruction to our Army to give them headlong.

I am quite sure, our very great and glorious Army will distinguish itself in this as they have done in the past. So, I want the Minister to tell the House what the truth is and assure the House that he will ask the Indian Army to do whatever it takes to meet the Chinese threat along the LAC. We will not sit quiet. This is my appeal to him and this is what I expect from him.

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** महोदय, माननीय यशवंत सिन्हा जी ने विस्तार से बता दिया है। इस सवाल को आज से नहीं, मैं चौदह साल से लगातार सदन में और सदन के बाहर बोल रहा हूं। मैंने सबसे मिलकर भी, हम नाम लेंगे, सत्ता में बैठे उच्च्व पदाधिकारियों से या मिनिस्टर जो भी हैं या प्रधानमंत्री जी तक मैंने इस बारे में बात की है और सावधान किया है। मंत्री जी, आप यहां बैठते थे, मैं रोज सावधान करता था और आपको बताता था।...(व्यवधान) यह बात सही है, ऐसा नहीं है मंत्री जी सच बोल रहे हैं। चीन के बारे में हमने कहा कि इतना धोखेबाज दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। यह मैं कह रहा हूं। ...(व्यवधान) मैंने यहां कहा था कि नेहरू जी की मौत केवल चीन के कारण हुयी, मैंने यहां ऐसा कहा था। आपको याद होगा कि लोहिया जी ने लेख लिखा था तो तब कहा था कि नेहरू जी को जो धोखा हुआ है, चीन ने धोखा दिया है, चाउ एन लाई ने धोखा दिया है, वह सद्मा उनको लगा, वे उस सद्मे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका निधन चीन की वजह से हुआ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कई बार सावधान किया कि इस बात को गंभीरता से लीजिए। यह देश का सवाल है, यह देश के स्वाभिमान का सवाल है और आप दुनिया में हिन्दुस्तान को किस तरह से अपमानित करने जा रहे हैं। हमारा जो सम्मान है, जो सम्मान बढ़ रहा था, हमारा बड़ा देश है, विशाल देश है और जैसा मैं कई बार कहता हूं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। सेना के बड़े जनरल तक से कई दौर में मेरी बात हुयी। उन्होंने कहा कि नहीं देते, नहीं देते हैं हुक्म हमको। रक्षा मंत्री जी, आप साफ जवाब दीजिए। हर सप्ताह में सुरक्षा की रक्षा संबंधी देश की सीमा संबंधी मीटिंग होती है। आपने यह मीटिंग हर हफ्ते चलायी या नहीं। जब हम रक्षा मंत्री थे, तो हर हफ्ता मीटिंग करते थे। हमसे पहले कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे, तब वे हर हफ्ता मीटिंग करते थे, बीजेपी के रक्षा मंत्री थे, तब हर हफ्ता मीटिंग होती थी। मेरे से एक अधिकारी ने स्वीकार किया था कि मीटिंग होती है। फिर मैंने सेना के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी से पूछा, मैंने कहा कि क्या यह सच है, यह आज से डेढ़ साल पहले की बात है, एक फंक्शन में हम मिले थे, उन्होंने कहा कि यह सच है। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमें हुक्म ही नहीं देते हैं। मैंने कहा कि हर हफ्ते मीटिंग होती है और उसमें जनरल रहता है तो उन्होंने कहा कि मैं रहता हूं और मैं कहता हूं। मैंने कहा कि क्या जवाब मिलता है, उसमें प्रधानमंत्री जी रहते हैं, रक्षा मंत्री जी रहते हैं, मैंने कहा कि क्या जवाब मिलता है तो उन्होंने कहा कि मौन, आज तक हमें कोई निर्देश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते, हर मीटिंग में हम बात रखते हैं कि चीन हम पर कब्जा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अनजान हों। यह क्या कमजोरी है, आप इस बारे में बतायें। हम कह रहे हैं कि इस मामले में यह पूरा सदन, पूरे देश की जनता साथ है। कमजोरी किस बात की है? हमारी फौज कमजोर नहीं है।

**21.00 hrs.**

हम भी रक्षा मंत्री रहे हैं। अपने पुराने अधिकारियों को बुलाकर पता लगा लीजिए। चीन ने एक किलोमीटर पर निशान लगा दिये तो मैंने तीनों जनरल को बुलाकर कहा कि सावधान हो जाइए, और चार किलोमीटर पर निशान लगाइए तो हमने चार किलोमीटर पर निशान लगा दिये। आप पूछ लीजिए। उसके बाद एक दिन भी चीन एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया, वह कुछ नहीं बोला। आज मैंने चीन के बारे में बता दिया है। उधर वह अरुणाचल प्रदे में प्रवेश कर रहा है, कश्मीर की तरफ से प्रवेश कर रहा है। कई जगह से प्रवेश करने की योजना वह बना चुका है, मैं सदन में कह चुका हूँ। वह चारों तरफ से हमें घेर रहा है। उसके बाद यह सरकार सारा सामान चीन से खरीद रही है। आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान चीन को मज़बूत कर रहा है। बाज़ार में छोटे-छोटे खिलौने तक सब चीन के आ रहे हैं।

MR. CHAIRMAN : Mulayam Singhji, please take your seat for a while.

Hon. Members, the time now is 9 p.m. If the House agrees, we will extend the time of the sitting by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Mulayam Singhji, please continue.

**श्री मुलायम सिंह यादव :** मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सिन्हा साहब ने बहुत अच्छा किया और आपने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया है। मैंने बताया कि चीन ने नेहरू जी से लेकर सबको धोखा दिया है। आज मैं फिर सदन में बता रहा हूँ कि चीन हिन्दुस्तान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है और जब मौका पाएगा तब हमला करेगा। रक्षा मंत्री जी बताएँ कि यह बात सच है या गलत है। अगर सच है तो आपने क्या किया? आप कहेंगे कि कोई खतरा नहीं है। सवेरे भी कह गए, फिर कह देंगे लेकिन इससे हम सदन के लोग सहमत नहीं होंगे। आपके भी कई लोग बैठे हैं। उनको पता है, वे भी चिन्तित हैं। आपको चिन्ता क्यों नहीं हुई? हम तो आपसे कई सालों से कह रहे हैं कि मैं इनकी बहुत इज्ज़त करता हूँ। यहाँ सिन्हा साहब कहते रहे, हमने आपको राय भी दी। आपके साथ बैठकर आपको कहा कि यह करिए, वह करिए, दिक्कत हो रही है, चीन ऐसा कर रहा है। आपकी मजबूरी क्या थी वह मैं जानना चाहता हूँ। मजबूरी किस स्तर पर हुई, वह मैं जानना चाहता हूँ। सेनापतियों से मजबूरी नहीं हुई। जब मीटिंग हर हफ्ते हुई है और हर मीटिंग में उन्होंने रखा है तो आपने पालन क्यों नहीं किया? सिन्हा साहब, हर हफ्ते देश की रक्षा संबंधी मीटिंग होती है। मैं रक्षा मंत्री रहा हूँ। और कोई मीटिंग पोस्टपोन हो, लेकिन यह पोस्टपोन नहीं होती है। उसमें जनरल पूरी सच्चाई से सब बात रखते हैं और उसका पालन होता है या नहीं। यह बताएँ कि क्या जो

जनरल हैं, उन्होंने आपकी मीटिंग में यह बात कही या नहीं कही कि चीन से खतरा है और चीन हमारी ओर बढ़ रहा है? अगर उन्होंने नहीं बताया है तो पता चल जाएगा। अगर बताया है तो आपने क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया?

महोदय, आज स्थिति ऐसी बन गई है कि चीन आगे बढ़ा और चीन पहले ही 1लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्ज़ा कर चुका है। अभी जो कब्ज़ा किया है, यह ध्यान रखना कि मैंने आपको सावधान किया था कि चीन के पहले वे कैम्प वाले हट गए। लेकिन वे पूरे का पूरा देख गए कि कैसे हमला करेंगे, कहाँ से प्रवेश करेंगे, पहाड़ों से होकर कैसे आएँगे और कैसे हिन्दुस्तान को कब्ज़े में करेंगे। यह मैंने यहाँ सदन में कहा था और वह कार्यवाही में है कि वे रास्ता देख गए हैं, तैयारी कर गए हैं। ऐसा मत सोचो कि वे चले गए हैं। जब सड़कें बन रही थीं तो मैंने आपको सावधान किया था। मैंने यह भी पूछा था कि जब चीन सड़क बनवा रहा था तो हमने भी जो सड़कें बनवाईं, उन सड़कों का क्या हुआ यह बता दो। आप यह बता दो कि हमने सड़कें बनवाई थीं या नहीं? जब सड़कें बनवाईं और हमारी सरकार नहीं रही तो वे सड़कें जो अधूरी बनी हुई थीं, उनका आपने क्या किया? कितनी मरम्मत करवाई? नहीं करवाई तो मरम्मत क्यों नहीं करवाई? वे तो उखड़ गई होंगी। उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई परवाह नहीं की तो देश को चला कैसे रहे हैं?

हमारी सेना बहादुर है और यह सही है कि दुनिया में सबसे बहादुर सेना है, सबसे ज्यादा कुर्बानी करने वाली सेना है। दुनिया में भेजी गई और देशों की रक्षा के लिए और बहादुरी से काम करके दुनिया में नाम करके आयी है। सभी जगह हमारी सेना गई। सेना हमारी मजबूत, सेना हमारी बहादुर तो कमजोरी कहां है। मैं यह कह रहा हूं कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार कनफ्यूज़न में कभी कोई क्लीयर हुक्म नहीं देती है। आप किसी अधिकारी से चुपचाप पूछ लेना, अगर विश्वास का हो, तो सेना के वरिष्ठ अधिकारी बता देंगे कि सरकार ने आज तक स्पष्ट कभी भी कोई निर्देश नहीं दिया। आप सेना को दुविधा में रखेंगे। अगर सेना को दुविधा में रखेंगे तो देश को आप बचा नहीं सकते हैं। सेना को यह क्लीयर होना चाहिए कि हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार क्या चाहती है? अभी तक इस सरकार ने सिन्हा साहब मैसेज नहीं दिया है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी सीमा सुरक्षित रहे, हमारी सीमा में कोई कदम बढ़ाने न पाए। आज तक क्या स्पष्ट निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं। जब निर्देश नहीं दिया है तो सेना क्या करेगी? सेना तैयार है कि हम खदेड़ देंगे। मुझ से एक जनरल ने कहा था कि मुझे आप कहिए, उन्होंने मुझ से कहा था कि आप सदन में इतना भाषण दे दो, चीफ जनरल ने कहा था कि आप यह भाषण कर दो कि जो सड़कें मैंने बनवायी थीं उनका क्या हुआ? उसके कहने से मैंने सदन में आपसे डेढ़-दो साल पहले पूछा था, आप कार्रवाई देख लीजिए। उन सड़कों का क्या हुआ? हम लोग तो आपको

सावधान करते हैं और आपका साथ दे रहे हैं। इस मामले में देश की जनता और पूरा सदन आपके साथ है, फिर रक्षा मंत्री जी क्या कमजोरी है? कमजोरी क्यों है? क्या आप लड़ेंगे, आप तो लड़ाएंगे। अगर आप डर रहे हैं तो वह बात अलग है। सेना लड़ेगी, आप तो जाकर नहीं लड़ोगे। वहां जो कुछ होगा, कुर्बानी वह करेंगे, शहीद होंगे या मारेंगे भी। यह क्या है, आप इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हो। आप जैसे लोग गम्भीरता से नहीं लेंगे, तो देश को फिर कैसे बचाएंगे? मैं इसीलिए सख्त होकर बोल रहा हूं और देसी भाषा में बोल रहा हूं ताकि आपका दिमाग ठनके। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं भी तो रक्षा मंत्री रहा हूं। पाकिस्तान ने क्या नहीं किया था? हमने उन्हें खदेड़ दिया था। उसकी सीमा के अंदर मैदान में, लाहौर वाले मैदान तक हमारी फौज ने क्या कार्रवाई नहीं की है? पता लगा लेना आप। उसने हमारे जवानों का हेलीकाप्टर गिरा दिया था। मैंने उसका प्रचार कर दिया सदन के अंदर कि दुर्घटना हुई। मैंने ऐसा जवाब दिया था और सारे कश्मीर के उस समय के सातों पार्लियामेंट मेंबर्स मिलकर मुझे बधाई देने गए थे कि आपने पहली बार जवाब दिया पाकिस्तान पर। उस दिन से पाकिस्तान कभी भी हमारे समय में उंगली नहीं उठा सका। हमारा हेलीकाप्टर गिरा दिया था हमारी सीमा में, फिर हमने क्या किया था, पता लगा लेना और यहां मैंने कह दिया कि दुर्घटना हुई। नहीं बताया कि पाकिस्तान ने गिराया, मैंने प्रचार दुर्घटना का किया। सेना में हिम्मत है, अगर हमारे रक्षामंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार में हिम्मत है, तो हमें चीन भी पीछे नहीं कर सकता है। हमारा एक सैनिक उनके तीन सैनिकों के बराबर है। तीन के बराबर है।...(व्यवधान) इतनी बहादुर सेना है हमारी। अगर वे कुश्ती भी लड़ें, तो तीन को उठाकर पटक देंगे। हां, ऐसा हुआ है। जब हथियार नहीं थे 1962 की लड़ाई में, तो बेचारे पटक-पटककर ही लड़े थे।...(व्यवधान) हमारे भाई साहब थे वहां, हमें इसीलिए यह सब जानकारी है। वह बच गए थे। हम से पूछिए सेना के बारे में, अभी हमारे परिवार के चार लोग हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अभी समय है, आपके साथ पूरा सदन है, जनता आपके साथ है। चीन पर कभी विश्वास मत करना और चीन को हिम्मत के साथ जवाब देना, यही अब एक उपाय है। हम सब लोग आपके साथ हैं। आप जिस तरह की भी मदद चाहोगे, मदद करेंगे। जनता में भी विश्वास भरेंगे। देश के सवाल पर हम आपके साथ हैं। हिम्मत से रक्षा मंत्री जी और सरकार के यहां बैठे मंत्रीगणों से कहूंगा कि चीन को जवाब दीजिए। अगर आप चीन को जवाब देंगे तो चीन आपकी सीमा के पास नहीं आएगा। जितना ही आप चीन से डरेंगे, उतना ही चीन आपकी सीमा के भीतर घुसता जाएगा। चीन के ये पांच हजार साल के संस्कार हैं। जब चीन कमज़ोर देख लेता है तो हमला करता है और जब देखेगा कि हिन्दुस्तान मज़बूती के साथ खड़ा है तो चीन भाग जाएगा। यह पांच हजार साल का इतिहास है।

इसलिए हिम्मत के साथ आप एक बार चीन का मुकाबला कर के दिखाइए। हम सब आपके साथ हैं।

MR. CHAIRMAN : Thank you. Hon. Members, please be very brief. Prof. Saugata Roy.

… (*Interruptions*)

**PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM):** Mr. Chairman, Sir, I shall be very very brief since I am neither a former External Affairs Minister nor a former Defence Minister. I shall also not indulge in competitive jingoism saying that we are ready to go to war. It is very irresponsible to make a statement in this Parliament to say that, "Ask your soldiers to go and clear the Chinese." We are a big nation and we have to take all decisions carefully.

I am sure, knowing Shri Antony that I know for a long time, that he will not take any hasty action. This whole discussion is regarding the reported Report by Shri Shyam Saran, former Foreign Secretary and Chairman of the National Security Advisory Board. I want to know from the hon. Defence Minister whether Shri Shyam Saran had really said that China has occupied 640 sq. kms. of our territory or it is the figment of some reporters' imagination.

The second question is this. … (*Interruptions*) The whole discussion is about the preparation of infrastructure along the border. Does he, as Defence Minister, feel that our infrastructure on the Chinese border, in Ladakh, is up to his satisfaction, up to the mark? Or does it need more improvement?

Lastly, we have a large border with China. In the west, starting from Ladakh, Aksai Chin right up to Uttarakhand, we have a border with China. If you come to this side, starting from Sikkim, Bhutan up to Arunachal we have a border with China. Now, there have been continuous border talks with China, both in Beijing and in Delhi. Shri Shiv Shankar Menon was heading our team for border discussion. I want to know from the hon. Defence Minister whether the border has been delineated. If not, by when he hopes, that through these talks, the border will be delineated?

India and China are two big nations. Both are nuclear nations. We cannot clearly afford to fight. We cannot also afford to make irresponsible statements.

Our great leader, Jawaharlal Nehru, made a one small statement, which I do not think was irresponsible and historians also do not think it was irresponsible. To a question in this very Lok Sabha about Chinese incursion, he just said: "I have

told my soldiers to drive them out." What happened? On 20th October, 1962, China launched the massive invasion and Bomdila Sela Pass fell. It is all known to us. It has been called a colossal failure, a Himalayan blunder. We should not get into any action which will weaken India's prestige. Every action should be thought out.

I am sure, knowing the Defence Minister that I do, that he will take considered decision in keeping with India's position as a big nation, as a responsible and as a peace-loving nation.

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** सभापति जी, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस गंभीर सवाल पर जो चर्चा हो रही है, ...(व्यवधान) यह चर्चा तब आयी, जब कल हाउस के दौरान इस सदन को माननीय जसवंत सिंह जी के द्वारा यह सूचना दी गयी, कहीं मीडिया से उनको यह सूचना मिली कि चीन की सेना हमारे देश में 640 वर्ग किलोमीटर अंदर चली आयी है।

सभापति महोदय, सवाल केवल सीमा में घुसने का नहीं, अतिक्रमण का नहीं, बल्कि देश की अस्मिता का सवाल है। इस देश का इतिहास गवाह है कि जब-जब इस देश की सीमा पर अतिक्रमण करने का अगर किसी विदेशी ताकत ने प्रयास किया तो हमारे देश की सेना ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश की सीमा की सुरक्षा की है। सदन में ऐसे मौके कम आते हैं, जब पूरा सदन एक साथ अपने सरहद की सुरक्षा में खड़ा होता है। आज पूरा देश इसके लिए खड़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि चीन द्वारा बार-बार सीमा पर अतिक्रमण को लेकर जो सवाल खड़े किए गए, मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया और उसके बाद भी हमारी सीमा से सटे देश चाहे जो भी हों, अगर वे हमारे देश की सीमा पर अतिक्रमण करते हैं, जैसी सूचना मीडिया के माध्यम से मिल रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूं, हम केवल जवाब के लिए नहीं, हम कार्रवाई चाहते हैं कि आप आने वाले दिन में क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? यह सदन और देश जानना चाहता है।

**DR. M. THAMBIDURAI (KARUR):** Mr. Chairman, Sir, we are discussing the nation's security. We are discussing the Chinese attempt to encroach upon our border area.

Sir, there are many reports in this connection. We are reading in the newspapers and we come to know from the media that China is making an attempt to encroach upon our territory. Also, recently, the hon. Defence Minister said - I read two days back in the newspapers - that the territory issue between China and India is not yet settled. Somewhere in a function, the hon. Minister said this. I read yesterday in the newspapers.

In this connection, I want to know from the hon. Minister the real situation. What is our stand? What is our position now regarding the territory? Are we still having dispute with China? I pose this question because China is claiming so many areas of our Indian territory as its territory. We are against that.

Also, Sir, it is not only the territorial issue. For example, on the economic side also, China is entering our Indian market. A lot of goods are coming from China to India. In the name of trade, they are dumping all the goods here. As the British came once, China is also doing the same thing.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please confine to the issue that we are discussing.

DR. M. THAMBIDURAI : I want to tell how China is moving. It is moving in the same way the British people came for trade. Afterwards, they conquered India, ruled this country for about 200 years. We struggled for freedom. Therefore, apart from the military action, China is encroaching upon the Indian market also. That is a very serious and dangerous thing. Further, we have to know how China is developing friendship with the neighbouring countries like Pakistan and Sri Lanka. We know very well that after the dispute started about *Katchatheevu* and other things, what Sri Lanka s doing is that it is threatening India by way of extending an invitation to China to establish certain bases in Sri Lankan area also. That is another way of coming. In Pakistan, they are moving. In Bangladesh also, they are trying it. They are trying in Myanmar also. Why I am telling is that apart

from the military action, China is developing friendship and it is trying to surround India. That is a serious matter. That is why I am requesting the hon. Defence Minister to take all these kinds of facts seriously. At the same time, Sri Lanka also must not exploit the situation.

China is behaving like a friend but at the same time, they are trying to indulge in incursion in the Indian territory. Therefore, I would request the hon. Minister to make a clear statement as to what is the position. What is the intention of China? Is China really a friend? In the name of friendship, China is indulging in all sorts of inimical activities. It is a very serious matter. Hence, I would request the hon. Minister to clarify.

**श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):** सभापति महोदय, पन्द्रहवीं लोक सभा में कई बार चाइना के इश्यू के बारे में डिसकसन किया गया है। बार्डर इश्यू पर कई दफा डिसकस किया गया है। डिसकसन करने के बाद माननीय मंत्री जी ने पहले भी स्टेटमेंट्स दिए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हाउस को और पूरे देश को एश्योरैंस भी दिया गया है। There is no border issue with China. अभी हाल में जब 750 स्कवायर किलोमीटर अकुपेशन का इश्यू आया तो, इस हाउस में तीन-चार दिन पहले इस पर डिसकस करने के बाद, पूरे सदन ने माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट की मांग की। फाइनली, माननीय रक्षामंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए। माननीय रक्षामंत्री ए. के. एंटोनी साहब आदरणीय व्यक्ति हैं। हम लोगों ने आशा की थी कि ऐक्चुअल पोजिशन स्टेटमेंट में आएगी। इस स्टेटमेंट में यह बहुत स्पष्ट है। इस स्टेटमेंट में तीन पैरा है। पहले पैरा में, चेयरमैन श्याम शरण उधर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए गए थे।

दूसरे पैरा में, यह स्पष्ट है कि उसका प्रोग्रेस रिव्यू कर के, उधर रोड चाहिए, टनल चाहिए, क्या करना है, यही दूसरे पैरा का मीनिंग है।

तीसरे पैरा में चाइना के बारे में नहीं है। श्याम शरण जी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू करने के लिए गए हैं। पर्टिकुलर इश्यू जो हाउस में डिसकस हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट दी है, अगर वह रिपोर्ट दी है, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट में नहीं लिख पाई है। व्हाइट पेपर के साथ, फैक्चुअल पोजिशन देश को बताने की जरूरत है, अगस्त हाउस को बताने की जरूरत है, जो इंटरनल बात हुई है। हमें एंटोनी साहब पर बहुत विश्वास है। हम उनके रिप्लाई में ओपेन हार्ट से व्हाइट पेपर रिलीज करने के लिए मांग करते हैं।

**SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE):** Yesterday, hon. Defence Minister made a statement and the question arises out of some news published in the newspapers with regard to Shri Shyam Saran's report. Even today, after the Statement by the Minister, some doubts have been raised. So, I think, the Minister should clear everything. But I want to mention three points.

Firstly, what about the construction of infrastructure in the border area of our country? What are the defects? How far are they going to implement their programmes? What are the programmes?

Secondly, we are proud of our military forces; we are proud of our Armed Forces. We should see that their morale should be protected; they should not be demoralized. But that does not mean that jingoism is the answer. We should ask our military forces to combat the Chinese forces.

This question has arisen at a time when both the Armies are talking with each other on the border dispute. I think the Government is also initiating a discussion on the border dispute and we are very hopeful in this regard.

My last point is that the Minister should clearly state the position to remove the doubts of the hon. Members of this House as to what is the status on the Line of Actual Control at this moment so that all sorts of confusion can be removed.

**SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI)**: Mr. Chairman, Sir, I will just take two minutes only. I want to add to what hon. Member Shri Yashwant Sinha said. He referred to the Ladakh area. But I want to mention about Arunachal Pradesh about which I raised earlier also on the 18th of August. China intruded eastern Arunachal Pradesh in the Pompom area which is 400 kms. from Tinsukia. There is motorable road from Tinsukia which goes only up to Changlang area. Beyond that there is no motorable road and the soldiers have to walk 105 kms. up to the border. Our BJP volunteers, after this intrusion of China on 10th August, occupied the First Outpost, then the Second Outpost, the Third Outpost and also the Fourth Outpost. They covered 55 kms. of Arunachal Pradesh and then they returned on their own. There is no proper border, only ITBP forces are there. Very rarely they visit the area and then they come back. There is no road and our Army *jawans* have to walk for 15 days covering 105 kms. On the Chinese side, there are roads, there is an airfield etc. After 51 years of Chinese aggression of 1962 and *Hindi-Chini Bhai Bhai* days, China crossed 400 kms. into Arunachal Pradesh just entering Assam border and then they went back. After 51 years of Chinese aggression in 1962, why is there no proper border? The people of Arunachal Pradesh are in a very terrible state. Are you going to present Arunachal Pradesh to China? Why is there no proper Border Post? Why have you not allowed the Army to work and fight there? I request the hon. Minister to answer these points. …(*Interruptions*) The Chinese Army entered in the Pompom area of Arunachal Pradesh and he knows it. I am not going to politicize this issue. The Minister should answer my question.

**DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):** Mr. Chairman, Sir, keeping in view the circumstances at the moment, I would like to say that there is an international border intrusion in Manipur by the Myanmar Army. Recently, a team from the Government of Manipur has gone there and the Government of India also has sent its team. But now it is reported that the people of Holenphai village near the International Border Pillar No. 76 are asked to vacate the area as the Myanmar Army wants to have a Post there. I want to draw the hon. Minister's attention to this fact.

**सभापति महोदय :** शैलेन्द्र कुमार जी, क्या आपको एक प्रश्न पूछना है?

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** जी हां, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यशवंत सिन्हा जी, माननीय मुलायम सिंह जी, सौगत राय जी, तम्बिदुरई जी आदि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे, उस वक्त जब सीमा पर खतरा हुआ, उन्होंने सीमा पर जाकर बहादुरों की हौसला अफजाई की, मुकाबला करवाया। मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लद्दाख पर चीनी सेना की बराबर घुसपैठ हो रही है। क्या आप लद्दाख गए? आपने सेना के लोगों का मनोबल बढ़ाया? आप वहां जाने का काम करेंगे या आपकी इच्छा शक्ति मर गई, यह आप बताने का काम करें।

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग):** सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि रक्षा मंत्री जी इसका पूरा जवाब देंगे। चूंकि यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मैं घुसपैठियों के विषय में दो शब्द बोलना चाहूंगा। कुछ दिन पहले खबर आयी थी कि हमारे क्षेत्र चाकलाहांग में घुसपैठ हुई थी। उसमें अनजाऊ डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत दूर-दराज का एरिया है। वहां अभी भी सड़क और यातायात की सुविधा में कमी है। सदन के सभी सदस्यों ने जिस प्रकार हमें सहमति दी, जिस प्रकार उन्होंने हमारा ध्यान रखा, खासकर हम एक्स डिफैंस मिनिस्टर और प्रतिपक्ष के नेता का बहुत आभार प्रकट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वहां के जितने भी नौजवान हैं, सीमा एरियाज़ में, चाहे आईटीबीपी के जवान हैं, चाहे एसएसबी, आर्मी के जवान हैं, वे सब अभी सशक्त हैं, बहुत ही सतर्क हैं। मैं खुद उन एरियाज का मुआयना करके आया हूं और मैंने वहां के जिला प्रशासन से बातचीत भी की है। उनकी जो पैट्रोलिंग होती है, जिसे हम घुसपैठ कहते हैं, शायद उसमें कुछ लोग जो चीन के फौजी हैं, वे आये थे, ऐसी बात नहीं है कि वे नहीं आये थे। लेकिन उन्हें आने में कम से कम दो दिन लगते हैं और वापिस जाने में भी दो दिन लगते हैं। इस तरह शायद चार दिन लगे हों। वह बहुत ही घना जंगल हैं। हम चाहते हैं कि चीन के साथ हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ायें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि चीन हमारे ऊपर दबदबा डाले, चीन हमें डराए-धमकाएं। हम जानते हैं कि हमारे जितने जवान हैं, फौज हैं, वे पूरी तरह तैनात हैं और हम भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वहां के जो देशभक्ति के प्रतीक हैं, देश के पक्ष में हैं, उन्हें आपको सलाम करना होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि हमने देश भक्ति की प्रेरणा जो आप सबसे पायी, चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी या विपक्ष के हमारे जो नेता थे, उनको भी हम सलाम करते हैं। हम भारत का एक अंग हैं और हमारी जो देश भक्ति की भावना है, वह सदा हमारे देश के लिए रहेगी।

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Defence Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, please allow me to speak for a minute… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Karunakaran, we had a long discussion. You were absent in the House; I was looking for you. Please cooperate. All the important points have been brought before the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All right. Please be brief.

**SHRI P. KARUNAKARAN :** Sir, I am really thankful to you. The hon. Defence Minister had made the Statement in the House. I think that hon. Defence Minister has got the records and evidence which he has corrected and placed before the House. At the same time, there are reports that China has crossed the Line of Control and whether it is correct or not is not possible to say now. No doubt, the security and safety of the nation is the most important, but at the same time, we should not take a hasty step and we have to realize whether it is correct or not. So, such a patient stand has to be taken. I am sure the hon. Defence Minister is capable of doing that. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes, the hon. Defence Minister, please.

… (*Interruptions*)

**डॉ. बलीराम (लालगंज):** सभापति महोदय, आप मुझे भी एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, please. Mr. Dara Singh has already spoken. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Now, the hon. Defence Minister, please.

**THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY):** Mr. Chairman, Sir, I am thankful to all the hon. Members for giving the valuable suggestions regarding protection of our border. While discussing, naturally, some of the Members became a little annoyed with the Government. I can understand that.

One thing I would like to say at the very beginning. Today's discussion is not an extensive discussion on India-China border. My statement was to a limited issue raised regarding a reported report given by Shri Shyam Saran to PMO. The report came in some of the Mediums. According to the media reports, Shri Shyam Saran, after visiting Ladakh, gave a report to PMO that China encroached and occupying 640 kms. of Indian territory. That was the question raised, I gave a very factually hundred per cent honest factual report. That report was like this: "I would like to state categorically that Shri Shyam Saran has not stated in this report that China has occupied, or has denied access to India to any part of Indian territory." That is factually correct. That is the report; there is no mention about that in the report. I can corroborate that.

Even the author of the report, Shri Shyam Saran himself issued a statement yesterday. The Chairman of NSAB, Shyam Saran, has denied media reports that he has submitted an official report to the PMO accusing the PLA of occupying 640 sq. kms. of Indian territory. So, Shyam Saran himself said, I don't have such a report and the Government has no such report. So, without getting a report like that, how can I discuss about alleged Chinese occupation of that area? That is why, I gave factual report. There is nothing like changing the report; it is a genuine report.

Another thing is this. Shyam Saran himself said, "NSAB does not concern itself its operational matters. His concern was something else, how to improve the border infrastructure and other issues." That was in the report. So, I gave a brief report, a *suo motu* statement in the Rajya Sabha, here, in this House, as per the enquiry. It is a very brief report about a particular issue. My statement is not an elaborate statement about the India-China border. You see, India-China border

issue is not a new one. India has a long border with China. Even though India has border with many other countries, our longest border is with China. Every one of you knows that our border with China is not settled. My friend, Prof. Saugata Roy asked me whether it is delineated. It is not delineated. India-China border is not delineated. The entire area is unsettled. But, even though this entire area is unsettled, for vast areas, there is an agreement between China and India about the Line of Actual Control. There are some areas, in which, even today, there is no agreement between India and China about the line of actual control. These areas are known as disputed areas. In these areas both countries are sending their troops to patrol. China thinks that up to a certain areas their army should patrol. India thinks up to a certain area, it is theirs. In some pockets ITBP also used to petrol.

As Shri Yashwant Sinha ji mentioned in the beginning, it is correct that the patrolling limit was decided ultimately in 1976 by the Government of the day as to how to patrol and how far you must go. All these things were decided in 1976. After that, many Governments came and gone but, basically, this 1976 patrolling limit continued. Even, now our own troops are carrying regular patrolling up to that LoC. Then, some of my colleagues told me: "Does that mean that China does not occupy any Indian territory?" Yes, it is not now. Everybody knows that in the year 1962-63, in two years, there was occupation of Indian territory; in 1962, in Arunachal Pradesh and in 1963, in PoK. This is our legacy. It is occupied not now. It has happened 50 years ago. This dispute is going on. But that dispute is unsettled. After long years of negotiations, with both Governments, both Governments have decided that this long pending India-China boundary dispute should be settled. For that purpose two people were nominated, NSA from Indian side, and his counterpart from Chinese side. They are continuing with the negotiations to find solution to the border disputes. That negotiation continued during the NDA period and it has been continuing during UPA period also. It is continuing on the same pattern. Nobody has changed the pattern. The Governments change but not the pattern. Attempts are going on to find an

everlasting solution to this long pending India-China border dispute. But it will take some time. You cannot expect miracles. In between a lot of things have happened. I have no hesitation in admitting the reality. China is much advanced in the area of building infrastructure in comparison to India. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching them. That is also a history. What is it? The independent India had a policy for many years that the best defence is not to develop the border. Undeveloped borders are safer than developed borders. So, for many years, there was no construction of roads or air fields on the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So, as a result, they have now gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise in the border areas, they are ahead; I admit that. It is a part of history. But, of late, in the last 20-25 years, the Indian Governments also realised the mistake and changed its policy. Now, we are also strengthening our capabilities in the border areas. I do not dispute it. When Mulayam Singhji was the Defence Minister, he had also done a lot of things for developing the capabilities in the border areas, strengthening the Armed Forces. When NDA was there, they had also done a lot of things to strengthen the border areas and capabilities, and modernise the Armed Forces..

But I can tell you, without any exaggeration, that only during the last nine years, as the UPA Government, we have done the maximum to strengthen the capabilities in the border areas. In times of UPA-I & UPA-II, it is being done; and may be the future Governments also will continue the same thing; whoever comes, they will continue the same thing.

I cannot give all the details but I can tell you that after 29 years, our Government, four years ago, formed two Mountain Divisions in the border areas. So many airfields, so many ALGs and so many other developments are taking place. Of late, a few months back, our Government sanctioned strengthening of the border areas, another Force Accretion Project. People are calling it by many

names. But actually, the idea is the Force Accretion. So, in the last many years, continuously, we are strengthening our Armed Forces.

So, the morale of the Indian Armed Forces, at the moment, is very high. That is why, when you talk about Depsang incident, that incident took place on 17/04/2013 and it continued up to 05/05/2013 for many days. But the Indian Army stood the ground. They did not withdraw. Ultimately, the issue was resolved when the Chinese PLA disengaged from the general area of Depsang Bulge.

So, our Army is now in a better positions; their morale is very high. But unfortunately, one thing is happening. What is happening is that in the earlier times, infrastructure development of both the countries was very slow. But over the years, China moved very fast. But now we are also catching up. So, India also is catching up in the infrastructure development. As a result, now in almost all the border areas, the Indian Army and the Chinese Army coming closer. Earlier it was not there. They were at a distance of about 1000 kilometres, but now, they are coming closer.

When the Chinese side comes to the areas of our perception, we say incursion; when our people go there, they say: “Our people are going there.” Our patrols are also going up to the mandated areas everywhere. About some of the areas you mentioned that our patrols are not going. It is not true and factually correct that whether it is Depsang, or Pangong or Chumar, our patrols are going regularly. Even in Depsang, there was face-off. Now, our people are going there . We have not stopped the patrolling there. Our patrolling is decided by a Group consisting of various stakeholders, in which the Army is a main voice. It was decided in 1976. That is continuing now. So, now both the sides are developing their capabilities. Even though earlier China had gone ahead, India is also catching up. So, there are many occasions. In the last many years, even face-off is taking place. They are coming closer but luckily for us, all these face-offs are peaceful. But both the Governments are now discussing how to avoid this. Both the armies

are coming closer, face to face. How to avoid this kind of tensions? So, our understanding now is, let the Special Representatives continue their talks for finding a longstanding solution to the border dispute. Let them handle that part. Till a final settlement of the border issue is reached, our one point agenda is to maintain peace and tranquillity and stability in the India-China border without sacrificing an inch of our land which is protected.

So, the present negotiation, apart from Special Representatives, that we are having, our military is having is, how to maintain peace and tranquillity in the border areas. So, there are many mechanisms now but still this kind of incidents happen. It is not now, but for the last many years it has been happening. So, now we are discussing to find out new mechanism which can be more effective so that whenever an incident takes place, immediately both the militaries can intervene and solve the issue. That kind of confidence building discussion the military is having. Apart from diplomatic channel discussions, now we are encouraging from both the countries to have more military to military discussions for confidence building so that whenever issues are coming on the ground, the military, the local field officers can immediately intervene and sort them out.

I do not want to have a dispute with my respected colleagues. But the Government of India has not given any direction thereby our armed forces do not act. Whenever a situation arises in the border areas, they are free to handle it as per the situation demands. The local situations are handled by them only. Every year, every month lot of incidents are taking place. They are handling them. We are not giving direction. Even the Army Headquarters have not given direction. The local field people are handling. That is how, they are handling. Now, we are trying to find some more mechanisms, effective forums so that we can avoid this kind of unpleasant and unfortunate face-offs or other incidents.

So, our approach is three-fold. One is to find a longstanding solution to this border dispute between India and China through the mechanism of Special Representatives. Second one is to develop more mechanisms so that whenever

dispute of incursions or occasional face-off takes place, immediately both the sides can intervene and sort it out. That is another part. While doing this, our Government is very clear on that. Since China has already gone ahead in infrastructure building, one thing we are very clear we will continue the process of strengthening our capabilities in the border areas. That is a clear policy. There is no question of compromising on our ability of strengthening our capabilities. We will not compromise on that. So, this is a three-fold strategy. We are going like that way.

There are issues. I agree with you but we have to find solutions. But we cannot, as responsible people, immediately overreact on the basis of a media report. Actually, that media report is not correct, according to the author of the report. Even Shyam Sharan says that I have not given such a report. So, how can a responsible Government of the day react over such a media report? That is why, we have acted like that. But I can assure the House that even though India is anxious to find the everlasting solution of the border issue; even India is anxious to avoid unpleasant incidents in the border areas, at the same time, at no point, Indian Government will compromise with the process of strengthening the capability and we will not compromise that an inch of Indian land be encroached by any foreign country. Regarding national security we are one. Let us send a message to the country and to the whole world that India is one regarding national security. It is what I meant.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Now, we take up Item No.7 - Shri Shailendra Kumar ji.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh, please sit down. We will now go the next Item.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Yashwant Sinha ji, please sit down.

… (*Interruptions*)

**SHRI YASHWANT SINHA :** Is the Depsang Bulge is under our control, under our occupation or not? … (*Interruptions*) The Minister is not answering. … (*Interruptions*) The bulge was beyond the LAC. … (*Interruptions*) The LAC included the bulge. … (*Interruptions*) Now, what is the position of the Depsang Bulge? Are the Chinese coming in the Depsang Bulge; are they patrolling it? That is our territory. This is what I want to ask? … (*Interruptions*)

**MR. CHAIRMAN:** Please, do not make a noise. Before the hon. Minister reply this question, Mulayam Singh Yadav ji also wants to ask one question. And, that is all. Then, there is no other question.

… (*Interruptions*)

SHRI A.K. ANTONY: First of all, I would like to answer the point raised by Shri Yashwant Sinha, regarding the Depsang Bulge, where the incident took place. We have told the China to maintain the status quo. The issue was resolved. The PLA disengaged itself from the area of Depsang Bulge. Our people have started going on. They are patrolling as per the mandate. I want to tell the House that actually this year itself our Army has gone to this area 27 times.

And, Shri Mulayam Singh is concerned. China is claiming vast areas of Indian land. But, not from now. As Yashwant Sinha ji said, in 1959, they had written a letter to the Indian Government. Since that time they are claiming on these areas. But, in 1959 itself, after receiving the letter, the Government of the day totally rejected their claim. So, they are still standing on their claim; we are rejecting their claim. Now, both sides are trying to find a solution to the issue.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Before I take the next Item, that is, Item no.27 - the 'Half an Hour Discussion', if the House agrees, we will extend the time of the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We will extend the time of the House for of half an hour. This is 'Half an Hour Discussion'.

Shri Shailendra Kumar ji.

**22.00 hrs.**

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

### Compensation to farmers for crop loss

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस देश के अंदर फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के बारे में तारांकित प्रश्न 241 के संबंध में 27-08-2013 को कृषि मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर चर्चा उठाने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। …(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने बाढ़ और सूखे पर …(व्यवधान) सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। सर, हाउस ऑर्डर में कराएं।…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Order in the House, please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members who are standing in the aisles may please take their seats.

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि बाढ़ और सूखे से फसल खराब होने पर हम छोटे और सीमान्त किसानों को पूरी मदद करेंगे। जहां तक सवाल है कि कहीं पर बारिश हुई और कहीं पर सूखा पड़ा यानी कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। तेज बारिश से खड़ी फसल को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ देश में बरसात कहां अच्छी हुई, कहां नहीं हुई, कितनी भूमि सिंचित है, कितनी असिंचित हैं, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

दूसरे, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर ओलावृष्टि, बाढ़ या सूखे के कारण चक्रवात, बादल फटने, भूकंप, भू-स्खलन, कीट-आक्रमण, सुनामी, शीत लहर और पाला से जो आपदाएं हुई हैं, उनके लिए हम किसानों की मदद करेंगे। देश का जो किसान संगठन है, वह बराबर पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा क्योंकि अगर शरद पवार जी होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता लेकिन हमारे कृषि राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इसका जवाब देंगे। केवल फसल ही नहीं बल्कि तमाम हमारे जो फल हैं, जैसे अमरूद के बाग हैं, रेशम के कीट पालने वाले तमाम ऐसे बाग हैं, अन्य फसलों को भी बराबर का नुकसान हुआ है। सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है? सरकार का क्या प्रस्ताव है? यह हमें बताएं।

**22.03 hrs.**

**(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)**

तीसरे, नुकसान के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को आप क्षतिपूर्ति हेतु क्या राशि प्रदान करने जा रहे हैं? यह आप अपने उत्तर में बताइएगा। केन्द्र और राज्य की राष्ट्रीय आपदा अन्नप्रिया कोष दिशानिर्देश तैयार किया गया है। वित्त आयोग के समीक्षा संशोधन में भी बराबर यह जिक्र किया जाता है लेकिन जीवन और सम्पत्ति, हानि-क्षतिपूर्ति के लिए इसमें व्यवस्था नहीं है लेकिन फसलों के लिए जून 2013 में यह वृद्धि की गई है। हम कहना चाहेंगे कि सदन के हमारे सम्मानित साथी चाहे शाहनवाज़ जी, नीरज शेखर जी, रामकिशुन जी, तूफानी सरोज जी, राधे मोहन जी और तमाम साथियों ने यहां पर और आपने भी अपनी जगह पर खड़े होकर इस बात की मांग की है कि पूरे उत्तर भारत में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। गंगा, यमुना में व्यापक पैमाने पर बाढ़ आई हुई है। इसमें तमाम किसानों की लाखों एकड़ फसलें जलमग्न हो गईं। जो बागान थे। उनको नुकसान हुआ है। दलहन और यहां तक कि चावल, तिलहन, दलहन की खेती को व्यापक नुकसान हुआ है। मूंग, उर्द, अरहर, बाजरा और पचास से ज्यादा फसलों को सौ प्रतिशत नुकसान हुआ है। वे डूब गई हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जान-मान का तो जहां नुकसान हुआ ही है लेकिन जो किसानों का अगर पचास प्रतिशत से ज्यादा उनका नुकसान हुआ है या सौ प्रतिशत हुआ है तो मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम उनको पूरी तरीके से मुआवजा देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि समय समय पर जो ये तमाम सवाल उठाये जाते रहे हैं, क्या मंत्री जी सबका जवाब देंगे? चूंकि किसान बहुत ही गरीब और निरीह है। वह लघु, सीमान्त किसान है, वह साल भर का अनाज का उत्पादन करता है, साग-सब्जी लगाता है, फलों का उत्पादन करता है।...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** कृपया आप शांति बनाये रखें, माननीय शैलेन्द्र जी बोल रहे हैं, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन में शांति रखें।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि सप्लिमैन्टरी क्वैश्चन भी आया था, उसमें मैंने भी सप्लिमेन्टरी क्वैश्चन किया था और माननीय शरद पवार जी ने यह बयान दिया था कि अगर राज्यों की सरकारें हमें निवेदन करती हैं या पत्र लिखती हैं तो हम यहां केन्द्रीय दल भेजकर तमाम फसलों, बागानों, साग-सब्जियों, दलहन-तिलहन की फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब तक जिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने माननीय मंत्री जी को निवेदन पत्र भेजे हैं, क्या आपने उन राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे हैं या नहीं तथा अब तक आपके पास पूरे आंकड़े आये हैं या नहीं? अगर आंकड़े आये हैं तो आपने क्या अनुमान लगाया है, कितनी फसलें नष्ट हुई हैं, उस पर मुआवजा देने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा। मैं इसलिए जल्दी बैठ रहा हूं कि आधे घंटे की इस चर्चा में तमाम हमारे साथी भी प्रश्न पूछना चाहेंगे, मैं उन्हें मौका देने के लिए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.):** महोदय, इसमें तीन प्वाइंट्स हैं, हमारे मित्र शैलेन्द्र कुमार जी का जो प्रश्न है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, आप इसे तीन भाग में डिवाइड कीजिए। एक तो आपकी मानसिकता क्या है? मेरा कहना है कि अगर यह राहत है तो आपकी मानसिकता उन गरीब किसानों को वास्तव में कम्पैनसेट करने की है या नहीं? अगर आपकी मानसिकता नहीं है और सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तो अभी उत्तर प्रदेश में तीन-तीन साल पुराने मामलों में सौ-सौ रुपये और बीस-बीस रुपये के चैक आते थे।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आकलन का जो प्रौसैस है, वह बहुत गलत है। लेखपाल पर छोड़ दिया जाता है और लेखपाल यह बताते हैं कि कलक्टर साहब हमसे कहते हैं कि चालीस परसैन्ट से ज्यादा...

**सभापति महोदय :** इस पर आपका सवाल और सुझाव क्या है?

**श्री विजय बहादुर सिंह :** मेरा सुझाव यह है कि इसका प्रोसैस ट्रांसपेरेन्ट हो, जो आकलन हो, वहां के जनप्रतिनिधि, खासकर मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट को पहले बताइये और विधायकों को बताइये।

दूसरी बात यह है कि जो भी प्रोसैस हो, मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर पूरे साल की फसल नष्ट हो जाए तो राज्य सरकार की डिमांड है कि दस हजार रुपये प्रति हैक्टेअर दिया जाए, हालांकि यह भी बहुत कम है। ढाई एकड़ का एक हैक्टेअर होता है तो दस हजार एक हैक्टेअर पर दिया जाए, यानी अगर पूरी फसल नष्ट हो जाए तो दस हजार रुपये दिये जाएं।

**सभापति महोदय :**कृपया सवाल करें।

**श्री विजय बहादुर सिंह :** आप चार हजार दे रहे हैं, यह चार हजार आप फॉर्मेलिटीज में क्यों दे रहे हैं। जब 100 प्रतिशत लॉस है और दस हजार रुपये की मिनिमम मांग है तो फिर आप चार हजार रुपये क्यों दे रहे हैं? मेरा कहना है कि आप इस रेट को चेंज करिये।

मेरा लास्ट पाइंट यह है कि आप इसे टाइम बाउंड कीजिए। नवम्बर और दिसम्बर की फसल के पहले अगर किसान को आप नहीं देंगे तो सब बेकार है, क्योंकि वह तैयारी नहीं कर पाता। इसलिए प्रथम आप इसे टाइम बाउंड करिये, दूसरा प्रोसैस को ट्रांसपैरेन्ट करिये और तीसरा मानसिकता राहत देने की और उन्हें हील अप करने की करिये। यही मैं कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय :** अभी माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि राज्य से मेमोरेंडम प्राप्त हुआ कि नहीं। माननीय महेन्द्र सिंह चौहाण आप बोलिये और कृपया सवाल पूछिये।

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):** महोदय, हम सब जानते हैं कि किसान अनेक तकलीफों एवं मुसीबतों का सामना करके कृषि का काम करता है, सारे राष्ट्र का पोषण करता है। हम किसान को जगत का तात कहते हैं, लेकिन इस तात की स्थिति आज दयनीय बनी हुई है। एक सर्वे में पाया गया है कि देश के 42 प्रतिशत किसान कृषि से दुखी होकर इसे छोड़ना चाहते हैं। किसान खेती करता है तो या तो अपना राष्ट्र धर्म समझकर करता है या अपनी मजबूरी समझकर करता है। बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाले, हिम, वर्षा आदि अनेक कुदरती कारणों से फसल को नुकसान होता है तो बीमा सुरक्षा योजना से थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन कभी-कभी फर्जी बियारण (बीज), फर्जी कीटनाशक, नीलगाय, भुंड, रोज, बंदर, हाथी आदि जैसे जंगली जानवर तैयार फसल को बरबाद कर देते हैं तथा कभी-कभी चोरी और आगजनी जैसे कारणों से भी कृषि को नुकसान होता है।

मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इन्हीं कारणों से फसल को नुकसान होने पर किसान को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा?

**श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):** सभापति महोदय, बाढ़ और सूखा से पूरे देश में नुकसान हो रहा है, खास कर के उत्तर भारत में ज्यादा नुकसान हो रहा है। उत्तर भारत जो हमेशा बाढ़ और सूखा से परेशान रहता है, किसानों का लाखों-करोड़ों का नुकसान होता है। मैं खास कर अपने आजमगढ़ मण्डल की बात कह रहा हूँ कि चाहे आजमगढ़ हो या बलिया हो, मऊ जनपद हो जो बड़े पैमाने पर घाघरा और गंगा के बीच में बसा हुआ है, बाढ़ के समय में पूरी फसल डूब जाती है। सूखे के समय में हमारा देवारा इलाका है, जो घाघरा के किनारे है, अगर एक चिंगारी हुई तो पांच किलोमीटर-दस किलोमीटर तक पूरी की पूरी फसल से लेकर पूरा आवास स्वाहा हो जाता है। उसके लिए कोई परमानेंट नीति नहीं बनी है।

हमारे संसदीय क्षेत्र में नई बाजार से ले कर के दोहरीघाट, जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, जहां दोहरी का मिलन हुआ आठ किलोमीटर तक पूरी सड़क और घाघरा के किनारे मुश्किल से पांच सौ किलोमीटर भी नहीं बचा हुआ है, तब सड़क कट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। सारी फसलें नष्ट हो

गई हैं। दोहरी घाट से ले कर के बलिया बॉर्डर तक बंधे के किनारे सारा कुछ नष्ट है। लेकिन इसके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है।

सभापति महोदय, मैं जानता हूँ कि उत्तर भारत और खास कर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का जो हिस्सा है, वहां बाढ़ और सूखे की चपेट में आने से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, उसके लिए कोई स्थायी नीति बनाने का काम करें। तब जा कर किसानों का भला हो सकता है।

**डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):** सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज राप्ती के कहर से फसलें बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। न सिर्फ फसलें ही बर्बाद होती हैं, बल्कि जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, पालतू पशुओं को भी चारा मुहैया नहीं होता है। किसानों की बड़ी ही दुदर्शा है। तमाम मकान भी कट गए लेकिन मुआवज़े की जो नीति बनाई गई है, उसमें जन-प्रतिनिधियों को शामिल न किए जाने से बड़ी ही विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि उन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए जो मुआवज़े की नीति बने, जन-प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जाए और उसमें उनके विचार भी लिए जाएं।

माननीय महोदय, इसी क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों की जगह उनकी नियुक्तियां हुई हैं। वे 13 वर्ष से काम कर रहे हैं और वर्तमान में उनके लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। उससे मुक्त करने के लिए जो किसानों के बेटे हैं, उनकी ओर भी आपकी तरफ से एक ध्यान चाहूंगा। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री जी, आप कृपया सभी माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

**22.13hrs** **(Madam Speaker *in the Chair)***

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** महोदय, मैं सबसे पहले श्री शैलेन्द्र कुमार और उन तमाम सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज यहां उठाया है। किसानों को मुआवज़ा देने की बात और किसानों के जो नुकसान हुए हैं, उसकी बात इन्होंने कही है।

मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा सदन इस बात की चिंता कर रहा है कि किसानों की फ़सल की जो क्षति होती है, उसकी पूर्ति कैसे की जाए। यह हमारे देश का और हमारे किसानों का दुर्भाग्य है कि जो पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, वह किसान लगभग हर वर्ष कहीं न कहीं इस देश के अंदर जो प्राकृतिक प्रकोप होता है, उससे उसको क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। वह खून पसीना बहाकर कोशिश करता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। उन्हीं बातों को लेकर हमारे माननीय सदस्य ने इस मसले को उठाया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो हर वर्ष प्राकृतिक प्रकोप होता है, उसका सामना करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में यह फैसला किया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाया जाए और उसके माध्यम से राज्यों में जो भी आपत्ति आती है, जो भी आपदा आती है और किसानों को उससे जो क्षति पहुंचती है, उससे उनको राहत पहुंचाने का काम किया जाए। इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को पूरी आर्थिक मदद दी जाती है। जो समान राज्य हैं, उन्हें 75 और 25 के अनुपात में राशि दी जाती है, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। जो ऐसे राज्य हैं, खास तौर पर जो विशेष श्रेणी में आते हैं, उन राज्यों में लगभग 90 और 10 के रेश्यो में सहायता की जाती है। जो राज्य स्तर पर डिजास्टर रिस्पांड फंड बनाया गया है, वह इसीलिए बनाया गया है कि जब इस तरह का कोई प्राकृतिक प्रकोप हो, जिसका जिक्र शैलेन्द्र जी ने किया, चाहे वह सूखा हो, फ्लड हो, फसल में कीड़े की बीमारी लग जाये, भूकंप आ जाये, शीत लहर है या इसी प्रकार की जितनी भी आपदा हों, जिनका जिक्र आपने किया, उन सब चीजों से किसानों को उस समय कैसे अविलंब राहत पहुंचायी जाए, इसी उद्देश्य से उसका गठन किया गया।

जो राज्य स्तर पर डिजास्टर रिस्पांस फंड है, राज्यों को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि जैसे ही ऐसी कोई आपदा आती है और किसानों का नुकसान होता है, तो उनको अविलंब राहत पहुंचायी जाए। उस दिशा में जैसा अभी कहा गया कि आपदा के समय उस योजना के तहत जो मदद की जाती है, भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित है, उसमें चार हजार पांच सौ रूपये प्रति हैक्टेअर वर्षा सिंचित क्षेत्रों को दिया जाता

है।...(व्यवधान) आपने कहा कि दस हजार रूपए के लिए राज्यों ने मांग की है।...(व्यवधान) चूंकि इस पर जैसा मैंने आपसे कहा, 13वें वित्त आयोग का जिक्र आपने किया कि 13वें वित्त आयोग के तहत यह अलोकेशन दिया गया है, उसके तहत यह तय किया गया है। इसमें कई प्रक्रियायें हैं और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुंचते हैं। केन्द्र के गृह मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने सबने मिलकर यह फैसला किया, जैसा मैंने कहा कि चार हजार पांच सौ रूपए प्रति हैक्टेअर,...(व्यवधान) उसके बाद न्यूनतम सहायता कम से कम सात सौ पचास रूपए और अधिसिंचित क्षेत्र के लिए नौ हजार रूपए प्रति हैक्टेअर है।...(व्यवधान) एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) कम से कम 1500 रुपये की फसलों को देने का फैसला हुआ। लगभग 12 हज़ार रुपये जो न्यूनतम सहायता ...(व्यवधान) और सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 12 हज़ार रुपये प्रति हैक्टेयर दिये जाते हैं। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** वह तो जवाब में दिया गया है।

**श्री तारिक अनवर :** उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी को बोलने दीजिए।

**श्री विजय बहादुर सिंह :** वित्त आयोग एंटी फार्मर है। ...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है या जो उनका आधार है, सभी चीज़ों पर विचार करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं, जो हम लोगों ने तय किया है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह मुआवज़ा नहीं है। यह राहत है, क्षतिपूर्ति नहीं है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** राहत, क्षतिपूर्ति और मुआवज़े का फर्क बताइए। ...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** राहत जो दी जाती है, वह तत्काल दी जाती है ताकि उस समय जो भी किसानों को नुकसान हुआ है, उनको कुछ राहत मिले, इसी उद्देश्य से उनको राहत दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं या किसान चाहता है कि उसको पूरी तरह से फसल का मुआवज़ा मिले तो उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से कई योजनाएँ हैं जिसमें नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरैन्स स्कीम है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरैन्स है, पाइलट वैदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरैन्स है, कोकोनट पाम इंश्योरैन्स स्कीम है। ये तमाम स्कीमें ऐसी हैं कि जिनका राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन होना चाहिए मगर बहुत से राज्यों में अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। इनके आधार पर उनको पूरा मुआवज़ा मिलेगा। जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा मुआवज़ा तभी मिलेगा, जब इन स्कीमों को किसान अपनाएँगे। ...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** आप लंबा भाषण न दें। आप यह बताएँ कि क्या राहत देंगे या क्या मुआवज़ा देंगे।

**श्री तारिक अनवर :** अभी जो प्रावधान है, वह हमने आपको बताया कि यह प्रावधान सरकार की ओर से है, कृषि मंत्रालय की ओर से है और जो आपदा को लेकर बनाया गया संगठन है, उसके द्वारा वह दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार दिया गया है कि ऐसी कोई आपदा हो तो अविलंब उस फंड से उसको दिया जाए और अगर उसमें फंड की कमी हो जाए तो फिर वह केन्द्र से और सहायता मांग सकता है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** हम वही मांग कर रहे हैं कि आप बताएँ कि केन्द्र क्या मदद कर रहा है? ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी, आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

**श्री तारिक अनवर :** मैं शैलेन्द्र जी को बताना चाहता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश का ज़िक्र किया कि उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। पांडे जी ने भी किया, और लोगों ने भी किया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश से क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी मैमोरण्डम नहीं आया है। ...(व्यवधान) हमारे पास नहीं आया है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** आप जानकारी कर लीजिए। आपके पास गया है। ...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** आज की तारीख तक नहीं आया है। कल आ जाए तो अलग बात है। ...(व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** आप फाइलें गुम कर देते हैं। कोलगेट में फाइलें गुम कर देते हैं। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप मंत्री जी को सुनिये। Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...* *

**अध्यक्ष महोदया :** आप सब लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** अध्यक्ष महोदया, अभी हमारे पास कल जो मैमोरण्डम आया है फ्लड को लेकर, उसमें सिर्फ गवर्नमैंट ऑफ महाराष्ट्र का है, उसमें पंजाब के बादल साहब की चिट्ठी है, लेकिन उसमें ज्ञापन नहीं है, पूरी रिपोर्ट नहीं है। उसी तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री का भी पत्र है कृषि मंत्री जी के नाम, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया है।...(व्यवधान) अगर आप मदद लेने को तैयार होंगे तब न।...(व्यवधान) मदद लेने को तैयार तो होइये।...(व्यवधान) नहीं हैं।...(व्यवधान) आप इस मसले को यहां उठा रहे हैं। आपको इस मसले को वहां

---

* Not recorded.

उठाना चाहिए था।...(व्यवधान) कहीं से भी नहीं आया है।...(व्यवधान) झारखण्ड से भी नहीं आया है।...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आपकी कोई कमेटी यहां से जाती है तो क्या आपने वह भेजी है? अगर भेजी है तो उसकी रिपोर्ट क्या आयी है?...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** नहीं आया।...(व्यवधान) किसी राज्य से नहीं आया।...(व्यवधान)

आपका कहना सही है कि पहले वहां से जो रिपोर्ट आती है, जो राज्य सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आती है।...(व्यवधान) उसी के आधार पर यहां से हाईलेवल कमेटी भेजी जाती है।...(व्यवधान) कृषि मंत्रालय से फिर हाईलेवल की कमेटी जाती है, वह कमेटी आकर रिपोर्ट करती है।...(व्यवधान) उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और उसकी जो भी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करके उसी हिसाब से उसको किया जाता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हम इनको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, जो भी हमारे माननीय सदस्य ने यह उठाया है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** आपने बिलकुल सही कहा...(व्यवधान) अभी तक नहीं आया है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

... (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइए। उनको उत्तर देने दीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** चर्चा का समय पूरा होने जा रहा है।

...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** अध्यक्ष महोदया, सूओमोटो केन्द्र सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती है, जब तक राज्य सरकार की ओर से अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है और वहां से अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है तो उसी के आधार पर हम अपनी टीम वहां भेजते हैं और जब उस टीम की रिपोर्ट आ जाती है तो उसी आधार पर उनको आर्थिक सहायता दी जाती है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग बैठ जाइए। दारा सिंह जी बैठ जाइए। समय होने जा रहा है।

...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** किसी भी राज्य से अभी तक, जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र को छोड़कर...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** बिलकुल नहीं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...* *

**श्री तारिक अनवर :** अध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्रालय को जो अभी तक चिट्ठी आयी है, दो मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी आयी है, जिसमें कनार्टक और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, जो रिपोर्ट आयी है, जो ज्ञापन के रूप में आया है, वह सिर्फ महाराष्ट्र का आया है और किसी दूसरे राज्य का, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखण्ड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किसी का भी नहीं आया है।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश से भी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग क्या कर रहे है?

...(व्यवधान)

**श्री तारिक अनवर :** मध्य प्रदेश से भी कोई ज्ञापन नहीं मिला है...(व्यवधान) आप उसको भिजवाइए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

**श्री तारिक अनवर :** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही उनके राज्य से हमारे पास ज्ञापन आएगा,...(व्यवधान) हम उस पर अपनी टीम भेजेंगे...(व्यवधान) और अविलम्ब उनको आर्थिक मदद दी जाएगी।...(व्यवधान) यह हम आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाते हैं।...(व्यवधान)

---

**22.28 hrs**

## NATIONAL SONG

**अध्यक्ष महोदया :** सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं।

*The National Song was played.*

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned *sine die.*

**22.30 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned sine die.*

.

---